खण्ड–485, अंक–2
गुरुवार, 30 फाल्गुन, शक संवत् 1934
(21 मार्च, 2013 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2013)

(खण्ड 485 में 3 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2013

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
श्री सन्तराम कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा का व्यक्तिगत प्रकरण (जारी) ...	7
प्रश्नोत्तर	7-27
उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री नजमुद्दीन के निधन पर शोकोद्गार..	27-28
श्री सन्तराम कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा का व्यक्तिगत प्रकरण	28-30
श्री अनीसुर्रहमान, सदस्य, विधान सभा की हत्या की योजना विषयक प्रकरण ...	30-31
सत्रकाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद् द्वारा आहूत मीटिंग के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	31-32
सिविल सर्विसेज के अधिकारियों द्वारा रिटर्न न दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	32734
राजा मण्डी आगरा स्टेशन पर आगरा के सांसद व विधायकों के साथ दुर्व्यवहार/मुकदमा किये जाने विषयक व्यवस्था का प्रश्न	34
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	34-36
जनपद हाथरस (महामायानगर) में नये सम्पर्क मार्गों को बनाने एवं कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	36-37
जनपद बलरामपुर की तहसील उतरौला में भू-माफियाओं द्वारा जमीनों पर अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	37
जनपद मिर्जापुर की तहसील मड़िहान एवं चुनार में पेयजल समस्या का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	37-38
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में शिक्षकों की समयबद्ध पदोन्नति किये जाने का प्राविधान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	38
जनपद फतेहपुर अन्तर्गत थाना धाता क्षेत्र में ऐरई घाट पर हो रहे अवैध बालू, खनन को रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	38-39
जनपद बलिया में सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रोजेक्ट चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	39
किसान सहकारी चीनी मिल, नानपारा बहराइच द्वारा सरयू नदी में क्षारीय कचरा छोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	39

विषय	पृष्ठ-संख्या
कानपुर रोड योजना, लखनऊ के नगर प्रसार योजना भाग-3 व 4 के समस्त ग्रामवासियों जिसकी भूमि का अधिग्रहण किया गया था को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	40
बाल भारती विद्यालय जूनियर हाई स्कूल, तेलियरगंज, इलाहाबाद में रिक्त सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	40741
जनपद झांसी की तहसील मऊरानीपुर अन्तर्गत आराजी नम्बर-103 रकबा 0.397 पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	41
विधान सभा क्षेत्र बरौली जनपद अलीगढ़ के कतिपय ग्रामों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	41-42
जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड ईसानगर एवं तहसील धौरहरा की मुख्य सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	42
जनपद कासगंज में बिलग्राम गेट के पास रह रही विधवा का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	42-43
जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत बहराइच-गोण्डा मुख्य सड़क मार्ग से नवीन मण्डी समिति, पयागपुर होते हुए अहिरनपुरवा तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	43
जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार के एंग्लो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसया के प्रबन्धक द्वारा साजिशन प्रबन्धन हथिया लिये जाने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	43-44
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	44
प्रश्नों के उत्तर नियत तिथि से एक दिन पूर्व उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	45
मा0 सदस्यों के आश्रितों को पारिवारिक पेंशन का लाभ पहली विधान सभा के गठन से दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	45-47
डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत ग्रामों के चयन में मनमानी किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	47-49

विषय	पृष्ठ-संख्या
विधान सभा के प्रथम सत्र, 2013 के तीसरे बुधवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या-157 के विपरीत मेरठ के दतावली गेसूपुर में नगर निगम की जमीन/तालाब को बिक्री कर आवासीय भवन बनवाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	49
लोहिया समग्र विकास ग्रामों के चयन का आधार सुविधाओं से वंचित आर्थिक पिछड़ापन को बनाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न... ...	49-50
उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013..... (पुरःस्थापित) ...	50
वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक के अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-84 सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या-26 गृह विभाग (पुलिस)..... (जारी)	50-116
कार्य-मंत्रणा (स्वीकृत)	116-117
अनुदान-08, 26 (जारी)	117-145
उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 (पारित) ...	145-149
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	149-154
श्री राशिद हुसैन, थानाध्यक्ष, जनपद बिजनौर के विरुद्ध श्री मो0 गाजी, सदस्य, विधान सभा द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-63/64 के अन्तर्गत अभिसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	154-157
प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थलों पर पर्यटन अधिकारी/सहायक पर्यटन अधिकारी के रिक्त पदों को भरने एवं पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने के सम्बन्ध में श्री दिलनवाज खां द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पर्यटन मंत्री का वक्तव्य	157-158
जनपद रायबरेली के ग्राम खजूरगांव स्थित सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र पर समाजवादी एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)	158
जनपद संत रविदास नगर (भदोही) के औराई क्षेत्रान्तर्गत दि काशी सहकारी चीनी मिल को पुनः चालू करवाये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती मधुबाला द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)...	158
प्रदेश के 57 जनपदों में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा अपना वेतन और भत्ता सर्वशिक्षा अभियान के फण्ड से आहरित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य	158-160

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बलरामपुर में राजकीय पालीटेक्निक के निर्माण में मिलावटी मटेरियल का प्रयोग किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अब्दुल मशहूद खां द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	160-161
उत्तर प्रदेश के मण्डल/जिला स्तर पर चिकित्सा अधिकारियों के स्थानान्तरण में निर्गत शासनादेशों का अनुपालन न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में कुंवर भारतेन्द्र द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य	161-162
जनपद बलिया को जनहित में वाराणसी मण्डल में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में श्री जियाउद्दीन रिजवी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन	163
जनपद मिर्जापुर के मड़िहान क्षेत्र में वर्ष 2011-2012 में किसानों से खरीदे गये धान का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री ललितेशपति त्रिपाठी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	163-164
वाराणसी के दो सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों व नर्सिंग स्टाफ की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य...	164-166
जनपद मेरठ के मोदीनगर क्षेत्रान्तर्गत स्थित मोहिउद्दीनपुर शुगर मिल का पुनः संचालन करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुदेश शर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य... ...	166-167
नगर निगम झांसी में प्राइवेट एजेन्सी द्वारा धन उपलब्ध कराये जाने के बावजूद मंदाकिनी प्रदूषण रोकने हेतु ट्रीटमेन्ट प्लान्ट न बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रवि शर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	167-168
आईकावा इन्टरनेशनल एजूकेशन सोसायटी द्वारा की गयी करोड़ों रुपये की ठगी के विरुद्ध जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती अनुप्रिया पटेल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	168-169
जनपद कासगंज के निवासी नूरबानो के पति श्री फैज मोहम्मद शमी की बदमाशों द्वारा की गयी हत्या की जांच कराये जाने एवं मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता एवं नौकरी दिये जाने के सम्बन्ध में श्री ममतेश शाक्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	169-170

विषय	पृष्ठ-संख्या
मुरादाबाद के नगर पंचायत कांठ में कब्रिस्तान से पड़ियों वाली पुलिया तक 11000 वोल्ट की विद्युत लाइन आबादी के ऊपर से हटाकर रास्ते के किनारे बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अनीसुर्रहमान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	170-171
सहारनपुर के ग्राम शेरमऊ में स्थापित उत्तम शुगर मिल के कर्मचारियों को शुगर वेज बोर्ड के अनुसार लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	171
जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र पश्चिमी के अन्तर्गत ग्राम घोसी एवं ग्राम कांठगांव में ससुर खदेरी नदी पर बने जीर्ण-शीर्ण पुल का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती पूजा पाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	171-172
नत्थी	173-194

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 21 मार्च, 2013 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य-359

1. अंसार अहमद, श्री — इलाहाबाद़
2. अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
3. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
4. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
5. अजय मिश्र 'टेनी', श्री — लखीमपुर खीरी
6. अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
7. अजय कुमार, डा0 — इलाहाबाद
8. अजय कुमार 'लल्लू', श्री — कुशीनगर
9. अजीत कुमार, श्री — फर्रुखाबाद
10. अजीमुलहक पहलवान अंसारी, हाजी — अम्बेडकर नगर
11. अताउर्रहमान, श्री — बरेली
12. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
13. अनिल वर्मा, श्री — उन्नाव
14. अनीसुर्रहमान, श्री — मुरादाबाद
15. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
16. अनुप्रिया पटेल, सुश्री — वाराणसी
17. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
18. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
19. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
20. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री — बलरामपुर
21. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़
22. अभय सिंह, श्री — फैजाबाद
23. अमित गौरव यादव, श्री — एटा
24. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
25. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
26. अरूण वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
27. अरूण कुमार, डा0 — बरेली
28. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमती — कानपुर नगर
29. अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
30. अली यूसूफ अली, श्री — रामपुर
31. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री — गोण्डा
32. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
33. अविनाश कुशवाहा, श्री — सोनभद्र
34. अशफाक अली खां, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
35. आदिल शेख, श्री — आजमगढ़
36. आनन्द सिंह, कुंवर — गोण्डा
37. आबिद रजा खां, श्री — बदायूं
38. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — बलरामपुर
39. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
40. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
41. आशा किशोर, श्रीमती — छत्रपति शाहूजी महराज नगर
42. आशीष कुमार यादव, श्री — एटा
43. आशीष यादव, श्री — बदायूं
44. आशुतोष उपाध्याय, श्री — देवरिया
45. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
46. इकबाल महमूद, श्री — भीमनगर
47. इन्दल कुमार, श्री — लखनऊ
48. इन्द्रजीत कोरी, श्री — कानपुर नगर
49. इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
50. इन्द्रपाल सिंह, श्री — रमाबाईनगर
51. इन्द्राणी देवी, श्रीमती — श्रावस्ती
52. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
53. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री — लखीमपुर खीरी

54. उदयराज, श्री उन्नाव
55. उदय लाल मौर्या, श्री वाराणसी
56. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
57. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
58. उमाशंकर, श्री बलिया
59. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
60. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
61. ओम कुमार, श्री बिजनौर
62. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
63. ओम प्रकाश 'बाबा' दुबे, श्री जौनपुर
64. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
65. कमाल अख्तर, श्री ज्योतिबाफूले नगर
66. कमाल युसुफ मलिक, श्री सिद्धार्थनगर
67. कलराज मिश्र, श्री लखनऊ
68. काली चरन सुमन, श्री आगरा
69. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
70. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
71. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
72. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
73. केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य, श्री कौशाम्बी
74. कैलाश, श्री गाजीपुर
75. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
76. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
77. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
78. गजराज सिंह, श्री पंचशील नगर
79. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
80. गयाचरण दिनकर, श्री बांदा
81. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
82. गायत्री प्रसाद, श्री छत्रपति शाहूजी महराज नगर
83. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
84. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
85. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
86. गेंदा लाल चौधरी, श्री महामायानगर
87. गोमती यादव, श्री लखनऊ
88. गोरख पासवान, श्री बलिया
89. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
90. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
91. चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
92. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
93. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
94. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
95. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
96. जगपाल, श्री सहारनपुर
97. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
98. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
99. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
100. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
101. जमील अहमद कास्मी, श्री मुजफ्फरनगर
102. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
103. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
104. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
105. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
106. जाहीद बेग, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
107. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
108. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
109. तसलीम, श्री बिजनौर
110. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
111. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
112. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
113. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
114. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
115. दलजीत सिंह, श्री बांदा
116. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
117. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
118. दीपक कुमार, श्री उन्नाव

119. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
120. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
121. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
122. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री महामायानगर
123. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
124. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
125. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
126. धर्मराज, श्री बाराबंकी
127. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
128. धर्मेश सिंह तोमर, श्री पंचशील नगर
129. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कांशीराम नगर
130. नदीम जावेद, श्री जौनपुर
131. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
132. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
133. नवाजिश आलम खान, श्री मुजफ्फरनगर
134. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री प्रतापगढ़
135. नारद राय, श्री बलिया
136. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
137. निरंजन ज्योति, साध्वी हमीरपुर
138. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
139. पंकज कुमार मलिक, श्री प्रबुद्धनगर
140. परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
141. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
142. पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
143. पीतमराम, श्री पीलीभीत
144. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
145. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
146. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
147. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
148. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
149. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
150. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
151. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
152. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
153. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
154. फसीहा मंजर ''गजाला लारी'', सुश्री देवरिया
155. फेरन लाल, श्री ललितपुर
156. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
157. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
158. बदलू खां, श्री उन्नाव
159. बाबू खां, श्री हरदोई
160. बाबूलाल, श्री गोण्डा
161. बावन सिंह, श्री गोण्डा
162. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
163. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
164. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
165. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
166. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
167. बैजनाथ, श्री मऊ
168. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
169. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
170. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
171. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
172. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
173. भारतेन्द्र, कुंवर बिजनौर
174. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
175. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
176. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
177. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
178. मनबोध, श्री देवरिया
179. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
180. मनीष रावत, श्री सीतापुर
181. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
182. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
183. ममतेश शाक्य, श्री काशीराम नगर
184. महबूब अली, श्री जे0पी0नगर
185. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
186. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर

187. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
188. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
189. माइकल चन्द्रा, श्री जे0पी0नगर
190. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
191. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
192. मानपाल सिंह, श्री काशीराम नगर
193. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
194. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
195. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
196. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
197. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानपुर नगर
198. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूं
199. मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
200. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर
201. मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
202. मो0 आसिफ जाफरी, श्री कौशाम्बी
203. मो0 मुस्लिम, श्री छत्रपति शाहूजी महराज नगर
204. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
205. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
206. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
207. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
208. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
209. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
210. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री रमाबाईनगर
211. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
212. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
213. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
214. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
215. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
216. रणजीत सुमन, श्री एटा
217. रमेश चन्द, श्री मिर्जापुर
218. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
219. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
220. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
221. रविन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
222. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
223. रवि शर्मा, श्री झांसी
224. रश्मि आर्य, डा0 झांसी
225. राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
226. राकेश प्रताप सिंह, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
227. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
228. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
229. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
230. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
231. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
232. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
233. राजाराम, श्री प्रतापगढ़
234. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
235. राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
236. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
237. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
238. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
239. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
240. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
241. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
242. राधेश्याम, श्री छत्रपति शाहूजी महराज नगर
243. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
244. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
245. राम करन आर्य, श्री बस्ती
246. राम खिलाड़ी सिंह यादव, श्री भीमनगर
247. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
248. राम गोविन्द, श्री बलिया
249. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
250. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद

251. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
252. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
253. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
254. राम मगन, श्री बाराबंकी
255. राममूर्ती वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
256. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
257. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
258. रामवीर उपाध्याय, श्री महामाया नगर
259. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
260. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
261. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
262. रामस्वरूप सिंह, श्री रमाबाई नगर
263. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
264. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
265. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
266. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
267. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
268. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
269. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
270. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती भीमनगर
271. ललितेश पति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
272. लालमुन्नी सिंह, श्रीमती सिद्धार्थनगर
273. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
274. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
275. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
276. वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
277. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
278. विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
279. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
280. विजय कुमार, डा0 गोरखपुर
281. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
282. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
283. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
284. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
285. विजय सिंह, श्री रामपुर
286. विजय सिंह पुत्र प्रेम सिंह, श्री फर्रुखाबाद
287. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
288. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
289. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
290. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
291. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
292. वीरपाल राठी, श्री बागपत
293. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
294. वीरेन्द्र सिंह, श्री बरेली
295. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
296. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
297. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
298. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
299. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
300. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
301. शाकिर अली, श्री देवरिया
302. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
303. शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़
304. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
305. शिव कुमार बेरिया, श्री रमाबाई नगर
306. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
307. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
308. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
309. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
310. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
311. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
312. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
313. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
314. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
315. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा

316. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
317. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
318. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
319. संजय कपूर, श्री रामपुर
320. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
321. सईद अहमद, श्री इलाहाबाद
322. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
323. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्ध नगर
324. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
325. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
326. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
327. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
328. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
329. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
330. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
331. सावित्री बाई फूले, सुश्री बहराइच
332. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्री बदायूं
333. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
334. सियाराम सागर, डा0 बरेली
335. सीमा, श्रीमती जौनपुर
336. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
337. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
338. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
339. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
340. सुधाकर, श्री मऊ
341. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
342. सुनील कुमार लाला, श्री लखीमपुर खीरी
343. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
344. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
345. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
346. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
347. सुरेश राणा, श्री प्रबुद्धनगर
348. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
349. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
350. सुल्तान बेग, श्री बरेली
351. सैय्यद कासिम हसन, श्री फतेहपुर
352. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर
353. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
354. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
355. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
356. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
357. हुकुम सिंह, श्री प्रबुद्धनगर
358. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत
359. हेमलता चौधरी, श्रीमती बागपत

नोट :-मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन), पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव) एवं कारागार मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी) भी सदन में उपस्थित थे।

श्री सन्तराम कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा का व्यक्तिगत प्रकरण

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, एक विधायक जी का व्यक्तिगत मामला है, एक मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

अभी यह प्रश्न हो जाने दीजिए।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में वर्षा एवं ब्रजपात से पीड़ित परिवारों को राहत दिये जाने की व्यवस्था

*01-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2012 में वर्षा, ब्रजपात (आकाशीय विद्युत गिरने के कारण) जो जन-धन की हानि हुई है, उससे पीड़ित परिवारों के पुनर्वास और भरण-पोषण की कोई योजना सरकार द्वारा बनाई गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

जी हां।

वर्षा, ब्रजपात से होने वाली जन-धन की हानि से प्रभावित परिवारों को राज्य आपदा मोचक निधि से जनहानि, तात्कालिक रूप से जीवन निर्वाह, फसलों को हुई क्षति और क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत/पुनर्निर्माण आदि के लिये भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये मानक दिनांक 16-01-2012 के अनुसार राहत दिये जाने की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो राजस्व मंत्री जी को धन्यवाद कि उन्होंने इस प्रश्न को तारांकित के रूप में स्वीकार कर प्रश्न प्रहर की इज्जत बचा ली। अब मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि यह जो मैने लिखा है कि कितने जन-धन की हानि हुई और जो नुकसान हुआ उसमें सरकार ने क्या-क्या कार्यवाही की इसकी जानकारी देने की कृपा करें ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, प्रदेश में अतिवृष्टि से 202, आकाशीय विद्युत से 137 लोगों की जन-हानि हुई है और मान्यवर, अतिवृष्टि से 4 हजार 78 परिवार तथा 487 मकान प्रभावित हुए हैं। अतिवृष्टि से प्रभावित परिवारों को मान्यवर, एक करोड़ अट्ठानबे लाख तैंतालिस हजार छः सौ दस रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की गयी है। मान्यवर, इसके अतिरिक्त उनको एक करोड़ पैंतिस लाख पन्द्रह हजार की अतिरिक्त सहायता अतिवृष्टि से जो प्रभावित परिवार हैं, उनको दी गयी है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मान्यवर, जिनको इस ब्रजपात के कारण जान गवानी पड़ी उसके संबंध में सरकार की क्या नीति है कितने लोग प्रभावित हुए और उनको क्या सहायता दी गयी।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, यह मैंने बता दिया, कितने लोग प्रभावित हुए यह मैंने बता दिया। जो-जो संख्या थी कदाचित आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने बता दिया।

श्री अध्यक्ष-

जो बता दिया उसको दोहराने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी-

आकाशीय बिजली से 137 लोग काल-कलवित हुये, उनकी मृत्यु हो गयी और उसके लिये जो अनुमन्य सहायता है, वह बता देना चाहता हूं।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

ऐसे प्रकरणों में सरकार की नीति क्या है ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, सरकार की नीति यह है कि अगर इस ब्रजपात के कारण या अतिवृष्टि के कारण किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु की स्थिति में डेढ़ लाख रुपया प्रति मृतक उसके आश्रितों को दिये जाने का प्रावधान है। अगर अपंग हो जाता है तो अपंगता की स्थिति को देखते हुये यदि आंखें बेकार हो जायें या पूर्ण अपंगता की स्थिति होती है तो 43 हजार 500 रुपया अनुमन्य है, यदि 40 से 80 प्रतिशत उसकी असमर्थता हो जाती है। मान्यवर, अगर 80 प्रतिशत से अधिक अपंगता हो जाती है तो 62 हजार रुपया अनुमन्य है। कोई गंभीर चोट लग जाती है तो 9 हजार 300 रुपया प्रति व्यक्ति और साधारण चोट में 3 हजार 100 रुपया प्रति व्यक्ति अनुमन्य है। मान्यवर, जिन परिवारों के घर इस कारण नष्ट हो जाते हैं, उनमें प्रति परिवार कपड़ों के नुकसान के लिये 1300 रुपये, बर्तन इत्यादि के लिये 1400 रुपया और मान्यवर, आपदा के बाद तात्कालिक जीवन निर्वाह हेतु जरूरतमंद परिवारों को जो अहेतुक सहायता दी जाती है, अगर खाद्य सामग्री उनके पास उपलब्ध नहीं है तो उनके लिये राहत कैम्पों में खाद्य का समुचित प्रबन्ध किया जाता है और 30 रुपया प्रति वयस्क और 25 रुपया प्रति अवयस्क राहत कैम्पों में उनको हम देते हैं। श्रीमन् इसके अतिरिक्त जो खोज एवं बचाव कार्य की नीति है उसका उल्लेख अभी मैं विस्तार में यहां नहीं कर रहा हूं लेकिन मान्यवर, अन्य चीजें उनको हम देते हैं, उनको अस्थायी आवास, भोजन, वस्त्र, दवाई इत्यादि की व्यवस्था करते हैं और अधिकतम 30 दिवस के लिये राज्य स्तरीय समिति द्वारा कैम्पों की संख्या उनकी अवधि तथा कैम्पों में व्यक्तियों की संख्या का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा। जो राशि मैनें बताई, वयस्क और अवयस्क के लिये, उस हिसाब से तीस दिन तक उनको हम निर्वाह के लिये वह राशि प्रदान करते हैं और इसके अतिरिक्त मान्यवर, कृषि निवेश अनुदान के संबंध में बताना चाहूंगा। आपने अतिवृष्टि के संबंध में पूछा है, तो अतिवृष्टि के कारण उनकी फसलें 50 फीसदी से अधिक नष्ट हो जायें, इसे मैं इस सत्र में कई बार बता भी चुका हूं, लेकिन पुनः आपको बता देना चाहता हूं कि 3000 रुपया देते हैं प्रति हेक्टेयर असिंचित क्षेत्र के लिये और 6000 रुपया प्रति हेक्टेयर देते हैं सुनिश्चित सिंचित क्षेत्र के लिये। मान्यवर, 8000 रुपया बारहमासी फसलों के लिये देते हैं। 3200 रुपया प्रति हेक्टेयर रेशम उत्पादक को देते हैं, यह उसका मानदंड है और कोई चीज आप पूछना चाहेंगे तो हम बता देंगे। दुधारू पशुओं और भारवाहक पशुओं के लिये प्रतिपूर्ति भी है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो यह भैंस, गाय, ऊंट

इत्यादि के लिये 16 हजार 400 रुपये की दर से, भेड़-बकरी के लिये 1650 रुपये की दर से और मान्यवर, दुधारू पशुओं के अतिरिक्त पशु पर 15000 रुपया, बछड़ा, गधा, खच्चर के लिये 10000 रुपया की दर से और कुक्कुट पालन भी है, जो पूछेंगे, हम बता देंगे।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी एक जिज्ञासा यह है कि जो आपने कहा कि इस प्रकार की दुःखद घटना होने पर जो व्यक्ति 40 प्रतिशत या उससे अधिक अपंग हो जाते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के लिये क्या सरकार की तरफ से उनको स्थायी रोजगार प्रदान करने के लिये, उनके जीवन निर्वाह के लिये क्या कोई योजना है या उस पर सरकार कुछ कार्यवाही करती है ?

श्री अम्बिका चौधरी-

दैवी आपदा मात्र के कारण नहीं अपंग लोगों के लिए या विकलांग लोगों के लिए सरकार की जो प्रचलित योजनाएं हैं इसका लाभ उनको भी दिया जाता है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं इस प्रश्न पर मैं माननीय अम्बिका जी का भी ध्यान चाहूंगा और सारी सरकार का ध्यान चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष-

क्या नई बात है ?

श्री सतीश महाना-

जी मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

नई बात कैसे लाएंगे प्रश्न से सम्बंधित बात लाएं ?

श्री सतीश महाना-

प्रश्न से सम्बंधित है। मान्यवर, विषय यह है जैसा कि अभी बताया है कि अतिवृष्टि में या दैवी आपदा में जिसकी मृत्यु हो जाती है। उसको डेढ़ लाख रुपया आप देते हैं और जो व्यक्ति 40 से 80 प्रतिशत डिसेबिल हो जाता है, अपंग हो जाता है उसको 43,500 रुपए देते हैं। इसमें मैं मानवता के आधार पर एक सुझाव और उसके साथ एक प्रश्न करूंगा। जो मान्यवर, जिसकी इस तरह से मृत्यु होती है तो यह सभी लोग मानते हैं कि व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं हो सकता है। उसमें डेढ़ लाख रुपया देते हैं और उसके परिवार के भरण-पोषण के लिए जो भी राशि सरकार तय करती है वह मिनिमम राशि देते हैं। मान्यवर, दुर्भाग्य से वह व्यक्ति डिसेबिल हो गया, अपंग हो गया और 80 प्रतिशत हो गया तो उसको अपना जीवन भी अपने ऊपर बोझ लगता है। अपने जीवन को जीने के लिए जो उसको दवाइयां और अपना जीवन-यापन करने के लिए जो उसको पैसा चाहिए और परिवार के लिए भी चाहिए ऐसी परिस्थितियों में उस अपंग व्यक्ति के साथ जो न्याय होना चाहिए तो मुझे लगता है कि यह राशि डेढ़ लाख से ज्यादा होनी चाहिए। मैंने कहा कि व्यक्ति की कोई कीमत नहीं होती है। ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति 80 प्रतिशत अपंग हो गया और वह परिवार के ऊपर एक बोझ भी हो गया उसको अपनी दवाई के ऊपर भी पैसा खर्च करना पड़ता है और परिवार को भी चलाना होता है। ऐसी परिस्थितियों में जब व्यक्ति 75 या 80 प्रतिशत अपंग हो जाता है तो उसके लिए डेढ़ लाख से ज्यादा पर विचार करना चाहिए। क्या सरकार इसके ऊपर विचार करेगी ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, महाना जी का बहुत अच्छा सुझाव है। यह भारत सरकार के निर्देश हैं और मैंने पूर्व में इसी सत्र में अवगत कराया था कि इसके क्षेत्र को व्यापक करने और इसकी राशि को बढ़ाने के लिए हम भारत सरकार को पत्र भी लिखेंगे और व्यक्तिगत रूप से भी मैं प्रयास करूंगा गृह मंत्री जी से मिलकर कि इसमें राशि बढ़ाई जा सके। माननीय महाना जी ने जो सुझाव दिया है वह बहुत अच्छा है। राज्य सरकार ने जो अपनी ओर से दूसरे प्रबंध किए हैं। जैसे उनके क्षेत्र में जापानी इंसेफ्लाइटिस के मामले में जो बच्चे मृत हो जाते हैं उसमें जो अनुमन्य सहायता राशि उसके परिवार के लिए है लेकिन जो बच जाते हैं और सारे जीवन के लिए अपंग हो जाते हैं उनके लिए वह राशि दोगुनी है। इस सुझाव को भी अपने पत्र में शामिल करते हुए हम भारत सरकार से यह मांग करेंगे।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष जी मैं खड़ा ही हुआ था यही प्रश्न पूछने के लिए कि सरकार की दो नीतियां क्यों हैं ? एक ओर जो इंसेफ्लाइटिस से विकलांग होते हैं उनको मरने वालों से दो गुनी राशि दी जाती है। दूसरी ओर यहां माननीय मंत्री जी आपदा के केसेज में डेढ़ लाख और 43 हजार की बात कर रहे हैं। एक ही सरकार दो परिस्थितियों में विभिन्न नीतियों का अनुपालन कर रही है। इसलिए इसे ठीक किया जाना चाहिए। भारत सरकार के ऊपर इसकी जिम्मेदारी नहीं डालनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हमने दिया है और भारत सरकार से इसके लिए पर्सनल प्रयास करेंगे।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष जी आपका संरक्षण। इसमें भारत सरकार के कंधे पर नहीं छोड़ना चाहिए। अगर भारत सरकार नहीं करती है तो कम से कम प्रदेश सरकार ने वहां बहुत अच्छा काम किया है उस काम को अन्य विभागों में भी करना चाहिए। सरकार को यह कहना चाहिए कि अगर भारत सरकार नहीं करेगी तो भी हम करेंगे। आपकी ओर से यह वायदा आना चाहिए।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं एक बहुत ही संवेदनशील विषय है एक तो ऐसे ही उसके ऊपर बज्रपात हुआ है उसके बाद सरकार भी उसके ऊपर बज्रपात करना चाहती है। मान्यवर, जहां तक केन्द्र को लिखने का सवाल है स्वागत है लिखना चाहिए। लेकिन केन्द्र ने मना तो नहीं किया है इनको अगर यह अपने संसाधन से, अपने स्रोत से मानवीय आधार पर जब तक केन्द्र से जवाब नहीं आता है यह स्वयं महसूस करते हैं अगर महसूस नहीं करते तो पत्र क्यों लिखते ? मानवीय आधार पर सरकार की तरफ से केन्द्र सरकार की तरफ से कोई रोक नहीं है। अगर प्रदेश के विवेकाधीन कोष से या किसी अन्य कोष से क्या देने की कृपा करेंगे ?

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आज जिस योजना के सम्बन्ध में माननीय श्यामदेव राय चौधरी जी ने पूछा है वह स्कीम प्रदेश में अलग से लागू नहीं है बल्कि यह स्कीम पूरे देश में लागू है और इसमें राज्य सरकार का अंश है। हम इसको राज्य आपदा मोचन निधि और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि दोनों

से करते हैं। जिस बात की ओर माननीय प्रमोद तिवारी जी ने ध्यान दिलाया है, मैं तो यह समझ रहा था कि वह इसलिए खड़े हो रहे हैं कि वह कहेंगे कि आप आज चिट्ठी लिखिये मैं कल कराता हूं। मैं समझ रहा था माननीय प्रमोद तिवारी जी सहयोग के लिए खड़े हो रहे हैं। हम इसके लिए प्रयत्नशील हैं मैं इसके लिए पत्र भी लिखूंगा और समुचित प्रयास भी करूंगा। मैं प्रमोद जी से पुनः अनुरोध करता हूं कि यदि इस बार फिर गलती से खड़े हो जाएं तो इस बार यह कहने के लिए खड़े हों कि आप प्रयास तो कीजिए हम इस प्रयास के साथ हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का सकारात्मक रुख हो या न हो लेकिन मेरा रुख सकारात्मक है। आप एक काम कर लीजिए, अपना कन्धा लगाये रहिये केन्द्रीय सरकार पर, दिसम्बर की कोई तारीख ले लीजिए हम और आप साथ में चले चलेंगे, तब तक आप समर्थन जारी रखिये। यहां कांग्रेस पार्टी के जितने सदस्य बैठे हैं, हम सभी चलेंगे और इस बात पर जोर देंगे लेकिन तारीख अगले दिसम्बर की रखिये।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रमोद जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि शऊर बनाये रखिये, शऊर ठीक रहेगा, तब तक रहेगा आपका शऊर गड़बड़ाया तो हम थोड़े दोषी हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं वादा करता हूं कि हमारा शऊर बना रहेगा।

श्री शेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी से अनुपूरक के माध्यम से जानना चाहता हूं कि माननीय महाना जी ने बज्रपात आकाशीय विद्युत गिरने से जो जनहानि होती है उसके बारे में तो कहा लेकिन बड़े पैमाने पर पशुहानि भी होती है जिससे हम किसान और पशुपालक बड़ी तादाद में आहत होते हैं क्या उनको जो राशि मिलती है उसे भी बढ़ाने पर विचार करेंगे ? दूसरा यह है कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में ग्राम नरगड़ा, ईसानगर में एक व्यक्ति की आकाशीय विद्युत गिरने से मृत्यु हो गई थी लेकिन मुआवजा राशि नहीं मिल पाई तो क्या उसे मुआवजा राशि दिलवायेंगे ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, यदि किसी की भी बज्रपात से मृत्यु होती है तो उसे मुआवजा राशि दी जाती है। जो सूचना माननीय सदस्य ने दी है उसे हम दिखवा लेंगे वह बिल्कुल अनुमन्य है।

श्री शेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

मान्यवर, चूंकि भैंस और गाय की कीमत काफी होती है।

श्री अम्बिका चौधरी-

आपने पूरा उत्तर नहीं सुना, इसे सुन लीजिए। मान्यवर, हम दो प्रयास कर रहे हैं एक यह कि इसका दायरा बढ़ाया जाए और दूसरा यह कि जो राशि दी जाती है उस राशि में भी वृद्धि की जाए इसके लिए हम पत्र लिख रहे हैं।

श्री दलवीर सिंह-

मान्यवर, मेरा प्रश्न इससे अलग है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण आ गया है, इन्होंने कन्धा देने की बात कही और मान्यवर, कन्धा देने की नौबत कब आती है। मेरा आग्रह यह है कि जब अब तक आपने इनको ढोया है तो आखिरी वक्त में कन्धा भी दे दीजिएगा।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के बारे में मेरा विचार यह है कि सिवाय हिंसा के बुरी बातों के यह कुछ सोच नहीं पाते हैं। कन्धा तो बेटी को भी दे करके डोली से विदा किया जाता है।

श्री हुकुम सिंह-

नहीं, कन्धा नहीं दिया जाता है। बेटी को कन्धा नहीं दिया जाता है मान्यवर, वह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन होता है जब बाप बेटी को कन्धा दे। ऐसा कभी नहीं होता है वह तो डोली है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि जब अब तक आपने ढोया है तो आखिर में कन्धा भी दे दीजिएगा।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं, आप सुन लीजिए समय भी है। कन्धा मान्यवर, यह तो नये आये हैं भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए अभी पूरी तरीके से उनके रंग में रंगे नहीं, थोड़े ईमानदार हैं। मान्यवर, जब डोली लेकर बेटी को चला जाता है तो कोशिश होती है कि बापू और उसके साथ जुड़े लोग विदा करते हैं। जब भगवान की पालकी चलती है तो क्या पैर में बांध करके चलते हो या कंधा देते हो भगवान की पालकी को। तो मान्यवर, जहां तक कंधे का सवाल है मैं तो आभार व्यक्त करता हूं समाजवादी पार्टी का, मैं आभार व्यक्त करता हूं ब0स0पा0 का कि ऐसी साम्प्रदायिक ताकतों को जो देश में कत्लेआम कराना चाहते हैं, जो भाई से भाई को लड़ाना चाहते हैं, जो बर्बादी करना चाहते हैं, जो पूरे हिन्दुस्तान को गुजरात बनाना चाहते हैं अगर उसके लिए इनका समर्थन है तो हम धन्यवाद देते हैं।

श्री अध्यक्ष-

तिवारी जी, माहौल को क्यों खराब करना चाहते हैं, ये बातें गलत हैं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, हमें कुछ नहीं कहना है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, जो कुछ कहेंगे उसका मैं जवाब दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

बेकार में बात बढ़ा रहे हैं।

श्री हुकुम सिंह-

मैं कभी कुछ कहता नहीं, आपके सामने मैंने कुछ बोला कभी ? मान्यवर, कंधा देने की बात इन्होंने कही थी मैंने उस पर थोड़ा बल दे दिया, इतना ही मैंने किया इससे ज्यादा कुछ करने की बात नहीं थी। जब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा दिये, हम नये आये हैं, हम तो नये आये हैं अपनी जगह हैं, जो पुराने हैं उनकी जगह देख लो कहां से कहां गयी ? (हंसी) इनकी सीनियरटी पर मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं। मैं तो एक जूनियर आदमी हूं, जब से आया हूं यहीं हूं, यह पार्टी ने सम्मान दिया, मैं कोई मान्यवर, बराबर वाला नहीं हूं। यह पांच साल से इसी काम में लगे थे बहुत मुश्किल से कामयाब हुये हैं। मान्यवर, इसको संभाल कर रखो तो ठीक है।

(श्री प्रमोद तिवारी जी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

तिवारी जी, अब बैठ जाओ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मेरा जवाब है कि जो रास्ता इन्होंने दिखाया है मैं शुभकामनायें व्यक्त करूंगा आप सभी को, वही रास्ता जल्दी दिखा दीजिए, वही यह चाहते हैं।

श्री पूर्णमासी देहाती-

मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि पिछली गर्मी में जिस गांव में आग लगने से बहुत से घर जल गये हैं और बहुत से घर बह गये हैं क्या सरकार राम मनोहर लोहिया आवास योजना के अंतर्गत उनको आवास देने पर विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

यह कहां इससे संबंधित है। सवाल से संबंधित प्रश्न पूछिये।

श्री दलवीर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दैवी आपदा की श्रेणी में तालाब में डूबना, करेण्ट से मरना, सर्प काटना, नहर में डूबना, आकाशीय बिजली से मरने पर दैवी आपदा लग गयी। बिजली का तार जब टूट जाता है उससे आदमी मर जाता है तो यह भी तो दैवी आपदा है। सर्प काट लेता है, पोखर में डूब जाता है, नहर में डूब जाता है तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी इनको भी दैवी आपदा की श्रेणी में रखेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

इसे छोड़िये।

श्री दलवीर सिंह-

अध्यक्ष जी, यह बहुत जरूरी है, अगर बिजली का तार टूट गया या किसी ने जानबूझकर तोड़ दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का जवाब दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष-

आपने प्रश्न कर लिया, मंत्री जी जवाब देना चाहेंगे, देंगे, मैं उन्हें कम्पेल नहीं कर सकता।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, यह दैवी आपदा नहीं है। परिवार के लिए तो किसी प्रकार से मृत्यु हो जाए तो लोग दैव, दैव करते हैं, कहते हैं कि दैवी आपदा है। लेकिन यह दैवी आपदा की श्रेणी में नहीं आती है। दैवी आपदा की श्रेणी में वह हैं जो चीजें हम सब जानते हैं, अतिवृष्टि हो जाए, भू-स्खलन हो जाए, भूकम्प आ जाए, या कोई ऐसी जिससे व्यापकता में लोग प्रभावित होते हों वह दैवी आपदा की श्रेणी में है। मृत्यु चाहे एक की हो लेकिन जब आकाशीय बिजली गिरती है तो वह दैवी आपदा की श्रेणी में है। अगर अपने घर में बिजली के शार्ट-सक्रिट से हमको करेण्ट लग जाए तो वह दैवी आपदा कैसे होगी ? वह दैवी आपदा में नहीं होगी।

श्रीमती सीमा -

माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

व्यवस्था नहीं, प्रश्न पूछिये।

श्रीमती सीमा-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न ही पूछ रहे हैं लेकिन अध्यक्ष जी आपका संरक्षण चाहेंगे। हम बहिनें बहुत कम खड़ी होती हैं सवाल पूछने के लिए और हम लोग जब भी खड़े होते हैं, हम लोगों को उठने नहीं दिया जाता है। मान्यवर, कम से कम हम लोगों को भी बोलने का अवसर दे दिया करिये। मान्यवर, महिलाओं को मौका कम मिलता है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न के लिए जो भी खड़ा होता है मैं सबको मौका देता हूं। अभी दो-तीन बार खड़ी हुई, इतने में क्या हो गया ?

श्रीमती सीमा-

मान्यवर, कुछ नहीं, आप कहेंगे तो मैं अभी बैठ जाऊंगी। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सवाल है, अभी माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा कि आकाशीय बिजली को आप दैवीय आपदा में लेते हैं। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में कुटीला बिलवार में एक हैं राधे कृष्ण के यहां आकाशीय बिजली गिरी थी, उसके यहां कुछ नहीं बचा। हम सारे लोगो ने चंदा-वंदा करके छप्पर-वप्पर उसकी झोपड़ी खड़ी की। मान्यवर, हमने पत्र लिखा माननीय मुख्य मंत्री जी को उसका जो जवाब आया है वह यह है, अभी हम गये थे एनेक्सी पता लगाने के लिये उसका जवाब आया है कि हमने इसको बिजली विभाग को भेज दिया है। मान्यवर, हम लोग पत्र लिखते हैं आकाशीय बिजली का लेकिन पता नहीं कहां से रिपोर्ट आती है कि घर की बिजली से आग लग गई इसलिये इसको सहायता नहीं दी जा सकती। मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि यह आकाशीय बिजली का प्रकरण है और माननीय राजस्व मंत्री जी आपसे अनुरोध करूंगी कि इनको कुछ न कुछ आर्थिक सहायता दिलवाने की कृपा करें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, सीमा जी ने जो प्रश्न उठाया है वह वस्तुतः इस प्रश्न से संबंधित है नहीं कि माननीय मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखा और पत्र का उत्तर गलत चला गया। आप सुन तो लें, उत्तर

सुनेंगी तो पता चलेगा, पहले ही खड़ी हो जायेंगी तो कैसे पता चलेगा। वह एक अलग प्रकरण है लेकिन आप इसके बारे में मुझे लिखकर दे दीजिये आज और मैं दिखवा लेता हूं, अगर आकाशीय बिजली से उसकी मृत्यु हुई है, कोई गलत सूचना आई है तो उसकी दोबारा जांच करवा लेंगे और उसके परिवार को जो अनुमन्य सहायता है पूरी सहायता देंगे।

श्रीमती कृष्णा पासवान-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहती हूं कि 2012 से 2013 के बीच में मेरी विधान सभा में 9 लोग तो बिजली का तार गिरने से मरे उसमें 5 लोगों को तो 20-20 हजार रुपया दिया गया है अभी तक और उनको बाकी पैसा नहीं दिया गया है।

श्री अध्यक्ष-

यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्रीमती कृष्णा पासवान-

अभी 7-8 दिन पहले आकाशीय बिजली से कमरे में दो लड़कियां मरीं और उमरा भोगलपुर में एक लड़की मरी एक ही दिन। उनको एक नया पैसा नहीं दिया गया। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि वह बहुत गरीब परिवार है और वह बकरी चराने गई थी वहीं जंगल में बकरी चराने के समय में बिजली गिरी और वह वहीं खत्म हो गई। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि उनको भी कुछ आर्थिक सहायता दी जाय।

श्री अम्बिका चौधरी-

उनको अवश्य दिलवायेंगे जिनका आपने उल्लेख किया है कि बकरी चराने गई थी या किन्हीं कारणों से आकाशीय बिजली से मृत्यु हुई तो हम उनको दैवीय आपदा में जो अनुमन्य धनराशि है वह दिलवायेंगे। आप अगर लिखकर दे देंगी तो सुविधा हो जायेगी हम तुरन्त इस पर त्वरित कार्यवाही करवायेंगे।

श्रीमती रूबी प्रसाद-

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि प्रति वर्ष हमारे क्षेत्र में आकाशीय बिजली से सैकड़ों मौतें होती हैं क्या उन गांवों में, उन मजरों में जहां विद्युतीकरण नहीं हुआ है, वहां पर तड़ित चालक लगवाने की कृपा करेंगे कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष-

यह इससे संबंधित नहीं है, वह आपदा मुआवजा देने की बात है, यह लगाने की अलग बात है। यह सवाल से सम्बंधित नहीं है। बैठिये।

श्री विजय कुमार दुबे-

माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रश्न के मुद्दे से तात्पर्य प्रश्न संख्या-8 मेरा लगा हुआ है आज उसमें सन् 2012 में भारी बरसात के कारण पूर्ण ध्वस्त झोपड़ियां में रहने वाले ग्रामीणों को 5 महीने तक लगातार जिला प्रशासन से मांग करने के बाद।

श्री अध्यक्ष-

सवाल पूछिये।

श्री विजय कुमार दुबे-

प्रश्न संख्या-8 पर लगा है इसी से संबंधित है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न संख्या-8 पर नहीं पूछ सकते ना। नियम तो समझो कुछ।

श्री विजय कुमार दुबे-

शासन का अगर अनुदान है कि आपदा और भारी वर्षा से ध्वस्त झोपड़ियों में रहने वालों के लिये तो हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि सदन में प्रश्न लगा तो उधर मिल गया अनुदान। अगर यह सदन न चलता और यहां प्रश्न न उठा पाये होते तो

श्री अध्यक्ष-

अरे प्रश्न पूछिये ना।

श्री विजय कुमार दुबे-

हम जानना चाहते हैं कि सदन में प्रश्न लगाने से ही बरसात में ध्वस्त झोपड़ियों का अनुदान मिलता है ?

श्री अध्यक्ष-

यह कोई प्रश्न नहीं है। बैठिये।

श्री वीरपाल राठी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय दलबीर सिंह जी ने अनुपूरक सवाल के जवाब में माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह दैवीय आपदा में नहीं आता बिजली से मरने में। कौन सी आपदा में आता है यह माननीय मंत्री जी बता दें।

श्री अध्यक्ष-

यह कोई सवाल नहीं है। आप लोग कुछ पढ़ते नहीं हैं।

श्री कौशल सिंह कुंवर-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जंगली जानवरों के द्वारा जो लोग मार दिए जाते हैं क्या सरकार उनको सहायता देने पर कोई विचार कर रही है।

श्री अध्यक्ष-

यह कोई सवाल नहीं है।

श्री कौशल सिंह कुंवर-

कल एक आदमी मरा है उसे लोगों ने फूंक दिया।

साध्वी निरंजन ज्योति-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूं आधा किसान खेतिहर होता है जिसके पास खेती होती है, उसको दैवी आपदा में मिल जाता है। आधा किसान ऐसा होता है जो दूसरे की खेती लेकर काम करता है उसको मुआवजा कैसे मिले ?

श्री अम्बिका चौधरी-

किसी के पास खेती हो या न हो, एक इंच भी खेती न हो, वह खेती करता हो, मजदूरी करता हो, नौकरी करता हो, कोई काम करता हो उससे कोई रिश्ता नहीं है, दैवी आपदा में मृत्यु होने पर सबको दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष-

पूरन प्रकाश जी बैठो। आधा घण्टा हो गया है।

अतारांकित प्रश्न

जनपद खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा में मण्डी परिषद् के भवन का निर्माण कराये जाने की मांग

01-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा में मण्डी परिषद् के भवन हेतु भूमि उपलब्ध है ? यदि हां, तो उक्त भवन का निर्माण कब तक कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा-7 के अन्तर्गत धौरहरा में उपमण्डी स्थल घोषित नहीं है।

प्रदेश में किसान दुर्घटना बीमा अन्तर्गत पूरे परिवार को कवर करने सम्बन्धी जानकारी

02-श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान दुर्घटना बीमा की राशि एक लाख से बढ़ाकर पांच लाख कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बतायेगी कि भविष्य में किसान दुर्घटना बीमा के अन्तर्गत पूरे परिवार को कवर किया जायेगा ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कृषक दुर्घटना बीमा योजना केवल खातेदार/सहखातेदार कृषकों के लिये संचालित की गयी है।

जनपद सीतापुर के थाना तम्बौर के ग्राम बड़रिया के कामता प्रसाद की भूमि पर दबंगों का कब्जा विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

03-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 नरेन्द्र सिंह वर्मा, समाज कल्याण राज्य मंत्री का पत्र दिनांक 28-06-2012 जो श्री कमता प्रसाद निवासी ग्राम बड़रिया, थाना तम्बौर, जिला-सीतापुर

की भूमि पर दबंगों द्वारा फसल को जबरन जुतवाकर नष्ट किये जाने के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

जिलाधिकारी, सीतापुर से प्राप्त आख्यानुसार श्री अशोक कुमार मौर्य पुत्र कामता प्रसाद निवासी बड़रिया थाना तम्बौर तथा बेचेलाल पुत्र रामेश्वर आदि निवासी बोधवा थाना तम्बौर के मध्य शारदा नदी के किनारे बाढ़ क्षेत्र में स्थित जमीन का विवाद काफी समय से चल रहा है और दोनों ही पक्ष उक्त जमीन को अपना बताकर कब्जा करने हेतु प्रयासरत रहते हैं। विवादित भूमि पर कामता प्रसाद मौर्य द्वारा गन्ने की फसल बोई गयी थी। उक्त फसल को कामता प्रसाद मौर्य द्वारा काटने के बाद पेड़ी जानवरों द्वारा चर ली गयी थी। कामता प्रसाद के गन्ने की फसल को विपक्षीगण असमान सिंह आदि द्वारा जुतवाकर नष्ट नहीं किया गया था। उभय पक्षों के मध्य भूमि के कब्जे के सम्बन्ध में हुई मार पीट पर उनके द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्रों के आधार पर क्रमशः एन0सी0आर0 333/12 व 334/12 धारा 323/504 आई0पी0सी0 पंजीकृत किया गया। मेडिकल से अशोक कुमार मौर्य को धारदार चोट पाये जाने पर मुकदमा अपराध सं0-275/12 धारा 324, 323, 504 आई0पी0सी0 में दिनांक 19-12-2012 को तरमीम कर विवेचना की गयी। बाद विवेचना दिनांक 09-02-13 को आरोप-पत्र प्रेषित किया गया है। दोनों पक्षों के मध्य धारा 107/116 सी0आर0पी0सी0 की कार्यवाही की गयी जो मा0 न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट लहरपुर में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी के सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय भवन के जीर्णोद्धार हेतु स्वीकृत धनराशि

04-श्री रविन्द्र जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी के सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के भवन के जीर्णोद्धार के लिए वित्तीय वर्ष 2011-12 में धनराशि आवंटित की गयी थी ? यदि हां, तो उक्त धनराशि में से कितनी धनराशि खर्च की गयी एवं कितनी शेष है ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के मुख्य भवन के जीर्णोद्धार हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 में धनराशि आवंटित की गयी थी।

स्वीकृत धनराशि में से कोई धनराशि व्यय नहीं की गयी है।

जनपद इलाहाबाद की तहसील कोरांव के ग्राम पथरताल की भूमि से अतिक्रमण हटवाये जाने की मांग

05-श्री जन्मेजय सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पथरताल, तहसील कोरांव, जिला इलाहाबाद स्थित तालाब की भूमि संख्या-886/1023 रकबा 3 बीघा 01 बिस्वा एवं खलिहान की भूमि संख्या-165 रकबा 19 बीघा 04 बिस्वा पर कतिपय लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अतिक्रमण हटाने के लिए कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र चमरौला की भूमि पर अवैध कब्जे का कथित प्रकरण

06-श्री अली यूसुफ अली-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र चमरौव्वा के अन्तर्गत तहसील स्वार के ग्राम नवाब नगर में मभकुर द्वारा 100 एकड़ जमीन पर अवैध फर्जी नामों से कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जमीन को ग्राम समाज के नाम दर्ज कराकर गरीबों को पट्टे आवंटित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र चमरौव्वा के मेन्था आयल फैक्ट्री द्वारा छोड़े जा रहे प्रदूषण व केमिकल से निजात दिलाये जाने की मांग

07-श्री अली यूसुफ अली-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र चमरौव्वा के विकास खण्ड सैदनगर में मेन्था आयल फैक्ट्री द्वारा प्रदूषण व केमिकल को पाइपों द्वारा जमीन खोदकर अण्डरग्राउन्ड कराया गया है जिसके रिसाव से ग्राम बहादुरगंज, मिलक अव्वू, रतनपुरा, मुरसैना, खोद आदि ग्रामों में पानी दूषित होने से कई लोगों एवं जानवरों की मृत्यु हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त फैक्ट्री द्वारा डाली गयी पाइप के रिसाव से हो रही दुर्घटनाओं को दूर करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र चमरौव्वा के विकास खण्ड सैदानगर में स्थित मे0 मैन्था एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स लि0 द्वारा किसी प्रकार का प्रदूषित गन्दा पानी जनित नहीं होता है। उद्योग से केवल कूलिंग वाटर ओवरफ्लो निकलता है जिसे उद्योग में स्थापित सेटलिंग टैंक के माध्यम से पुनः प्रोसेस में प्रयोग कर लिया जाता है। उद्योग द्वारा उक्त पानी के पाइपों को जमीन खोदकर अण्डरग्राउन्ड नहीं कराया गया है। अतः प्रश्नगत ग्रामों बहादुरगंज, मिलक अव्वू, रतनपुरा, मुरसैना, खोद आदि के जल के प्रदूषित होने का प्रश्न नहीं उठता है। उक्त ग्रामों के पानी दूषित होने तथा लोगों एवं जानवरों की मृत्यु सम्बन्धी कोई शिकायत उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में भारी बरसात से ध्वस्त झोपड़ियों हेतु सरकारी अनुदान देने की मांग

08-श्री विजय कुमार दूबे-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में भारी बरसात से पूर्ण ध्वस्त झोपड़ियों में रहने वाले ग्रामीणों को सरकारी मुआवजा देने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद कुशीनगर के खड्डा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत वर्तमान वर्ष में ग्राम नौतार जंगल में भारी बरसात में पूर्ण ध्वस्त झोपड़ियों में रहने वाले ग्रामीणों को आपदा राहत कोष से सरकारी अनुदान देने का निर्णय लेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

जनपद कुशीनगर के तहसील पडरौना में सामान्य बारिश हुई है। खड्डा विधान सभान्तर्गत ग्राम नौतार जंगल में बारिश से गिरे आवासों की जांच करायी गयी जिसमें कुल 41 परिवारों की झोपड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। प्रभावित व्यक्तियों को गृह अनुदान मद से रु0 1,02,500/-की सहायता धनराशि वितरित की गई है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना की नीति एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों हेतु एकल खिड़की योजना की नीति बनाये जाने की कार्यवाही

09-श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए सरकार की क्या नीति है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्रदेश में निजी क्षेत्र के कुल कितने विश्वविद्यालय हैं और सरकार द्वारा उन्हें संचालित किये जाने के लिए क्या-क्या सहायता की जा रही है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निवेशकों के लिए एकल खिड़की योजना पर भी विचार किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के सम्बन्ध में आदेश दिनांक 06 फरवरी, 2008 एवं दिनांक 25 फरवरी, 2013 द्वारा नीति निर्धारित की गयी है।

प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन कुल 18 निजी विश्वविद्यालय संचालित हैं।

सामान्यतया निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई सहायता प्रदान नहीं की जाती है। मात्र एक निजी विश्वविद्यालय को आर्थिक सहायता के रूप में अनुदान दिया गया है।

प्रदेश सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी निवेश नीति बनाये जाने की कार्यवाही प्रक्रिया में है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ में मार्गों का निर्माण कराये जाने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

10-श्री अनीसुर्रहमान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ में चार मार्गों का निर्माण मण्डी परिषद् द्वारा कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 06-02-2013 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

उक्त पत्र की प्रति मण्डी समिति के प्रस्ताव हेतु जिलाधिकारी, मुरादाबाद एवं तकनीकी सूचनाओं सहित आगणन हेतु उप निदेशक (निर्माण) मुरादाबाद को प्रेषित की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ में गांवों के विकास हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

11-श्री अनीसुर्रहमान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ के चार गांवों को विकास हेतु मा0 जनेश्वर मिश्र ग्राम विकास योजना में चयनित कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 06-02-2013 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

उक्त पत्र की प्रति मण्डी समिति के प्रस्ताव हेतु जिलाधिकारी, मुरादाबाद एवं तकनीकी सूचनाओं हेतु उप निदेशक (निर्माण) मुरादाबाद को प्रेषित की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मिर्जापुर की तहसील चुनार के ग्राम घरवासपुर में सार्वजनिक रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

12-कुँवर महावीर सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रमेश कुमार आदि निवासी ग्राम घरवासपुर, तहसील चुनार, जिला मिर्जापुर द्वारा तालाब भूमि एवं सार्वजनिक रास्ता की भूमि पर अवैध अतिक्रमण के बावत तहसील दिवस में प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दिनांकित 16-11-2010 एवं तदक्रम में पुनः तहसील दिवस क्रमांक 342 दिनांकित 01-03-2011 प्रभारी चुनार को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां, परन्तु तालाब की भूमि पर से अवैध अतिक्रमण हटाने का उल्लेख उक्त शिकायती प्रार्थना में नहीं है, बल्कि उसमें ग्राम बरूइया के आ0सं0-185, जो कि बंजर खाते की भूमि है और ग्राम घरवासपुर के आ0 सं0-418, जो कि रास्ते खाते की भूमि है, से अतिक्रमण हटवाने विषयक है।

ग्राम घरवासपुर स्थित आ0 सं0-418, जो रास्ता खाते की भूमि है, मौके पर खाली है। इस आराजी पर कोई अतिक्रमण नहीं है। ग्राम बरूइया स्थित आ0सं0-185, जो बंजर खाते की भूमि है, से अवैध अतिक्रमणियों के विरुद्ध लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम के अन्तर्गत थाना अदलहाट में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। तत्पश्चात् अतिक्रमणकारियों द्वारा ग्राम सभा घरवासपुर से प्राप्त रजिस्टर्ड पट्टा विलेख प्रस्तुत किये जाने के कारण बेदखली की कार्यवाही नहीं की गयी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मिर्जापुर की तहसील चुनार की ग्राम पंचायत घरवासपुर में आरक्षित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

13-कुँवर महावीर सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चम्पा देवी, सदस्य, ग्राम पंचायत घरवासपुर, तहसील चुनार, जिला मिर्जापुर एवं अन्य ग्रामवासियों द्वारा अम्बेडकर पार्क हेतु आरक्षित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने विषयक प्रार्थना-पत्र दिनांकित 29-11-2010 जिलाधिकारी, मिर्जापुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

जनपद मिर्जापुर के तहसील चुनार की ग्राम पंचायत घरवासपुर में मौके पर अम्बेडकर पार्क हेतु आरक्षित भूमि पर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के कच्चे/पक्के मकान बने हैं, अतः नियमानुसार भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अतिक्रमणियों के विरुद्ध बेदखली का वाद उ0प्र0 ज0वि0अधि0-1950 की धारा-122बी के अन्तर्गत बेदखली का वाद संख्या-32/36/38/47/2008, गांव सभा बनाम सदानन्द, वाद संख्या-33/33/37/39/48/2008 गांव सभा बनाम छोटन, वाद संख्या-34/34/38/40/49/2008 गांव सभा बनाम झकड़ी, वाद संख्या-35/35/39/41/50/2008 गांव सभा बनाम फूलचन्द्र, वाद संख्या-36/36/40/42/52/2008 गांव सभा बनाम लालचन्द्र एवं वाद संख्या-37/37/41/43/52/2008 गांव सभा बनाम लल्लन दिनांक 06-11-2008 को संस्थित होकर अभी तक विचाराधीन है। चार वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उपरोक्त वादों का निस्तारण न करने के कारण दिनांक 08-03-13 को तहसीलदार, चुनार को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी है।

अतिक्रमणियों के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही धारा-122-बी के तहत तहसीलदार चुनार के समक्ष लम्बित है। वाद में निर्णयानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुदौली में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने की मांग

14-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुदौली में महाविद्यालयों की कमी के कारण हजारों गरीब छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूसरे जनपदों में जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र रुदौली में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्राथमिकताओं के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा चिन्हित न्यून सकल नामांकन दर वाले 36 जनपदों में नये माडल राजकीय महाविद्यालय (सहशिक्षा) के स्थापना की कार्यवाही की जा रही है। उक्त 36 जनपदों में जनपद फैजाबाद सम्मिलित नहीं है।

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुदौली में 04 स्ववित्त पोषित महाविद्यालय संचालित हैं।

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुदौली में अग्नि पीड़ितों को आर्थिक सहायता

15-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुदौली में वर्ष 2011-12 से फरवरी, 2013 तक आग लगने से कितने घर जले तथा कितनी मौतें हुईं तथा कितने घायल हुए ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि अग्नि पीड़ितों के लिए क्या-क्या राहत कार्य किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली की तहसील रूदौली में वर्ष 2011-12 से माह फरवरी, 2013 तक आग लगने से 565 मकान जले तथा 02 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, 04 गम्भीर रूप से घायल हुए।

अग्निकाण्ड से पीड़ित परिवारों को शासनादेशानुसार गृह अनुदान रु0 12,82,050/-अहेतुक सहायता रु0 8,97,310/-तथा 02 व्यक्तियों की मृत्यु पर रु0 3,00,000/-04 गम्भीर रूप से घायल व्यक्तियों को रु0 21,200/-की आर्थिक सहायता दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन में ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान का मुआवजा दिलाये जाने की मांग

16-श्री सन्तराम कुशवाहा-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन में माह फरवरी, 2013 में हुई भारी वर्षा एवं ओलावृष्टि से मटर, चना, गेहूं अदि फसलों के नुकसान का सर्वेक्षण कराकर उनके फसलों का मुआवजा सरकार देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

शासन द्वारा कृषि निवेश अनुदान मद में रु0 65,98,977/-की धनराशि दिनांक 08-03-2013 को स्वीकृत कर दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

बुन्देलखण्ड के किसानों को अनुदानित दरों पर सामग्री खरीद की प्रक्रिया के सम्बन्ध में जानकारी

17-श्री कलराज मिश्र-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड के किसानों को अनुदानित दरों पर स्प्रिंकलर इरीगेशन मशीन और एस0डी0पी0आई0 पाइप बांटने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो इसके लिए कितनी धनराशि का प्राविधान किया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त सामग्री को खरीदकर वितरण का कार्य प्रारम्भ हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान, धर्मार्थ कार्य मंत्री (कुंवर आनन्द सिंह)-

जी हां।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के कृषकों को अनुदानित दर पर स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली एवं एच0डी0पी0ई0 पाइप वितरण हेतु बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र में सिंचाई जल उपयोग की क्षमता बढ़ाने की योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 हेतु रु0 2705.71 लाख तथा केन्द्र पोषित आइसोपॉम योजना में भी बुन्देलखण्ड क्षेत्र के कृषकों को अनुदानित दर पर स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली हेतु रु0 763.283 लाख एवं एच0डी0पी0ई0 पाइप हेतु रु0 425.524 लाख का प्राविधान है।

जी नहीं।

स्प्रिंकलर एवं एच0डी0पी0ई0 पाइप के दर निर्धारण की प्रक्रिया विचाराधीन है।

प्रदेश में स्थापित मोबाइल टावरों से हो रहे वायु प्रदूषण की रोकथाम के उपाय

18-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश भर में आबादी वाले स्थानों पर स्थापित मोबाइल टावरों से फैलने वाले रेडियेशन से वायु प्रदूषण के कारण जन सामान्य के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ रहा है ? यदि हां, तो इसकी रोकथाम के लिए सरकार कोई प्रयास कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

मोबाइल टावर भारत सरकार के दूर संचार विभाग के अधीन आते हैं। दूर संचार विभाग द्वारा जन-सामान्य के लिए प्रकाशित सूचना में बताया गया है कि मोबाइल टावर से होने वाले कुप्रभाव हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन व अन्य एसोसिएशन अध्ययन कर रहे हैं तथा उनका मत है कि रेडियो फ्रिक्वेंशी रेडियेशन तथा स्वास्थ्य का सीधे सम्बन्ध होने के तथ्य अभी प्रयोगशालाओं द्वारा नहीं दिया जा सका है फिर भी भारत सरकार के दूर संचार विभाग द्वारा मोबाइल टावर की स्थापना एवं रेडियेशन स्तर के मानक हेतु मार्गदर्शिका बनाई गई, जिसका क्रियान्वयन दूर संचार विभाग द्वारा किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

मथुरा-गोवर्धन रिफाइनरी की स्थापना हेतु ग्रामों के विकास कार्य कराये जाने सम्बन्धी जानकारी

19-श्री राजकुमार रावत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा-गोवर्धन में रिफाइनरी स्थापना के समय भैंसा, बाद, छड़गांव, अगनपुर, अड़ूकी मोहनपुर, बमूरी, धाना तेजा, धाना शमसाबाद ग्रामों को विकसित करने व उनके रख-रखाव का निर्धारण किया गया है ? क्या विगत 10 वर्षों से उक्त ग्रामों में कोई विकास कार्य नहीं कराया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त ग्रामों में विकास कार्य कब तक कराया जायेगा ?

श्री अखिलेश यादव-

मथुरा रिफाइनरी के लिए शासन द्वारा रिफाइनरी उत्पादों के आवागमन, पाइप लाइन बिछाने तथा टाउनशिप के लिए भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्ग्रहण के माध्यम से प्रदान की गयी है। एतद्विषयक शासकीय अनुमति में ग्रामों के विकास व रख-रखाव का उल्लेख नहीं है।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व के अन्तर्गत इण्डियन आयल कारपोरेशन लि0, मथुरा रिफाइनरी द्वारा विगत 10 वर्षों से सम्बन्धित ग्रामों में विकास कार्यों पेयजल पर रु0 87.14 लाख, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर रु0 74.23 लाख, शिक्षा पर रु0 94.41 लाख, अन्य खड़न्जे, सड़क, नाली निर्माण, सिलाई मशीन इत्यादि पर रु0 243.55 लाख का व्यय किया जा चुका है।

मथुरा रिफाइनरी द्वारा समीपवर्ती ग्रामवासियों की सुविधा हेतु रिफाइनरी के समीप आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित स्वर्ण जयन्ती सामुदायिक अस्पताल का निर्माण कराया गया है, जिसको एक एन0जी0ओ0 द्वारा संचालित किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी की कतिपय चीनी मिलों द्वारा जल तथा वायु प्रदूषण की जांच एवं कार्यवाही की मांग

20-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में स्थित अजवापुर शुगर मिल तथा कुम्भी चीनी मिल ने जल एवं वायु प्रदूषण रोकने हेतु पुख्ता उपाय किये हैं ? यदि हां, तो उनका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इन मिलों की जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

मै0 डी0एस0सी0एल0 शुगर अजबापुर, जिला लखीमपुर खीरी में 1100 टन/दिन चीनी का उत्पादन किया जाता है। उद्योग में उत्प्रवाह शुद्धिकरण हेतु आयल एण्ड ग्रीस सेपरेटर, इक्वालाइशन टैंक, प्राइमरी सेटलिंग टैंक, प्राइमरी क्लेरी फायर, प्राइमरी ऐरिएशन टैंक, द्वितीयक क्लेरीफायर, द्वितीयक एरियेशन टैंक, तृतीयक क्लेरीफायर एवं स्लज ड्राइंग बेड्स आदि इकाइयां स्थापित हैं। उद्योग के उत्प्रवाह के लिये गये नमूने दिनांक 28-12-2012 में परिणाम बोर्ड मानकों के अनुरूप पाये गये हैं। उद्योग में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु वेट स्क्रेबर तथा ई0एस0पी0 स्थापित हैं। उद्योग के गैसीय उत्सर्जन की दिनांक 30-12-2012 की जांच में प्रचालक बोर्ड मानकों के अनुरूप पाये गये हैं।

मै0 कुम्भी चीनी मिल, कुम्भी गोला गोकरननाथ, लखीमपुर खीरी द्वारा 1000 टन/दिन चीनी का उत्पादन किया जाता है। उद्योग द्वारा उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के रूप में बारस्क्रीन, आयल एण्ड ग्रीस ट्रैप, इक्वीलाइजेशन टैंक, केमिकल डोजिंग टैंक, एरियेशन टैंक, प्राइमरी एवं सेकेण्डरी क्लेरीफायर, कार्बन एवं सैण्ड फिल्टर, स्लज ड्राइंग बेड्स आदि इकाइयां स्थापित हैं। उद्योग के उत्प्रवाह के लिये गये नमूने दिनांक 20-02-2013 के परिणाम बोर्ड मानकों के अनुरूप पाये गये हैं। वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था हेतु वेट स्क्रबर की स्थापना की गई है तथा गैसीय उत्सर्जनों की दिनांक 29-12-2012 की जांच में प्रचालक बोर्ड मानकों के अनुरूप पाये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

21-श्री बब्बन सिंह चौहान-

[दिनांक 19-03-2013 को अता0प्र0सं0-90 द्वारा उत्तरित]

जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ के बीहड़ भाग का समतलीकरण कार्य कराये जाने का प्राविधान

22-श्री सन्तराम कुशवाहा-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के माधौगढ़ विधान सभा क्षेत्र का अधिकांश भाग बीहड़ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र का समतलीकरण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर आनन्द सिंह-

जी हां। लगभग 86552 हे0 क्षेत्र बीहड़ से ग्रसित है।

ग्रामीण अवस्थापना विकास निधि 18 (नाबार्ड-18) से वित्त पोषित योजनान्तर्गत माधौगढ़ विधान सभा क्षेत्र के बीहड़ क्षेत्र में 500 हे0 क्षेत्र का समतलीकरण कार्य कराये जाने का प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के ग्राम पिसावा के मजरा ग्राम गदाखेड़ा में सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

23-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के ग्राम पिसावा के मजरा ग्राम गदाखेड़ा में सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्रांक 186/रालोद/विमद/2012, दिनांक 19-09-2012 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सी0सी0 रोड एवं नाली का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति एवं अन्य कार्यों की प्राथमिकता को दृष्टिगत रखते हुए विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में बजाज शुगर मिल द्वारा प्रदूषण से पेयजल प्रदूषित होने की जांच की मांग

24-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में बजाज शुगर मिल, अठदमा द्वारा किये जा रहे प्रदूषण से पेयजल जांच में प्रदूषित पाये जाने से उत्पन्न समस्या विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 30-10-2012 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अलिखेश यादव-

जी हां।

जनपद बस्ती के अठदमा क्षेत्र में स्थापित बजाज हिन्दुस्तान लि0 की शुगर एवं आसवनी इकाई स्थापित एवं संचालित हैं। उक्त इकाइयों का निरीक्षण दिनांक 9-1-2013 एवं 21-2-2013 को क्षेत्रीय कार्यालय, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर के अधिकारियों द्वारा किया गया है। उक्त इकाइयों में उत्प्रवाह शुद्धिकरण हेतु शुद्धिकरण व्यवस्थाएं स्थापित हैं। चीनी इकाई द्वारा मानकों के अनुरूप ही उत्प्रवाह निस्तारित किया जा रहा है। आसवनी इकाई द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशानुसार शून्य उत्प्रवाह निस्तारण की व्यवस्था की गई है। निरीक्षण के समय परिसर से बाहर उत्प्रवाह निस्तारित होता नहीं पाया गया है।

उ0 प्र0 जल निगम, बस्ती से प्राप्त सूचना के अनुसार सन्दर्भित शिकायती-पत्र दिनांक 30-10-2012 के सन्दर्भ में आमी नदी के आस-पास के क्षेत्रों में हैण्डपम्पों से जल के नमूने एकत्रित किये गये, जिनके परिणाम संतोषजनक पाये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री नजमुद्दीन के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री नजमुद्दीन का 17 मार्च, 2013 को निधन हो गया। वे लगभग 61 वर्ष के थे। श्री नजमुद्दीन का जन्म 25 मार्च, 1952 को ग्राम महरौड़ा, जिला इलाहाबाद में हुआ था उन्होंने इण्टरमीडिएट एवं बी0टी0सी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री नजमुद्दीन वर्ष 1989 तथा 1993 में निर्वाचन क्षेत्र नवाबगंज, जिला इलाहाबाद से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री नजमुद्दीन भारतीय किसान मजदूर सेवा समिति के अध्यक्ष रहे थे। वे मोइनउद्दीन मेमोरियल जूनियर हाईस्कूल हरषपुर महरौड़ा तथा अन्जुमन मोइजुल मुस्लमीन महरौड़ा सोरांव, इलाहाबाद के प्रबन्धक रहे थे। वे भारतीय दलित किसान मजदूर सेवा समिति

महरौड़ा इलाहाबाद के अध्यक्ष भी रहे थे। वे सुश्री मायावती मंत्रिमण्डल के सदस्य भी रहे थे। श्री नजमुद्दीन के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है।

मा0 श्री नजमुद्दीन के निधन से आज पूरा सदन शोकाकुल है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करें तथा उनके शोक संतप्त परिवार को, इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मैं इस सदन में व्यक्त शोक संवेदनायें मृतक के शोकाकुल परिवार को पहुंचा दूंगा। हम दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए दो मिनट खड़े होकर मौन रखेंगे।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुये)

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री सन्तराम कुशवाहा सदस्य विधान सभा का व्यक्तिगत प्रकरण (क्रमागत)

श्री सन्तराम कुशवाहा-

मा0 अध्यक्ष जी, हमारे बेटे का मामला है, कल की रात में शहर कोतवाल और चौकी इंचार्ज नागर 25-30 पुलिस कर्मी लेकर के, हमारे मकान में बाउन्ड्री तोड़ दी गई, फाटक तोड़ दिए गए और मकान के तीन जगह के किवाड़ तोड़कर तमाम सामान की टूटफूट की गई और मेरे लड़के को पकड़ लिया गया, कहते हैं कि 24-2-2013 तारीख की जो घटना हुई है जिसके साथ हुई है उन्होंने कप्तान साहब को 4-3-2013 तारीख को शपथ-पत्र दे दिया था कि इसमें मनोज कुमार कुशवाहा इसमें नहीं है फिर भी हमारे लड़के को झूठे केस में फंसाया जा रहा है। अध्यक्ष जी हम आपसे संरक्षण चाहते हैं और फर्जी 307 दफा भी लगा दी है। अध्यक्ष जी, कल की रात में पुलिस ने हमारे घर का लाखों रुपये का सामान तोड़ दिया है एवं गायब कर दिया है। एक स्कार्पियो गाड़ी खड़ी थी। उसमें बटों से तमाम जगह टूट-फूट की है। हम तो आपके यहां हैं, हमें पता नहीं है कि कितना सामान इधर से उधर हुआ है। अध्यक्ष जी, हम आपका संरक्षण चाहते हैं और हमारी मदद की जाए।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसी सदन में विधायक रोये हैं, आंसूओं से, हिचकियों से रोये हैं और लगभग पूरे सदन की आंखें आंसूओं से भर आई हैं। उस वक्त भी यही कहा गया कि माननीय सदस्य के साथ यदि कहीं भी कुछ होता है या उनके परिवार वालों के साथ कोई अपमान का व्यवहार होता है तो उसका संज्ञान लेना चाहिए और सदन में नए-पुराने सभी सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि किसी राजनैतिक कारण से किसी का अपमान, किसी की प्रताड़ना, किसी को जलील करना, उसको फर्जी मुकदमों में फंसाना, यह राजनैतिक चरित्र के खिलाफ बात है। सत्ताएं आती हैं और जाती हैं, जो लोग बहुत ताकतवर थे, 40, 45 और 50 साल तक पूरे देश की राजनीति पर काबिज रहे, सत्ता उनकी भी चली गई। यह गलतफहमी होना, आज हम सत्ता में हैं कि हम हमेशा सत्ता में बने रहेंगे और तानाशाह हो जायें और उस तानाशाही के रास्ते से हम आतंक पैदा कर दें, बदले की भावना से लोगों को जलील करना शुरू कर दें, उनको बर्बाद करना शुरू कर दें, यह सारी चीजें बहुत हल्की हैं और राजनीति में उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। आपकी बात का मैं बहुत संगीन संज्ञान ले रहा हूं। अगर ये बातें सब सही होती तो शायद आजादी की लड़ाई लड़ी ही नहीं गयी होती, शायद उस जमाने

में बहुत सी चीजें जो आज राइज हैं, कानून-व्यवस्था की, रिश्वत से जुड़ी, हो सकता है कि उन पर हम बहस कर सकें कि उनमें कुछ कम या कुछ ज्यादा थी। लेकिन लोकतंत्र नहीं था। हमारा देश, हमारी जमीन और हम अपने ही कानून के तहत नहीं थे, अपनी मर्जी के तहत् नहीं थे, हम आजाद होना चाहते थे। जो वारदात हुई है, इस वारदात के लिए हम सब को गंभीर होना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है? हालांकि अभी शतप्रतिशत नहीं मालूम कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है लेकिन इसकी पृष्ठभूमि बहुत हद तक यह है कि राजनीति करने वालों ने यह समझ लिया कि अब यह कुर्सी हमारे पास से नहीं जाने वाली है और हमने अपने राजनैतिक विरोधियों को अपना जाती-दुश्मन समझ लिया और उनके साथ हमने राजनैतिक विरोधी की तरह, राजनैतिक निर्णयों के बजाय उन्हें बर्बाद करने, उन्हें तबाह करने, उन्हें जलील करने की नीति अख्तियार की। जो लोग सरकार के अलावा प्रशासन को चलाने वाले लोग हैं, वह इन चीजों के आदी हो गए और वह यह समझने लगे कि अगर हम ऐसा करेंगे तो सत्ता की कुर्सियों पर बैठे हुए लोग खुश होंगे क्योंकि ऐसा हुआ भी। यह जो हुआ है, बहुत दुखद है और राजनीति में कुछ मान्यताएं होनी चाहिए। अध्यक्ष जी, आपके कमरे में जितनी बात हुई, नेता प्रतिपक्ष से भी और माननीय सदस्य से भी, माननीय सदस्य का आचरण, उनका जीवन और उनके बारे में मुझे जितनी जानकारी मिली है, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं और यह नहीं मालूम है, यह तो जांच से ही मालूम होगा कि असल वाकया क्या था लेकिन 307 धारा के लिए कुछ बुनियादी शर्तें हैं, कानून में भी, उसे दिखवा लेंगे। आपने बताया है कि फायर आर्म्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है, आपने बताया कि कोई चोट नहीं है, अगर ऐसा है तो रपट की नवैय्यत देखेंगे कि क्या है ? 307 का मुकदमा कायम हो जाने के बाद जाहिर है कि इन्वेस्टीगेशन की स्टेज आ जाती है और 307 नान-वेलेबल और नान-कम्पाउण्डेबल एफेंस है, लिहाजा इसमें बाहर से जमानत नहीं दी जा सकती है और इसमें कोई समझौता भी नहीं हो सकता, आउट आफ कोर्ट, अदालत के बाहर तो इसमें यह देखेंगे कि कैसे 307 हट सकती है। हटना चाहिए नहीं हटना चाहिए। जैसे आपने बताया कि कोई चोट नहीं है फायर आर्म का इस्तेमाल नहीं हुआ। इसे दिखवायेंगे और ऐसी बात किसी भी माननीय सदस्य के साथ न हो इसे भी सुनिश्चित करेंगे। क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार है और समाजवादी पार्टी का अपना यह निश्चित मत है कि किसी से भी बदले की भावना से काम नहीं किया जाएगा और आप सबने देखा भी है कि क्या सितम थे जो नहीं ढहाये गये पांच बरस में । लेकिन क्या कोई ऐसी कार्यवाही हुयी। क्या किसी भी एक मौके पर आपको यह अहसास हुआ कि हमने आपको यह अहसास दिलाया हो कि हम आपकी सही बात को नहीं सुनेंगे। भावुकता से आपकी बातों को नहीं लिया गया आपके साथ जो कुछ हुआ है क्या हमें उसका दुख नहीं है लेकिन इसी सदन में माननीय सदस्य फूट-फूटकर रोये हैं। जो ज्यादतियां उनके साथ हुयी हैं लेकिन उन पर विचार तक नहीं हुआ। तो जो बुनियाद डाली थी उस बुनियाद पर इमारत बनना शुरू हुयी हम उस इमारत को भी गिरायेंगे और उस गलत बुनियाद को भी उखाड़कर फेकेंगे और आपके साथ न्याय होगा यह सुनिश्चित करवाते हैं।

श्री संतराम कुशवाहा-

मान्यवर, घटना दर्शायी गयी है उसमें वह वादी (रिपोर्टकर्ता) यह कहने के लिए तैयार है कि हमारा लड़का मनोज कुमार कुशवाहा उसमें था ही नहीं।

श्री अध्यक्ष-

आपने कह दिया। बैठ जाओ।

श्री अनीसुर्रहमान सदस्य विधान सभा की हत्या की योजना विषयक प्रकरण

श्री अनीसुर्रहमान-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह अवगत कराना चाहूंगा कि मेरठ क्षेत्र का एक व्यक्ति जिला कारागार, बिजनौर में बंद था। उसने अपने यहां से 5-6 लोगों के साथ मेरे घर पर दिनांक 15-03-13 को मुझसे बताया कि आप अपनी सुरक्षा के बारे में सतर्क रहें। मैं जिला जेल में बंद था तो मेरे साथ मेरी बैरक में बंद कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे कि अब बाहर निकलकर सबसे पहले कांठ विधायक अनीसुर्रहमान का काम निपटाना है। पूरी बात ग्राम वितरा में फाइनल हो गयी है। काम करना 70 लाख में तय हुआ है पेशगी 35 लाख मिल गये हैं। उपरोक्त बातें करने वालों में कुछ लोगों की जमानत मा0 उच्च न्यायालय से स्वीकृत होकर वह लोग बाहर आ गये हैं जबकि एक व्यक्ति की जमानत न होने के कारण वह अभी जेल में बंद है। उक्त सूचित करने वाले व्यक्ति ने यह भी बताया कि यह सभी लोग जनपद बिजनौर के नजीबाबाद निवासी डा0 शमशाद मर्डर केस में जेल में बंद हैं तथा शातिर अपराधी हैं। मैंने उक्त सूचना से एस0एस0पी0 मुरादाबाद श्री एन चौधरी को भी अवगत करा दिया है। मान्यवर, मैं दरखास्त करूंगा कि इस रिपोर्ट की जांच कराकर कार्रवाई की जाये। और जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। मान्यवर, मैं यह भी अनुरोध करूंगा कि मेरी सुरक्षा की भी व्यवस्था की जाये।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर शोर)

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात सदन के संज्ञान में आ गयी अब आप बैठिये।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भइया-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सदन को यह बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार यश भारती पुरस्कार बाटने जा रही है। उनमें खिलाड़ियों को भी सम्मिलित किया गया है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठिये। यह नियमों में नहीं बोल रहे हो। कुछ नहीं लिखा जाएगा। बैठिये।

(शोर जारी रहने पर)

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इन लोगों को बहुत जान का खतरा हो गया है। इसको आप दिखवा लीजिएगा। मैंने बता दिया कि सरकार इसको दिखवा लेगी। बस बैठिये।

(श्री अनीसुर्रहमान के बोलने का प्रयास करने पर।)

अरे आपने वह सदन में कह दिया। मा0 मंत्री जी ने सुन लिया। मैंने मंत्री जी से आग्रह कर लिया कि इसको दिखवा लेंगे। अब हो गयी बात। अब इससे ज्यादा क्या होगी ? मारा तो है नहीं बात ही बात चल रही है।

(हंसी)

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जी की अगर हत्या हो जाएगी तो क्या यहां फरियाद के लायक रहेंगे। इसको गंभीरता से लें।

श्री अध्यक्ष-

उनको बात कहने का मौका दिया।

मैंनें माननीय मंत्री जी को कह दिया, इसको गम्भीरता से दिखवा लें, अब इसके बाद बचा क्या है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मा0 सदस्य की जिज्ञासा है, चूंकि मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी हैं, पड़ोसी जिले के हैं, तो हम आपके माध्यम से संरक्षण मांग रहे हैं, तो इनको आश्वस्त कर दें।

श्री अध्यक्ष-

चलिये ठीक है। मैंने कह दिया और मा0 मंत्री जी को बता दिया, आपका मामला गम्भीरता से लिया जायेगा, अब क्यों आप परेशान हैं।

श्री अखिलेश कुमार सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे एक नए विधायक और भोले-भाले विधायक, अगर भोले न होते तो यहां पर अपनी बात ऐसे न पढ़ते, इनको वाकई खतरा होगा, हमने मा0 मुख्यमंत्री जी से जो गनर अपने लिए मांगे थे, मैं चाहूंगा कि मुझको गनर न दिये जाय, मा0 मुख्य मंत्री जी आप हमारे गनर इनको दे दीजिए। आपने हमको गनर देने के लिए कहा था, दो-तीन बार कह चुके हैं, अभी दिया नहीं और लगता है आगे देंगे भी नहीं, तो हमारे गनर आप इनको दे दीजिए, हम आगे से आपसे गनर नहीं मांगेंगे।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य अनीसुर्रहमान जी, अब आप बैठ जाइये।

(मा0 सदस्य श्री अनीसुर्रहमान एवं मा0 सदस्य श्री अखिलेश कुमार सिंह सदन के वेल में आकर बैठ गये।)

श्री अध्यक्ष-

मैं मा0 सदस्यों से आग्रह करूंगा अगर आप अपनी बात संजीदगी से रख दें, तो सदन के संज्ञान में आ जायेगा। इन लोगों को बैठे रहने दो, इन लोगों से बहुत आग्रह किया है, अब इन्हें बैठने दो। हां, मा0 अनुग्रह नारायण सिंह जी आप क्या कहना चाहते हैं ?

सत्रकाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद द्वारा आहूत मीटिंग के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कार्य-कारणी परिषद् का सदस्य हूं और सदन की पीठ से निर्देश हैं कि अगर विधान सभा सत्र चल रहा हो और जिसमें विधायक उसके सदस्य

हों, तो वह समिति नहीं बुलाई जानी चाहिए, लेकिन मान्यवर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कल कार्य-कारिणी परिषद् की 22 तारीख को मीटिंग हो रही है और यह सदन चल रहा है। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपनी अध्यक्ष पीठ से इलाहाबाद डी0एम0 के द्वारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति को निर्देशित कर दें कि वह कल की अपनी मीटिंग को टाल दें।

श्री अध्यक्ष-

अब यह दो लोग वेल में बैठे हैं, अब बहुत टिप्पणी कर देंगे तो दिक्कत हो जायेगी। जब मैंनें कह दिया, देखेंगें तो क्यों परेशान हैं, चलिये बाबू अखिलेश सिंह जी आप अपनी जगह पर चलिये, मा0 अनीसुर्रहमान जी आप भी अपनी सीट पर चलिये, आपकी पूरी सुरक्षा होगी।

(मा0 सदस्य श्री अनीसुर्रहमान एवं मा0 सदस्य श्री अखिलेश कुमार सिंह सदन के वेल से उठकर पुनः अपने-अपने स्थान पर आकर बैठ गये।)

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, परम्परा यह रही है कि जब सदन चलता है तो जिन भी समितियों में मा0 सदस्य उसके सदस्य होते हैं, सदन के दिन उन समितियों की बैठक नहीं बुलाई जाती है और अगर बुलाई जाती है, तो उनको निर्देशित कर दिया जाता है, तो उसे स्थगित कर दें, जिस दिन सदन न हो, उस दिन बैठक बुलायें, तो मा0 अनुग्रह नारायण सिंह जी, उस कार्य-कारिणी परिषद् के सदस्य हैं और उनकी बैठक कल बुलाई गई है, कल आपके बजट का आखिरी दिन है, तो आप उन्हें निर्देशित कर देते कि यह परम्परा रही है, यह नियम भी रहा है, तो उसे कल स्थगित कर दें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी पीठ से कई बार आदेश हुए हैं और जो-जो भी सरकारें रहती हैं, उस पीठ से इस सम्बन्ध में बहुत आदेश होते रहे हैं। मेरे ख्याल से एक बार कार्यवाही हो जाय आपके स्तर से तो ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा अबकी करिये, फिर बताते हैं।

सिविल सर्विसेज के अधिकारियों द्वारा रिटर्न न दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

सत्यप्रकाश अग्रवाल जी, अब आप क्या पढ़ रहे हैं ? मा0 नेता भारतीय जनता पार्टी, इनको क्या हो गया, इन्हें समझाइये तो।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, सम्भवतः इन्होंनें कोई औचित्य का प्रश्न दिया है।

श्री अध्यक्ष-

तो आने दीजिए औचित्य का प्रश्न, अगर वह लेने लायक होगा, तब लिया जायेगा कि ऐसे ही जब मन हो तब पढ़ने लगें। अब आप बैठ जांय। हां अखिलेश प्रताप सिंह जी, अब आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, हम आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि जो हमारा सर्विसेज रूल है, उसके हिसाब से सिविल सर्विसेज के अधिकारियों....

श्री अध्यक्ष-

देखिये, ये क्या है ?

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, ये संवैधानिक संकट है। सुन लीजिये, पहले मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

ये लिख के देना चाहिये न। आपने औचित्य में क्यों नहीं दिया ?

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

जो उन लोगों को अपना रिटर्न देना होता है, एनुअली देना होता है। भारत सरकार के निर्देश के बावजूद बार-बार अनुरोध और आदेश के बाद भी ये परंपरा शुरू नहीं हो रही है जबकि अगर ये चीज वो नहीं देते हैं तो उनका प्रमोशन, इन्क्रीमेण्ट सब रुक जाता है। मा0 मुख्य मंत्री जी तक ने दे रखा है लेकिन जो लोग बाउण्डेड हैं जिनका प्रमोशन, इन्क्रीमेण्ट, सैलरी तक रुक सकती है वो लोग नहीं दे रहे हैं। यह एक संवैधानिक संकट आ रहा है। कृपया आप सरकार को निर्देशित करें कि ये व्यवस्था सुनिश्चित हो। ऐसे लोग अपना रिटर्न भी दें और जो भी नियमावली है, उस नियमावली के अनुरूप कार्य करें। हम संज्ञान चाहते हैं सरकार।

श्री अध्यक्ष-

आपने कह दिया, सरकार के संज्ञान में आ गया।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

नहीं, नहीं मान्यवर, बोलना चाह रहे हैं। मा0 मुख्य मंत्री जी हैं, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी हैं।

श्री अध्यक्ष-

ये आप सुनिये तो ये आपको लिखित देना चाहिये, उसकी एक कापी सरकार को जाती और तैयार होकर आते, जवाब देते।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, हमारी सुन लें, जब एक पोलिटिकल आदमी बी0डी0सी0 का भी चुनाव लड़ता है उसकी सारी चीजें सार्वजनिक होती हैं, नेट पर आती हैं। ये सरकार का है, ये महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष-

इसके नियम हैं। आप नियमों में देते तो उसकी कापी जाती।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, हमने बात उठा दी है।

श्री अध्यक्ष-

बात उठाने का ऐसे थोड़े ही होता है कि जब चाहें जब उठा दें।

राजा मण्डी आगरा स्टेशन पर आगरा के सांसद व विधायकों के साथ दुर्व्यवहार/मुकदमा किये जाने विषयक व्यवस्था का प्रश्न

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

मान्यवर, 17 तारीख को मेरे खिलाफ और मेरे साथी अपने विधायक जगन प्रसाद गर्ग के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ क्योंकि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था से एक प्रदर्शन कर रहे थे। इसकी पृष्ठभूमि यह है कि राजा मण्डी स्टेशन पर आगरा के सांसद अपने प्रतीक्षालय फर्स्ट क्लास प्रतीक्षालय में बैठे हुये थे। उन्हें दिल्ली जाना था। उस समय एक मजिस्ट्रेट 500, 700 बेटिकट यात्रियों को पकड़कर उस प्रतीक्षालय में आया और उनकी बेइज्जती करके, उनको धक्के देकर पुलिस के द्वारा बाहर करा दिया और उस पुलिस वाले ने बंदूक की नोंक पर सांसद को बाहर किया प्रतीक्षालय से। ये उनका अपमान था, वो भी धरने पर बैठ गये। उन्होंने हमको कॉल किया और हम भी वहां धरने पर पहुंच गये। ये बात पूरे शहर में जंगल में आग की तरह फैली और कार्यकर्ता लोग वहां पर आ गये। हमारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था लेकिन वहां के प्रशासन ने, स्टेशन के प्रशासन ने जी0आर0पी0 थाने में हमारे खिलाफ, मा0 विधायक जगन प्रसाद गर्ग के खिलाफ झूठा मुकदमा कायम कराया और गंभीर धारा में मुकदमा कायम कराया। इसमें आपका संरक्षण चाहिये क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में यदि लोकतंत्र का प्रतिनिधि शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी नहीं कर सकेगा तो इसका मतलब लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। इस पर आपका संरक्षण चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्यगण मान्यवर, जहां हम यह अपेक्षा करते हैं कि हमारे लिये बहुत सी सुविधायें उपलब्ध हों। हमारे सम्मान की भी रक्षा हो। ये मैं मानता हूं कि हो सकता है कि वहां कोई कानून की बात रही हो। वहीं मैं सभी मा0 सदस्यों से भी आग्रह करूंगा कि ये लोग भी अपने आचरण से ऐसी स्थिति न पैदा करें कि टकराहट पैदा हो। जब टकराहट पैदा होती है तो एक कड़ुवाहट भी पैदा होती है और कड़ुवाहट में लोकतंत्र ठीक ढंग से नहीं चल पाता है। इसका भी ध्यान रखें। मा0 मंत्री जी, अगर इनके खिलाफ कुछ ढंग से है तो उसको दिखवा लीजिये।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 21.03.2013 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 40 सूचनायें प्राप्त हुईं जिनमें से 15 सूचनायें स्वीकार की गईं :-

पहली सूचना श्री गेंदालाल चौधरी की जनपद हाथरस (महामायानगर) में नये सम्पर्क मार्गों को बनाने एवं कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है। (मा0 सदस्य द्वारा सदन में अपनी सूचना पढ़ी गई)

दूसरी सूचना श्री जगराम पासवान की जनपद बलरामपुर की तहसील उतरौला में भू-माफियाओं द्वारा जमीनों पर अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई' की जनपद लखनऊ के पटेल नगर के भूखण्डों से अनाधिकृत कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में है। (अनुपस्थित)

शैलेन्द्र यादव 'ललई' हैं ? नहीं हैं।

चौथी सूचना श्री ललितेशपति त्रिपाठी की जनपद मिर्जापुर की तहसील मड़िहान एवं चुनार में पेयजल समस्या का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में है।

पाँचवी सूचना है श्रीमती रूबी प्रसाद की किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में समयबद्ध पदोन्नति किये जाने का प्राविधान किये जाने के सम्बन्ध में है, छठी सूचना श्रीमती कृष्णा पासवान की जनपद फतेहपुर अन्तर्गत थाना धाता क्षेत्र में ऐरई घाट पर हो रहे अवैध बालू खनन को रोके जाने के सम्बन्ध में, सातवीं सूचना है डा0 अरूण कुमार की जनपद बलिया में सालिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट चालू कराये जाने के सम्बन्ध में, डॉ0 अरूण कुमार जी आपका जनपद बलिया में सालिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट चालू कराये जाने के सम्बन्ध में आया है यही आपका आया है ये आप बलिया के लिए लिखे हैं, या बरेली के लिए आपकी ये सूचना आयी है।

डा0 अरूण कुमार-

मान्यवर, बरेली के लिए लिखा है, हो सकता है कि गलत टाइप हो गया हो।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इसी लिए आपसे पूछा था क्योंकि आप रहने वाले बरेली के हैं, तो बलिया का मामला क्यों पूछ रहे हो ?

डा0 अरूण कुमार-

मान्यवर, ये बरेली का मामला है।

श्री अध्यक्ष-

सालिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट बरेली में ही है ना ?

डा0 अरूण कुमार-

जी, हां, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

आठवीं सूचना श्री मुकुट बिहारी वर्मा जी कि किसान सहकारी चीनी मिल, नानपारा बहराइच द्वारा सरयू नदी में क्षारीय कचरा छोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, नवीं सूचना है डा0 रीता बहुगुणा जोशी की कानपुर रोड योजना, लखनऊ के नगर प्रसार योजना भाग-3 व 4 के समस्त ग्रामवासियों जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया था को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री राम प्रसाद चौधरी जी कि बाल भारती विद्यालय जूनियर हाईस्कूल, तेलियरगंज इलाहाबाद में रिक्त सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत जी की जनपद झांसी की तहसील मऊरानीपुर अन्तर्गत आराजी नम्बर, 103 रकबा 0.397 पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना

ठा0 दलवीर सिंह की विधान सभा क्षेत्र बरौली जनपद अलीगढ़ के कतिपय ग्रामों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री कुलदीप सिंह सेंगर ये पहले कभी नहीं देते थे, पहली बार दिये हैं और हैं भी नहीं (मा0 सदस्य श्री कुलदीप सिंह सेंगर जी का नाम पुकारे जाने पर सदन में अनुपस्थित), चौदहवीं सूचना श्री रामलाल अकेला जी हैं, ये भी नहीं हैं। (मा0 सदस्य श्री रामलाल अकेला जी का नाम पुकारे जाने पर सदन में अनुपस्थित), पन्द्रहवीं सूचना श्री बाला प्रसाद अवस्थी जी कि जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड ईसा गनर एवं तहसील धौरहरा की मुख्य सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में हैं।

ये तीन लोग उपस्थित नहीं हैं, एक मैं ले ले रहा हूं, श्री मुकेश श्रीवास्तव जी का तथा दूसरा विमला सोलंकी जी का ले रहा हूं, सोलंकी जी महिला हैं उन्हीं का ले लेते हैं, लेकिन ये नहीं लिया जायेगा आपका, इसको सोलंकी जी आपने दोहराया है, इसको नहीं लिया जायेगा। यह विषय एक बार आ चुका है, उसी विषय पर फिर दिया है। दूसरा श्री राजेश त्रिपाठी जी का लिया जाता है।

(कई मा0 सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने के प्रयास पर)

श्री अध्यक्ष-

कल दे दीजिएगा, जितना देंगे सब हो जायेगा।

श्री ममतेश शाक्य-

मा0 अध्यक्ष जी, बार-बार मैं लगा रहा हूं, पिछले 4 दिन से लगा रहा हूं और मेरा लिया नहीं जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

किस नाम से है, आपका ?

श्री ममतेश शाक्य-

मान्यवर, ममतेश शाक्य के नाम से है।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा ठीक है, आज ले लिया। बैठ जायें।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयी।)

जनपद हाथरस (महामायानगर) में नये सम्पर्क मार्गों को बनाने एवं कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गेंदालाल चौधरी-

महोदय,

मैं सदन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जनपद हाथरस (महामायानगर) के निम्नलिखित सम्पर्क मार्गों का जनहित में बनाया जाना अतिआवश्यक है, जिससे जनपद हाथरस (महामायानगर) के हजारों निवासी लाभान्वित हो सकेंगे :-

1-सासनी विजयगढ़ मार्ग से नगला विजैया तक 800 मी0 सड़क,

2-ग्राम कटैलियन से ग्राम टोडरपुर तक 800 मी0 सड़क,

3-आगरा-अलीगढ़ रोड पर ग्राम पापरी में 1 कि0मी0 सड़क तथा

4-मधुगढ़ी चौराहे से अलीगढ़ आगरा रोड का मरम्मत कार्य

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये उपरोक्त सम्पर्क मार्गों को बनाये जाने की मांग करता हूं ताकि हजारों लोग को प्रतिदिन आवाजाही में हो रही परेशानियों से निजात मिल सके।

जनपद बलरामपुर की तहसील उतरौला में भू-माफियाओं द्वारा जमीनों पर अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगराम पासवान-

[आदरणीय महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र, सदर बलरामपुर की तहसील उतरौला, ब्लाक-श्रीदत्तगंज के अन्दर जमीन पर पिछली सरकार के भू-माफिया द्वारा अवैध रूप से निर्माण कर रखा गया है जिससे यहां पर ग्राम प्रधान और अधिकारी सभी लोग काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अवैध कब्जे को लेकर जनमानस में काफी रोष व्याप्त है ब्लाक होने के कारण कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती हैं। इसी प्रकार इस तहसील में पचासों बीघे ग्राम समाज की भूमि पर भी पिछली सरकार में भू-माफियाओं द्वारा कब्जा किया है जिस ग्राम की ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है वह है, ग्राम सभा कपौआ है।

अतः निवेदन है कि कृपया इस लोक हित के प्रकरण की जांच कराकर अवैध भूमि से कब्जा हटवाने के आदेश देने की कृपा करें।]

जनपद मिर्जापुर की तहसील मड़िहान एवं चुनार में पेयजल समस्या का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ललितेशपति त्रिपाठी-

[महोदय,

पानी के बगैर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, इसीलिये कहा गया है कि 'जल ही जीवन है'। जड़ से लेकर चेतन तक सभी के जीवन का आधार पानी पर निर्भर करता है, चाहे मानव हो, पशु-पक्षी हों, अथवा पौधे हों, पानी सभी के लिये परम आवश्यक है। **मेरे निर्वाचन क्षेत्र के नक्सल प्रभावित तहसील मड़िहान एवं तहसील चुनार जनपद मीरजापुर** के अन्तर्गत पेयजल गम्भीर समस्या है और लोगों को पीनी के लिये पानी नहीं मिल पा रहा है-मानव जीवन तो क्या पशु तथा पक्षियों को भी पीने के लिये पानी नहीं सुलभ हो रहा है। यदि कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती है तो वह दिन दूर नहीं जब इस अंचल के लोग पानी के बगैर उनका जीवन दूभर हो जायेगा। तत्काल पेयजल की व्यवस्था हेतु पानी के टैंकर भेजकर ग्रीष्मकाल के दौरान लोगों को पीने का पानी मुहैया कराया जाय, और इस समस्या के निदान हेतु ग्रामीण पेयजल समूह योजनायें स्थापित की जायं जिससे वाटर पाइप सप्लाई के माध्यम से लोगों को पेयजल मिल सके। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण निजी हैण्डपम्प कुओं द्वारा पीने का पानी मिलना असम्भव होता है-गर्मी के दिनों में यह स्थिति और भी

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अधिक विकराल हो जाती है। पेयजल की समस्या के निदान हेतु कोई सार्थक कार्यवाही न होने से लोगों में चिन्ता तथा रोष व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये कार्यवाही की मांग करता हूं।]

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में शिक्षकों की समयबद्ध पदोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती रूबी प्रसाद-

[मान्यवर,

अवगत कराना है कि किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा शिक्षकों की पदोन्नति में भेदभाव किया जा रहा था जिसे रोकने के लिये वर्ष 1997 में एक शासनादेश संख्या-842/15-10-97-11(7)/96 दिनांक 11/04/1997 को निर्गत किया गया था जिसे पूर्ववर्ती सरकार ने निरस्त कर दिया है जिसके कारण उक्त विश्वविद्यालय में पदोन्नतियां बाधित हैं एवं प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है। प्रदेश के अन्य मेडिकल कालेजों में समयबद्ध पदोन्नतियां की जा रही हैं। इससे किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के चिकित्सकों में रोष व्याप्त है। इस सम्बन्ध में यहां के चिकित्सकों ने मा0 मुख्य मंत्री जी, उ0प्र0 को पत्र लिखा था, वर्तमान मा0 मुख्य मंत्री जी ने अपने पत्रांक 185/वि0स0(प0)/2012, दिनांक 25-07-2012 में स्वयं स्वीकार किया है कि उक्त प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है। इसके बावजूद भी अभी तक उक्त विश्वविद्यालय में समयबद्ध पदोन्नति की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने में अधिकारियों द्वारा उदासीनता बरती जा रही है। अतः उक्त पदोन्नति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाते हुये प्रदेश के अन्य मेडिकल कालेजों के अनुरूप किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में भी समयबद्ध पदोन्नति हेतु छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 में संशोधन किया जाना अति-आवश्यक है। शासन द्वारा इस जनहित के अविलम्बनीय विषय को गम्भीरता से लेते हुये इसका त्वरित गति से निस्तारण किया जाय।

अतः जनहित एवं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये कार्यवाही की मांग करती हूं।]

जनपद फतेहपुर अन्तर्गत थाना धाता क्षेत्र में ऐरई घाट पर हो रहे अवैध बालू खनन को रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती कृष्णा पासवान-

[महोदय,

जनपद फतेहपुर अन्तर्गत थाना धाता क्षेत्र में ऐरई यमुना घाट है। जिसमें सन्तोष नामक व्यक्ति के नाम खनन पट्टा है। लेकिन आवंटित क्षेत्र से अन्यत्र जल धारा से लिफ्टर (पन चक्की) द्वारा बालू निकाली जा रही है, जिससे जलधारा में 75-80 फिट गहरे गड्ढे हो जाने से गत वर्ष कई पशु व एक व्यक्ति डूब गया जिसकी लाश बहुत प्रयास के बावजूद गहरे गड्ढे के कारण नहीं मिली। इसके अतिरिक्त अवैध ढंग से मोरंग खनन कार्य संचालित है। पोक लैण्ड मशीन से मोरंग की लोडिंग

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वाहनों पर होती है जिससे क्षेत्रीय श्रमिक बेरोजगार है। वाहनों के ओवर लोडिंग से राजस्व की क्षति एवं सड़क ध्वस्त हो रही है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये उक्त खनन पर अंकुश लगाये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करती हूं।]

जनपद बलिया में सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रोजेक्ट चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 अरुण कुमार-

[महोदय,

बरेली में नितान्त आवश्यक सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रोजेक्ट सब मुकदमें साफ होने के बाद तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी होने जाने के बाद भी अभी तक शुरू नहीं हुआ है। जिससे शहर में भीषण गंदगी है। जनहित में इसे तुरन्त शुरू कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रोजेक्ट को चालू कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

किसान सहकारी चीनी मिल, नानपारा बहराइच द्वारा सरयू नदी में क्षारीय कचरा छोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

[महोदय,

जनपद बहराइच में सरयू नदी में नानपारा की श्रावस्ती किसान सहकारी चीनी मिल ने क्षारीय कचरा छोड़ दिया है जिससे करीब चालीस किलोमीटर की लम्बाई में मछलिया इस क्षारीय कचरे के प्रभाव से मर कर बड़ी संख्या में यह उतराकर बाहर आ गई है। क्षेत्र के रहने वाले लोग उतराई मछलियों को एकत्र कर रहे है इन मछलियों का सेवन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल सकता है। वैसे तो जिले की सभी चीनी मिलें बेतहाशा कचरा नदी-नालों में फेंक रही है। प्रदूषण नियंत्रण को लेकर इनके दावे कागजों तक ही सीमित है। करीब तीन दिन पहले नानपारा की श्रावस्ती किसान सहकारी चीनी मिल से बड़ी मात्रा में क्षारीय कचरा धरसोती नाले में छोड़ा गया तथा इसी प्रकार अन्य चीनी मिलों द्वारा भी प्रदूषित कचरा नदियों में बहाया जा रहा है। इस प्रकार नदियों में चीनी मिलों एवं कारखानों द्वारा कचरे को बिना ट्रीटमेन्ट के डाले जाने से जल के प्रदूषित हो जाने के कारण जीव जन्तु मर रहे और प्रदूषित जल के कारण पशुओं एवं मनुष्यों में भी भीषण संक्रामक बीमारी फैल सकती है। जनहित में इस तत्काल प्रभाव से रोक लगाया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कानपुर रोड योजना, लखनऊ के नगर प्रसार योजना भाग-3 व 4 के समस्त ग्रामवासियों जिसकी भूमि का अधिग्रहण किया गया था को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

[महोदय,

कानपुर रोड-योजना के नगर प्रसार योजना भाग-3 व 4 के समस्त ग्राम-भदरूख, सालेहनगर, किला-मोहम्मदीनगर, औरंगाबाद, खालसा, उतरेटिया हैबतमऊ, मवइया, बेहसा, कासिमपुर पकरी के ग्रामवासियों की भूमि का अधिग्रहण वर्ष 1985-1986 में किया गया तथा उन्हें कौड़ियों के दाम जमीन के मुआवजे का भुगतान किया गया, इसमें इन किसानों में व्यापक रोष व्याप्त है। इन ग्रामों में ज्यादातर लोग अनपढ़ तथा 75 प्रतिशत लोग लघु किसान हैं। खेती से ही इनके परिवार का भरण पोषण होता है, किन्तु प्रदेश सरकार एवं नगर विकास विभाग द्वारा किसानों को उनकी भूमि का बहुत कम मुआवजा दिया गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किसानों के भूमि का अधिग्रहण रु0 1.72 प्रतिवर्ग फुट पर किया गया था जिसे वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा रु0 1000/-से लेकर रु0 2500/- प्रति वर्ग फुट की दर से बेचा जा रहा है। ग्रामवासियों द्वारा अपने उक्त भूमि का उचित मुआवजा देने हेतु न्यायालय पीठासीन अधिकारी, नगर महापालिका ट्रिब्यूनल, लखनऊ में वाद संख्या-7/2003 दायर किया गया था जिसमें याचीगणों को रु0 6.50 प्रतिवर्ग फुट से एवं सोलेनियम एवं आवश्यक ब्याज के साथ मुआवजे का भुगतान किये जाने का निर्णय पारित किया गया है। उक्त निर्णय के अनुसार जमीन के मुआवजे के भुगतान हेतु इनके द्वारा कई बार उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश को पत्र दिया गया, किन्तु 28 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। यह न्यायाधिकरण के आदेश की अवहेलना है। ग्रामीण किसानों में सरकार के प्रति व्यापक आक्रोश व्याप्त है। वह कभी भी अपने हक को पाने के लिये सड़क पर उतर सकते हैं, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतः सरकार की होगी। इसलिये इनको उचित मुआवजे की भुगतान शीघ्र किया जाय।

अतः जनहित एवं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्यवाही की मांग करती हूं।]

बाल भारती विद्यालय जूनियर हाई स्कूल, तेलियरगंज, इलाहाबाद में रिक्त सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम प्रसाद चौधरी-

[महोदय,

अवगत कराना है कि प्रबन्धक बाल भारती विद्यालय जूनियर हाई स्कूल मोती लाल नेहरु रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, तेलियरगंज, इलाहाबाद में कार्यरत सहायक अध्यापिकाओं के सेवानिवृत्त के पश्चात् रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने हेतु विज्ञापन कराया गया था। उक्त पदों पर चयन/साक्षात्कार की कार्यवाही कराये जाने हेतु विभागीय प्रतिनिधि नामित किये जाने का अनुरोध किया गया था शासन द्वारा दिनांक 7-9-2011 द्वारा पात्रता परीक्षा उ0प्र0 (टी0ई0टी0) लागू हो जाने के उपरान्त सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्यापक पात्रता परीक्षा उ0प्र0 (टी0ई0टी0) उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नियुक्ति हेतु पात्र होंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद के आदेशानुसार पुनः पद विज्ञाप्ति किये गये इस शर्त के साथ कि अभ्यर्थी निर्धारित योग्यता के साथ टी0ई0टी0 उत्तीर्ण हो। उक्त विद्यालय में प्रधानाध्यापिका ही मात्र कार्यरत है। लगभग ढाई वर्ष से उक्त विद्यालय में रिक्त पदों पर सहायक अध्यापकों की नियुक्ति न किये जाने से अध्ययनरत अभ्यर्थियों की पढ़ाई बाधित हो रही है।

अतः सरकार का ध्यानाकृष्ट कर मांग करता हूं कि बाल भारती विद्यालय जूनियर हाईस्कूल मोतीलाल नेहरु इंजीनियरिंग कालेज, तेलियरगंज इलाहाबाद में रिक्त सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करायें।]

जनपद झांसी की तहसील मऊरानीपुर अन्तर्गत आराजी नम्बर-103 रकबा 0.397 पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कृष्णा पाल सिंह राजपूत-

[महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि मेरे जनपद झांसी में श्रीमती राजेश्वरी पत्नी अशोक कुमार अहिरवार के ससुर गुट्ठी लाल तनय दलू चौधरी ने मौजा खरका सानी (मऊ देहात) तहसील-मऊरानीपुर, जनपद-झांसी ने एक किता रजिस्ट्री बैनामा आराजी नम्बर 103 रकबा 0.397 हेक्टेयर का 1/4 भाग सीताराम पुत्र रमोला अहिरवार से 07-08-2012 को क्रय की थी तभी से इस जमीन पर प्रार्थिनी का कब्जा रहा लेकिन दिनांक 09-03-2013 को जब प्रार्थिनी उपरोक्त जमीन पर कमरे व बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कराने वाले मजदूरों के साथ पहुंची तथा निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया तो उसी समय दबंग व्यक्ति अरूण कुमार नगरिया अपने भाइयों एवं दो अज्ञात व्यक्तियों के साथ आये तथा जातिसूचक शब्दों के साथ गालियां देते हुये लात, घूसों से मारपीट करने लगे प्रार्थिनी के चिल्लाने पर बृजविहारी राज ने उसे बचाया तथा पुलिस को बुलाकर उसके मजदूरों का गिरफ्तार करवा दिया तथा काम बंद करवा दिया। उक्त दबंग की जमीन प्रार्थिनी की जमीन से लगी हुई है इस कारण वह इस जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहता है एवं दबंगई के दम पर प्रार्थिनी का निर्माण कार्य नहीं करने दे रहा है। पुलिस एवं प्रशासन की उदासीनता, निष्क्रियता एवं पक्षपात पूर्ण रवैये से आम जनमानस में रोष एवं आक्रोष व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये दबंग कब्जेधारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने एवं प्रार्थिनी की जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे को रोके जाने की मांग करता हूं।]

विधान सभा क्षेत्र बरौली जनपद अलीगढ़ के कतिपय ग्रामों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दलवीर सिंह-

[महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र बरौली में निम्नलिखित गांव ऐसे है जहां विद्युतीकरण नहीं हुआ है जो अति पिछड़ी जाति मुस्लिम आबादी एवं गरीब लोगों के छोटे गांव एवं माजरे है। जिनका आज तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है, जिससे क्षेत्रीय जनता में काफी रोष है। ब्लाक धनीपुर-गडिया, नगला भूड,

---

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नगला ठेकेदार, नगला कोठी (माजरा सिल्ला बिसावलपुर) नगला बंजारा (माजरा बरा नदी) नगला मीरपुर बंजारा (माजरा दाऊदपुर) ब्लाक जवां-नगला बंजारा (माजरा सुनामई) ऊसरगंज मुस्लिम आबादी (माजरा पिलौना) नगला बंजारा (माजरा अहिरौली) ग्राम मैमडी का सड़क का बाजार नगला बंजारा (पौथी) रफीपुर सिया, ब्लाक धनीपुर-खुर्द खेड़ा, ब्लाक चण्डौस-बंजारा नगला (नगला मोहरेना) बंजारा नगला लालपुर, ब्लाक खैर-बीरमपुर का धीमरनगला, ब्लाक लोधा-मुस्लिम आबादी नई ग्राम तालसपुर, नई आबादी अलवरकत के पीछे ग्राम मंजूर गढ़ी, नई मुस्लिम आबादी ग्राम महेशपुर।

अतः मैं चाहूंगा कि उक्त गांवों में विद्युतीकरण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड ईसा नगर एवं तहसील धौरहरा की मुख्य सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

[महोदय,

संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जिला-लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड-ईसा नगर के अन्तर्गत ग्राम बेल्तुआ, पो0-बेल्तुआ में गन्ना क्रय केन्द्र बेल्तुआ से अहिरनपुरवा होते हुये वाया पसियन पुरवा सधुवापुर सड़क, जिला पंचायत खीरी द्वारा बनी थी, जो कि पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी है, सड़क पर गहरे गड्ढे हो गये हैं, जिसके कारण क्षेत्रीय जनता एवं राहगीरों को आवागमन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क के क्षतिग्रस्त होने के कारण आये दिन सड़क दुर्घटनायें हो रही है। जनप्रतिनिधियों एवं क्षेत्रीय जनता द्वारा कई बार जिला स्तर के अधिकारियों एवं शासन से सड़क निर्माण हेतु अनुरोध किया गया है परन्तु अभी तक उक्त सड़क की मरम्मत नहीं हो सकी है, सड़क के निर्माण न होने से सभी क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे क्षेत्रीय जनता एवं किसानों में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद कासगंज में बिलग्राम गेट के पास रह रही विधवा का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ममतेश शाक्य-

[महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कासगंज के ओमा देवी पत्नी स्व0 श्री शिवशंकर निवासी मुहल्ला नाथूराम बिलग्राम गेट कासगंज में अपने पुत्र प्रभात व पुत्र वधू मीनाक्षी व नातिन सहित निवास कर रही है। जिस मकान में वह रहती है। वह अपने पूर्वकों के समय से लगभग 100 वर्ष से रह रही है। उस मकान का रामबाबू साहू से मा0 सिविल न्यायालय कासगंज में वाद सं0 657 सन् 2002 व रिवीजन सं0 16 सन् 2010 जिला जज कासगंज में विचाराधीन चल रहा है। दि0 01-03-2013 को सुबह लगभग 5:30 मिनट पर विपक्षी रामबाबू अपने 20 व 25 साथियों एवं 10 व 12 पुलिस कर्मियों के साथ विधवा ओमा देवी को गालियां देते हुये मकान खाली करने के लिये कहने लगे विरोध करने पर विधवा ओमा देवी व बहू बेटे की मारपीट करने लगे। जिससे परिवार के लोगों को गम्भीर चोटे भी

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आयी, और सारा सामान सड़क पर फेंक दिया साथ ही कीमती सामान नगदी जेवर निकाल कर लूट ले गये उक्त घटना की जानकारी विधवा ने पुलिस अधिकारियों को दी जिसकी रिपोर्ट थाने में नहीं लिखी गयी। और ओमा देवी के परिवार को घटना के बाद ही हवालात में बन्द कर दिया गया था। दबंगों द्वारा पीड़ित विधवा ओमा देवी अपने परिवार सहित दि0 01-03-2013 से आज भी सड़क पर सामान रखकर भूखी प्यासी रह रही है। जिससे ओमा देवी के परिवार के लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी रोष एवं जनाक्रोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये उपरोक्त ओमा देवी की एफ0आई0आर0 दर्ज कराकर नामजद आरोपियों और आरोपियों का सहयोग करने वाले पुलिस कर्मियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही के साथ-साथ घर में सामान रखवाकर तोड़-फोड़ का मुआवजा दिलाये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत बहराइच-गोण्डा मुख्य सड़क मार्ग से नवीन मण्डी समिति, पयागपुर होते हुए अहिरनपुरवा तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

[महोदय,

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत आने वाले बहराइच-गोण्डा मुख्य सड़क मार्ग से नवीन मंडी समिति पयागपुर होते हुये अहिरनपुरवा तक का सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण कराने के सम्बन्ध में मुख्य अभियंता(मु0-1) लो0नि0वि0 लखनऊ का पत्रांक-507नि0/257नि0/व्यापार विकास निधि/2013 दिनांक 21-02-2013 प्रमुख अभियन्ता उ0प्र0 लो0नि0वि0 लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त, विशेष सचिव, लो0नि0वि0 अनु0-10 उ0प्र0 शासन लखनऊ को आगणन प्रेषित किया गया है। जनसंख्या व आवागमन के दृष्टिकोण से उक्त सम्पर्क मार्ग अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण कराया जाना आवश्यक है। इन सम्पर्क मार्ग का निर्माण न होने के कारण क्षेत्रवासियों को आवागमन में काफी कठिनाई होती है।

अतः मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत आने वाले उपरोक्त सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण कराने का प्रशासनिक अनुमोदन एवम् वित्तीय स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रदान करने की कृपा करें।

अतः मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुये वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार के एंग्लो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परसिया के प्रबन्धक द्वारा साजिशन प्रबन्धन हथिया लिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेश त्रिपाठी-

[महोदय,

संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद-गोरखपुर के मेरे विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार के तहसील-गोला के अन्तर्गत ऐग्लों उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परसिया में वर्तमान प्रबन्धक ने गोला में

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इस आशय की सूचना दी कि विद्यालय प्रबन्धन से संबंधित सभी सूची कहीं गिर गयी। उसी आधार पर रजिस्ट्रेशन चिट फण्ड सोसाइटी में गलत सूचना देकर, जिसमें पहले मात्र 24 सदस्य थे, उसे 63 बताकर नयी कमेटी बना ली। जब गोला थाना द्वारा तहकीकात की गयी, तो ज्ञात हुआ कि उक्त पत्रावली गायब ही नहीं थी, वे सभी विद्यालय में उपलब्ध थी, कूट रचित तरीके से साजिशन विद्यालय का प्रबन्धन लिया गया। साथ ही नये बनाये गये सदस्यों की सदस्यता राशि बैंक में न जमा करने से गबन की भी स्थिति बनी हैं। जनसहयोग से निर्मित हुये तथा आजीवन सदस्यों की मौजूदगी के बावजूद उक्त विद्यालय के वर्तमान प्रबन्ध तंत्र द्वारा किये गये। इस कृत्य से क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से कार्यवाही हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूं।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 21 मार्च, 2013 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 08 सूचनायें प्राप्त हुयीं :-

पहली सूचना श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा) की प्रश्नों के उत्तर नियत तिथि से एक दिन पूर्व मा0 सदस्यों को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री प्रमोद तिवारी की मा0 सदस्यों के आश्रितों को पारिवारिक पेंशन का लाभ पहली विधान सभा के गठन से दिये जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री हुकुम सिंह व अन्य की डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत गांवों के चयन में मनमानी किये जाने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की लोहिया समग्र विकास ग्रामों के चयन का आधार सुविधाओं से वंचित तथा आर्थिक पिछड़ापन को बनाये जाने के सम्बन्ध में है। पांचवी सूचना श्री धर्मपाल सिंह की शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि का निर्णय प्रदेश सरकार द्वारा स्वयं लिये जाने के सम्बन्ध में है। छठी सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की विधान सभा के प्रथम सत्र 2013 के तीसरे बुधवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या 157 के विपरीत जनपद मेरठ के ग्राम दतावली गेसूपुर स्थित नगर निगम की जमीन/तालाब को बिक्रीकर आवासीय भवन बनवाये जाने के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्री रामहेत भारती की विधान सभा के द्वितीय सत्र 2012 के पहले सोमवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या 22 के अनुरूप जनपद सीतापुर में पुलिस कर्मियों के पदों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का कोटा पूरा न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया की कानपुर महानगर में निजी स्कूलों/कालेजों द्वारा मनमानी फीस वसूल किये जाने के सम्बन्ध में है।

माननीय प्रमोद तिवारी जी आप बना तो अच्छा लेते हैं लेकिन यह कहां से औचित्य का प्रश्न बनता है। माननीय हुकुम सिंह जी लोहिया ग्राम्य विकास योजना पर तो काफी बहस हो चुकी है। आप तो इस सदन के उपाध्यक्ष रहे हैं आपने सदन को चलाया है, संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं, आप तो कुल प्रक्रियायें जानते ही हैं।

प्रश्नों के उत्तर नियत तिथि से एक दिन पूर्व उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री श्याम देवराय चौधरी (दादा)-

माननीय अध्यक्ष जी प्रक्रिया नियमावली के नियम-32 में यह व्यवस्था है कि प्रश्नों के उत्तर एक दिन पहले मिल जायेंगें। परन्तु मान्यवर, यह प्रायः हो रहा है कि उत्तर हम लोगों को उसी दिन एक दो घण्टे पहले ही मिल पाते हैं। उस समय हम लोग किसी से मिल रहे होते हैं या कोई क्षेत्र से व्यक्ति मिलने आया होता है तो उससे बात कर रहे होते हैं, ऐसे में हड़बड़ी में यहां आकर, उस पर अनुपूरक प्रश्न कर देते हैं जिसमें आप भी कभी-कभी कह देते हैं कि यह प्रश्न से संबंधित कहां है। मान्यवर, जो नियमों में व्यवस्था है वह इसीलिए है कि हम लोग उस पर अनुपूरक प्रश्न तैयार कर लें और यहां पूंछे और उसके लिए हमें पूरा समय मिल जाये। इसलिए मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि एक दिन पहले उत्तर मिलने की व्यवस्था का अनुपालन कराने का कष्ट करें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)-

मान्यवर, कोशिश यही होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि माननीय सदस्य नहीं मिले आवास पर ताला लगा है। उसी बिना पर यह दुश्वारी हो जाती हैं। माननीय अध्यक्ष को सारे अधिकार हैं जैसा चाहें निर्णय ले लें।

श्री अध्यक्ष-

नियमों में तो एक दिन पहले हैं। शाम को भी हो सकता है लेकिन यह सही है कि सुबह पहुंच पाता है। कभी-कभी जिलों से उत्तर आने में समय लग जाता है, और फिर शासन को यहां भेजने में समय लग जाता है। शाम को ही बण्डल दे दिया जाता है जो कर्मचारी यहां का होता है, यह हो सकता है कि वह उसे सुबह लगाता हो। मैं अपने प्रमुख सचिव से यह कहूंगा कि अगली बार से जब उत्तर मिल जाय, तो तुरन्त उसे वहां लगवा देगें।

मा0 सदस्यों के आश्रितों को पारिवारिक पेंशन का लाभ पहली विधान सभा के गठन से दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, भारत के संविधान के अन्तर्गत नियमावली का निर्माण होता है, मान्यवर नियम-300 में यह व्यवस्था है कि यह ऐसे विषयों पर होगा जो सदन के सामने घटित हुए हों। मान्यवर, यह प्रश्न इस सदन के सामने घटित हुआ। मैं घटना का जिक्र कर रहा हूं जिससे यह औचित्य का प्रश्न बनता है। मान्यवर, जब यह प्रश्न आया था उस समय माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय राजस्व मंत्री जी और माननीय हुकुम सिंह जी यहां पर बैठे हुए थे। मान्यवर, एक बड़ी दुःखद घटना प्रकाश में आई। कि एक विधायक की विधवा का ईलाज कराने वाला कोई नहीं था। विधायक जी की पत्नी चाय बनाकर बेंच रही थी। ताकि भरण-पोषण कर सके। एक दुःखद और घटना सामने आई थी और जिस पर सदन में विचार-विमर्श हुआ था और मैंने प्रश्न रखा था विधायक के न रहने पर उस पर आश्रित

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विधवा को पेंशन की व्यवस्था जो थी उसके बारे में था। उस निर्णय के बाद जब शासनादेश आया पिछली सरकार में जब मौर्य जी की सरकार थी तो जो सदन में एक भावना बनी उसका अनुपालन नहीं हो पाया। मैं समझता हूं कि इसको सुनने के बाद आज उनको लग रहा होगा कि नहीं यही होना चाहिए। मान्यवर, जो आदेश जारी हुआ पत्र संख्या 1457/नब्बे/स-1/2010/77/2005 लखनऊ 3 दिसम्बर, 2010 को, इस जारी आदेश में कहा गया कि 5 मार्च, 2010 से जो विधवाएं होंगी उनको पेंशन दिया जायेगा। यह क्या बात हुई मान्यवर, तय होता है विधायक के न रहने के बाद उनकी पत्नी और आश्रितों को सहारा दिया जायेगा इन्होंने एक तारीख तय कर दी कि उसके बाद जो विधवा होंगी यानि जो पहले विधवा हो चुकी हैं उनको उससे अलग कर दिया। मान्यवर, देखिये न कि मानवीय आधार है इसमें एक लाइन आफ डिस्टिग्शन खींचने की क्या जरूरत है? जब एक जनभावना बनती है, एक सदन की भावना बनती है और जो तीनों प्रश्न मैंने उठाये थे वह सन् 1952-1957-1962 के थे। अब तो चलिये जो मिलता है वह प्रर्याप्त नहीं है लेकिन उस समय वेतन था ढाई सौ रुपये तो ढाई सौ रूपये वेतन और 10 रुपये भत्ते पर जो परिवार बेसहारा हुए होंगे उनको काट देना मैं समझता हूं कि उस समय की सरकार का एक गलत निर्णय था। मान्यवर, इस गलत निर्णय को बदलना चाहिए और उसको जो एक बार भी विधायक रहा हो जो 1952 में विधायक रहा हो या 57 में रहा हो या 62 में रहा हो, 67, 69, 74, 77, 80, 85, 89, 91, 93 सब पर लागू होना चाहिए यह भविष्य के बारे में क्या है ? मान्यवर, प्रश्न उठता है कि जो गरीब, जो बेसहारा हैं उनके लिए तो मैं चाहूंगा कि इस संदर्भ में आप माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, पूरा मंत्रि-परिषद् बैठा है, यह भेदभाव, जो गलती सरकार ने कर दी है उसको सुधारिये। यह 2010 की लाइन को खत्म करके जो एक बार भी विधायक रहा हो उसकी विधवा उसके आश्रितों को यह दिया जाना चाहिए, बहुत ही औचित्य का प्रश्न है, मैं इसको उठा रहा हूं मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं। तय हुआ था आप भी थे आजम साहब, सब लोग थे।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद तिवारी जी का, और इसके लिए भी कि उन्होंने पुनः, पुनः पुनः हमारी तवज्जह इस पर दी है और यह भी जानकारी रहना चाहिए कि आपकी तवज्जह से बहुत पहले नेता सदन ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी सदन में और आप सबकी मौजूदगी में और आये हुए मेहमानों की मौजूदगी में पहले से ही यह घोषणा कर दी है। यह तो पहले से हो चुका है उसके लिए ही तो जो प्रश्न आप उठा रहे हैं उसी के लिए, पहले ही घोषणा हो चुकी है देखना यह है कि जिस स्तर पर अधिकारी स्तर पर, कार्यालय के स्तर पर क्योंकि इसमें कार्यवाही हो रही है और यह एक दिन का काम नहीं है इसमें सारे कानूनी पहलू देखकर ही उसकी घोषणा के साथ निर्णय लिया जायेगा। देखने की बात यह है और यह नेता सदन के खुद समझने की बात है कि जो कार्यवाही हो रही है उसकी सूचना प्रमोद तिवारी जी को किसने दी? यह लीकेज आफ द सीक्रेट डाकूमेन्ट है पर यह गम्भीर बात है। हम इसे गम्भीरता से लेते हुए कह रहे हैं कि यह लीकेज आफ सीक्रेट डाकूमेन्ट है आखिर जो कार्यवाही हो रही है आप सब जानते हैं हम भी जानते हैं प्रमोद तिवारी जी बहुत सीनियर वकील हैं, बहुत सीनियर नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, इस सदन के नेता हैं उन्हें जब यह मालूम हो गया कि यह होने जा रहा है तो लाओ हम भी हाथ धो लें, गंगा तो बह ही रही है। तो अब देखिये

आपकी बात हमेशा सुनी जाती है और समझी भी जाती है पर बहुत हद तक कोशिश की जाती है यह ऐसा मामला है जो सबकी भावनाओं से जुड़ा हुआ हैं और यह बात मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में उस दिन ही आ गयी थी जिस दिन पूर्व मुख्य मंत्री ने पूर्व विधायकों की बेवाओं के साथ अन्याय किया था तो अब क्योंकि उधर से अन्याय होता ही रहा है तो जहां और हजार सितम एक और सही तो यह मुख्य मंत्री जी की घोषणा है, उसका वह सम्मान करेंगे ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मैं एक बात समझ नहीं पाया। खुद ही कह रहे हैं घोषणा हुयी है और खुद ही कह रहे हैं कि सीक्रेट है। जब यह घोषणा कर चुके तो सीक्रेसी कहां रही। मान्यवर, यह होली के आसपास जब भी सदन चलता है, होली का असर जैसे आता है, वह संसदीय कार्य मंत्री पर दिखने लगता है।

श्री अध्यक्ष-

पहले तो आप पर ही होली चढ़ जाती है, बाद में कहां जातीं है, भगवान जाने ।

मैंने प्रमोद तिवारी जी को सुना, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियमों में नहीं आती, इसलिये अग्राह्य करता हूं माननीय हुकुम सिंह जी इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है।

डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत गांवों के चयन में मनमानी किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री हुकुम सिंह-

चर्चा जो हुयी और जो सरकार के द्वारा यहां पर नीति घोषित की गयी, यदि कोई अधिकारी उस नीति की अवहेलना करे तो मान्यवर, यह मेरा दायित्व हो जाता है कि आपके संज्ञान में उस विषय को लाना। मान्यवर, डा0 लोहिया के नाम से जो समग्र विकास योजना थी गांव की, उसके ऊपर बहुत बल दिया गया। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में भी और माननीय मुख्य मंत्री जी के बजट भाषण में भी, दो-दो बार उस बात पर बल दिया गया। कैसे उनका चयन होगा, इस बारे में भी प्रकाश डाला गया। कहा गया कि जो वास्तव में पिछड़े गांव हैं, उनका सर्वे कराकर चयन किया जायेगा । फिर मान्यवर, सभी विधायकों द्वारा इस बात का आग्रह किया गया कि उनका भी परामर्श लिया जाये, उनका भी सुझाव लिया जाय, इसके बारे में भी सरकार का सकारात्मक रवैया रहा। मान्यवर, मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं, सब कुछ होने के बाद भी फिर एक बात जुड़ी कि इसमें प्रभारी मंत्री का अनुमोदन होगा। अगर प्रभारी मंत्री का अनुमोदन होने के बाद भी अधिकारी अपने स्तर से उस सूची में संशोधन करता है तो मान्यवर, यह गलत है या सही और मैं मान्यवर, आपके पास प्रमाण लेकर आया हूं। यह प्रभारी मंत्री हैं माननीय अवधेश प्रसाद जी, बड़े वरिष्ठ मंत्री हैं गोंडा के। मान्यवर, उनके हस्ताक्षर इस सूची पर हैं और कुछ गांव हैं इस सूची में जो इसमें शामिल थे, मान्यवर, एक गांव है मलौना, एक है मोहन टेपरा, इस प्रकार के कई गांव हैं। दो गांव का मैंने विशेष रूप से उल्लेख किया और यह उनके हस्ताक्षर है, मैं आपके पास सूची भेज दूंगा, सब कुछ होने के बाद में एक संशोधित सूची आती है और संभवतः ठेकेदार प्रभावी होंगे इन बातों में भी ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह)-

गलत है।

श्री हुकुम सिंह-

मैं आपके सामने सूची रख रहा हूं, अब गलत तो सारी बात है, गलत तो यह भी है कि संशोधन क्यों हुआ। पहले गलत कौन सा है, बाद में गलत कौन सा है, यह मुझे पता नहीं। कोई भी कारण रहा हो, ठेकेदार न रहा हो तो कोई और कारण रहा होगा, कोई और ताकत आई होगी लेकिन संशोधन हुआ और संशोधन हुआ, माननीय मंत्री जी के एप्रूवल के पश्चात। तो क्या वह संशोधन ठीक है, अगर इस प्रकार संशोधन होते रहेंगे और हम लोगों को यह अवसर मिलेगा यह बात कहने का, जो मैनें कही और आपने गलत कही, आशंका तो यही लगेगी हमें। किसी ने संशोधन कराया, होना तो नहीं चाहिये था। तो मान्यवर, मैं इसलिये यह बात संज्ञान में लाया और सरकार के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि कुछ तो सैंक्टिटी किसी बात की रहे, कभी तो बात पूर्ण होगी, फाइनलिटी किसी बात की होगी, अगर उसके बाद भी इस प्रकार संशोधन होते रहेंगे, चाहे किसी भी स्तर पर हुआ हो लेकिन प्रभारी मंत्री को जब आपने जिम्मेदारी दी थी तो उस प्रभारी मंत्री की जिम्मेदारी का भी हमें सम्मान रखना चाहिये था कि प्रभारी मंत्री ही संशोधन करें। एक बार एप्रूव करने के बाद में संशोधन नहीं करना चाहिये था, दोनों गांव के नाम मैनें बता दिये, जिला बता दिया, सूची आपके पास भेज रहा हूं।

(श्री बावन सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय बावन सिंह जी, आपकी बात आ गयी। आप बैठें। आपकी बात को माननीय हुकुम सिंह जी ने कह दिया।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि मेरे विभाग से संबंधित मसला है । माननीय हुकुम सिंह जी बहुत वरिष्ठ हैं और इस सदन के सम्मानित सदस्य हैं। सरकार की कोई मंशा इस तरह के रद्दोबदल करने की नहीं रही है। सरकार अपनी बात पर अपने वायदों पर प्रतिबद्ध है और संकल्पित है कि जो माननीय विधायकों के परामर्श से और उसके लिये माननीय अध्यक्ष जी, एक निश्चित मापदंड है, गांव के लिये उसके पिछड़ेपन को देखकर पिछड़ेपन की अलग-अलग चीजों के वहां पर बिजली की व्यवस्था कैसी है, सड़क कैसी है, विद्यालय है कि नहीं है उसके अलग-अलग नार्म्स बने हुए हैं। उस नार्म्स के हिसाब से उसकी नम्बरिंग की गई है। पूरा ट्रांसपैरेंट सिस्टम है। यदि विधायक लोग अपनी संस्तुति करते हैं कि इन गांवों को चयनित न करके इनको कर दिया जाय तो प्राथमिकता के आधार पर नामों को चेंज किया जा सकता है। जहां तक पर्टीकुलर किसी गांव की बात है। माननीय हुकुम सिंह जी ने जैसा अभी फरमाया यदि इस तरह की कोई बात है तो उसको दिखवा लेंगे और अगली योजना में उन्हें शामिल करा देंगे।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया। आपने कहा कि आर्थिक पिछड़ापन तो उन्होंने बता दिया कि उसी आधार पर चयनित हो रहा है। अब आप क्या कहेंगे। इस पर मैंने श्री हुकुम सिंह जी और माननीय मंत्री जी को सुना मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मुझे एक मिनट सुन लें।

विधान सभा के प्रथम सत्र 2013 के तीसरे बुधवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या-157 के विपरीत मेरठ के ग्राम दतावली गेसूपुर में नगर निगम की जमीन/तालाब को बिक्री कर आवासीय भवन बनवाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

अब नहीं। श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल जी आपके मामले को हम दिखवाएंगे जो आपने कहा है कि हुआ है। हमारे पास यह विचाराधीन होगा मैं इसको दिखवा लूंगा।

शेष अस्वीकार। (व्यवधान जारी)

लोहिया समग्र विकास ग्रामों के चयन का आधार सुविधाओं से वंचित तथा आर्थिक पिछड़ापन को बनाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मुझे एक बात कहनी है।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात आ गई। उस पर मंत्री जी ने जवाब दे दिया । यही तो उसका आधार है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, एक लाइन की अनुमति दे दें। अनुमति होगी तो कहेंगे।

श्री अध्यक्ष-

मैं यह पूछता हूं कि जब आपने लिखा है कि लोहिया समग्र विकास ग्रामों के चयन का आधार सुविधाओं से वंचित तथा आर्थिक पिछड़ापन को बनाए जाने के सम्बन्ध में। इसी का जवाब तो मंत्री जी ने दिया है। अब जब मंत्री जी ने कह दिया कि उसी को माना जा रहा है तब फिर कहने की क्या जरूरत। फिर सबका सुनना पड़ेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

केवल एक लाइन।

श्री अध्यक्ष-

बताइए एक लाइन में।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आपने नियम-300 की सूचना पर अनुमति दी इसके लिए मैं आभारी हूं। पिछले तीन जुलाई को जिस दिन हाउस खत्म हो रहा था उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी हाउस में यह घोषणा की थी कि लोहिया ग्रामों के चयन में विधायकों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह मुख्यमंत्री

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जी की प्रतिष्ठा का सवाल है। इस सरकार की प्रतिष्ठा का सवाल है। हाउस में यह आश्वासन दिया गया कि लोहिया समग्र विकास ग्रामों में विधायकों के जो सुझाव होंगे उनको भी आधार माना जाएगा। तीन जुलाई की कार्यवाही निकलवाकर देख लें। हम विधायकों का उसमें क्या स्थान है यह मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा है सरकार की प्रतिष्ठा है हाउस का आश्वासन है। हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करना चाहते हैं कि कृपा करके सरकार की प्रतिष्ठा अपना वायदा हाउस का आश्वासन उसको निभाते हुए कृपा कर दें। यही मैं कहना चाहता हूं।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

मान्यवर, पूरे प्रदेश की सूची बनी हुई है। मानकों के अनुरूप जो गांव पिछड़े हुए हैं उन्हीं गांवों को सूची के अनुसार चयन करना है। उसमें कोई भेदभाव करने की नीति नहीं है। जो पिछड़े हुए गांव हैं उन्हीं को लिया जा रहा है।

(व्यवधान जारी)

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी विधेयक बाद में लें या इसे पारित करा दें।

अब आप लोग बैठ जाइये, भाषण न कीजिए।

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरःस्थापित करता हूं।

वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक के अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-84 सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या-26 गृह विभाग (पुलिस)।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सं0-84-सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,12,67,38,000 रुपए से अनधिक धनराशि एवं अनुदान सं0-26-गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,08,03,20,38,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

† दिनांक 04 मार्च, 2013 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने आंकड़े पेश कर दिये हैं। अनुदान सं0-26-गृह विभाग (पुलिस) के लिए 1 खरब, 8 अरब, 3 करोड़, 20 लाख, 38 हजार रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया है। पिछले बजट में 4 अरब, 25 करोड़, 75 लाख, 94 हजार रुपए का यह बजट था, इस प्रकार से मान्यवर, पिछले बजट से 4.1 प्रतिशत का इजाफा इस बार के बजट में किया गया है। प्रदेश की जनता को एक सुरक्षित परिवेश प्रदान करना, सुदृढ़ साम्प्रदायिक एवं जातिगत सद्भाव कायम करना। संगठित एवं पेशेवर अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना तथा अपराधों पर पूरा नियन्त्रण रखना, जिससे प्रदेश में विकास का माहौल तैयार हो, हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश में जनसामान्य की सुरक्षा प्रदान करने के लिए पुलिस द्वारा कठोर प्रयास करने के निर्देश दिये गये हैं और इस दिशा में उनके द्वारा की जा रही कार्रवाई की अनुश्रवण की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। पुलिस अधिकारियों के स्तर पर कार्य में शिथिलता एवं लापरवाही पाये जाने पर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई भी सरकार की तरफ से की जा रही है। कानून-व्यवस्था और कानून-व्यवस्था के सवाल पर यह सरकार बहुत सीरियस है। जिस जगह घटना हुई है और जिसकी कमी पाई गई है, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। यह भी सच्चाई है कि कोई घटना जब हो जाए, क्योंकि कानून-व्यवस्था को ठीक रखना है और कानून-व्यवस्था को ठीक रखने के लिए सरकार के पास केवल पुलिस विभाग है, उसके अलावा और कोई विभाग नहीं है। पुलिस विभाग के माध्यम से ही कानून-व्यवस्था को ठीक रखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, घटना हो जाने के बाद विपक्ष, मीडिया, अखबार द्वारा उस घटना को हर रूप में दिखाया भी जाता है, बताया भी जाता है। और कई मौके ऐसे आये हैं जहां घटनाओं को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर सदन में भी रखा गया है लेकिन सदन में उस बात का जिक्र नहीं आया जब उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। नेता प्रतिपक्ष हमारे सामने बैठे हैं इन्होंने कोई घटना उठायी होगी तो सरकार ने अगर संज्ञान लिया और जब सरकार ने आश्वासन दिया है तो सरकार की तरफ से कार्रवाई हुई है और जिम्मेदारी के साथ कार्रवाई हुई है। इस तरह से माननीय सदस्य चाहे वह बी0जे0पी0 के, माननीय सदस्य कांग्रेस के या किसी भी माननीय सदस्य ने जब किसी बात को रखी है और यह तो लोकतंत्र में सबसे अच्छी शुरूआत है कि जहां सदन चल रहा है और एक समय ऐसा था कि सरकार तो चल रही थी लेकिन सदन नहीं चला था। कोई अपनी बात नहीं रख सकता था। आज लोकतंत्र ने यह आजादी तो दी है कि जहां अपनी बात रखी जा सकती है, कोई घटना हो गयी है उस पर सरकार से सवाल किया जा सकता है। अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं जितना सदन चला था पिछली बार पांच साल में, लगभग उसके बराबर सदन अभी चल चुका है। (सत्तापक्ष के मा0 सदस्यों के द्वारा मेजें थपथपायी गयीं) यह स्वतन्त्रता, यह खुलापन और बोलने की आजादी तो सरकार ने दी है एक समय ऐसा भी था कि जहां बोलने की आजादी नहीं थी। (मा0 हुकुम सिंह जी ने अपने आसन पर बैठे हुए कहा कि आजादी नहीं अवसर दिया है।) ठीक है, अवसर मिला है। शब्द के हेरफेर की बात है। अवसर दिया है जनता ने, और आपने नहीं दिया, आपने तो कोई कसर छोड़ी नहीं और अभी भी नहीं छोड़ रहे हो। सरकार तो अकेली होती है, विपक्ष में तो कोई बात नहीं। विपक्ष में तो कोई भी बात की जा सकती है। समझाने से तो चलता नहीं है। विपक्ष तो बहकाता है, और सरकार अकेली हो जाती है। सरकार को घेरने के

लिए पूरा विपक्ष है। विपक्ष अलग-अलग घेरता है, एक साथ नहीं घेरता है। जब कोई घटना हो जायेगी, कोई कानून-व्यवस्था का सवाल आ जायेगा, कोई सरकार की बात आ जायेगी तो पूरा विपक्ष अलग-अलग घेरता है, बहुजन समाज पार्टी क्या कह रही है, भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है, कांग्रेस क्या कह रही है, आर0एल0डी0 क्या कह रही है और भी दल हैं जिनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है उस दल की भी टिप्पणी आती है। आज चैनल कितने हैं, आप जानते होंगे ? उन्हें गिन नहीं सकते, विपक्षी दलों से ज्यादा चैनल हैं और उससे भी ज्यादा अखबार हैं और सरकार अकेली है। (सत्तापक्ष के मा0 सदस्यों के द्वारा मेजें थपथपायी गयीं) और कितने लोग घेरते हैं उसके बावजूद भी मैं भरोसा दिला सकता हूं कि जहां कहीं भी घटना हुई है उस पर कार्रवाई हुई है और निष्पक्ष होकर कार्रवाई हुई है। अगर सरकार के संज्ञान में कोई घटना लायी गयी है तो उस पर कार्रवाई जरूर हुई है। इधर महिलाओं को लेकर तमाम सवाल उठते थे। यह सरकार की उपलब्धि है कि जहां 1090 की व्यवस्था करके ऐसे लोग जो महिलाओं को फोन करके परेशान करते थे, लगातार फोन करते थे इसलिए 1090 महिलाओं के साथ की जा रही छेड़खानी को रोकने के लिए ''वुमन पॉवर लाइन 1090'' सेवा प्रारम्भ की गयी जिसके अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं और बड़ी संख्या में सूचना मिलने के बाद ऐसे लोगों पर कार्रवाई हुई है और अखबारों में भी निकला है। मैं तो चाहूंगा कि मा0 नेता प्रतिपक्ष एक बार ''वुमन पॉवर लाइन'' जरूर देख आयें क्योंकि आपने बनाया था स्मारक, पत्थर और मूर्तियां लेकिन हम लोगों ने उसका रूप बदल दिया है।

श्री प्रमोद तिवारी-

आप कहें तो मैं इनको छेड़ दूं उसके बाद यह फोन कर लें।

श्री अखिलेश यादव-

जो वुमेन पावर लाइन में व्यवस्था है वह फोन पर शिकायत पर है और मैंने निवेदन किया है कि यह खुद देख करके आयें। अगर आप फोन पर छेड़खानी करेंगे और आवाज बदल कर बात करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। (हंसी व सत्तापक्ष के मा0 सदस्यों के द्वारा मेजें थपथपायी गयीं)

प्रदेश के बड़े महानगरों के प्रमुख चौराहों पर यातायात व्यवस्था के सुगम संचालन हेतु सी0सी0टी0वी0 लगाये जाने की योजना के प्रथम चरण में लखनऊ महानगर की यातायात व्यवस्था को पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में लेते हुए शहर के चिन्हित 70 चौराहों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाये जाने का निर्णय लिया गया है। यह व्यवस्था इसलिये कर रहे हैं कि सी0सी0टी0वी0 से देखा जा सकता हैं। अक्सर बहुत सी जगह पर जो घटनाएं हुई हैं सी0सी0टी0वी0 ने पकड़ने का काम किया है। कई घटनाएं सी0सी0टी0वी0 के माध्यम से खुल गई हैं। अगर चौराहों पर कैमरे उपलब्ध होंगें तो जो अपराधी होंगें, जो गलती कर रहा है वह कैमरे में दर्ज होगा तो कहीं न कहीं इससे सुधार आयेगा कानून व्यवस्था में। इसी तरह प्रदेश के अन्तर्गत पुलिस थानों एवं विभिन्न पुलिस कार्यालयों को सी0सी0टी0एन0एस0 के अन्तर्गत कम्प्यूट्रीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है। इससे आम जनता की एफ0आई0आर0 ऑन लाइन दर्ज कराई जा सकेगी। अपराध एवं अपराधियों से संबंधित विवरण सुरक्षित किये जा सकेंगें एवं चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट भी त्वरित गति से प्राप्त की जा सकेगी। पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में लखनऊ और गाजीपुर जनपद में इसे शुरू करा दिया जायेगा। शीघ्र ही आम जनता

के लिये ऑन लाइन सुविधा प्रारम्भ कर दी जायेगी। क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रेकिंग सिस्टम इसलिये है कि जिसमें एफ0आई0आर0 की जो शिकायत होती थी वह मैं समझता हूं शिकायत खत्म हो जायेगी। कोई भी किसी भी जगह से जाकर के एफ0आई0आर0 दर्ज करा सकेगा। इसके साथ-साथ कोई घटना अगर हम लखनऊ में भी बैठकर देखना चाहेंगे उसके माध्यम से तो मैं समझता हूं कि पूरी की पूरी सूचना उपलब्ध होगी उसमें। तो यह एक नई योजना है, हालांकि केन्द्र सरकार प्रयास कर रही है और प्रदेशों में भी, कुछ प्रदेशों में काम हुआ है लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश इस प्रोजेक्ट क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क सिस्टम पर काम करेगी जिससे कि क्रिमिनल के बारे में जानकारी हो। किसी भी थाने से, कहीं से भी जाकर के उसकी सूचना मिल सकती है और तमाम सुविधाएं जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वह भी इससे मिल सकेगा। लेकिन इस योजना के लग जाने के बाद मैं समझता हूं कोई भी एफ0आई0आर0 होगी बचेगी नहीं वह एफ0आई0आर0दर्ज होगी। तो जो आंकड़ों में खिलवाड़ होता है, आंकड़ों को ऊपर नीचे किया जाता है, मैं समझता हूं इस योजना के बाद वह बन्द हो जायेगा। इसी तरह पुलिस बल की आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत जनपद गाजियाबाद, लखनऊ, इलाहाबाद और कानपुर में जी0आई0एस0 एवं जी0पी0एस0 उपकरणकृत आधुनिकतम पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है जिससे अपराधियों पर नियंत्रण रखने में काफी सहायता मिलेगी। जी0आई0एस0 और जी0पी0एस0 सिस्टम और सी0सी0टी0वी0 अगर तीनों को मिला दें तो एक तो घटना अगर किसी जगह हुई टी0वी0 पर आ गई तो वह दिखाई देगी कन्ट्रोल रूम में और फोर्स कहां कहां पर है, जो आपका मैप है, मैप के ऊपर दिखाई देगा कि आपका फोर्स कहां-कहां पर खड़ा है। मैं समझता हूं कि इससे जानकारी कन्ट्रोल रूम को हो जायेगी और घटनास्थल पर कितनी जल्दी रिस्पोंस टीम पहुंचे उसका इंतजाम हो सकता है यह व्यवस्था इसलिये सरकार लागू करने जा रही है। उसका उदाहरण यह भी है कि 108 योजना जो है जब सूचना मिलती है और आप जगह बताते हैं तो गाड़ी तुरन्त पहुंच जाती है, क्योंकि उसको पता होता है कन्ट्रोल रूम बता देता है कि आखिरकार घटना कहां हुई है। तो जो सबसे क्लोज एम्बुलेंस है वह पहुंच जायेगी। इस व्यवस्था को भी सरकार ने सीरियसली लेकर जहां बड़े बड़े शहरों में शुरूआत की है, उसके बाद और शहरों में भी इस योजना को ले जाने का काम सरकार की तरफ से होगा।(मेजें थपथपाई गईं) पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विधि विज्ञान की नई तकनीकों को शामिल करने के साथ ही प्रदेश में हर जिले में आधुनिकतम सुविधायुक्त पोस्टमार्टम हाउस बनाने का निर्णय लिया गया है। (मेजें थपथपाई गईं) प्रयोगशालाओं द्वारा डी0एन0ए0 इकाई में जघन्य अपराधों के डी0एन0ए0 परीक्षण हेतु जांच प्रारम्भ करा दी गई है। जघन्य अपराधों के मामले में पुलिस द्वारा तत्परता के साथ कार्यवाही सुनिश्चित करने एवं प्रभावी समीक्षा हेतु जघन्य अपराध अनुश्रवण प्रणाली लागू करके प्रदेश के सभी जनपदों में घटित ऐसे अपराधों का मुख्यालय जोन एवं परिक्षेत्र स्तर पर अनुश्रवण किया जा रहा है। अपराध नियंत्रण के लिये पकड़े गये अपराधियों को उनके अपराध की सजा दिलाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। पूरे प्रदेश भर में ऐसे बड़े अपराधियों के मुकदमे छांटे गये हैं जिनकी प्रभावी पैरवी करने के लिये पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिसके फलस्वरूप निर्णीत मुकदमों में 50 प्रतिशत से अधिक मुकदमों में अपराधियों को सजा दिलाई गई है। (मेजें थपथपाई गईं) इसी तरह बजट में शामिल है कि मुख्यालय पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस विभाग की विभिन्न इकाइयां जिनके अपने भवन नहीं हैं, को एक ही भवन में स्थापित किये जाने हेतु पुलिस

भवन के निर्माण हेतु 10 एकड़ भूमि की व्यवस्था की गई है। इसी तरह से थानों की जो स्थिति है, कई थाने अगर बाहर से देख लें, इतनी गाड़ियां पड़ी रहती हैं, इतनी दुर्दशा दिखाई देती है कि व्यक्ति अगर जाना भी चाहेगा तो नहीं जा सकता और थानों को देखकर डर लगने लगता है, तो शुरूआत की है यह सही है कि बड़ी संख्या थानों की है, लेकिन शहरों में यह शुरूआत की जा सकती है एक दो थानों में, जहां सी0सी0टी0एन0 एस0 बन रहा है एक आध थाना जो शहरों का है और शुरूआत लखनऊ से करेंगे, जहां एक थाने को एज ए पायलेट लेकर उस थाने को अच्छा बनाने का काम शुरू होगा, जिससे कि अगर फंड होगा तो उपलब्ध कराया जाएगा उस चीज को आगे ले जाकर और जिलों में भी ले जाने का काम होगा।

प्रदेश में साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए वर्तमान में जनपद लखनऊ एवं आगरा में साइबर क्राइम की यूनिटें स्थापित हैं जो साइबर क्राइम की रोकथाम एवं विवेचनात्मक कार्यवाही कर रही है। क्योंकि साइबर क्राइम इधर बढ़ा है। साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए आपके पास यूनिट बननी चाहिए, ऐसे अधिकारी बैठने चाहिए, ऐसा इंतजाम होना चाहिए जिससे कि साइबर क्राइम को भी देखा जा सके। क्योंकि इसके लिए विशेष अधिकारी और विशेष जानकारी के साथ अधिकारियों को बिठाना पड़ेगा। विशिष्ट और अति विशिष्ट महानुभावों की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों के लिए आवास की व्यवस्था के संबंध में, एक सुरक्षा लाइन की स्थापना किए जाने का भी निर्णय लिया गया है। पुलिस विभाग में आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी का स्थानान्तरण उनके गृह जनपद के पड़ोसी जनपद में किए जाने पर लगी पाबन्दी को हमारी सरकार द्वारा हटा दिया गया है। यह सच्चाई है कि पुरानी सरकार में, जिस तरीके से ट्रांसफर किए गए, इतना दूर-दूर भेज दिए गए थे कि वह घर पर पहुंच भी नहीं पा रहे थे, समाजवादी सरकार बनी बिना ऊंगली उठाए, जहां ट्रांसफर में तमाम तरह की चर्चा और बातचीत की जाती है। एक साथ पूरे के पूरे ट्रांसफर किए गए जिससे उनको मदद मिली है और सुविधा देने का काम सरकार की तरफ से हुआ है। पुलिस विभाग में उप निरीक्षकों के पदों पर सीधी भर्ती एवं पदोन्नति तथा आरक्षी के पदों पर सीधी भर्ती एवं मुख्य आरक्षी के पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए निर्धारित दौड़ पर शासन द्वारा मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए दौड़ की दूरी कम की गई है। यह दूरी पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर तथा महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर कर दी गई है। पहले किलोमीटर बहुत ज्यादा थे। कई मृत्यु भी हो गईं थीं वह नियमावली सरकार ने बदलने का काम किया है। उप निरीक्षकों को निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति के अधिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से निरीक्षक के कुल स्वीकृत पदों के 50 प्रतिशत पद ज्येष्ठता के आधार पर, 50 प्रतिशत पद श्रेष्ठता के आधार पर भरे जाने का निर्णय भी सरकार द्वारा लिया गया है। मुख्य आरक्षी के 25 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति परीक्षा के माध्यम से तथा 75 प्रतिशत अनुपयुक्तों को छोड़ते हुए ज्येष्ठता के आधार पर किये जाने की व्यवस्था कर दी गई है। यह भी सरकार का एक बड़ा फैसला है। पुलिस बल में रिक्तियों को भरने की दिशा में नई भर्तियों को करने का निर्णय लिया गया है। जिसमें लगभग दो हजार दो सौ कम्प्यूटर आपरेटर, 24 हजार सिपाही, तथा 4 हजार पुलिस उपनिरीक्षकों की शीघ्र ही भर्ती की जाएगी। पुलिस विभाग और उसकी विभिन्न इकाइयों में लम्बे समय से रुकी हुई सभी संवर्ग में पदोन्नतियों की प्रक्रिया को बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है इसी कड़ी में प्रान्तीय पुलिस सेवा में 65 अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति मिली, अपर

पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षक के विभिन्न श्रेणियों में कार्यरत अधिकारियों को प्रोन्नति वेतनमान एवं अन्य वेतनमान स्वीकृत किए गए। निरीक्षक, प्रतिसार निरीक्षक, दलनायक पद से पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नति प्रदान की गई है। अन्त में क्योंकि बहुत सारे मा0 सदस्य चर्चा में भाग लेंगे और बहुत सारे सदस्यों के महत्वपूर्ण सुझाव आएंगे और बहुत सारी तमाम तरह की बातें निकलकर आएंगी। मैं समझता हूं कि सम्मनित सदस्यों से प्राप्त सुझााव या विचारोपरान्त जो सरकार को सुझाव मिलेंगे या जो राय देंगे मैं भरोसा दिला सकता हूं कि यह सरकार गम्भीरता से विचार करके उन पर काम करने की दिशा में काम करेगी।

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता विरोधी दल एक चीज मैं सभी मा0 सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि जिन तथ्यों की चर्चा नियम-56 के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से हो गई हो उनसे बचने की भी कोशिश की जाए और नये तथ्य इस बहस में लाए जाएं।

श्री अध्यक्ष-

नेता विरोधी दल, प्रस्ताव रखें।

*श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-84-सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा सामान्य प्रशासन और गृह विभाग (पुलिस) का बजट प्रस्तुत किया गया। मान्यवर, आज शासन और प्रशासन दोनों पंगु हो गया है, अस्थिरता का माहौल है और सरकार का कोई नियंत्रण शासन, प्रशासन पर नहीं रह गया है, जिसका एक जीता-जागता नमूना बड़े पैमाने पर अधिकारियों का स्थानांतरण है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जब से शपथ लिया, लगभग 50 हजार स्थानांतरण होने के बावजूद भी सरकार अभी स्थानांतरण से मुक्त नहीं हो पायी है। यहां तक कि सत्र के दौरान भी दो बार स्थानांतरण हुए, एक बार 300 अधिकारियों को उल्टा-पुल्टा गया और एक बार 290, यानि सत्र के दौरान भी स्थानांतरण की चिन्ता इस सरकार को लगी थी और मान्यवर, इतने बड़े स्थानांतरण होने के बावजूद भी आज तक इस सरकार को अभी सुयोग्य, अच्छे अधिकारी नहीं मिल सके और यही कारण है कि बार-बार उल्टा-पल्टा किया जा रहा है। अगर इनको सुयोग्य और अच्छे अधिकारी मिल गए होते तो हम समझते हैं कि स्थानांतरण की प्रक्रिया खत्म हो जाती, रुक जाती लेकिन वह निरन्तर चल रही है और इतने बड़े स्थानांतरण के बाद भी स्थायित्व अभी तक नहीं है। इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं यह अपेक्षा करना चाहता हूं कि जब तक सरकार में स्थिरता नहीं होगी, रोज अधिकारी बोरिया-बिस्तर बांधकर यहां से वहां आता-जाता

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रहेगा तो सरकार के काम में ठहराव आयेगा। आप कितना भी चाहें कि व्यवस्था दुरुस्त हो, शासन-प्रशासन चुस्त और दुरुस्त हो, वह नहीं हो पायेगा, आपके चाहने के बावजूद और मान्यवर, यहां तक कि सरकार में भी आपस में तालमेल नहीं है। यहीं पर कई बार यह प्रसंग आया है कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री के बीच में द्वन्द, एक विभाग ही नहीं, दो-दो, तीन-तीन विभागों का जिक्र यहां पर आ चुका है, जो इस बात को जाहिर करता है कि आपसी तालमेल का अभाव है, को-आर्डिनेशन का अभाव है और जब तक सरकार के माननीय मंत्रियों में आपसी तालमेल नहीं होगा, विकास भी प्रभावित होगा, अनुशासन भी प्रभावित होगा और साथ ही साथ अधिकारियों में भी असमंजस की स्थिति होगी कि किसकी बात हम मानें और किसकी न मानें और मान्यवर, यह सामान्य प्रशासन के हालात हैं, यह सरकार अच्छा प्रशासन देने का सपना तो देख रही है लेकिन अच्छा प्रशासन उत्तर प्रदेश को मिलेगा कैसे, उनके उपायों पर यह गौर नहीं करती है और मान्यवर, एक साल हो जाने के बाद भी अभी यह सरकार तमाम आयोगों का गठन नहीं कर पायी है। चाहे पिछड़ा वर्ग आयोग हो चाहे अनुसूचित जाति जनजाति आयोग हो चाहे अल्पसंख्यक आयोग हो या इस प्रकार के और भी तमाम आयोग हैं जिनका गठन यह सरकार एक साल की अवधि पूरा करने के बाद भी नहीं कर पायी है। यही नहीं मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा योगदान इस सरकार को बनाने में रहा है। और अल्पसंख्यकों की हितैषी होने का दावा भी यह सरकार बार-बार करती है। लेकिन एक साल के बाद भी यह उर्दू, अरबी, फारसी, मदरसा का चेयरमेन नहीं बना पाये, फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी का चेयरमेन यह नहीं बना पाये, उर्दू अकादमी का चेयरमेन नहीं बना पाये और यहां तक कि चुनावी घोषणाओं में भी मा0 मुख्य मंत्री जी ने जहां बेरोगारी भत्ता, लैपटाप, टेबलेट अन्य सुविधाओं को देने की घोषणा की थी वहीं पर सरकार बनने पर मुसलमानों को 18 प्रतिशत आरक्षण देने की बात की थी। मान्यवर, यह वायदा था लेकिन मा0 मुख्य मंत्री जी केवल मिस्टर लैपटाप बनकर रह गये। मि0 लैपटाप की उनकी छवि है अन्य घोषणायें गोल हो गयीं। मान्यवर, मैं अपेक्षा करता हूं कि कम से कम अपने चुनावी वायदों का ख्याल सरकार को रखना चाहिए। इसमें भारत सरकार भी आड़े नहीं आती है। क्योंकि यह घोषणा मा0 मुख्य मंत्री जी की है जो कि पहले समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उत्तर प्रदेश के विभिन्न अंचलों में जाकर सार्वजनिक मंच से इस बात की घोषणा की थी और मान्यवर, सूचना आयोग इसी उत्तर प्रदेश में है। आज सूचना आयोग का बहुत महत्व हो गया है। हर आम नागरिक जानकारी प्राप्त करने के लिए सूचना आयोग का सहारा लेता है। 11 सदस्यीय सूचना आयोग में मात्र 3 सदस्य हैं। मान्यवर, वहां पर बड़े पैमाने पर सदस्यों का अभाव है। यही नहीं आज उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त इंटर कालेज विद्यालयों में जो उच्च शिक्षा आयोग से जहां पर शिक्षकों की भर्ती होती है उस उच्च शिक्षा आयोग में भी आज न चेयरमैन है और साथ ही साथ 3-3 सदस्यों के पद रिक्त हैं। हम कह रहे हैं कि केवल हवा में लाठी भांजने से अच्छा प्रशासन नहीं होगा। प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए आपको अपने सारे के सारे अंगप्रत्यंग को दुरुस्त करना होगा। जिसके सहारे आप आगे बढ़ना चाहते हैं आपका मकसद है कि इंटर कालेजों में अध्यापक की कमी पूरी की जाये। उच्च शिक्षा आयोग से होगा। चेयरमैन नहीं है सदस्य नहीं है। मान्यवर, डिग्री कालेजों में आज 6 हजार पद रिक्त हैं। और उच्च शिक्षा आयोग में आज तक चेयरमैन नहीं आ पाया है और तीन सदस्य नहीं हैं। इसी प्रकार से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि

पिछले 9 महीने से उच्च शिक्षा आयोग के कर्मचारियों को वहां के जो भी सदस्य हैं और साथ ही साथ वहां के अधिकारियों को वेतन नहीं मिल रहा है। आपके संज्ञान में है या नहीं है इसको मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लाना चाहता हूं। मान्यवर, आज मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनायें हैं। जो लोकलुभावन भी हैं कल्याणकारी भी हैं लेकिन उनको अमलीजामा देने में पारदर्शिता होनी चाहिए। एक ओर तो आप चाहते हैं कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देकर उनको अपने पैरों पर खड़े करने लायक कुछ सहयोग करें, विद्यार्थियों को लैपटाप और टेबलेट दें। लेकिन दूसरी ओर आपका ही विभाग है माध्यमिक शिक्षा। आप देख नहीं पाते होंगे कुछ लोगों ने आपकी आंख में धूल झोंककर 120 रुपये में बिकने वाली किताब 650 रुपये में जा रही है। कि हजार करोड़ रुपये का गोल-माल केवल माध्यमिक शिक्षा की टेस्ट-बुक में है। यह मा0 मुख्य मंत्री जी का विभाग है, हम जानते हैं अनेक विभाग हैं आपकी नजर उस पर नहीं गई होगी, कहीं अधिकारी आपको धोखा न दे जांय उस पर गौर करने की आवश्यकता है। मान्यवर, इसी प्रकार से आज जब नौजवानों के प्रति यह सरकार सजग है, तो स्वाभाविक रूप से सरकार की चाहत होगी कि विद्यार्थी अच्छा पढ़े-लिखें, लैपटॉप, टैबलेट उनको इसीलिए दिया जा रहा है कि शिक्षा को बढ़ावा मिल सके, लेकिन मान्यवर डेढ़ लाख शिक्षकों की कमी बेसिक शिक्षा में है, टी0जी0 प्रशिक्षु शिक्षक आज दर-दर ठोंकरे खा रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार उनके लिए कुछ कर नहीं सकी। अभी मा0 मुख्यमंत्री जी, अपने भाषण में कह रहे थे कि आश्वासन के बाद कार्यवाही, मा0 मुख्य मंत्री जी आप बोल रहे थे कि आश्वासन के बाद कार्यवाही हम कराते हैं, अगर यह कार्यवाही कराते होते तो आज हम आपको धन्यवाद और आपके इस बजट का स्वागत करने के लिए खड़े हुए होते। मैं अभी यहां कुछ ऐसे प्रसंग लाऊंगा जिसमें सदन में आश्वासन के बाद भी कार्यवाही नहीं हुई है। मान्यवर, क्या कारण है या तो सरकार का खौफ नहीं है या सरकार का कौल नहीं है। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज बड़े पैमाने पर जो ये दिक्कते आ रही हैं, कहीं न कहीं सरकार की कमजोरियों को जाहिर करती हैं और मान्यवर इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका सामान्य प्रशासन कैसे चलेगा, आपका निर्णय था, शुरूआत के एक-दो महीने में बहुत गहमा-गहमी भी थी, हजारों की भीड़ आपकी कोठी पर लगती थी, जनता दर्शन के माध्यम से लोगों में एक उम्मीद जगी थी कि हमारा काम होगा, तीन महीने तक बड़ी सक्रियता रही, लेकिन मान्यवर आज वह जनता दर्शन टॉय-टॉय-फिस्स हो गया। आज जो थाना दिवस, तहसील दिवस चला रहे हैं, वहां का रिजल्ट क्या रहा है, कभी आपने शायद इसकी समीक्षा नहीं की, अगर इसकी समीक्षा किये होते तो जो मकसद था, उसके संचालन का, उसका एक सकारात्मक परिणाम आता। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, आज इस सरकार का कौल खत्म हो रहा है, हनक जिसको कहते हैं, हमें याद है श्री अम्बिका चौधरी जी, 2008 में खुद कटौती का प्रस्ताव कर रहे थे, कह रहे थे सरकार काम नहीं करती है, सरकार की हनक काम करती है। जब आप विपक्ष में थे, तो आपका यह भाषण था और मान्यवर अब वह कहां चली गई सरकार की हनक। क्या कारण है, आज सारे के सारे अधिकारी बेलगाम लग रहे हैं और सरकार की आंख में धूल झोंक कर के मनमाना कर रहे हैं। यहीं पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने अधिकारियों की बैठक में कहा था, मान्यवर, एक प्रकरण मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी के विभाग का आया, अपट्रान की जमीन का मामला, मा0 मुख्य मंत्री जी ने स्वयं कहा था, यह जमीन एल0डी0ए0

को ट्रान्सफर की जायेगी। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को भी संज्ञान में नहीं था, सदन में मामला आया, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने उसका संज्ञान लिया, उस पर रोक लगाई, आखिर क्या कारण हैं, ऐसे कौन अधिकारी हैं, जो मुख्य मंत्री के आदेश के बावजूद भी मनमाना निर्णय लेते हैं, ऐसे कौन अधिकारी हैं, जो संसदीय कार्य मंत्री जिस विभाग के मंत्री हैं, बिना अपने मंत्री को बताये, ये मन-माना फैसला कैसे लेते हैं, आखिर कहीं न कहीं ये सरकार की कमजोरियों को जाहिर करती हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह अवगत कराना चाहता हूं कि आज जो चरमराई प्रशासनिक व्यवस्था है, इसको चुस्त-दुरुस्त करने की आवश्यकता है और इसके साथ ही साथ आज जो प्रदेश की कानून-व्यवस्था है इसकी एक नहीं अनेक बार आये-गये दिन नित्य-प्रति चर्चा होती रही है, यहां पर मान्यवर अभी आपने कहा कि हम कार्यवाही जो भी संज्ञान में आता है, कराते हैं, हो सकता है आप आदेश देते हों, जिस प्रकार से आपने अपट्रान की जमीन को एल0डी0ए0 को ट्रान्सफर करने का आदेश दिया था, लेकिन आपके आदेश के बावजूद अधिकारियों ने मन-मानापन किया, उसी प्रकार हो सकता है, कार्यवाही के लिए आपका आदेश जाता हो, लेकिन अधिकारियों के स्तर से टाल-मटोल हो जाता हो। इसलिये ऐसे प्रकरणों पर गंभीर होना पड़ेगा। गंभीरता से संज्ञान में लेना पड़ेगा और मान्यवर, आज पूरा प्रदेश जिस तरीके से अराजक तत्वों के हाथों में खेल रहा है, जिस तरीके से अराजकता का माहौल है। जिस तरीके से अराजक तत्व, गुण्डे, माफिया, अपराधी कानून की धज्जियां दिन दहाड़े उड़ा रहे हैं। मा0 अध्यक्ष जी, कुछ कहा आपने।

श्री अध्यक्ष-

हमने गुण्डे, माफिया, अपराधी इस पर कहा कि इस सबसे बचने की भी कोशिश करिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, अब हम गुण्डे, माफिया, अपराधी को सज्जन, शरीफ तो कहेंगे नहीं। हम अराजक तत्वों को कह रहे है, सरकार को तो कह नहीं रहे हैं। हम तो यह कह रहे हैं कि अराजक तत्व, गुण्डे, माफिया, अपराधी कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मान्यवर, इससे सरकार बदनाम होती है और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को तो एक भाषा रटी है, वही बोलेंगे। इसलिये हम उस पर नहीं जाना चाहते। हम केवल ये चाहते हैं कि आज हमारी जो भूमिका है। हमारी भूमिका ये है कि सरकार की जो कमियां हैं उसकी ओर मैं इंगित करूं और सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उसका संज्ञान ले, कार्यवाही करे। मान्यवर, आपने अभी कहा कि सदन चल रहा है। पहले सरकार चलती थी सदन नहीं चलता था क्योंकि केवल सरकार सदन नहीं चला सकती। मैं बता रहा हूं कि सदन हमेशा दोनों पक्षों की सहमति से चलता है और जब संसदीय कार्य मंत्री जी, मा0 लोक निर्माण मंत्री जी यहां पर होते थे, नेता विरोधी दल होते थे तो इनकी भूमिका सदन न चलने देने की होती थी इसीलिये सदन नहीं चलता था। आज हमारी भूमिका सदन को चलाने की है इसलिये सदन चल रहा है मान्यवर। ये आपकी अच्छाइयों से नहीं चल रहा है, ये विपक्ष की अच्छाइयों से चल रहा है। अभी मा0 मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि रोज सरकार को घेरने के लिये विपक्षी बैठे हैं, मीडिया के लोग हैं, इलेक्ट्रानिक मीडिया के लोग हैं, प्रिण्ट मीडिया के लोग हैं। ये सभी लोकतंत्र के स्तम्भ हैं। अगर विपक्ष नहीं होगा तो सरकार निरंकुश हो जायेगी। अगर मीडिया नहीं होगा तो सार्वजनिक जीवन जीने वाले व्यक्ति भी कहीं न कहीं कठघरे में खड़े होने लायक बन जायेंगे इसलिये मीडिया, चाहे प्रिण्ट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रानिक

मीडिया हो, चाहे विपक्ष हो। ये हमेशा सरकार को अपने अपने माध्यम से सावधान करने का काम करती है और इसको सकारात्मक लेना चाहिये। जब नकारात्मक लेंगे तो इस लोकतंत्र में विपक्ष को या मीडिया को अगर नकारात्मक लिया जाता है तो हम समझते हैं कि ये लोकतंत्र के हित में नहीं होगा। लोकतंत्र की सेहत के लिये अच्छा नहीं होगा इसीलिये मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये तो आपको मजबूत बनाने के लिये हैं। आपकी कमियों का समय पर उजागर करके आपकी गलतियों को सुधारने का मौका देने के लिये है इसलिये आपको तो स्वागत करना चाहिये कि विपक्ष अपनी भूमिका बड़ी तन्मयता से निभा रहा है और समय समय पर मीडिया के लोग भी अपनी कलम और टी0वी0 के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से जो भी कमियां हैं, यहां पर भी अगर हाउस में कभी व्यतिक्रम हुआ है तो मीडिया के लोगों ने उसको भी संज्ञान में लिया है और उन्होंने अपनी तरफ से उस पर कुछ न कुछ सकारात्मक लिखने का प्रयास किया है। ऐसी नहीं है कि उनकी भूमिका नगण्य हो। इनकी भूमिका लोकतंत्र में है और वो चौथा पाया हैं इस लोकतंत्र के तो मान्यवर, ऐसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में यकीन करने वाले चाहे मीडिया के लोग हों, चाहे विपक्ष के लोग हों। मैं अपने सभी सहयोगियों को भी इसके लिये धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही साथ वूमेन पावर लाइन योजना आपकी अच्छी है। इसके पहले भी मैंने कहा कि योजना अच्छी है लेकिन यह योजना अच्छी कितनी भी क्यों न हो, लेकिन अगर हम उस पर प्रभावी नियंत्रण करने में असफल हैं, मान्यवर, क्या कारण है कि इतने ही कम समय में लगभग 27000, जब से आपने स्थापित किया तब से 27000 महिलाओं की शिकायतें, छेड़खानी या अन्य दुराचार आदि से संबंधित आई हैं। इतना बड़े पैमाने पर यह क्यों, इसका मतलब कहीं न कहीं अराजकता है, कहीं-न-कहीं कानून तोड़ने वाले लोग बैखौफ हैं और कहीं-न-कहीं अराजकतत्वों को सरकार का कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। इसलिए मान्यवर, इस पर आपको गंभीर होना पड़ेगा। अभी आपने कहा साइबर क्राइम के बारे में, यहां पर विभिन्न सूचनाओं के माध्यम से इस पर चर्चा भी हुई, आज तकनीकी युग है। सभी इस नये युग में आगे बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मा0 मुख्य मंत्री जी लैपटॉप, टैबलेट के माध्यम से उसमें चार चॉद लगाने का काम किये हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि मान्यवर, जिस तरीके से लोग आज साइबर क्राइम, जो बड़े पैमाने पर बढ़ा है, साइबर क्राइम को रोकने के लिए, अभी पर्याप्त प्रशिक्षण व्यवस्था जो पुलिस को दी जानी चाहिए, वह नहीं हुआ है और पूरे उत्तर प्रदेश में दो जगह आपने सेन्टर स्थापित किए हैं, आगरा और लखनऊ में। आज बड़े पैमाने पर जिस तरीके से साइबर क्राइम के माध्यम से अपराधी अपराध को अंजाम देने में लगे हुए हैं। उसको देखते हुए, यह आज, आज ही नहीं आने वाले कल के लिए एक महत्वपूर्ण बिन्दु है, जिस पर सरकार को चिंतन करना चाहिए। समय रहते पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल को हम प्रशिक्षित करके साइबर क्राइम करने वाले अपराधियों को पकड़ने के लिए तैयार रखना चाहिए और केवल दो जगह इसका सेन्टर स्थापित कर देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि सभी जिला मुख्यालयों पर कम से कम एक साइबर क्राइम रोकने के लिए आपका थाना या सेन्टर होना चाहिए, तब जाकर के कहीं यह हो सकेगा। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है। लगभग 22 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश है। यह कोई छोटा-मोटा प्रदेश नहीं है, अब इतने बड़े उत्तर प्रदेश में अगर आप दो जगह से साइबर क्राइम रोकने का प्रयास करेंगे, तो हम समझते हैं कि यह संभव नहीं हो पायेगा। आज आये दिन रोज ये बात देखने सुनने को मिलती है, कई बार यहां चर्चा भी हुई है। कई

थानेदार गोली के शिकार हुए हैं, कई थानों में घुसकर अराजक तत्व अपराधियों को छुड़ा ले जाते हैं। पुलिस की पिटाई करके छुड़ा ले जाते हैं। मान्यवर, कई जगह पर अधिकारियों के कार्यालयों में घुसकर, अधिकारियों को गोली मारी जाती है। कई वी0डी0ओ0, कई इंजीनियर इसके शिकार भी हुए हैं। मान्यवर, अभी आप कहेंगे, अभी आपकी तरफ से जवाब आयेगा कि औरैया में भी एक इंजीनियर की आपकी सरकार में हत्या की गई थी। हम जानते हैं ये कहेंगे लेकिन....

श्री अध्यक्ष-

पहले से ही इनके जवाबों से क्यों सहमें हैं, अपनी बात कहिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

लेकिन इनको मालूम होना चाहिए कि जिसने भी औरैया के इंजीनियर की हत्या की थी, वह आज भी जेल में है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाना, उसको जेल में भिजवाना, उस पर गैंगेस्टर लगवाना, सब हमारी ही सरकार ने किया, किसी और ने नहीं किया। इसीलिए मैं यह कहता हूं, मान्यवर, आज लगातार कई बैखौफ होते जा रहे हैं ये कानून की धज्जियां उड़ाने वाले लोग, कानून से मजाक करने वाले लोग। आज यहां तक की केवल अराजक तत्वों के ही हौसले बुलंद नहीं हैं, आज कानून के रखवाले भी अराजकता के रास्ते पर जा रहे हैं। कई थानों में शिकायतें आई हैं, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार की, दुराचार की और मान्यवर, उनके साथ घृणित व्यवहार की, इसलिए क्या कारण है कि आज तमाम थानों पर इस तरह की घटनाओं की बाढ़ आती जा रही है। इसका मतलब है कि आज कानून के रखवाले भी कहीं-न-कहीं अराजकता के शिकार हुये हैं, अराजक हुये हैं, इसलिए जब कानून का रखवाला ही, भक्षक बन जायेगा, तो हम समझते हैं कि आम जनता का विश्वास कानून से उठ जायेगा। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि केवल बजट रख देने से, केवल किताब में व्यवस्था कर देने से या योजना बना लेने से, आपकी नीयत कितनी भी अच्छी क्यों न हो, लेकिन अगर उसका कार्यान्वयन ठीक से नहीं होगा, अमलीजामा आप उसको नही दे पायेंगे, तो आपकी इन तमाम योजनाओं का कोई मतलब नहीं होगा और इसीलिए मान्यवर आप बड़े पैमाने पर अफरा-तफरी है यह एक रिकार्ड है एक साल के अंदर। अनेक दंगे हुए हैं यह एक रिकार्ड है। आखिर ऐसा क्या है। हिन्दू-मुस्लिम सौहार्द होना चहिए यह देश के लिए आवश्यक भी है। मान्यवर इस देश की आजादी के लिए बहुत से लोगों की कुर्बानियां भी हैं। हम हिन्दू-मुस्लिम सिक्ख ईसाई के भाईचारे की बात करते हें। मान्यवर इस देश की आजादी में सरदार भगत सिंह जैसे लोगों ने फांसी के तख्ते को चूमने का काम किया है राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां इन लोगों ने उस फांसी के तख्ते को चूमने का काम किया है। पश्चिम बंगाल में सुभाष चन्द्र बोस ने गगनभेदी गूंज उत्पन्न की थी। तभी देश को आजादी हासिल हुई थीं इस देश में इसीलिए किसी को अपने धर्म की ठेकेदारी करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। कोई अपना धर्म किसी और पर थोप नहीं सकता है। कोई किसी को उसके धर्म के खिलाफ नहीं कर सकता है। लेकिन आज यह स्थिति क्यों आयी है। क्योंकि आपके शासन की हनक कमजोर हुई है सरकार का कानून का भय कमजोर हुआ है। कानून का सम्मान तभी होता है जब लोग कानून का पालन करना सीख लें। कानून का भय होना बहुत जरुरी है। कहा भी गया है कि बिन भय होत नहीं प्रीति। लेकिन इसके विपरीत आज अराजक तत्व कानून

की धज्जियां उड़ा रहे हैं कानून को रौंद रहे हैं। मान्यवर, आपने कुछ रोकथाम करने के लिए कानून को अमलीजामा पहनाने की शुरुआत की है।

माननीय मुख्य मंत्री जी को मान्यवर मिस्टर क्लीन कहे या मिस्टर टैबलेट कह लें। लेकिन अभी आपके परीक्षा की घड़ी है। आपको इस उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाना है। इस विकास का कैसा ढांचा हो उस पर आपको सोचना होगा। साथ ही साथ सरकार और शासन का सामंजस्य होना चाहिए। एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक कोई भी अधिकारी आपके कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा। मान्यवर लेकिन आज आपके अधिकारियों में भय व्याप्त रहता है कि पता नहीं कब चौबीसों घंटे में अपना बोरी बिस्तर समेटना पड़े और स्थानांतरित जगहों पर जाना पड़ जाये। मान्यवर, जब इस तरह से आपके अधिकारियों का इधर से उधर स्थानांतरण रोज-रोज होता रहेगा तो उससे न तो आपका सामान्य प्रशासन चल सकता है और न कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर चल सकती है। मान्यवर, तमाम जन प्रतिनिधियों की शिकायतें होती हैं वह आपसे भी माननीय मुख्य मंत्री जी मिलते हैं अध्यक्ष जी आपसे मिलते हैं संसदीय कार्य मंत्री जी आपसे भी मिलते हैं। वह कहते हैं कि जिले के अधिकारी उनका टेलीफोन नहीं उठाते हैं। यदि किसी ने भूले भटके उठा भी लिया तो पोजिटिव रिस्पांस नहीं देते हैं। उनकी शिकायत रहती है कि शासन और प्रशासन के अधिकारियों में बातचीत करने का सलीका नहीं है। यह तमाम शिकायतें हैं उनकी। मान्यवर, इस पर आप विचार करें यह मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं।

मान्यवर अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि वह चार हजार सब इंस्पेक्टर, चालीस हजार कांस्टेबिल और दो हजार कम्प्यूटर आपरेटरों की भर्ती करने जा रहे हैं। आवश्यकता है इसकी मान्यवर। क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में पुलिस बल बहुत कम है। मान्यवर, एक लाख पर अभी लगभग जब बीएसपी की सरकार थी, उस समय मात्र 84 कांस्टेबिल का अनुपात बताया गया था। इसे देखते हुए हमारी सरकार में दो लाख चार हजार पुलिस प्रशासन में नये पद सृजित किये गये थे। जिसमें एक हजार पचास हजार पद कांस्टेबिल के थे और 35 हजार पदों पर नियुक्तियां भी हुई थीं। मान्यवर आज आवश्यकता है। अगर दो लाख चार हजार पुलिस विभाग में जो नये पद सृजित किये गये हैं जिसमें एक लाख पचास हजार पद कांस्टेबिल के हैं अगर इन पर भर्ती हो जाती है तो लगभग 156 का रेशियो आयेगा जबकि एक लाख पर 250 का होना चाहिए। यद्यपि यह देश के किसी प्रदेश में नहीं है। लेकिन अगर जो पद सृजित किये गये हैं और यह भर्ती हो जाती है तो लगभग 150-200 का अनुपात आ सकता है। इसलिए मान्यवर, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि बसपा सरकार में कानून व्यवस्था चुस्त-दुरूस्त हो, तमाम सब- इन्सपेक्टर, इन्सपेक्टर में प्रमोट होकर के उनको भी अच्छा मौका मिले इसलिए प्रदेश के सभी थानों को इंस्पेक्टर रैंक बनाया गया था। आज आवश्यकता है कानून व्यवस्था पर विशेष रूप से काम करने की क्योंकि आपकी कोई कार्यकारी योजना होगी, किसी व्यक्ति की कोई कल्याणकारी योजना होगी, किसी इन्डीविजुअल को लाभ पहुंचा सकती है लेकिन अगर आपका कानून व्यवस्था चुस्त-दुरूस्त होगा तो इस कानून व्यवस्था से, आपके अच्छे प्रशासन से उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता सीधे प्रभावित होगी और वह सभी आपको धन्यवाद देंगे। इसलिए मान्यवर, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि आज भ्रष्टाचार की तमाम शिकायतें आती हैं पुलिस भर्तियों में तमाम समय-समय पर शिकायतें आती हैं लेकिन हमारी सरकार ने यह शिकायतें न आयें, भ्रष्टाचार की

शिकायत न आये, पारदर्शिता बनी रहे, इसीलिए मान्यवर, पुलिस भर्ती बोर्ड का गठन किया गया था और इस बार पुलिस भर्ती हुई एक भी सत्ता पक्ष और विपक्ष किसी की शिकायत इसलिए नहीं आई क्योंकि उसमें सरकार का कहीं इन्टरफेंरेंस दखल नहीं था, कोई सिफारिश नहीं थी। इसलिए कि मान्यवर, भर्ती बोर्ड ने अपने तौर तरीके से मेरिट और क्षमता के आधार पर जो किया था उसके नाते निष्पक्ष हो सकी थी और पारदर्शिता की जवाबदेही हमने सुनिश्चित की थी। मान्यवर, इसी प्रकार से तमाम, इसके पूर्ववर्ती सरकार में जब नेता जी यहां पर माननीय पूर्व मुख्य मंत्री के रूप में थे उस समय कुछ पुलिसकर्मियों की भर्ती हुई थी, शिकायतें भी आई थी, प्रकरण सुप्रीमकोर्ट में भी चला गया था लेकिन वर्तमान सरकार ने शायद एप्लीकेशन देकर के उसको वापस ले लिया। तो हम समझते हैं कि जो पुलिस भर्ती है इसमें बहुत ही पारदर्शिता इसलिए होनी चाहिए कि उसकी जवाबदेही उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति सीधे होती है। और मान्यवर, इसी तरीके से जैसे अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि थानों के सुधार की आवश्यकता है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा यह आवश्यकता, तो हमारी सरकार ने भी बड़ी गम्भीरता से लिया था इसीलिए मान्यवर, हर थाने के अच्छे रखरखाव के लिए उसकी मेन्टीनेंस के लिए सरकार से सीधे पैसा थाने को जाता था और 3 हजार करोड़ रूपये का जो बजट था यकायक उसको बढ़ा करके 7 हजार करोड़ रुपया किया गया था जिससे कि उनकी जो थाने की पुलिस की सारी की व्यवस्था का रख-रखाव हो या उनसे संबंधित अन्य समस्याओं का हो उसका निराकरण ठीक से समय पर किया जा सके। मान्यवर, इसके साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि जब यह बड़े पैमाने पर पुलिस भर्ती के पद सृजित किये गये और पुलिस भर्ती भी 35 हजार की हुई तो 20 प्रतिशत महिलाओं की पुलिस भर्ती में आरक्षण भी हमारी सरकार ने इसलिए सुनिश्चित किया था कि आज बड़े पैमाने पर महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, बहनो, बेटियों के साथ बड़े पैमाने पर अभद्र व्यवहार की शिकायतें आ रही हैं जिसके चलते महिला कांस्टेबिल की भी पर्याप्त संख्या होनी चाहिए जिसको देखते 20 प्रतिशत महिला आरक्षण पुलिस भर्ती में किया गया था और मान्यवर, तमाम आतंकवादी संगठन चल रहे हैं उनको नियंत्रित करने के लिए 2 हजार कमान्डों की भर्ती का प्राविजन किया गया उनको ट्रेनिंग देने की व्यवस्था बनाई गयी। आतंकवादी निरोधक दस्ते का गठन किया गया। यह तमाम ऐसी चीजे रहीं जो पुलिस सुधार के प्रति हमारा अच्छा प्रयास रहा। आज उसमें कहीं न कहीं ठहराव आया है। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी अपने उद्बोधन में कहा पुलिस थाना सुधार, साइबर क्राइम और जगह-जगह महानगर चौराहों पर सीसी टीवी को, यह अच्छी बात है। इसको प्रभावी व्यवहारिक रूप मिल सके, इसलिये केवल घोषणा से काम नहीं चलेगा, केवल योजना से काम नहीं चलेगा, समय-समय पर इसकी समीक्षा भी होती रहनी चाहिये जिससे कि यह व्यवहार रूप ले सके। इसके साथ ही साथ मान्यवर, एक शिकायत बसपा सरकार पर आती रही है कि सीमावर्ती क्षेत्र में पुलिसकर्मियों की तैनाती का आदेश हमारी सरकार ने किया, यह सन् 1986 का आदेश था, डी0जी0पी0 की तरफ से प्रमुख सचिव, गृह के यहां आया था और उसको मान्यवर, वापस कर दिया गया था, जारी नहीं हुआ था, यद्यपि पुलिस विभाग के स्तर से स्थानान्तरण हो गये थे और आज विपक्ष में बैठने के लिये बहुत कुछ जिम्मेदार हमारा यह निर्णय था। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में आप यहां आओगे जिस तरीके से आपके बस में कुछ नहीं रह गया है, कानून व्यवस्था आपके हाथ से निकलती जा रही है, मान्यवर, हमें भी गलत मुगालता

था जैसे आपको बड़ा गलत मुगालता है, हमको भी गलत मुगालता था कि हम दुबारा यहां पर आयेंगे, लेकिन उसी गलत मुगालते में हम वहां से यहां आ गये आप भी इसी गलत मुगालते में हैं, आप उधर से इधर आओगे और आज जहां आप मुझे देख रहे हो, यहां आप बैठोगे और जहां आप लोग हो, वहां इधर के लोग बैठेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

इसके लिये धन्यवाद, कि जहां आप हैं, वहां मैं आऊंगा, मगर ये अभी से जान लीजिये कि जहां मैं हूं, वहां आप कभी नही आओगे ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

वहां आपकी जगह कौन बैठेगा, यह तो मुख्य मंत्री जी तय करेंगी, इसलिये आपकी बात अपनी जगह सही है। मान्यवर, इसलिये कानून व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण करने की आवश्यकता है ऐसा नहीं है, सभी सरकारों के सामने परीक्षा की घड़ी आती है।

श्री प्रमोद तिवारी-

अगर आप दोनों में झगड़ा हो तो हम लोग उधर चले जायें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

अब चूंकि 20 साल हो गये आपको बाहर हुये, जब 20 साल में वापसी नहीं हुयी तो फिर आगे गुजांइश नहीं है।

श्री प्रमोद तिवारी-

हमको 20 साल इधर आये हुआ है लेकिन इनको तो 20 साल अभी पैदा हुये भी नहीं हुआ है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश से तो साफ हो ही गये, अब तो आपकी और हमारी मेहरबानी पर केन्द्र में हो, वहां से भी कब चले जाओगे, इसका भी कोई ठिकाना नहीं ।

श्री प्रमोद तिवारी-

हम चाहते हैं कि इनकी यह मेहरबानी हम पर हमेशा बनी रहे ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर संसदीय कार्य मंत्री जी हमारी एक भी बात सही मान लिये तो मैं समझ लिया कि मेरी सब बातें सही हैं। चूंकि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की मजबूरी है, सत्ता धर्म उनको निभाना है और विपक्ष का धर्म हमको निभाना है। हम कितना भी अच्छा कहें, वह हमारी तारीफ नहीं कर सकते हैं। अगर तारीफ करेंगे तो अगल बगल तमाम ऐसे लोग बैठे हैं जो कैंचा चला देंगे और मान्यवर, इसलिये उनकी अपनी मजबूरी है और उनकी मजबूरी मैं समझता हूं इसीलिये वह कई बार रास्ते से हटकर, लीक से हटकर बात कर जाते हैं। तब भी मैं प्रतिकार नहीं करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

यह भी तो है कि वह भी अच्छा काम करेंगे तो आप भी नही बोलेंगे आप भी उनकी तारीफ नहीं करेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, इसलिये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, परीक्षा की घड़ी सभी सरकारों के सामने आती है, आज आप नये मुख्य मंत्री हो, उत्तर प्रदेश के लोगों ने प्रचंड बहुमत भी आपको दिया, लोगों की अपेक्षायें भी आपसे बहुत हैं।

पहली बार आप मुख्य मंत्री भी बने हो। अगर अबकी बार फेल हो गए तो जिन्दगी में कभी पास नहीं होगे। इसलिए आपको जो फेल करने के लिए लगे हुए हैं उन पर भी आपको नजर रखनी होगी। हम यह नहीं कहना चाहते कि कौन फेल कर रहा है जो भी आपको फेल करने में लगा हुआ है उस पर आपको नजर रखनी होगी। मान्यवर हम तो आपको फेल कर नहीं सकते क्योंकि अगर हम फेल कर सकते तो आप वहां जा नहीं पाते। जनता ने आपको भेज दिया भले ही आज पछता रही हो। लेकिन भेज तो दिया आपको लेकिन जब आप आए हैं तो पांच साल तक जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आपको तैयार रहना होगा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं यहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी खुद इसके आइना हैं। इनके गृह जनपद में कई घटनाएं हो गईं कल भी एक बड़ी हिंसा होते होते बची। गांव के लोग आज भी भागे हुए हैं दरोगा की पुत्री के साथ क्या हुआ यहां आ चुका है। हम उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहते। खुले कचेहरी के सामने अदनान की हत्या हुई उसका भी जिक्र नहीं करना चाहते। लेकिन अगर मुख्य मंत्री जी के गृह जनपद में कानून की धज्जियां उड़ाने में अराजक तत्व पीछे नहीं हैं तो उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में क्या होगा यह एक दृष्टांत है। इसको गम्भीरता से लेना चाहिए। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं जैसे अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हमने जो भी संज्ञान में आया कार्यवाही हुई है। तो मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं जो यहां प्रकरण आया और कार्यवाही नहीं हुई।

मान्यवर, कुमारी डाली पुत्री तारा कुशवाहा 10 अप्रैल 12 को पेपर देने गई कन्नौज द्वारिका प्रसाद इण्टर कालेज मदनपुर, ठठिया से लड़की का अपहरण हुआ, मुकदमा भी दर्ज हुआ और शासन के संज्ञान में भी लाया गया लेकिन न लड़की की बरामदगी हुई न अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई। इसी प्रकार से हमारे रायबरेली जनपद ऊंचाहार में प्रतिमा पुत्री अनिल कुमार त्रिपाठी थाना ऊंचाहार अपहरण हुआ मुकदमा दर्ज हुआ 237/13 और न आज तक गिरफ्तारी हुई न लड़की की बरामदगी हुई। मान्यवर, सानियां पुत्री लईक कानपुर थाना चौबेपुर रहमत नगर न लड़की की बरामदगी हुई न अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। यह तो मैंने छोटा सा दृष्टांत दे दिया यहां भी कई ऐसे प्रसंग उठाए हैं मैं याद दिलाना चाहूंगा चेयरमैन प्रतापगढ़ अशोक मौर्य के सम्बंध में मैंने नियम-56 में सूचना दिया था माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था इस पर प्रभावी कार्यवाही की जाएगी लगभग एक महीना हो गया। आज तक न किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई न पुलिस किसी ठोस नतीजे पर पहुंची। मैं पिछली बातों को यहां पर नहीं उठाना चाहता लेकिन मैं उन बातों को यहां आपके सामने चाहता हूं जो सदन में नियम 51 के तहत आईं। मान्यवर अंशू देवी पुत्री भैरव प्रसाद चौरसिया थाना धाता 27.3.12 को अपहरण हुआ और इसी हाउस में एक सप्ताह पहले उठाया गया था जवाब भी

आया लेकिन न तो लड़की की बरामदगी हुई न अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई। इसी प्रकार से एक नहीं तमाम दृष्टांत हैं मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी जो घटनाएं घटी हैं कहीं थाना फूंका जा रहा है। कहीं सी0ओ0 मारा जा रहा है, कहीं एस0ओ0 मारा जा रहा है, कहीं थाने पर मां-बहन की इज्जत तार-तार की जा रही है, आज यह क्या संकेत दे रहे हैं। मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की मौजूदगी में, आपके सामने प्रश्न प्रस्तुत किया गया था और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था, यह धौरहरा मोनू सनऑफ हासिफ इसके आठ साल के लड़के की हत्या हुई थी। मुकदमा दर्ज हुआ था 159/13, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के आश्वासन देने के एक हफ्ते के बाद भी अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई।

कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान व धर्मार्थ कार्य राज्य मंत्री (श्री मनोज पाण्डेय)-

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष के संज्ञान में लाना चाहूंगा, यह बात सही है कि कुमारी प्रतिमा तिवारी की घटना हुई है, लड़की गायब हुई है। लेकिन लड़की ने ही माननीय उच्च न्यायालय से एक शपथ-पत्र भेजा है कि हमने शादी कर ली है, वह लड़की बालिग है और उसने एस0पी0 को, पुलिस महानिदेशक को और थाने को भी यह सूचना भेजी है। मान्यवर, यह गलत चीज सदन में लाई जा रही है। एक घटना उसी जिले से और है उसे माननीय नेता प्रतिपक्ष नहीं लाये हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जाइये, जब आप बोलियेगा तो ले आइयेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मनोज पाण्डेय जी वहां से विधायक हैं, ठीक है उन्होंने अपना पक्ष रख दिया। लड़की नाइन्थ क्लास में है, 13-14 साल की है, नाबालिग भी है, शायद माननीय सदस्य को गलत सूचना दी गई है क्योंकि उसका पिता कल मेरे पास आया था।

श्री मनोज पाण्डेय-

मान्यवर, वह श्री तेज बहादुर तिवारी की बेटी है, उसकी उम्र 22 वर्ष है, वह लड़की शिक्षण कार्य कर रही थी और पढ़ भी रही थी, वह बी0ए0 फाइनल इयर में थी इसे आप पता कर लीजिएगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

इसके लिए आपको धन्यवाद। उसके पिता ने जो जानकारी दी, उसे मैंने यहां पर बताया।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं नेता प्रतिपक्ष से एक आग्रह और भी करना चाहूंगा कि ये जितनी नौजवान हमारी बच्चियां हैं उन्हें भगा ली गई न कहिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैंने भगा ली गई नहीं कहा बल्कि मैंने कहा कि अपहरण कर ली गई।

श्री मोहम्मद आजम खां-

ठीक है, अपहरण ही सही, आप एक बड़े दल के नेता हैं और ज्यादातर में यह देखा जा रहा है, इटावा की घटना है आपने दो के बारे में इंगित किया था, उन दोनों का प्रेम-प्रसंग था, उन

दोनों की शादियां हो गईं, कुछ अदालत से कुछ समाज से, यह सामने आया। अब अगर प्रेमियों के बारे में आप कुछ ज्यादा बोलेंगे तो देखिये आपकी छवि खराब होगी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

किसी प्रेमी का दिल दुखाना हमारा मकसद नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

हम तो प्रेमियों के मामले में सहयोग के कायल है, सरकार हमारी प्रेम को बढ़ावा देने की कायल है, आपकी तरह कुचलने के पक्ष में नहीं है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

धन्यवाद। मान्यवर, इसी तरीके से आज कहीं-कहीं पर कानून की अनदेखी कर उसका बेजा इस्तेमाल भी किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से एक प्रकरण सरकार के संज्ञान में लाना चाहूंगा, सरकार उसका परीक्षण करायेगी और मैं सही कह रहा हूं या गलत। अगर मैं सही कह रहा हूं तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मान्यवर, एक ही दिन एक ही थाने की पुलिस ने भिन्न-भिन्न समय पर 14 मार्च को 11:00 बजे आशीष त्रिपाठी, हउदातालाब को उठाती है, साढ़े दस बजे सूरज कुमार गौतम को उठाती है, सुबह प्रातःकाल अखिलेश मिश्रा को उठाती है, 1:00 बजे राजेन्द्र रैदास को उठाती है और शाम को 5:00 बजे राकेश साहू को उठाती है और सभी को घर से उठाती है। यह काकोरी थाने का मामला है और पुलिस एक ही दिन सभी को घर से उठाती है। मान्यवर, एक वहां पर जलालुद्दीन की नर्सरी है, एक बाग है। उसके पास उनकी गिरफ्तारी दिखाती है, उठाती घर से और सबको थाने में लाकर कोई न कोई सामान पकड़ाकर विभिन्न धाराओं में मुकदमा लिखकर सबको जेल भेज देती है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता विरोधी दल कितना समय और लेंगे, बहुत हो गया, कुछ बाद में भी रखियेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, अभी तो कानून-व्यवस्था पर मैं कुछ बोला ही नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष-

अभी सब बाकी है। यह जो बोल रहे हैं यह कानून-व्यवस्था नहीं है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, शुरूआत किया हूं। पहले सामान्य प्रशासन पर बोल रहा था और उसके बाद अब कानून-व्यवस्था पर बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

जल्दी करें, सभी माननीय नेताओं को बोलना है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

तो इसी प्रकार से मान्यवर, थाना-अल्लागंज शाहजहांपुर में 22 तारीख को जगतपाल राठौर की हत्या हुई, अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। प्रिंस गुप्ता की हत्या थाना-जलालाबाद शाहजहांपुर में 3-01-2013 को अपहरण हुआ और 16-01-2013 को हत्या हुई अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं

हुआ। कपिल की हत्या थाना मिर्जापुर, शाहजहांपुर में फरवरी, 2013 को हुई अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। हमने इसलिए कहा कि जब तक अपराध पर नियंत्रण के लिए अपराधियों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब तक अपराधी बेखौफ हो करके इस प्रकार से कानून की धज्जियां उड़ाते रहेंगे, कानून को तोड़ते रहेंगे। मान्यवर, जनप्रतिनिधियों की बड़े पैमाने पर हत्यायें हुई। हम यहां ज्यादा लेखा-जोखा नहीं लाये हैं लेकिन सत्र के दौरान जो बातें आयी हैं, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मान्यवर, 14 फरवरी को विधान सभा सत्र प्रारम्भ हुआ, हमने अभी अशोक मौर्या का जिक्र कर दिया अब उसको दुबारा नहीं करना चाहते। महराजगंज में ग्राम प्रधान करमहा राजेन्द्र गुप्ता की हत्या हुई, गाजियाबाद में यशवीर यादव की हत्या हुई, लखीमपुर में प्रधानपति आसिफ की हत्या हुई, प्रतापगढ़ के हथिगवां में जो काण्ड हुआ जिसमें सी0ओ0 और दो यादव प्रधान सहित मारे गये वह आपके सामने है। टांडा में रामबाबू गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे उनकी हत्या हुई और सीतापुर में भोला प्रधान की हत्या हुई। पनियारा में रवीन्द्र यादव ग्राम प्रधान थे उनकी हत्या हुई, गोरखपुर में प्रधानपति दिनेश तिवारी की हत्या हुई। हमने इसलिए जिक्र किया।

श्री अध्यक्ष-

यह सब तो असेम्बली में आ चुके हैं, कोई नियम-56 में, कोई नियम-51 में, इसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है जो न आये हों उनका उल्लेख करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं होगे तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आम लोग कैसे सुरक्षित होंगे ? आज सुरक्षा की गारण्टी सबके लिए होनी चाहिए, चाहे आम लोग हों चाहे प्रदेश की जनता हो और चाहे जनप्रतिनिधि हो आज सबकी सुरक्षा की गारण्टी होनी चाहिए और सरकार को अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि अपहरण की घटनाओं का ब्यौरा मेरे पास अलग है, छेड़खानी, बलात्कार की अलग है, बलात्कार-दुराचार का अलग है, व्यावसायी और व्यापारियों की हत्या व अपहरण का अलग है और आपराधिक घटनाओं का अलग है। मैं इसमें समय जाया नहीं करना चाहता, मैं इसको आपके पास भेज दूंगा इसको कार्यवाही का हिस्सा बना लेंगे। †लेकिन मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आज बहुत अच्छा काम कर जाईये लेकिन अगर कानून-व्यवस्था पर कंट्रोल नहीं होगा तो सारी अच्छाई पर एक बुराई भारी पड़ेगी, सारी अच्छाई पर एक बुराई भारी पड़ेगी। इसलिए मान्यवर, मैं कटौती का प्रस्ताव इसलिए रख रहा हूं कि अपने एक साल की इस सरकार में अभी हर मुद्दे पर बुरी तरह से फेल हुई है, कानून-व्यवस्था पर पकड़ बिल्कुल नहीं रही है, कानून-व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, प्रदेश जंगल राज बन गया है इस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। मैं मुख्य मंत्री जी से अपेक्षा करता हूं कि आपकी परीक्षा की घड़ी है इसलिए इस परीक्षा को पास करने की आपकी नितान्त आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करो।

---

† (देखिये नत्थी 'क' पीछे पृष्ठ-173-194 पर।)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

और इसीलिए मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन तमाम घटनाओं को आप कार्यवाही का हिस्सा बनायेंगे और एक मैं और उल्लेख कर देता हूं कि जनपद इलाहाबाद में अविनाश द्विवेदी की हत्या हुई, यह प्रश्न यहां आया था, मैं ऐसे मामलों को यहां इसलिये उठा रहा हूं कि यह मामले सदन में आये हैं और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कार्यवाही का आश्वासन दिया था। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के कार्यवाही करने के आश्वासन के बाद भी कार्यवाही नहीं हुई है। संसदीय कार्य मंत्री जी एक हनक वाले मंत्री हैं और हनक वाले मंत्री के आदेश पर अगर अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो आये दिन जो हम कहते हैं कि लगता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी या तो लोग आपको काम नहीं करने दे रहे या समानान्तर मुख्य मंत्रियों की कतार पड़ी हुई है। इसीलिये आश्वस्त कर रहे हैं कि सब ठीक रहेगा, सबको देख लूंगा। तो मान्यवर, मैं अपेक्षा करता हूं कि जो बातें मैंने यहां रखी हैं उसका गम्भीरता से संज्ञान लेंगें और चूंकि पूरे सदन के सभी माननीय सदस्यों को अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं को भी रखना है और इस पर विस्तृत चर्चा भी होनी है, कल जवाब भी आना है। मैं जवाब में कल जो आवश्यक होगा उस पर बात कर लूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि सरकार इस पर गम्भीरता से संज्ञान लेगी।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, माननीय मुख्य मंत्री जी का बजट है, आज तो छुट्टी दे दो।

*श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उस पर बल देने की मुझे आवश्यकता नहीं क्योंकि काफी बल उन्होंने दे दिया (हंसी)। मैं मान्यवर, उसको आगे बढ़ा रहा हूं थोड़ा सा और मान्यवर, मैं नेता प्रतिपक्ष से पूर्णता सहमति व्यक्त करता हूं कि सदन चलाने का, चलने का श्रेय अधिक उनको है, यह बिल्कुल सही बात है। अगर वो वहां होते, सदन नहीं चल पाता। (हँसी) मान्यवर, यह जब तक यहां रहे आज़म साहब इन्होंने सदन नहीं चलने दिया लेकिन अगर यह वहां होते तो बिल्कुल नहीं चलता। मान्यवर, दो बजट हैं, दो अनुदान हैं सामान्य प्रशासन और गृह विभाग का जो पुलिस का विशेष रूप से है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने केवल एक पक्ष रखा पुलिस का। सामान्य प्रशासन के बारे में कहने की आवश्यकता नहीं समझी उन्होंने। मैं पुलिस से ही शुरू करता हूं, जो हैंड बुक आपने दी है उत्तर प्रदेश पुलिस के कार्य कलापों की उसकी जो पहली पंक्ति है, मैं वहां से शुरू करता हूं। आपने लिखा है कि प्रदेश की आम जनता को एक सुरक्षित परिवेश प्रदान करना। सुदृढ़ साम्प्रदायिक एवं जातिगत सौहार्द कायम रखना। अब आप स्वंय ही समीक्षा कर लें इस बात की, हमें करने की जरूरत नहीं मान्यवर। माननीय मुख्य मंत्री जी स्वंय विश्लेषण कर लें। एक साल के कार्यकाल में क्या आप या पुलिस सुरक्षा प्रदान कर पाई क्या ? अपराधों पर नियंत्रण कर पाये क्या? माननीय नेता प्रतिपक्ष ने आंकड़े दिये हैं, मैं उन पर नहीं जाना चाहता क्योंकि उन्होंने दे दिये हैं। लेकिन आम जनता के मन में सुरक्षा का भाव पैदा हो पाया क्या ? आपने कहा साम्प्रदायिक सौहार्द पैदा करना, सुदृढ़ साम्प्रदायिक एवं जातिगत सौहार्द पैदा करना। एक साल के कार्यकाल में आप

स्वंय आंकड़े देख लें अपने साम्प्रदायिक हिंसा इतनी क्यों हुई जब आपकी प्रमुख प्राथमिकता यही थी। एक वर्ष के कार्य काल में इतनी घटनाएं हुई साम्प्रदायिक उनको नियंत्रण क्यों नहीं हो सका।

मान्यवर, जातिगत सौहार्द पैदा करने की बात आपने कही और मैं दोहराना भी नहीं चाहता था और किसी को अंडर एसेस भी नहीं करना चाहता लेकिन जातिगत सौहार्द का सबसे महत्वपूर्ण प्रकरण माननीय मुख्य मंत्री जी आपके जनपद में प्रकाशित हुआ दो दिन पहले और जिस तरह से वो घटना है मान्यवर, दिल हिलाने वाली घटना नहीं है मान्यवर। केवल इस प्रकरण को लेकर के एक लड़का और लड़की गांव से चले जाते हैं, पता नहीं वह बालिग हैं या नाबालिग, यह बताया गया है कि बालिग हैं। मान्यवर, उसके बाद में एक वर्ग विशेष इकट्ठा होता है और सुनियोजित तरीके से दूसरे पर हमला बोलता है हमला बोलना ही नहीं, घर से खींचकर बाहर लाना, मुंह काला करना, गले में जूतों की माला डालना और एक के बाद एक को पकड़कर मान्यवर, दर्जनों इकट्ठे किए गए उनके गले में जूतों की माला डाली गई और एक भागकर सिविल लाइन्स थाने पहुंच गया किसी तरह से मान्यवर, तो वहां जाकर उसकी पिटाई की गई यह है जातिगत स्वार्थ, यह सबसे बड़ी मिसाल है आलोचना के लिए, आलोचना नहीं मान्यवर, मन में तकलीफ है इसलिए कह रहा हूं। आगे ऐसा न हो इसलिए कह रहा हूं प्रयास हमारा होना चाहिए कि हर वर्ग के मन में यह विश्वास बिठाना चाहिए कि नहीं यह ठीक नहीं, अगर ऐसा करोगे तो बहुत प्रभावी, बहुत कठोर कार्यवाही सरकार की तरफ से होगी। अगर यह संदेश हम नहीं दे पाएंगे तो न जातिगत सौहार्द हो पाएगा, न साम्प्रदायिक सौहार्द हो पाएगा। डर किसका है, इतना बड़ा बहुमत लेने के बाद में किसका खतरा है। अरे आगे जो होगा वह होता रहेगा, लोकतंत्र में तो यही बात होती हैं। आप बहुत दृढ़ निश्चय करके नीतियों का पालन करेंगे तो जनता शान्ति से रह पाएगी मान्यवर, वरना सरकार का यहां बैठने का औचित्य क्या रह गया ? मान्यवर, इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूं। पुलिस की बात आती है करीब-करीब एक वर्ष में आपने 37 हजार पुलिस कर्मियों के ट्रांसफर किए, यह रिकार्ड आपका है इसी में दिया हुआ है और स्थानान्तरण का क्रम बराबर जारी है। सामान्य प्रशासन में क्योंकि आई0पी0एस0 के स्थानान्तरण होते हैं अगर उसके ऊपर नजर डाल लें, मान्यवर, मैं गिनती में नहीं जाता हूं लेकिन अगर आप स्थानान्तरण करते हैं तो क्या सोच समझकर आदेश भी करते हैं एक बार आप निर्णय लेते हैं तो सारी बातों की समीक्षा करने के बाद आप निर्णय नहीं लेते हैं मान्यवर, स्थानान्तरण किया, अधिकारी गया, जाकर के उसने अपना कार्यभार संभाला, और कार्यभार संभालने के बाद में मान्यवर, कुर्सी पर शायद वह एक घंटा बैठा होगा, दूसरा आदेश चला गया कि आपको हटाकर फलां जगह कर दिया गया है। एक नहीं दर्जनों उदाहरण इस बात के आए। अगर उस स्तर के अधिकारियों में भी इतनी अनिश्चितता बनी रहेगी, कि आज स्थानान्तरण लेकर वह जा रहे हैं दो घंटे-चार घंटे या दो दिन, तीन दिन में उनको कहीं और जाना है तो कैसे अच्छा प्रशासन दे पाएंगे। कैसे वह जनता को अपराधमुक्त कर पाएंगे, यह सोचने की बात है, सामान्य प्रशासन में मैं दो-चार पंक्तियां और कहना चाहूंगा। सामान्य प्रशासन में मान्यवर, लोक शिकायत भी आती है जो जनता की शिकायत आपके पास आती हैं या जनप्रतिनिधियों की शिकायत आती हैं या दिल्ली से शिकायतें आती हैं, यह सब लोक शिकायतों के आधार पर आएंगी। अब एक नीति आपकी है आपके यहां से जो हमको संदेश मिलता है विधायकों को, मंत्रियों को, सांसदों को भी संभवतः वही संदेश मिलता है कि आपकी शिकायत, या आपका

प्रार्थना-पत्र, या आपका पत्र फलां कम्प्यूटर के माध्यम से, फलां अधिकारी को संदर्भित कर दिया गया है। मान्यवर, यह काफी है क्या ? अगर आपने संदर्भित किया है तो हमें यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए महीने में, एक महीने में, दो महीने में, उस पत्र के आधार पर कोई कार्यवाही की गई यह जानकारी हमें नहीं होनी चाहिए क्या ?

मान्यवर, एक वर्ष के अन्दर सदस्यगण दोनों पक्ष के संभवतः मेरे अनुभव के साथ सहमत होंगे कि लोक शिकायत के नाम पर जो व्यवस्था है वह कमजोर है उस व्यवस्था को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। प्रयास यह होना चाहिए, विधायक जो पत्र आपको लिख रहे हैं वह शौक में नहीं लिख रहे हैं। समस्या उनके सामने आई इसलिए लिख रहे हैं आप पर विश्वास है, इसलिए लिख रहे हैं। आपसे समाधान की अपेक्षा करते हैं इसलिए लिख रहे हैं और दो पंक्ति एक पत्र अनु सचिव लिखता है, अनु सचिव के हस्ताक्षर से जाता है टाइप कापी है, उसमें सब लिखा है मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, उसमें फिर डेश का निशान लगा दिया जाता है विधायक है तो विधायक के ऊपर, सांसद है तो सांसद के ऊपर, हमें इतने शिष्टाचार की आपसे अपेक्षा थी आप हमारे पत्र को, थोड़ा बहुत सम्मान दिया जाएगा उस पर विचार किया जाएगा और विचार करने के बाद उसमें कार्यवाही की जाएगी। यह संभालने की बात है और सुधारने की बात है मान्यवर, मुख्य मंत्री जी हैं बहुत बड़ा प्रदेश है। शिकायतों के अम्बार लगते हैं तो कोई न कोई शिकायतों के निस्तारण की बात आनी चाहिए। शिकायतें आपके पास आ क्यों रही हैं। शिकायतें आपके पास आ क्यों रही हैं, मान्यवर, स्थानीय स्तर पर जो हमारी कमजोरी है, उसकी वजह से शिकायतों के अम्बार यहां लखनऊ में लगते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी, मैंने पहले भी कहा था और मेरा अनुरोध है, आपसे, जिस कारण से आपने तहसील दिवस बनाये, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी यह रहा है और बहुजन समाज पार्टी की सरकार में भी यह रहा कि तहसील दिवस पर अधिकारी बैठेंगे, वहां पर शिकायतें आयेंगी, उन शिकायतों का निस्तारण होगा, वह आहिस्ता-आहिस्ता मात्र औपचारिकता रह गयी है, उसकी गंभीरता घट गयी। महीने में दो बार तहसील दिवस होते हैं, लेकिन वहां पर समाधान नहीं होता, इस कारण से आपके पास शिकायतें आती हैं।

मान्यवर, हमारा तीसरा जो आग्रह है, भ्रष्टाचार पर नियन्त्रण कैसे करें, आपने इसमें आंकड़े दिए हैं, पूरे वर्ष में दो छापे मारे गए जो आपका विजलेंस डिपार्टमेण्ट है, उसके माध्यम से। यह उपलब्धि विजलेन्स विभाग की है कि पूरे एक साल में दो छापे लगते हैं, औपचारिकता निभाने के लिए। छापे लगें या न लगें लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त यह ब्यूरोक्रेसी नहीं होगी, नौकरशाही नहीं होगी तो अच्छा प्रशासन देना सम्भव नहीं हो पायेगा। उसको कैसे करें, आपके पास एक से एक अच्छे सलाहकार हैं, बता सकते हैं, थोड़ा-बहुत मैं भी कह सकता हूं। मैं जानता हूं कि हर एक के ऊपर कन्ट्रोल नहीं हो सकता है, कोई हमारे पास में ऐसा चैनल भी नहीं है कि जहां हमें दिखायी दे जाए कि आदमी कहीं रिश्वत ले रहा है या नहीं ले रहा है। लेकिन आज यह आम चर्चा है, सामान्य चर्चा है और जब हम लोग इकट्ठे कहीं न कहीं बैठते हैं, वहां पर भी आम चर्चा है कि भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। उस भ्रष्टाचार को नियन्त्रित क्यों नहीं कर पा रहे हैं ? मान्यवर, तहसील दिवस पर क्या हमारे यह प्रभारी मंत्री जाकर चेक नहीं कर सकते कि एक हफ्ते या एक महीने में कितनी शिकायतें लोगों की प्राप्त हुई, दाखिल के बारे में, उन पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई? कितनी शिकायतें हुई

अतिक्रमण के बारे में, उस पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई ? कितनी ऐसी शिकायतें आई, कितनी ऐसी गलत शिकायतें की गई जिसके कारण लोगों का उत्पीड़न हुआ ? अगर उसका निस्तारण हो जाए तो सामान्य प्रशासन में सुधार हो सकता है, लेकिन अगर उसके ऊपर निगाह नहीं जायेगी तो मान्यवर, यह जनता ऐसे ही पिसती रहेगी। मान्यवर, जो अवैध खनन होता है, क्या बिना पुलिस के संरक्षण के सम्भव है ? या तो आप खड़े होकर कह दें कि अवैध खनन नहीं है, अगर है तो उस क्षेत्र का क्षेत्राधिकारी या वहां का एडिशनल एस0पी0 या एस0पी0 या तो कन्ट्रोल नहीं कर पा रहे हैं या उसमें हिस्सेदार बने हुए हैं। कन्ट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो भी वह अक्षम हैं, हिस्सेदार हैं तो वह भ्रष्ट हैं। मान्यवर, जितने जुए के अड्डे बने हुए हैं क्योंकि यह जो अवैध खनन हुआ, जुए के अड्डे हुए, अवैध शराब बनाने का धन्धा हुआ, अवैध रूप से शराब के तस्करी करने का धन्धा हुआ, उसको बेचने का धन्धा हुआ, मान्यवर, यह समाज के लिए नासूर हैं और अगर इनके ऊपर अच्छे से नियन्त्रण हो गया होता तो शायद समाज को बहुत सहूलियत मिल गयी होती लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि यह चोरी-छिपे नहीं हो रहे हैं, यह बाकायदा ठेका देकर हो रहे हैं, कराये जा रहे हैं और अगर कहीं नहीं होता, कुछ जनप्रतिनिधि मिलकर उसको नियन्त्रित भी कर लें, मान्यवर, तो दबाव बनाया जाता है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, करो या न करो, हफ्ता मुझे चाहिए, महीना मुझे चाहिए, अगर ऐसी बात होगी तो कहां से सुधार हो जायेगा और कैसे अपराधों के ऊपर नियन्त्रण हो पायेगा। मान्यवर, यह सोचने की बात है। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा लेकिन कुछ बातें मेरे सामने आयी हैं, अनियन्त्रित जब प्रशासन हो जाता है तो वह ऐसे-ऐसे आदेश कर देता है जिसका पालन करना सम्भव नहीं है।

बरेली का प्रकरण मेरे सामने आया, होली का अभी पर्व है और होली के पर्व के पहले जिलाधिकारी ने आदेश कर दिया कि जितने भी लोगों के खिलाफ अधिक से अधिक 107, 17 के हो सके नोटिस दो। यह आदेश लिखित में भी हुआ और अधिकारियों की बैठक बुला करके मौखिक रूप से कहा गया, अगर एक करोड़ का मुचलका जमानत भी लेनी पड़े तो वह लीजिए। मान्यवर, आखिर लोगों ने क्या गलती की है, अगर यही दृष्टिकोण जिलाधिकारी का होगा तो अच्छी प्रशासन होगा क्या ? इससे नियन्त्रण होगा क्या, न मनायें वह होली ? मान्यवर, पाबन्दी इस बात के लिए लगा दें, आदेश कर दें कि आपको होली मनाने, पर्व मनाने का अधिकार नहीं है, मानेंगे हम लोग, हम तो इस देश के निवासी हैं, इस देश में शान्ति कायम रखने के लिए हम इस बात को भी मान लेंगे लेकिन इस प्रकार से उत्पीड़न करना और उल्टे-सीधे आदेश कर देना, क्या तानाशाह हो गए हैं, आप ? लोकतांत्रिक मर्यादाओं को भूलकर इस प्रकार का आदेश कैसे कर देते हैं। यह देखने की बात है और यह शिकायत लगभग सब जगह से आती हैं। आपने एकाउंटीबिलिटी के ऊपर बहुत बल दिया। एकाउंटेबल होना चाहिए प्रशासन को। मान्यवर, मैंने आपके समक्ष 48 आदेश रखे थे जो मुख्य सचिव के यहां से जारी हुए थे और वह आदेश इस बारे में थे कि जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारी कैसा व्यवहार करें। आपने भी कई बार बल दिया और मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी ने भी कई बार बल दिया कि 10 बजे से लेकर 12 बजे तक अधिकारी अपने कार्यालय में बैठेंगे। जनप्रतिनिधियों की बात सुनेंगे टेलीफोन आएगा टेलीफोन सुनेंगे और नहीं सुनना मजबूरी है तो फिर रिंगबैक करेंगे।

मान्यवर, मैं सब माननीय सदस्यों को आमंत्रित करता हूं कि वहां छोड़ दीजिए यहां करके देख लीजिए। इस सचिवालय में किसी को करके देख लीजिए। मान्यवर, बहुत दिन से सचिवालय का

अनुभव हमें भी है। कोई भी अगर टेलीफोन करता था अधिकारी नहीं है अपना नम्बर दे दिया और अब तो मोबाइल की सुविधा आपको उपलब्ध है यह आग्रह कर लिया। कहीं-कहीं से तो ऐसे उत्तर आते हैं कि सुनने में भी संकोच होता है कि भई आगे अब फोन मत करना। न जाने कितना अपमान होगा। यह प्रवृत्ति क्यों बनी इस प्रवृत्ति पर नियंत्रण क्यों नहीं हो रहा है। आखिर हम उनसे कुछ ले नहीं रहे हैं। मान्यवर, जनसमस्याओं को लेकर हम हर वक्त आपके सामने तो नहीं खड़े हो सकते। हमारा यह अधिकार है और हमारा यह दायित्व भी है कि हम यहां के स्तर की बात होगी तो यहां कहेंगे जिले के स्तर की बात होगी तो जिले में कहेंगे। आपने 10 से 12 बजे तक कहा। कभी आप देख लीजिए दो-चार फोन करके, कोई उठायेगा क्या ? आपने सरकारी नम्बर दिये हुए हैं किसलिए दिये हैं और क्यों नहीं उनका स्टाफ उनको बताता। मान्यवर, यह अपमानजनक स्थिति है दिन ब दिन यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। मैं उन अधिकारियों के नाम नहीं लेना चाहता और यह परम्परा भी नहीं रही है कि उनके नाम लिये जायें। लेकिन मुझे खेद है कि उच्च स्तर पर बैठे हुए अधिकारी भी इस स्तर का रवैया अपनाये हुए हैं कि जैसे जनप्रतिनिधि के लिए कोई स्थान न हो इतनी उपेक्षा का भाव उनके अंदर आया हुआ है। मान्यवर, कई चीजें मा0 नेता प्रतिपक्ष ने रखी हैं। मान्यवर, मैं सामान्य प्रशासन से संबंधित कह रहा हूं। एक विश्वविद्यालय का मामला है। सारी औपचारिकता पूर्ण हो गयी। विश्वविद्यालय का नाम है महर्षि उत्तर प्रदेश सूचना एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। लखनऊ में होना है। सब औपचारिकता पूरी है। केवल अंतिम स्टेज पर उस पर हस्ताक्षर होने थे। उनका समय था कि अभी स्थापना हो जाएगी। जो कार्यवाही होनी है वह पूर्ण हो जाएगी। इसी संदर्भ में मैंने एक संबंधित अधिकारी से चाहा, क्योंकि एक महापुरुष के नाम पर है और उनके प्रयास से इस विश्वविद्यालय की स्थापना होनी थी। मैंने भी गुस्ताखी कर ली उनको फोन करके ताकि इसका जल्दी निस्तारण हो जाये। फोन तो उठाया नहीं न उनका बाद में कोई कालबैक आया और उस फाइल को पड़े हुए महीनो हो गये। एक नहीं न जाने कितनी फाइलें ऐसी हैं और होना होगा तो एक घण्टे में हो जाएगा। यह उचित बात तो नहीं है। यह जनहित के काम हैं। जनहित के काम में उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। ऐसे ही थानों के बारे में आपने कहा कि उनकी शक्ल सुधारनी है। बहुत अच्छी बात है। थाने की शक्ल भी सुधरे थानेदार की भी कार्यपद्धति सुधरे। दोनों काम सुधरेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। आप सिपाहियों की भर्ती करने जा रहे हैं। जल्दी से जल्दी करिये। क्योंकि बिना मैन पावर के भी कन्ट्रोल नहीं होगा। साथ-साथ मैं चाहता हूं कि चाहे बजट में और प्राविधान करना पड़े। मैकेनाइज की बात केवल कुछ जगह कैमरे लगाकर नहीं कंट्रोल होगा। जब तक थानों के अंदर अच्छी गाड़ियां नहीं होंगी यह मोबाइल नहीं होगे उनको सारी सुविधा नहीं होगी उन बादमाशों का यह मुकाबला नहीं कर पायेंगे।

दूसरी बात कि एक परम्परा बनी हुयी थी कि 55 साल की उम्र के बाद थाना प्रभारी न बनाओ भागदौड़ नहीं कर पाएगा, सी0ओ0 न बनाओ भागदौड़ नहीं कर पाएगा। लेकिन कुछ खास लोग हैं वह तो मेरे खयाल में रिटायरमेंट के अंतिम दिन तक वहीं पर बैठे रहेंगे। कानून-व्यवस्था को सुधारने पर उनकी क्या प्राथमिकता होगी। नौजवानों को लगाइये उनको जिम्मेदारी दीजिए वह भागदौड़ करेगा। ऐसी स्थिति बने तो अच्छा है। आपको स्मरण होगा, संसदीय कार्य मंत्री जी यहां पर थे, मा0 मुख्य मंत्री जी शायद नहीं थे, एक चर्चा के दौरान मैंने जिक्र किया था। जब आपके थानाध्यक्ष की मानसिकता ऐसी बन जायेगी कि जो भी कोई मिलने जायेगा, उसके सामने वह कहीं न कहीं फोन जरूर

करेंगें किसी बहुत सीनियर नेता को करेंगे फोन जानबूझ कर करेंगे पता नहीं फोन बनावटी है या सही है और यह रौब डालने की कोशिश करेंगे कि उनके सम्बन्ध ऊपर हैं, तुम्हारी औकात क्या है, तुम यहां कैसे आ गये थाने में। मान्यवर, मैंने एक जिक्र किया, जो व्यक्तिगत जानकारी मुझको बताई गई थी, मैंने जिक्र किया और संयोग से दो दिन के बाद में जितने टी0वी0 चैनल थे, उन टी0वी0 चैनलों के ऊपर वही थानाध्यक्ष जो ऊपर फोन करता था, दिल्ली करता था, कहां-कहां करता था, डांस कर रहा है, एक घण्टे डांस दिखाया उनका, पब्लिक बाहर खड़ी, फरियादी बाहर खड़े, उनके हाथ में गिलास है, दूसरे के हाथ में बोतल है, कपड़े खुले हुए हैं और वह सार्वजनिक रूप से वहां डांस कर रहा है। मान्यवर, अगर ये कल्चर हो गई, ये संस्कृति हो गई, हां उस दबंग पिक्चर के हीरो ही होंगे उनके साथ में, उन्हीं से सीखा होगा, अगर ये कर्मचारी, ये लोग, ऐसे अधिकारी थानों में बैठ करके इस प्रकार का अपना आचरण दिखायेंगे तो पब्लिक के ऊपर उनका प्रभाव पड़ेगा क्या, कभी नहीं पड़ सकता है।

इसमें मा0 मुख्य मंत्री जी मैं कुछ सुझाव दूंगा, आप मानें या न मानें। मेरा सुझाव यह है कि एक बार आप मजबूती के साथ रहें, दबाव मुक्त हो करके, दबाव हर प्रकार का होता है, जाति का भी दबाव होता है, अपेक्षा करते हैं लोग, यह हमारे यहां एक जहर पैदा हो गया है मान्यवर और आपका पैदा किया हुआ नहीं है, यह समाज ने पैदा कर दिया, यह हमारी कुरीति हो गई, मुख्य मंत्री आप बनें हैं, लेकिन जो कहीं न कहीं से किसी आधार पर अपने आपको नजदीक बताते हैं, अपने आपको मुख्य मंत्री मानें ठीक है, जनता मानें इसलिए कि हम नए लोकतंत्र से चुने गये मुख्य मंत्री, हम भी मुख्य मंत्री हैं, लेकिन उनके मन में ये अहम, ये अहंकार, ये दम्भ न पैदा हो जाय कि हम कुछ भी कर लेंगे, कितने भी पाखण्ड हम कर लेंगे, कितनी भी रिश्वत हम ले लेंगे, हमारा कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, बस इसको निकाल दीजिए दिमाग से उनके, दो-चार को सस्पेण्ड करना पड़े, कर दीजिए, क्योंकि यह प्रदेश की जनता के हित में होगा और एक तरह से हमें शान्ति मिल पायेगी। आज मान्यवर, स्थिति हो तो गई है, अभी सुबह के चैनल पर मैं देख रहा था, महिला पैदल जा रही है, गाजियाबाद की बात है, पीछे से मोटरसाईकिल वाला आता है, झपट्टा मारता है गले में चेन का। अगर उस क्षेत्र के थाने को यह जानकारी न हो कि यहां पर चेन स्नेचर कौन-कौन हैं, तो कहीं न कहीं उनकी इण्टेलिजेन्स की कमी है और अगर जानकारी है और वह ईमानदारी से चाहते हैं कि उनको नियंत्रित कर लें मान्यवर, तो नियंत्रित करके रहेंगे, नियंत्रण हो के रहेगा और जनता शान्ति से रह पायेगी। ये अनुशासनहीनता का भाव जो आ गया मान्यवर, अरे होगा, ठीक है होता रहेगा, एक-दो प्रकरण आयेगा, ज्यादा हाईलाईट हो जायेगा, कार्यवाही हो जायेगी। उस मानसिकता से बच करके मेरा अनुरोध है इस किस्म का जो कोढ़ लग गया प्रशासन में, इस किस्म की जो प्रवृत्ति हो गई थानों में मान्यवर, इस पर नियंत्रण होना चाहिए, यही मैं चाहता हूं। तीन-चार बात कह कर पुनः उस पर बल देकर समाप्त करूंगा अपनी बात, नम्बर-एक कि अवैध शराब के धन्धें पर एक बार अभियान चला करके बन्द करा दीजिए इसको, आज गांवों के लोग, बुजुर्ग लोग रोते हुए आते हैं कि वह दुकान छोटी-छोटी बना लेते हैं सिगरेट की या और ऐसे समान की, खुलेआम वहां पर बिक रही हैं, बिकवाता कौन है जो अधिकृत ठेकेदार हैं। उसने वाउटलेक बना दी उनके अन्दर जा कर के और गांवों के बच्चे, 18 साल के 16 साल के क्योंकि बाहर तो आप नियंत्रित भी कर लेंगे, उनमें कैसे नियंत्रित आप करेंगे, उनकी आदत खराब

होती जा रही है और उसके बाद जब पैसे नहीं रहते, तो जा करके चोरी करते हैं फिर, फिर मान्यवर सड़क पर खड़े होकर के साइकिलों को लूटते हैं, मोटरसाइकिलों को लूटते हैं, जेब काटते हैं। ये अभियान चला करके 15 दिन का, एक महीने का अभियान चला करके सघन अभियान चला करके और जो भी सिफारिश आये, सबकी सिफारिश निरस्त और कण्ट्रोल करिये, उस पर कार्यवाही कराइये।

दूसरी बात मान्यवर, ठेकेवाली बात है रेत की, ये भी एक अपराधों का अड्डा बन गया, क्योंकि कुछ बहुत बड़े-बड़े माफिया जो अरबों में, खरबों में खेल खेलते हैं, वह वर्ग आ गया इसमें और अपने पैसे के बल पर उन्होंने इसको एक तरह से कैप्चर कर लिया पूरी व्यवस्था को, उस व्यवस्था को आप दूर कर पायेंगे क्या, आप विधिवत् ठेका छोड़ दीजिए ब्लाक बना दीजिए, ब्लाक बनाने के बाद में आपकी जो भी स्थिति बने एक वर्ग विशेष सुविधा देने की बने, जो रेत से, नदी से जुड़ा हुआ समाज रहा है, उसको देने की बने, कोई भी नीति आप बना करके इस धन्धे को भी इस तरह से नियंत्रित कर दीजिये ताकि उन लोगों को अपराधियों की आवश्यकता न पड़े। मेरे ही जिले में कुछ दिन पहले एक बार मैंने जिक्र भी किया था, आप थे नहीं यहां पर। ठेका छूटा हुआ कुछ साधारण लोगों को, उनके ठेके छूटने के बाद में जो माफिया थे, उनको अलग किया गया लेकिन जब वे ठेकेदार रेत का खनन करने गये तो एक बहुत ही वरिष्ठ आपके यहां बहुत ही वरिष्ठ नेता है वो क्योंकि आपने टिकट भी दिया है उनको, आपके यहां पर जो वरिष्ठ हैं, ले करके पहुंचा, फायरिंग किया, पिटाई की, जबरदस्ती उसकी किडनैपिंग की। हाहाकार मच गया पूरे जिले में, लोगों ने प्रदर्शन किया तब जा करके वहां की पुलिस ने उसके खिलाफ 307 का मुकदमा कायम किया। आप एक बार पूछ तो लीजिये उनसे कि तुम राजनीतिक आदमी हो, तुम पार्टी में आ करके पार्लियामेण्ट में पहुंचने की इच्छा रख रहे हो और ऐसे काम कर रहे हो। मेरा इसमें कोई रोल नहीं, किसी और का कोई रोल नहीं, पब्लिक का कोई कहना नहीं उसमें। ये जब जिला प्रशासन मजबूर हो गया, नियंत्रित नहीं कर पाया तो मजबूर होकर तब उन्हें पब्लिक के गुस्से को शांत करने के लिये करना पड़ा। ये मैं कह रहा हूं, आप एक बार पूछिये, कण्ट्रोल करिये उन लोगों को और एक बार उन लोगों को संदेश मिले कि नहीं, तुम्हारी गलत गतिविधियों को हम सहन करने वाले नहीं हैं। एक संदेश पूरे प्रदेश में जायेगा, मैं एक जनपद की बात नहीं कर रहा हूं। इसमें कठोरता के साथ में विचार होना चाहिये और कार्यवाही होनी चाहिये। ऐसे ही जुएं के अड्डे खुले हुये हैं, उन अड्डों को खत्म कराइये और अन्त में मैं कह रहा हूं कि इससे यह समस्त प्रदेश त्रस्त है।

मान्यवर, कई बार हम चर्चा कर चुके कि दूध हमारा खत्म होता जा रहा है पूरे प्रदेश में। ये जो अवैध पशु-वधशालायें चल रही हैं, पशुओं की कटान चल रही है मान्यवर और आज साधारण व्यक्ति को साधारण किसान के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये आ गयी है कि अपने पशुओं की सुरक्षा वो कैसे करे। ये धन्धा क्यों बढ़ा कि जो भी बड़े आदमी हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों मान्यवर। मुख्य मंत्री जी एक बार कठोर दिल करके उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करिये जो लोग अवैध वधशाला चला रहे हों, पशुवध कर रहे हों। जहां उसका लाइसेंस 50 पशुओं का है, वो वहां पर खड़े हो करके 500 काट रहा है। वहां पर सी0सी0 टी0वी0 कैमरे लगाइये। कैमरे लगाने के अलावा आप स्थानीय अधिकारियों को चेतावनी दीजिये कि नहीं, इस पर नियंत्रण किया जाये। तब तो हमें एक स्वच्छ प्रशासन मिल पायेगा, तभी तो हमें शांति मिल पायेगी। किसान तभी तो आराम से सो पायेगा। वरना

रात भर देखता है कि भैंस गयी या है, भैंसा गया या है। ये चिन्ता उसको सता रही है। रहा इसका अपहरण का, अपहरण में निश्चित रूप से पहले की अपेक्षा कमी आयी है और भी कमी आयेगी। एक प्रकार से जो गिरोह इस काम में लगे हुये हैं, उनको चिन्हित करके कार्यवाही अगर कर ली जायेगी। वरना ये एक ट्रेण्ड सेट हुआ अपहरण का मान्यवर। अब ये मासूम बच्चों का अपहरण करने लगे हैं और उसमें कई बार उनके घर के आदमी भी शामिल होते हैं। अभी मान्यवर एक घटना हुयी, शोर मच गया, मेरे पास भी भागे आये कि अपहरण हो गया बच्चे का, तीन साल के बच्चे का अपहरण हो गया। पता लगा कि परिवार का ही ताऊ था, पैसे थे नहीं उसके पास, जमीन थी नहीं। 12 लाख की डिमाण्ड कर रहा था, बेईमान बैठा हुआ। ये भी घटनायें हैं लेकिन साथ-साथ जो लोग इस धन्धे में लिप्त हैं, आदी हो गये हैं, उन पर कार्यवाही होनी चाहिये। आज ये जनता में संदेश जाना चाहिये कि नहीं, हम इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मान्यवर, आखिरी बात कह रहा हूं कि परीक्षायें चल रही हैं, दिक्कतें भी आ रही हैं। जो वहां पर निरीक्षक बने हुये हैं, शिक्षा निरीक्षक बने हुये हैं, उनकी भी शिकायत आ रही है। नकल भी हो रही है, नकल का धन्धा तो रुकना ही चाहिये। वरना हमारे प्रदेश की ख्याति खराब हो रही है। हमारे बच्चे जब जायेंगे किसी इण्टरव्यू में तो उस इण्टरव्यू में बैठ करके यही कहा जायेगा कि उत्तर प्रदेश से आये हो, फलां जगह से आये हो और कुछ हमारे ये फिल्म वाले हमारे पीछे लगे हैं। कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पीछे तो लग ही गये हैं। ये कुछ फिल्में हैं जिला गाजियाबाद करके, जॉली एल0एल0बी0 करके, वहां सिर्फ इस बात को दिखाने के कि हम लोग फर्जी डिग्री लेने के आदी हो गये हैं। उनकी बात है, उनका अधिकार है, वह जैसे भी प्रदर्शित करें, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से नियंत्रित करें कि कोई फर्जी डिग्री न हो, हमारी डिग्री का महत्व हो, हमारी परीक्षाएं सार्थक हो। मान्यवर, यही कुछ चंद बातें कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, और मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक हमारे सदस्यगण इसमें भागीदारी करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, एक सूचना देना चाहते हैं आजमगढ़ जनपद की फूलपुर...

श्री अध्यक्ष-

अभी आपको फिर मौका मिलेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

वह सीरियस है मान्यवर। एक लड़की है डिम्पल मौर्या, पिता जी नहीं हैं उसके स्वर्गीय हो चुके हैं और गैंगरेप की शिकार है। बुरी तरह से क्षत-विक्षत है, जिस प्रकार से दिल्ली में कांड किया गया था, वह जिला अस्पताल में भर्ती है, अगर सरकार निर्देश दे दे, तो सरकारी अस्पताल पर पी0जी0आई0 या किसी अच्छे अस्पताल में इलाज हो जाए, तो हो सकता है कि बच जाए अन्यथा वह बिल्कुल नियर टू डेथ है, तो इसको संज्ञान में ले करके इस पर प्रभावी कार्यवाही करायें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री हुकुम सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, 40 हजार पुलिसकर्मी बर्खास्त हुये थे कभी, आपने उन्हें बहाल किया, कोर्ट ने आदेश दिया कि उनका जो वेतन है, वह उनको दिया जाए। उस समय का वेतनवृद्धि का मामला भी

पेंण्डिग है आपके यहां, जब आपने उनको नौकरी दी है। उनकी तो कोई खता नहीं थी, बेचारों की, बकायदा जो सेलेक्शन की व्यवस्था थी, उस सेलेक्शन की व्यवस्था के आधार पर आये थे आपके यहां।

श्री प्रमोद तिवारी-

हाईकोर्ट से आर्डर भी हो गया है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, हाईकोर्ट से भी निर्देश हो गया है, उसमें विचार कर लीजिए और उनको जो रिलीफ मिल सकता है, वह रिलीफ दे दीजिए।

श्री प्रदीप माथुर-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने सामान्य प्रशासन और गृह विभाग के महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का मौका दिया, मैं मा0 नेता प्रतिपक्ष की कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और मा0 भाजपा नेता श्री हुकुम सिंह जी की बातों से अपने आपको सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, जब सरकार आई थी, एब्सल्यूट मेजोरिटी की और नौजवान मुख्य मंत्री जी कुर्सी पर विराजमान हुये थे, सपने दिखाए थे एक उत्तम प्रदेश के, सपने दिखाये थे कि औद्योगीकरण होगा, विकास होगा। हम अपने आपको सम्बद्ध करते हैं आपकी बातों से, आपने सपने दिखाए थे अच्छा पर्यटन होगा, लोग आएंगे, पर मान्यवर, आएंगे तब जब कानून-व्यवस्था सुदृढ़ होगी। कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के बाद एक माहौल बनेगा, माहौल बनाने के बाद निवेशक आएंगे और पर्यटक आएंगे। अभी एक साल हुआ है, 4 साल बाकी हैं। उम्मीदें हैं आपसे कि आप कुछ करेंगे, कर दिखाने का प्रयास करेंगे, विजन रखते हैं आप, सोच रखते हैं, कुछ करने की शक्ति रखते हैं। पर मान्यवर, काम कैसे चलेगा, यदि एक साल के आप, मैं किसी आंकड़ों में नहीं जाऊँगा, क्योंकि नियम-56 में गृह विभाग और कानून-व्यवस्था में काफी चर्चा हो चुकी है, पर वह कोषी से धधकी हुई आग नोयडा पहुंची, इलाहाबाद पहुंची, लखनऊ पहुंची, गाजियाबाद पहुंची, प्रतापगढ़ पहुंची और फैजाबाद पहुंची तो यह हमारी जो पुलिस की इंटर्नल विजिलेंस है, वह क्या करती रहती है, उनको सब आभास होता है। सब पता होता है कि क्या घटना कहां घटने वाली है और उनको जनप्रतिनिधि लोग फोन भी करते हैं कि यहां यह घटना हो रही है। वहां के दरोगा, वहां के एस0एस0पी0, वहां के एस0एच0ओ0 इतने अलर्ट नहीं होते और वह कतई भी इस बात को तरजीह और तवज्जो नहीं देते कि जनप्रतिनिधि क्या कह रहे हैं, और सामान्य आदमी और सामान्य व्यक्ति क्या कह रहा है।

मान्यवर, यदि आप सामान्य प्रशासन की बात करें, तो एक तरह से आरोप कहिए या सत्तापक्ष का प्रभाव कहिए अधिकारी हमारे पक्ष की तो सुनते ही नहीं। इस विपक्ष की सुनते ही नहीं हैं, आप फोन कर दीजिए। अभी मा0 हुकुम सिंह जी ने कहा, हम लोग फोन करते हैं, हम लोग कोई कागज भेजते हैं, चाहे वह विकास से जुड़ा हुआ हो, चाहे जन समस्याओं से जुड़ा हुआ हो, पर वह अधिकारी विपक्ष में बैठे विधायकों की नहीं सुनते, सत्तापक्ष के विधायक उनको घेरे बैठे रहते हैं, मंत्री घेरे बैठे रहते हैं। आपकी स्थानीय समाजवादी पार्टी की इकाइयों के पदाधिकारी घेरे बैठे रहते हैं। हम लोग समय मांगते हैं, जिलाधिकारी से, एस0एस0पी0 से वह टाइम नहीं देते क्योंकि हम लोग भी अपने-अपने इलाकों से चुनकर आए हैं। सामान्य प्रशासन का मामला है, समदृष्टि होनी चाहिए। आपने समग्र विकास की जब बात कही थी तो हमारे आदरणीय नेता प्रमोद तिवारी जी, कहते हैं कि समग्र

विकास तभी होगा, जब 403 विधान सभा क्षेत्रों का विकास होगा, यह तभी होगा जब 403 विधायकों के बारे में आप सुनेंगे और 403 में से आप ही के विधायकों की सुनी जाती है, इस पक्ष के विधायकों की नहीं सुनी जाती है। मान्यवर, यही हाल पुलिस का है आप यहां देखिए कि आप यहां डी0जी0पी0 कितना अच्छा लगा लें, प्रमुख सचिव होम भी लगा लें, ए0डी0जी0पी0 भी लगा लें आप कितने ही आई0जी0, डी0आई0जी0 लगा लें पर आपकी सरकार में दरोगाराज चल रहा है और आज स्थिति यह है कि दरोगा बिल्कुल डी0जी0पी0 और आई0जी0 और प्रमुख सचिव हो रहे हैं। मान्यवर, आप इस बात को गम्भीरता से लीजिए। मान्यवर, आज यह सब दंगों के कारण यह है कि वह मद-मस्त हैं इस पर कन्ट्रोल करिये। मान्यवर, कल हम लोगों ने मथुरा में शेरगढ़ की घटना बताई उसमें आपका सिपाही चौथ वसूल कर रहा था, यह एक जगह की घटना नहीं है पूरे प्रदेश में यह बात चल रही है। मान्यवर, कोई भी घटना होती है तो आप एक्शन लेते हैं और सस्पेन्ड करते हैं। एक सिस्टम आप क्रियेट करें जिसमें खौफ पैदा हो इन पुलिस के सिपाहियों में, दरोगाओं में, पुलिस के अधिकारियों में और प्रशासनिक अधिकारियों में। यह लोग जनप्रतिनिधियों का भी सम्मान करें। यह आप आदेश करें। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में जो जनपद बार्डर से लगे हुए हैं और जिन स्टेट से हमारे यह बार्डर टाउन और जिले जुड़े हुए हैं उसमें क्राइम ज्यादा होता है। मान्यवर, इनमें मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद आदि सम्मिलित हैं। मान्यवर, यहां पर आपको पुलिस चेक-पोस्ट और वह भी हाई-टेक स्थापित करने होंगें और सी0सी0 टी0वी0 लगाने होंगे। पुलिस की मौजूदा स्थिति को एक नई शक्ल देनी होगी। उसे मार्डन बनाना पड़ेगा। मान्यवर, यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले और कुछ और जिले राजस्थान और हरियाण के बार्डर पर हैं। यहां पर मेवाड़ के बदमाश आते हैं और पशुओं का अपहरण होने लगा है। वह चेक-पोस्ट भी नहीं देखते हैं। मान्यवर, वह इंजेक्ट करते हैं और पशुओं को चुरा कर ले जाते हैं और पता नहीं लगता कि वह कब अपहरण हो गया। मान्यवर, इसी तरह से जो स्ट्रे पशु हैं उनको उठा ले जाते हैं और उससे उनके जो ओनर्स हैं, उनकी हालत खराब हो गयी है। मान्यवर, आप इस व्यवस्था में सुधार करने का कष्ट करें। जो बार्डर टाउन हैं वहां पर चेक-पोस्ट और वह भी हाई टेक तथा सी0सी0 टी0वी0 के साथ स्थापित कराने का कष्ट करें ताकि दूसरे राज्यों से आकर कोई अपराधी वहां अपराध न कर सके।

मान्यवर, आज आपकी रिवर पुलिस पूरी तरह से कागजों पर है। आपका इलाहाबाद है, बनारस है, मथुरा है, यहां पर गंगा और यमुना के किनारे रोज हजारों तीर्थ यात्री दर्शन के लिए वहां आते हैं और वहां रिवर पुलिस की कोई व्यवस्था न होने के कारण कानून का पालन नहीं हो पाता है। मान्यवर, उसमें भी आपको व्यवस्था करनी होगी। इस पर आप विचार करें। मान्यवर, इसी तरह से हाई-वे पर पुलिस हो, एक्सप्रेस-वे पर पुलिस हो वहां एम्बुलेंस हो और न्यूरो सर्जरी से सम्बन्धित विशेषज्ञ हों और हास्पिटल की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। मान्यवर इन व्यवस्थाओं के अभाव में जब कोई एक्सीडेण्ट हो जाता है तो घायलों को रिलीफ मिलने में दिक्कतें होती है। इसलिए ऐसी जगहों पर हास्पिटल की व्यवस्था भी जरूर की जाय जिससे लोगों की जान बच सकती है।

मान्यवर, आज आप फायर-स्टेशनों की हालत देख लें वह बिल्कुल कब्रिस्तान बने हुए नजर आते हैं। वहां पर जो गाड़ियां हैं वह खस्ताहाल हैं। उनको आपको मार्डनाइज करना पड़ेगा। उनको एक्टीवेट करना पड़ेगा। मान्यवर, जिस तरीके से आपने अग्निशमन केन्द्रों के लिए 100 नम्बर की व्यवस्था की

है। मान्यवर, वह फायर ब्रिगेड के कर्मचारी फोन उठाते नहीं हैं उस वजह से भी देर हो जाने पर किसानों का पूरा खेत जल जाता है और कितना नुक्सान हो जाता है। मान्यवर, अग्निशमन विभाग के एक्टीवेट न होने से कितनी दुर्घटनायें हो जाती हैं। इन्हें आप वेलइक्यूप्ड कीजिए, मार्डन बनाइये ताकि वह लोगों की आकस्मिकता में सहायता पहुंचा सके। मान्यवर, वहां आपने बुर्जर्ग सिपाही तैनात कर रखे हैं। आप वहां नौजवान और एक्टिव लोगों को रखें ताकि लोगों की तेजी से मदद हो सकें। मान्यवर, आपने उत्तर प्रदेश में अग्निशमन केन्द्रों के लिए गाड़ियों की व्यवस्था हेतु कई कारखाने बना रखें हैं लेकिन प्राइजप्रेफेरेन्स की पॉलिसी को आपने स्क्रैप कर दिया है जिसके कारण दूसरे प्रदेशों के लोग आकर टेण्डर डाल रहे हैं और गाड़ियां दे रहे हैं। जिससे आपको प्रदेश में वैट का नुक्सान हो रहा है। इसको आप देखें।

मान्यवर, अभी रिवरबैड की बात आई। मान्यवर, आप उठाकर आंकड़े देख लीजिए उस रिवरबैड की जगहों पर कितने भू-माफियाओ ने जमीनों पर कब्जा कर रखा है और पांच सौ मीटर की लम्बाई तक नदी के किनारे वह भू-माफिया कब्जा करके निर्माण भी करा लिए हैं उसका नतीजा यह है कि वह रिवर बैड की जमीनें अधिकांशतः घेर ली गयी हैं और कालोनी बना ली गयी हैं जबकि जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है उसके मुताबिक आप उस लिमिट के भू-भाग तक कोई हाउसिंग फैसिल्टी डेवलेप नहीं कर सकते हैं लेकिन आपके अधिकारी सब आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। मान्यवर, जब बाढ़ आती है, स्थिति विस्फोटक होती है तो उन गरीबों का सब टूट-टूटकर बर्बाद हो जाता है। मान्यवर, वह लोग मुआवजे की मांग करते हैं आप कह देते हैं कि वह कालोनी ही अवैध है, तो उनको सहायता नहीं मिल पाती है। यदि मान्यवर, रिवरबैड पुलिस वहां रहेगी तो वह लोगों को रहने से रोक सकती है। मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं सर्राफा व्यवसाइयों की लूट होती रहती है और हमारे मथुरा में खासकर सेलम में साउथ में मथुरा उत्तर प्रदेश का चांदी व्यवसाय का सबसे बड़ा केन्द्र है वहां पर रोज लूट होती है, वहां पर आपको सचल दल बनाने होंगे और सरकार की तरफ से आपको एक टफ स्टैण्ड लाना होगा कि हर सर्राफा व्यवसाई एक लिमिटेड एमाउन्ट की चांदी और सोने की वह इंश्योरेंस कराये। चूंकि कोई प्रशासन का दबाव नहीं होता इसलिए वह अपनी चांदी और सोना का इंश्योरेंस नहीं कराते और जब लुटपिट जाते हैं तो उसका नतीजा यह होता हे कि वह समझते हैं कि वह बिलकुल बरबाद हो गये, बिलकुल समाप्त हो गये। मान्यवर, सरकार ही उन पर दबाव बनाये, पुलिस प्रशासन ही सर्राफा व्यवसाइयों पर दबाव बनाये कि वह अपने चांदी और सोने के कुछ एमाउन्ट का वह इंश्योरेंस कराये।

मान्यवर, इसके अलावा मैं यह कहना चाहूंगा कि जब आग लगती है तब दंगे होते हैं जैसे नोएडा मे दंगा हुआ तमाम उद्यमियों का 36 हजार करोड़ की प्रापर्टी जलकर खाक हो गयी। इतनी मुश्किल से इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलप होते हैं, कितनी मुश्किलों से इंडस्ट्री लगती है कुछ दंगाई इस तरह की हरकत कर देते हैं तो कैसे उद्योग पनपेंगे इस प्रदेश में, मुझे इस बात की चिन्ता है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस तरह के इंडस्ट्रियल एरियाज में जब कोई दंगे होते हैं तो आपकी पुलिस मूकदर्शक की तरह खड़ी रहती है, दंगाइयों को खुली छूट दे देती है इस तरह की कारगुजारियां करने के लिए तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जहां पर बड़े-बड़े इंडस्ट्रियल एरिया हैं वहां पर स्पेशल पुलिस फोर्स लगाई जाय जिससे कि वह उद्यमी अपने आपको सुरक्षित समझे, अपने आपको प्रोटेक्टेड समझें।

मान्यवर, इसी तरह से प्रदेश में बड़े-बड़े मंदिर हैं चाहे वह काशी का मंदिर देखिये, चाहे मथुरा में वृन्दावन बांकेबिहारी का टेम्पिल देखिये, गोबर्धन की परिक्रमा मार्ग देखिये, द्वारिकाधीश का टेम्पिल देखिये, कात्यायिनी टेम्पिल देखिये, हर बार हम प्रमुख सचिव गृह को कहते हैं, मुख्य मंत्री जी आपको भी कह रहे हैं यहां लाखों तीर्थयात्री आते हैं दर्शन करने के लिए कोई सिस्टम नहीं है, दर्शन करने का आप जाकर देखिये तिरुपति बालाजी में वहां के मैनेजमेन्ट ने एक सिस्टम बना रखा है, और नतीजा यह है कि स्टैम्पीड होती है और रोज चेन स्नैचिंग होती है। उन मंदिरों में शासन-प्रशासन सख्ती करे। दर्शन करने का सिस्टम बनाये और वहां स्पेशल पुलिस फोर्सेज लगायी जाय, भगवान न करे कोई घटना हो जाय, अभी मैं कुछ बोलूंगा तो आजम खां साहब कहेंगे कि अशुभ बोल रहे हो, अशुभ नहीं बोल रहा मैं, शुभ ही बोल रहा हूं मै चेता रहा हूं आगाह कर रहा हूं कि मंदिरों में इस तरह की कोई घटना न हो जाय आतंकवादी। वहां पर इन्टरी पर पुलिस व मेटल डिटेक्टर और इक्जिट पर मेटल डिटेक्टर लगवाइये, पुलिस फोर्सेज लगाइये जिससे कि भविष्य में कोई ऐसी घटना न हो जिसको रोका न जा सके। यह पूरे उत्तर प्रदेश के मंदिरों का मामला है, बहुत गम्भीर विषय है।

इसी तरह से जितने भी घाट हैं नदियों पर जहां पर बड़े बड़े स्नान होते हैं वहां पर भी जब स्नान हो या परिक्रमा लगे तो पुलिस फोर्स लगनी चाहिए। मान्यवर, पहले मेला में घोड़ा पुलिस लगा करती थी और वह घोड़ा पुलिस का कंसेप्ट ही खत्म हो गया। वह घोड़ा पुलिस में एक सिपाही बैठा रहता था, दारोगा बैठकर घूमता था उससे मेले में जितने भी अनवान्टेड इलीमेन्ट्स या अवांछित लोग होते थे वह सतर्क रहते थे अब वह घोड़ा पुलिस का कंसेप्ट ही खत्म हो गया है यह कंसेप्ट भी आपको शुरू कराना चाहिए जिससे कि जो जगह-जगह पर मेले लगते हैं या आज जहां बहुत ट्रैफिक रहता है उसे कंट्रोल करने की जरूरत है। आपने बड़े शहरों में ट्रैफिक को कंट्रोल करने की बात कही मैं यह कहना चाहता हूं कि जो बड़ी धार्मिक नगरियां हैं या जो उत्तर प्रदेश के बड़े शहर हैं उसमें लोग जाम से त्रस्त हैं। हालत यह रहती है कि एक आदमी बाहर से आ जाय वह उत्तर प्रदेश के शहरों में वन-वे ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं है, जाम लगे रहते हैं हमें जहां पब्लिक को ट्रेण्ड करना होगा वहीं पुलिस को भी ट्रेण्ड करना होगा। आपके ट्रैफिक पुलिस के लोग खाली चौथ वसूली में लगे रहते हैं वाहनों से। आप सुबह चले जाइये हाईवेज पर, चौराहों पर, ट्रकों को रोक लेते हैं और उनसे चौथ वसूली करते हैं। किसी का ध्यान ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिये नहीं जाता। नतीजा क्या होता है कि कंजेशन है, पूरे शहर जाम से अटे पड़े हैं। किसी जगह पर जहां आप 15 मिनट में पहुंच सकते हैं, वहां दो-दो घन्टे लग जाते हैं। आप दूर क्यों जा रहे हैं, आप असेम्बली के ही चारों तरफ देख लीजिये कि पीक आवर्स में आप असेम्बली में ही नही घुस सकते। गाड़ियां लेकर अंदर नहीं आ सकते, सारी की सारी ट्रैफिक व्यवस्था जाम रहती है और कोई इम्पार्टेंट मीटिंग हो, आप ही के साथ मीटिंग हो या संसदीय कार्य मंत्री जी के साथ मीटिंग हो, तो आप समय पर नहीं पहुंच सकते। तो आपको ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिये मुस्तैद ट्रैफिक नियम बनाने पड़ेंगे, सख्ती करनी पड़ेगी और उत्तर प्रदेश में इतने अवैध कब्जे हो चुके है तो इन अवैध कब्जों को हटाने के लिये भी आपको ड्राइव चलाना पड़ेंगे, क्योंकि पोलाइटनेस, साफ्टनेस तो इलेक्शन ईयर में कराइये, पुरानी कहावत है शासन डंडे का, व्यापार ठंडे का तो आप शासन करिये, आजम खां साहब बगल में बैठे हैं, इनके अनुभव का लाभ उठाइये, शासन डंडे का करिये और व्यापार ठंडे का करिये जिससे कि प्रदेश आगे बढ़ सके और आपसे प्रदेश को बहुत

उम्मीदें हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप नये आयामों पर चलकर उत्तर प्रदेश को सही रास्ते पर लाने का प्रयास करेंगे।

*श्री दलवीर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे आपने बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। हमारे पूर्व विद्वान साथी बहुजन समाज पार्टी, बी0जे0पी0 और काग्रेंस के नेताओं ने बड़े विस्तार से इस बजट पर अपने-अपने विचार व्यक्त किये हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी, देखिये प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसी है, हम लोग रोज अखबार पढ़ रहे हैं, रोज देखते हैं मुख्य मंत्री जी सरकार क्या एक्शन कर रही है, यह सबको पता है। मेरे केवल दो-चार सुझाव हैं। एक तो जनसंख्या इतनी बढ़ गयी है उसके हिसाब से थानों और पुलिस चौकियों का विस्तार हो।

तीन-चार बातें हैं माननीय मुख्य मंत्री जी को चौधरी चरण सिंह बनना पड़ेगा, चौधरी साहब का पैटर्न आपको अपनाना पड़ेगा। अभी आपको इस प्रदेश में और देश में 50 वर्ष शासन करना है, भगवान की कृपा से आपकी अभी इतनी उम्र है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में एक विजिलेंस सेवा है, मैंने एस0पी0 विजिलेंस आगरा से बात की और कहा कि भई तुम यहां बैठे हो, अच्छा खासा वेतन ले रहे हो, व्यवस्था है तुम्हारे हाथ में। पूरे आगरा मंडल में अलीगढ़ आगरा मंडल एक ही है और एक ही अधिकारी है एस0पी0 विजिलेंस, तो तुमने अब तक कितने केस ट्रैप किये। तो वह बोले कि हमारे पास कोई आया ही नहीं। फिर भी हमने पूछा कि साल में कितने केस ट्रैप किये तो बोले कि सिर्फ दो। मेरा आपसे निवेदन है कि ट्रैप व्यवस्था को मजबूत बनाइये, भ्रष्टाचार जो नीचे से हो रहा है, अगर एक-एक जिले में 10-10 कर्मचारी कचेहरी, कोर्ट, तहसील और थानों में ट्रैप हो गये तो लोग रिश्वत लेना बंद कर देंगे । इसके साथ ही मेरा आपसे निवेदन है कि अलीगढ़ मंडल हो गया है अलीगढ़ के कासगंज के और एटा के लोगों को देखना पड़ता है आगरा, कि वहां का एस0पी0 बैठा-बैठा कहता है कि इस किसान को एफ0आई0आर0 करने के लिये पहले मेरे पास भेजो, तब यहां एफ0आई0आर0 करने जायेगा, तब मेरा इंस्पेक्टर वहां ट्रैप करने जायेगा। तो यह इतना क्लिष्ट बना दिया है। आपके गृह विभाग के अधिकारी भी बैठे हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि विजिलेंस को इतना विजिलेंट कर दो, इतना तेज कर दो कि नीचे स्तर पर यह जो रिश्वत ली जा रही है, 10 केस अगर ट्रैप कर दिये तो रिश्वत रूक जायेगी। अगर उनको भेजो कचेहरी पर देखें, थानों पर देखें, लेकिन उन्हें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, खुल्म-खुल्ला रिश्वत ली जा रही है। तो वह क्या काम कर रहे है ? तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस विजिलेंस विभाग को आप सतक्र करिये, उनका जवाब तलब करिये, इनका सुपरविजन करिये, समीक्षा करें अधिकारी कि तुमने अब तक क्या किया। अभी कई बात और इम्पार्टेंट हैं, देखिये हम लोगों की गांव देहात में 3-4 समस्यायें हैं। आपका सिपाही तूली पर पकड़ने को भागा और तूली के पकड़ने के चक्कर में मथुरा में यह कांड हो गया, आपका सिपाही जब कोई कटी हुयी लकड़ी लेकर बुग्गी वाला जाता है..

(इस समय 02 बजकर 24 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुरेश कुमार खन्ना पीठासीन हुए।)

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपका सिपाही जब किसान कटी हुई लकड़ी बुग्गी पर लेकर जाता है या मजदूर लेकर जाता है तो सिपाही दौड़कर पकड़ता है कि लकड़ी वाले को पकड़ लो। वह चालान नहीं करता है उससे पैसा लेता है। मैं चाहता हूं कि आप आदेश करें कि किसी भी लकड़ी वाली बुग्गी को जब तक वन विभाग का अधिकारी न हो तब तक पुलिस के लोग नहीं पकड़ेंगे। लकड़ी को पकड़ने के लिए सिपाही तब तक न जाए जब तक वन विभाग का अधिकारी उसे निर्देश न दे कि बुग्गी पकड़िए। उसके पीछे लगा रहता है सुबह से शाम तक। सट्टे और जुए बढ़ गए हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं है। पशुओं की चोरी नहीं डकैती हो रही है यह कई बार बातें सदन में आ चुकी हैं। हमारे यहां जितने राजमार्ग हैं 91 जैसे बड़े-बड़े जो राजमार्ग हैं इन पर पेट्रोलिंग के लिए व्यवस्था की जाए। एन0एच0 91 में अलीगढ़ से लेकर गाजियाबाद तक पेट्रोल कार की व्यवस्था होनी चाहिए। जितने अपहरण और लूट हो रही हैं बुलंदशहर, खुर्जा, गाजियाबाद, अलीगढ़ यह सब रुकें। पेट्रोल गाड़ी इस पर चलती थी अब रुक गई हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए आप थानों का विस्तार करें। थाने बढ़ावे संख्या बहुत बढ़ गई है अलीगढ़ जिले में दो थाने और बढ़ाए जाएं। गौधा और बेसवां चौकी जो आपने टेम्परेरी खोल रखी हैं उनके लिए स्टाफ नहीं है। चौकियॉं बढ़ाई जायं। मेरे थाना गभाना में आपके अधिकारी बैठे होंगे गोली चली एक आदमी की मौत हो गई मौके पर जेल चले गए दो आदमी। उन पर दबाव बनाने के लिए हमारे राजनैतिक विरोधियों ने एक क्रास मुकदमा कायम करा दिया थाना गभाना में बड़े दुख की बात है जिसका लड़का मर जाए उसका बाप रो रहा है उसको भी नामजद कर दिया दो आदमी मेरे भी बढ़ा दिए कि दलबीर सिंह के दो आदमी बढ़ जाएंगे मरने वाले के बाप के नाम रिपोर्ट हो जाएगी तो दबाव बन जाएगा और फैसला हो जाएगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस केस की सी0बी0सी0आई0डी0 से जांच करवा लें और जो भी दोषी अधिकारी कर्मचारी दोषी हों उनके खिलाफ कार्यवाही हो।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय दलवीर सिंह जी आपकी आवाज आ रही है।

श्री दलवीर सिंह-

यह कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो देहात क्षेत्र से सम्बन्ध रखती हैं। जैसे जुगाड़ मैंने मान लिया कि हाईकोर्ट से आदेश हो गया कि यह नहीं चलाए जाएंगे लेकिन आपका आदेश ऐसा हो सकता है कि पुलिस इन्हें घेरे न। परेशान न करे जो किसान अपने काम के लिए जुगाड़ चला रहे हैं उनको चलाने दें। भैंसा बुग्गी लकड़ियों का पकड़ना इन सब चीजों पर अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो जनता इसी में आपकी जयजयकार करेगी और आप स्वयं चौधरी चरण सिंह बन जाइए। खुद ट्रैप करिए बेईमानों को पकड़िये तब आपका नाम होगा जनता खुश होगी बजट में कितना रुपया आपने दिया है नहीं दिया है यह तो यह लोग जानें मेरे तो यह दो चार सुझाव हैं इन पर थोड़ा तवज्जो करें। आप लोग जो यह कह रहे हैं कि बजट का समर्थन करें तो बजट का तो सब समर्थन ही कर रहे हैं कोई विरोध कहां कर रहा है। हमारे नेता प्रतिपक्ष ने विरोध नहीं किया अन्य दलों के नेताओं ने विरोध नहीं किया यह तो आपको देखना है कि कितना रुपया इस पर खर्च करना है कम करना है या बढ़ती करना है। यह हमारा काम नहीं है। हमारा काम है सुझाव देना वह सुझाव हम दे रहे हैं। आप इन पर कार्यवाही कराइए और ट्रैप कराइए चौधरी चरण सिंह जी की तरह चार छह जगह छापे डाल दें तो आपका

हल्ला हो जाएगा। जो हमारे यहां घटना हुई है उसके बारे में मैं लिखकर अभी दे रहा हूं। धन्यवाद।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी 10 मिनट पहले उत्तर प्रदेश युवक कांग्रेस के पदयात्री उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी से पदयात्रा करते हुए आ रहे थे माल एवेन्यू पर। वहां पर शान्तिपूर्वक पदयात्रा थी फिर भी स्थानीय पुलिस ने उनके ऊपर भयंकर लाठीचार्ज किया, उनको चप्पलों से पीटा, दर्जनों लोग घायल हो गये। पुलिस विभाग का बजट चल रहा है, उस पदयात्रा में हमारे दो विधायक भी थे, माननीय लल्लू जी और ललितेश त्रिपाठी जी, जहां लोकतान्त्रिक सरकार की बात हो रही है वहां इस तरह का उत्पीड़न युवक कांग्रेस के पदयात्रियों पर हो रहा है, यह बहुत अन्याय की बात है। जिन सी0ओ0 ने उनके ऊपर लाठी चार्ज किया, जूते-चप्पलों से पीटा, जिससे लोग घायल पड़े हुए हैं, उन सभी को तुरन्त निलम्बित किया जाए क्योंकि वह पदयात्री शान्तिपूर्वक पदयात्रा निकाल रहे थे और उनकी कोई मंशा हिंसा करने की नहीं थी और उनकी कोई मंशा किसी के खिलाफ बोलने की नहीं थी।

(भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेस पार्टी के कई माननीय सदस्यों के एकसाथ खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता-

आपके नेता जी ने पूरी बात कह दी है। कृपया बैठ जाएं।

*श्री पंकज कुमार मलिक-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं यहीं विधान सभा की बालकनी से देख रहा था कि सत्तारूढ़ पार्टी के कुछ युवा संगठन के कार्यकर्ता गये, उन्हें पुलिस ले करके गई, उन्होंने एक केन्द्रीय मंत्री का पुतला फूंका और हम यहां विपक्ष में रहकर भी विरोध नहीं कर सकते।

(सत्तापक्ष एवं कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

आपने अपनी बात कह ली और आपके नेता ने अपनी बात कह ली है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने सुन लिया और उसका संज्ञान भी ले लिया। अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े हो गये हैं आप पहले उनकी बात सुन लीजिए, कृपया बैठ जाएं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सरकार इतनी संवेदनशील है कि जैसे ही कॉग्रेस के माननीय सदस्य इस सदन में दाखिल हुए, माननीय मुख्य मंत्री जी ने तुरन्त पूछा कि क्या बात हो गई क्यों ऐसा मंजर है। ऐसा नहीं है कि आपके अचानक जाने और एक साथ लौटने का संज्ञान नहीं लिया गया, इस हद तक हमारी सरकार संवेदनशील है। जाहिर है जब तक पूरे हालात मालूम न हो जाएं तब तक कोई टिप्पणी विधिवत् रूप से यहां नहीं की जा सकती। आपने जितना कहा है उतने का संज्ञान लेते हुए मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे अन्दर भी सहनशीलता रहनी चाहिए और आपके अन्दर भी रहनी चाहिए और जहां तक नौजवान साथी ने कहा कि केन्द्रीय मंत्री का पुतला फूंका।

(कांग्रेस पार्टी के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

नहीं, नहीं, जो कहा गया वह रिकार्ड में है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग आपस में बात नहीं कीजिए, कृपया बैठ जाएं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आपका जो तरीका यहां है क्या यही तरीका बाहर भी था। क्या यही अंदाज जिस तरह से आप यहां वाइलेन्ट हो रहे हैं क्या इसी तरह बाहर भी किया है।

(श्री प्रदीप चौधरी के व्यवधान के मध्य कुछ कहने पर)

श्री अधिष्ठाता-

पहले संसदीय कार्य मंत्री जी की पूरी बात सुन लें उसके बाद जो कुछ कहना है वह कहें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आप यह आचरण रखेंगे और बाहर के आचरण की शिकायत करेंगे। यहां इतना गुस्सा करेंगे आप, हम खड़े हैं बराबर सुनने के लिए भी तैयार नहीं हैं और आप ही के एक सदस्य कहेंगे कि केन्द्रीय मंत्री का पुतला फूंका। कितने शर्म की बात है कि केन्द्रीय मंत्री ने क्या कहा और क्या सहनशीलता का सुबूत दिया ?

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

पुतला फूंकने की बात नहीं कही गयी।

श्री मोहम्मद आजम खां-

कहा गया इस सदन में।

(कांग्रेस पार्टी के तथा सत्तापक्ष के अनेक माननीय सदस्य अपने-अपने आसन पर खड़े हो गये और अपनी-अपनी बात कहने लगे जिससे शोर/व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

डा0 संग्राम यादव-

माननीय अधिष्ठाता जी, कहा गया है आप कार्यवाही निकलवा लीजिए।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया शांति बनाये रखें, जब संसदीय कार्य मंत्री जी बात कर रहे हैं तो बीच में व्यवधान न करें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैं यह बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि जो भी बाहर हुआ है अगर कोई ज्यादती हुई है तो हम तो उसे सही कह ही नहीं सकते। लेकिन आप भी इस बात का ख्याल रखें। दिल्ली के हालात अच्छे नहीं हैं, उन हालात को अच्छा बनाये रखने के लिए जिस प्रकार का कमेण्ट किया है आपके नौजवान साथी ने, उनसे भी कहिये कि वह भी थोड़ा सा संयम बरतें। जहां हमारा दिल दुःखा है, हमारे नेता के बारे में जिस तरह की बातें कही गयी हैं उसकी निन्दा कीजिए। बजाए निन्दा करने के आप उसका अहसान भी यहां रखेंगे कि पुतला फूंकने दिया गया यह भी आपका बड़ा अहसान है। हम इतने संवेदनशील हैं कि जैसे ही आप तशरीफ लाये हैं तो नेता सदन ने पूछा कि क्या हो गया ? हमने अपने एक साथी को भेजा पता करवाया, इशारे से आपसे भी मैंने पूछा कि क्या बात हो गयी, अभी

दिखवाते हैं कि क्या बात है और जिसकी भी ज्यादती होगी उसको सजा मिलेगी। आपसे फिर एक बार यही निवेदन है कि वहां संयम हो न हो, कम से कम सदन में संयम होना चाहिए।

(श्री प्रदीप माथुर के खड़े होकर कुछ कहने का प्रयास करने पर)

श्री अधिष्ठाता-

माथुर साहब पहले मेरी बात सुन लें, एक मिनट बैठ जाएं। देखिये, माननीय मुख्य मंत्री जी का बजट चल रहा है, बजट के ऊपर मा0 दलीय नेता बोल चुके हैं इधर (सत्तापक्ष) से भी माननीय सदस्य अपनी बात रखेंगे। आपकी बात कांग्रेस के नेता की तरफ से पूरी बात आ गयी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने पूरा उत्तर दे दिया, यह भी कह दिया कि उस पर कार्रवाई होगी।

(कांग्रेस के कई माननीय सदस्य अपने-अपने आसन पर खड़े होकर कुछ कहने का प्रयास करने लगे जिससे शोर/व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अधिष्ठाता-

सब लोग न बोलिये, एक व्यक्ति अपनी बात कहे।

श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अधिष्ठाता जी, हमारे मा0 सदस्य अजय कुमार लल्लू जी मौके पर मौजूद थे उनको दो शब्द कहने दीजिए।

श्री अधिष्ठाता-

बाकी लोग बैठ जाएं, अजय लल्लू जी बोलें।

(श्री अजय कुमार लल्लू के खड़े होने पर)

(सत्तापक्ष के अनेक माननीय सदस्य अपने आसन पर खड़े होकर कुछ बोलने का प्रयास करने लगे जिससे शोर/व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

* बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मान्यवर, इनके नेता बोल चुके उस पर संसदीय कार्य मंत्री जी का जवाब भी आ गया। जब यह हाउस में थे तो हाउस से क्यों गये ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

वैसे मान्यवर, यह कोई बहुत सेहतमंद परिपाटी नहीं होगी, नेता कांग्रेस बात रख चुके हैं। या तो अपनी पार्टियों में किसी को नेता न बनायें और जब नेता हों तो नेता का यह सम्मान हो कि नेता के कहने के बाद उनसे बड़े नेता उनकी जगह न लें। जब नेता बात कह चुके हैं, नेता की बात का संज्ञान लिया जा चुका है, जवाब दिया जा चुका है तो अब क्या सुन लें ?

श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अधिष्ठाता जी हम माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की बात का सम्मान करते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं तो वहां मौजूद था नहीं, थोड़ी घटनाक्रम से जो दो हमारे मा0 विधायक थे वहां उनका बड़ा गम्भीर मामला है, हम लोग हमेशा डिस्पिलिन में रहते हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय माथुर साहब, आपने एक बात व्यवस्था के तहत उठाई, हमने उसकी अनुमति दे दी बहुत से स्थानों पर नेता नहीं रहते हैं, बहुत से मामलों में नेता मौजूद नहीं रहते हैं लेकिन जो बात यहां पर कहते हैं उनकी वह बात सच मानकर कार्यवाही की जाती है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जवाब दे दिया, व्यवस्था के तहत आपकी बात आ गई, उन्होंने संज्ञान ले लिया, उसका उत्तर आ गया। उसके बाद जब आश्वासन आ गया कि कार्यवाही कर दी जायेगी तो हम तो केवल हाउस को शांत करने की वजह से कि बिना वजह व्यवधान न करें इस वजह से मैंने कह दिया कि ठीक है। अब आप बैठ जायं और बजट चर्चा चलने दें। कृपया बैठ जायं। माननीय योगेश प्रताप सिंह जी, आप अपनी चर्चा जारी रखें।

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भय्या')-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे सामान्य प्रशासन के बजट पर अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका हृदय से सम्मान करता हूं।

(सदस्यगण सदन के वेल में खड़े होकर बोलने लगे)

*प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

माननीय अधिष्ठाता जी, हमारी बात सुन लीजिये। हमारी संख्या कम है, आप हमारी बात नहीं सुनेंगे, रिकार्ड में नहीं आने देंगे। हमारे दो विधायकों पर लाठी चार्ज हुआ है।

श्री अधिष्ठाता-

यह बताइये जब कार्यवाही का आश्वासन आ गया है तो फिर क्या है। जो कुछ कहना है अपनी सीट पर जाकर कहें। यह तरीका नहीं है। इस तरह से दबाव बनाकर। नहीं-नहीं अपनी सीट पर जायं। हमारा अनुरोध है कि आप लोग कृपया अपना स्थान ले लें और यह बजट चर्चा चलने दें। माननीय प्रदीप माथुर जी ने पूरी बात व्यवस्था के प्रश्न को उठाकर उनकी तरफ से कह दी। यह आश्वासन आ गया कि कार्यवाही की जायेगी। सुन लीजिये, अरे सुनिये, हम इसके बाद, योगेश जी के बाद आपको मौका दे देंगे।

(माननीय सदस्यगण सदन के वेल में खड़े होकर बोलते रहे)

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग चलिये, अपनी सीट पर चलिये। अभी यह बजट चर्चा चल रही है, आप लोग अपनी सीट पर जायं।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

मान्यवर, वेल में खड़े होकर कैसे बात करेंगे ? अपनी सीटों पर जाकर कहें जो कहना है। यह गलत परम्पराएं डाल रहे हैं।

(इस समय 02 बजकर 42 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय राणा साहब आप लोग शान्त हो जायं। माननीय सदस्य अब आप अपनी सीटों पर चलें आपका विरोध प्रदर्शन हो गया। माननीय लल्लू जी, आप चलिये। पहले तो आप लोग शान्त हो जायं। माननीय तेज नारायण पाण्डेय जी, बैठ जाओ। मैं देख रहा था माथुर साहब, आपने पूरी तरह से तथ्य सामने रख दिये। पूरी बात सदन के संज्ञान में ला दिये और माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने उस पर बात भी कर दी अब चर्चा चलने दीजिये और अभी जब इस पर चर्चा चलेगी तो जो भी विधायक इसमें होंगे उनको सामान्य प्रशासन पर पुलिस पर आपको बोलने का पूरा अधिकार है। आप वहां पर खड़े होकर बोलियेगा। चलिये, आप लोग अपने स्थान पर जायं।

(माननीय सदस्यगण सदन के वैल से अपने स्थान पर चले गये)

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ0 प्र0 (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

माननीय अध्यक्ष जी, यह बात बिल्कुल नहीं मानी जायेगी। जब कांग्रेस के नेता बोल चुके हैं और अपनी बात रख चुके हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसका संज्ञान ले लिया और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया तो अब कौन सा तुक है बात रखने का बार-बार। आज गृह विभाग और सामान्य प्रशासन के बजट पर बहस हो रही है। कांग्रेस के विधायकों का इस तरह से आचरण बिल्कुल घोर निन्दनीय है और हम लोग इसकी निन्दा करते हैं।

(घोर व्यवधान)

कांग्रेस के सदस्यों का यह आचरण घोर निन्दनीय है हम लोग इसकी निन्दा करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप सुन लीजिए।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

जब आप बोल चुके हैं तो आपके मा0 सदस्य उस पर क्या विचार रखेंगे अलग से, सारी बात आ चुकी है और सरकार ने सारी बात मान ली है उसके बाद भी यह लोग नहीं मान रहे हैं। कोई ऐसे दादागिरी चलेगी क्या यहां पर। ऐसे दादागिरी नहीं चलेगी कि जब चाहें वैल में आ जाएं। मुख्य मंत्री जी का बजट है। यह गलत बात है।

श्री अध्यक्ष-

अरे, मुझे कहने दो। देखिए माथुर साहब, आप लोग बैठ जाइए, देखिए ऐसा है कि जो भी घटनाएं हुई हैं हम नहीं जानते हैं आपने सदन में रखा है और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने उसका संज्ञान ले लिया, मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में आ गया, अगर विधायक जी को कुछ कहना है तो कानून व्यवस्था पर चर्चा चल रही है यह अपनी बात चर्चा में बोल लेंगे, चर्चा में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। चर्चा में जब उनका नम्बर आएगा तो मैं पहले लगा दूंगा आप बोल लीजिएगा।

श्री योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया'-

सम्मानित अध्यक्ष महोदय, मा0 मुख्य मंत्री जी के द्वारा सामान्य प्रशासन का जो बजट प्रस्तुत किया गया है इसके पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। सर्वप्रथम माननीय मुख्य मंत्री जी को मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज सामान्य प्रशासन के बजट पर

मा0 मुख्य मंत्री जी ने, जो अपने व्यापक विचार इस सदन में प्रस्तुत किए मैं उसका स्वागत करता हूं। आज जब चर्चा शुरू हुई तो मुख्य मंत्री जी ने अपनी बात कही, उधर से नेता प्रतिपक्ष ने जब अपनी भावनाओं का इजहार इस सभा मंडप में किया तो कहीं न कहीं एक सुखद अनुभूति सी हमें हुई कि आज जिस चीज की पांच तलाश कर रहे थे कि प्रदेश में लोकतंत्र की स्थापना होगी। हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार होगा और आज जो एक नया माहौल इस प्रदेश में खड़ा हुआ है हम देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के सारे विधायक तो हैं ही, चाहे भा0ज0पा के सदस्यगण हों, चाहे कांग्रेस के सदस्यगण हों, चाहे बहुजन समाज पार्टी के सदस्यगण हों, माननीय मुख्य मंत्री जी से आकर अपनी बात बहुत नजदीकी से कह लेते हैं और जिस तरह से अभी नेता प्रतिपक्ष ने दो तीन जगहों पर सही बात को माना है उन्हें मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस चीज को वह कभी झुनझुना कहा करते थे आज उन्होंने कहा, कि मैं लैपटॉप और टेबलेट देने की सराहना करता हूं इससे प्रदेश के विकास में चार चांद लगेंगे और लैपटॉप टैबलेट को कहा कि प्रदेश के विकास के लिए यह कहीं न कहीं चार चांद लगाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्य मंत्री जी मिस्टर क्लीन हैं यह समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि है जो पार्टी लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती है जो लोकतांत्रिक मर्यादा में विश्वास नहीं रखते हैं उन्हें इस सदन के सामने यह कहने के लिए विवश होना पड़ा कि हमारे मुख्य मंत्री मिस्टर क्लीन है। हमारे मुख्य मंत्री जी द्वारा जो लैपटॉप और पी0सी0 बांटे जा रहे हैं वह कहीं न कहीं इस प्रदेश की उन्नति में सहायक होंगे मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा मा0 नेता प्रतिपक्ष कहीं न कहीं हटकर के उनकी जो आदत थी जो स्वभाव था, जिसके लिए वह उस पार्टी में ट्रेण्ड किए गए हैं उससे हटकर उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में अपनी बात रखने का काम किया है। मैं नेता प्रतिपक्ष को धन्यवाद देना चाहता हूं।

मान्यवर, आज किसी भी प्रजातांत्रिक देश या प्रदेश में, विकास बहुत जरूरी है विकास से भी जरूरी सुरक्षा और शान्ति की व्यवस्था की भावना है। सुरक्षा और शान्ति व्यवस्था की भावना के बाद ही, किसी देश और प्रदेश में विकास और विकास की भावना आगे बढ़ती है। उससे भी जरूरी है लोकतंत्र, लोकतंत्र अगर इस देश में रहेगा, इस प्रदेश में रहेगा तो समाज हमारा आगे बढ़ेगा।

(इस समय 02 बजकर 48 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुरेश कुमार खन्ना पुनः पीठासीन हुए।)

और कहीं जो लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई है, इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि 'वह मुट्ठी में उनका लोकतंत्र के अरमानों का पक्षी, भरना चाहता है परवाज, अब खुले आसमान में', आज जो खुला हुआ आसमां है, लोकतंत्र का यह जो आसमान जिसको माननीय मुलायम सिंह जी के संरक्षण में हमारे मुख्य मंत्री जी ने खोल कर रखा है, वह दरवाजे भी हमें आज दिखायी पड़ते हैं। हम लोग भी इस सदन में आये हैं, देखे हैं, सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों सीटों पर बैठकर देखा गया है किसी की हिम्मत नहीं थी कि मुख्य मंत्री से बात हो, किसी की हिम्मत नहीं थी कि मुख्य मंत्री के नजदीक जाए। आज नेता प्रतिपक्ष अपनी बात कह देते हैं, सारे मा0 विधायकगण आ करके अपनी बात कह देते हैं और अभी जो संवेदनशीलता की बात चल रही थी, मैं उस बात का प्रत्यक्ष गवाह हूं कि माननीया रीता बहुगुणा जोशी ने हाथ उठाया है और मुख्य मंत्री जी ने मुझको बुलाकर कहा कि जाकर रीता जी से पूछो, क्या हो गया है ? ऐसे संवेदनशील हैं, हमारे मुख्य मंत्री। माननीय विधायक जी, हम गए और रीता जी से पूछ कर आए। आपके कहने से पहले मुख्य मंत्री जी ने आपके इशारों को संज्ञान में लेने का काम

किया है। आपको तो उन पर विश्वास करना चाहिए, कहीं आपने इशारा किया, यह बात कहीं न कहीं पहुंच गयी थी और आप विश्वास रखें कि यह संवेदनशील सरकार है और जो अपनी संवेदनाओं से इस पूरे प्रदेश को प्रभावित करने का काम कर रही है और मैं अपने मुख्य मंत्री जी को पुनः बधाई दूंगा, मिस्टर क्लीन की बात नेता प्रतिपक्ष ने कही, हो सकता है कि रात में उनकी कहीं क्लास लग जाए लेकिन जो बात सही थी, वह उनके मुंह से निकल ही गई और आज जिस तरह से सम्मानित नेता भाजपा, सम्मानित नेता कांग्रेस, सम्मानित नेता राष्ट्रीय लोकदल, इन लोगों ने अपनी बात कही और अच्छे सुझाव आए, आलोचना की बात नहीं हुई है, आज सुझावों की बात आई है, वह सुझाव प्रशंसनीय हैं।

हम लोग भी सदन में रहे हैं, 2-2 मिनट में बजट निपटा है, 3-3 मिनट में बजट निपटा है। अभी जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट रखा, अपने भाषण में उन्होंने कहा कि 5 वर्ष में जितना सदन चला था, उतना हमने 1 साल में चलाकर दिखा दिया। आज हमने देखा केवल एक तारांकित प्रश्न पूरी कार्य-सूची में था, सबकी भावनाएं हैं कि सदन चले, आज जितनी बड़ी घटनाएं प्रदेश में हो जाती हैं, आप विपक्ष के लोग रोज उन संवेदनशील घटनाओं को यहां उठा लेते हैं, इसके लिए आपको भी मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए कि आपको मौका मिल रहा है, सत्तापक्ष इस मौके का फायदा नहीं उठाता। सदन का फायदा हमेशा प्रतिपक्ष को मिलता है और मुख्य मंत्री जी का यह बड़प्पन है कि वह पूरा मौका दे रहे हैं, जैसा कि कहा गया था-'निन्दक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाय', मुख्य मंत्री जी अपनी आलोचना सुनना चाहते हैं, अपनी कमियां सुनना चाहते हैं, उन कमियों में सुधार लाने का काम करते हैं। इसी के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को भी बधाई दूंगा, महिलाओं के प्रति संवेदनशील होने का। आज समाज बदल रहा है, समाज में परिवर्तन हो रहा है, चाहे पश्चिमी सभ्यता की वजह से हो, चाहे मोबाइल क्रान्ति की वजह से हो, पूरे के पूरे जो भारतीय मानवता के सिद्धान्त और संस्कार हैं, वह टूटते हुए दिखायी पड़ रहे हैं। ऐसे समय में महिलाओं के सम्मान की सुरक्षा के लिए 1090 की व्यवस्था की गई है। आपने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में काल्स आ गई, आपको तो धन्यवाद देना चाहिए, आज उन महिलाओं की, उन बहनों की, उन बेटियों की भावनाओं को कहीं न कहीं समेकित करने का काम हमने किया है। यह सुविधा अगर न होती तो हो सकता है कि वह 27 हजार महिलाएं, वह 27 हजार बेटियां, वह 27 हजार बहुएं जिनकी पीड़ा 1090 पर नोट हुई है, वह नोट न होती। वह कुण्ठा का शिकार होती और आगे बढ़कर आत्महत्याएं करतीं, वह कहीं न कहीं अपने को पीड़ित महसूस करती।

आज लोकतंत्र में उन महिलाओं, उन बहनों, उन बेटियों को अपनी बात रखने का अधिकार 1090 के तहत् मुख्य मंत्री जी ने दिया है। हम क्राइम कन्ट्रोल करना चाहते हैं, हम आधुनिक प्रणाली का भी प्रयोग करना चाहते हैं। बड़े-बड़े चौराहों पर सीसीटीवी लगवा करके जो हमारे नयी तकनीक है, आईटी के माध्यम से हम अपराध नियन्त्रण की भी व्यवस्था कर रहे हैं। साथियों, अभी आपने देखा, जो बजट मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, उसमें पिछले वर्ष की अपेक्षा 4.1 प्रतिशत अधिक धनराशि का प्राविधान किया गया है। यह इस चीज का द्योतक है कि हम चाहते हैं कि हमारा प्रदेश सुरक्षित रहे, हमारे प्रदेश में संरक्षा की व्यवस्था रहे, हमारे प्रदेश में शान्ति बनी रहे। जो हमने घोषणाएं की, जो हमने जनता से वायदे किए, जनता ने हमारी पार्टी और हमारे नेता पर विश्वास किया, उनको पूरा

करने का काम हम तेजी से कर रहे हैं, 70 प्रतिशत हमने अपने वायदों को पूरा करने का काम किया है और उन्हीं वायदों को पूरा करके, आज माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा सभी वादे नहीं पूरे हुए हैं। वादे पांच साल के लिए किये गये थे। हमने एक साल में 70 प्रतिशत वादे पूरे करके दिखाये हैं। दो साल पूरे होते-होते शत-प्रतिशत वादे पूरे हो जायेंगे। फिर हमें नये ढंग से सोचना पड़ेगा कि इस प्रदेश की जनता के लिए हमें और क्या करना है। हमारे मुख्य मंत्री बहुत संवेदनशील हैं। हर चीज पर उनकी निगाह रहती है। मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि ''मुझे तौल कर देख लीजिए निष्ठा की परिभाषा पर समाधान लेकर आउंगा मन की हर जिज्ञासा पर।'' उनकी इच्छा है इस प्रदेश के 20 करोड़ लोगों के मन में बस जाने की। उनकी इच्छा है 20 करोड़ लोगों का दर्द मन में समेटने की। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी के रचनात्मक रूप में आप उनके साथ हों आप समाजवादी पार्टी के साथ हों न हों आप वैचारिक रूप से इनसे अलग रहें आपका स्वागत है लेकिन इस प्रदेश की उन्नति के लिए आपको जरूर कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। साथ ही साथ मैं यह भी कहूंगा कि मेरी जिम्मेदारी है कि अधिकारियों पर नकेल कसी जाये। उन अधिकारियों को भी चिन्हित किया जाये जो लापरवाही बरत रहे हैं और आपने देखा होगा कि जहां घटनायें हुयी हैं अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गयी है। यह जरूर है कि हमने उनको मौका दिया।

5 साल से बिगड़ी हुई मानसिकता के बाद उनको सुधारने का मौका दिया गया। अगर वह नहीं सुधरते हैं तो एक वर्ष पूरा हो गया है अब कड़ाई का दौर शुरू होगा। विकास का दौर शुरू होगा जिसके लिए प्रदेश की जनता ने हमसे अपेक्षायें की हैं। और मुख्य मंत्री जी ने यह भी कहा कि जो हमारी पुलिस बल की कमी हैं जिस तरह से हमारे पास इंस्पेक्टर्स होने चाहिए, सिपाही होने चाहिए वह नहीं हैं। हम 4000 एस0आई0 की भर्ती करने जा रहे हैं। हम 24 हजार सिपाहियों की भर्ती करने जा रहे हैं। साइबर क्राइम रोकने के लिए विशेष योजना बनायी जा रही है। आज पूरे देश-प्रदेश में साइबर क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कुछ जो नये पढ़े लिखे लोग हैं वह साइबर क्राइम के माध्यम से पूरे देश-प्रदेश की व्यवस्था को झकझोरने का काम कर रहे हैं। हम इस पर पैनी निगाह रखकर साइबर क्राइम को रोकने के लिए संकल्पबद्ध हैं। मान्यवर, दो शब्द कहकर मुख्य मंत्री के बारे में कि- ''किये हैं पूरे वादे फिर से अपना वादा है कथनी करनी एक रहेगी अपना मजबूत इरादा है।'' इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज यूथ कांग्रेस जो 12 तारीख को इलाहाबाद से पदयात्रा करते हुए यहां पर आया।

श्री नारद राय-

मान्यवर, यह बजट पर बोलें।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

यह कोई बात नहीं हुयी। आप हमारी अभिव्यक्ति छीन लेंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता-

आप बोलें।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, 12 तारीख से लगातार पदयात्रा करते हुए शांतिमय तरीके से लोकतंत्र पर विश्वास करते हुए इलाहाबाद से पदयात्रा करते हुए लखनऊ जो यूथ कांग्रेस का कार्यालय है वहां इकट्ठा हुए। यूथ कांग्रेस के कार्यालय से तमाम राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों और प्रदेश अध्यक्ष मसूद खां, मध्य के अभी नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष अंकित परिहार के नेतृत्व में और राष्ट्रीय सचिव महेश मुर्दिया जो उनके साथ थे और मैं अजय कुमार 'लल्लू' और विधायक श्री ललितेशपति त्रिपाठी और सैकड़ों की संख्या में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता शांतिमय ढंग से पदयात्रा करते हुए कार्यालय से जब माल एवेन्यु चौराहे के पास पहुंचे पुलिस वहां बेरिकेटिंग लगाकर पहले से ही रोकने के लिए खड़ी है। जब हम लोग वहां पहुंचे तो वहां पर पुलिस,

(सत्ता पक्ष के अनेक माननीय सदस्य विरोध स्वरूप एक साथ अपनी-अपनी बात कहने लगे जिससे शोर की स्थिति उत्पन्न हो गई।)

(शोर के मध्य)

श्री रामगोविन्द चौधरी-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है, मा0 सदस्य का यह जो भाषण हो रहा है, यह किस नियम में हो रहा है, क्या बजट पर बोल रहे हैं या जीरो ऑवर है। अगर जीरो ऑवर है तो क्या इन्होंने आपको पहले से लिखकर सूचना दी है, यह किस आधार पर बोल रहे हैं, किस नियम के अन्तर्गत इनका भाषण कराया जा रहा है, मा0 अधिष्ठाता महोदय मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

जो बजट के ऊपर चर्चा चल रही है, यह उसी के ऊपर बोल रहे हैं।

श्री रामगोवन्द चौधरी-

मान्यवर, यह बजट पर नहीं बोल रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

यह बजट पर ही बोल रहे हैं। अब आप कृपया बैठ जायं, आप लोग शान्त रहें। देखिये, मा0 योगेश प्रताप जी इधर से बोल लिये, अध्यक्ष जी की व्यवस्था आ गई, मैंने भी पहले यह कहा था कि हम आपको सामान्य बजट की चर्चा पर जब बात आ रही है सामान्य प्रशासन और कानून-व्यवस्था की जो चर्चा हो रही है, उसी के ऊपर बजट चर्चा पर ही आप बोल लें और उसी के तहत यह बोल रहे हैं, किसी व्यवस्था के तहत नहीं बोल रहे हैं, इसलिए हाऊस शान्त कराने के लिए आपको आश्वासन दे दिया गया था कि इसके बाद नम्बर आपको भी मिल जायेगा, अब आप लोग इसे चलने दें। मा0 मुख्य मंत्री जी का बजट है, कृपया इसमें व्यवधान न पैदा करें। मा0 अजय लल्लू जी आप सामान्य बजट की चर्चा पर बोल रहे हैं और आपको अपनी बात कहने का हक है, लेकिन कृपया ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें, जिससे हाऊस में उत्तेजना आये। अब आप लोग बैठ जायं, यह चर्चा चलने दीजिए।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी कल भी कह रहे थे।

श्री नारद राय-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, न तो इन्होंने कटौती प्रस्ताव पर बल देने का कार्य किया।

श्री अधिष्ठाता-

यह कटौती प्रस्ताव पर ही बोल रहे हैं।

श्री नारद राय-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप कार्यवाही देख लीजिए, बजट का नाम ही नहीं लिया उन्होंनें, न तो बजट के समर्थन में और न ही कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में, एक शब्द भी नहीं बोला उन्होंनें।

श्री अधिष्ठाता-

वह तो बाद में भी कह सकते हैं। अब आप बैठ जाइये। अजय जी आप अपनी बात शुरू करें।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, कल भी मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा, आज भी कहा कि पिछली सरकार में किस तरह विधायक रो रहे थे, अपनी बात को कहने के लिए, उनके साथ खूब ज्यादती हुई और आज एक विधायक जो कि एक जनतांत्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत किसी आन्दोलन के समर्थन में सड़क पर

(मा0 सदस्य का माईक ऑफ कर दिये जाने के कारण उनकी आगे की कोई बात नहीं सुनाई दी)

श्री अधिष्ठाता-

मा0 अजय लल्लू जी, आप कृपया बजट के कटौती के प्रस्ताव पर बोलें ।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, कल मा0 मुख्य मंत्री जी ने और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि पूर्ववर्ती, अभी मा0 आजम खां साहब बोल रहे थे, जो मा0 संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने आज भी कहा कि पूर्व में जो विधायक थे, अपनी बात तक नहीं कह पाते थे हाऊस नहीं चलता था, उनके ऊपर इस तरह का जुल्म और अत्याचार होता था और उसकी निन्दा सारे विधायकों ने की और आज जब यूथ कांग्रेस के नौजवान सड़कों पर थे, पद यात्रा करते हुए विधान भवन पर धरना देने आ रहे थे तो उनके ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किया गया, मुझे भी चोटें लगीं, कार्यकर्ता घायल हैं, हास्पिटल में भर्ती हैं। मा0 अधिष्ठाता महोदय मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं।

*मनोरंजन कर राज्य मंत्री (श्री तेजनारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, टी0वी0 में दिखाया जा रहा है किस तरह का कार्य आप लोग वहां पर किये थे, किस तरह से आप लोग पुलिस की बैरीकेटिंग तोड़ कर आगे बढ़ रहे थे और किस तरह से आप लोगों ने वहां पर व्यवहार किया।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता-

इस तरह से बीच में मत बोलें, मा0 सदस्य फैजाबाद, आपको भी मौका मिलेगा, आप बैठ जाइये, आपको जब मौका मिलेगा, तब बोल लीजिएगा।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

आज इस तरह से जो विधायक के साथ घटना हुयी है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ घटना हुयी है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय सचिव जो यूथ कांग्रेस के हैं महेश मौर्या, प्रदेश अध्यक्ष जो यूथ कांग्रेस के हैं मसूद, नीलेश त्रिपाठी, अवनीश पाल, गंगा मिश्रा, सम्पत, करीमुल्ला, अमन शर्मा और कृपा शंकर यादव जिनकी वहां के सी0ओ0 दिनेश कुमार यादव और राजेश कुमार सी0ओ0 के द्वारा निर्मम लाठी से पिटाई हुयी है। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि लोकतंत्र का गला घोंटने वाले इन अधिकारियों के खिलाफ मैं कड़ी से कड़ी कार्यवाही की मांग करता हूं। आज यह चर्चा चल रही थी। कानून व्यवस्था की बात चल रही थी।

(सत्ता पक्ष की ओर टोका-टॉकी पर)

अरे उसी में तो चल रही है भइया बजट में। आप लोगों को हमारी बात अच्छी नहीं लग रही है। कल आपके साथ घटना होती थी तो आप बात करते थे।

श्री अधिष्ठाता-

अजय लल्लू जी, आपस में बात न करिये। ये परंपरा नहीं है, जो कुछ भी कहना है पीठ की ओर होकर कहिये, उधर नहीं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

लोकतंत्र में सबको समान अधिकार है अपनी बात कहने का। रोज धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, रोज लोग अपनी बात कह रहे हैं और अगर इस तरह किसी भी व्यक्ति की अभिव्यक्ति के खिलाफ इस तरह की प्रताड़ना, लाठीचार्ज होता है तो मैं समझता हूं कि इसमें सरकार की बदनामी होती है और ये सरकार में बैठे लोग शायद ये भूल गये हैं कि पूर्व में आप भी विपक्ष में थे। अभी मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी आ गये हैं इन्होंने ही कहा, हम आपसे मांग करना चाहते हैं कि उन लोगों के खिलाफ जो हम लोगों के साथ कार्यवाहियां हुयी हैं। शांतिमय तरीके से जो हम लोग अपनी बात करना चाहते, ज्ञापन देना चाहते थे या ज्ञापन देना चाहते थे या आंदोलन में धरने पर बैठना चाहते थे। अगर हमारे साथ यह घटना हुयी है, आपके माध्यम से मैं मा0 मंत्री जी से कहना चाहता हूं, सरकार से कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने निहत्थे और अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन करने वालों पर जिस तरह का लाठी बरसाने का काम किया है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाये। यही मैं मांग करना चाहता हूं कि सी0ओ0 दिनेश कुमार जी, राजेश कुमार जी, दोनों सी0ओ0 थे जिन लोगों ने लाठी चलवाई, उनके खिलाफ तत्काल निलम्बन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। इसकी मैं मांग करता हूं।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मा0 ओजस्वी मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत सामान्य प्रशासन और गृह विभाग के बजट के पक्ष में बोलने का मुझे अवसर प्रदान किया। इसके लिये मैं आपका

आभार व्यक्त करता हूं। अधिष्ठाता महोदय, बहुत ही सारगर्भित चर्चा इस सदन में होती है और आज पहली बार नेता प्रतिपक्ष द्वारा सरकार के कामों की प्रशंसा भी की गयी और आलोचना भी की गयी और निरंतर रूप से यह बात कही है कि संसदीय परंपराओं का ध्यान रखते हुये विपक्ष अपनी भूमिका निर्वाह करता है और कानून व्यवस्था के बारे में बार-बार उन्होंने हमारी सरकार को घेरने की कोशिश की है। मान्यवर, जहां तक कानून व्यवस्था की बात है मेरे पास कुछ आंकड़े भी हैं जिनको मैं रखना चाहूंगा और उसके पहले मैं अपनी बात प्रारंभ करूं। ग्रेट ब्रिटेन के सबसे चर्चित राजनीतिज्ञ थे और जो कई बार प्रधानमंत्री बने विस्टन चर्चिल ने अपनी किताब में लिखा है कि अपराध तथा अपराधी के प्रति जनता की कैसी भावना तथा दृष्टि है उसी से उस देश की सभ्यता का अनुमान लग सकता है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, देश के बहुत सारे ऋषियों ने, मुनियों ने आदि काल से, अनन्त काल से आज तक हमेशा अपराध की व्याख्या की है और आज जब प्रतिपक्ष ने हमें घेरने का, काननू व्यवस्था का सवाल खड़ा करने का बार-बार प्रयास करता है। कभी प्रतिपक्ष के नेताओं ने अपने गिरेबान में झांककर नहीं देखा कि जब उनकी सरकार थी तो कैसे लोकतंत्र की धज्जियां उड़ीं। कैसे लोगों का सामाजिक रूप से अपमान किया गया। अपमान किया गया और राजनैतिक रूप से कैसे उत्पीड़न किया गया। हमारे पास आंकड़ें हैं, जब से हमारी सरकार बनी है मान्यवर, निरन्तर अपराधों में कमी आई है। ये मैं दिनांक 01-01-12 से दिनांक 31-12-2012 तक के आंकड़ें यदि आपके सामने बताऊं, तो दहेज मृत्यु से संबंधित जो आंकड़े हमारे कार्यकाल में निकल कर आते हैं, उसमें लगभग (-6) परसेन्ट की कमी आई है, और बलात्कार जो की समाज का सबसे विभत्स और विकृत रूप है, बलात्कार के मामलों में भी (-12) प्रतिशत की कमी हमारी सरकार में आई है। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि छेड़खानी जैसे मसलों में भी (-40) परसेन्ट की कमी हमारी सरकार के समय में दर्ज हुई है।

इसी तरह से चाहे हत्या का मामला हो, आंकड़े गवाह हैं, कोई हम नहीं कहते, ये आंकड़े कहते हैं, आप लोग बहुत कानून-व्यवस्था का ढ़ोग रचते हो रोज-रोज बात बताते हो कि हमारी सरकार थी तो ऐसी कानून-व्यवस्था थी, लेकिन सरकार यह है जिसमें लोकतंत्र की मर्यादाओं का भी पालन होता है और कानून को सही रूप में लागू करने का भी काम होता है। हत्या के मामले हैं साढ़े बाईस फीसदी की कमी हमारी सरकार के समय में आयी है। जहां तक अन्य अपराधों की बात है, उसमें 17 फीसदी कमी आई है और अनुसूचित जाति और जनजाति के मामले, जो आपकी सरकार में जानबूझकर लोगों का उत्पीड़न, जानबूझकर अपमानित करने के लिए, जानबूझकर बेइज्जती करने के लिए, राजनैतिक प्रतिशोध की भावना से, जो आप लोगों ने मुकद्में कायम करे, हमें शर्म आती है कि उनका चिट्ठा खोलकर आपके सामने रखें तो आप तो समाज में मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं हैं, लेकिन हमारी सरकार में ऐसा नहीं है, हम यह चाहते हैं कि सबका समान सम्मान हो और सबकी समान ईज्जत हो। आपके बारे में अभी पोल खोलना शुरू कर दूंगा तो रास्ता नहीं मिलेगा, बैठने का, मैं नहीं चाहता हूं, मैं विशुद्ध आंकड़ों पर बात करना चाहता हूं। हमारे पास बहुत सारे आंकड़े हैं। आपके पास बैठे हुए विधायक हैं, अभी हम बताना शुरू कर देंगे कि उनके रिश्तेदार भी कैसे जेल गए, हमें मालूम है। मान्यवर, यह जनवरी, 2012 से 31 दिसम्बर, 2012 के आंकड़े हैं। अब इसके अलावा

यदि मार्च, 2012 से 31.12.2012 तक के भी अगर हम आंकड़े लें तो उसमें बलात्कार की घटनाओं में (-33.56) परसेन्ट की कमी आई है, हत्या के मामलों में 24.24 प्रतिशत की कमी आई है मान्यवर।

(विपक्ष के मा0 सदस्यों के बीच में टोकने पर)

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

बलात्कार के मामले वालों के भी नाम बता दूंगा, तो अभी समझ में आ जायेगा दो मिनट में और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के मामलों में भी (-18.88) की कमी आई है। मान्यवर, एक आरोप ये बार-बार लगाते हैं कि गुण्डागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, सरकार में गुण्डे हैं। इस तरह की बात कहते हैं ये लोग शर्म नहीं आती है। आज यह देख लीजिए कि गुण्डा अधिनियम में भी पिछले साल की अपेक्षा, लगभग काफी कमी आई है, इस बार 2491 मामले हमारी सरकार ने अभी तक दर्ज किए और उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही हुई है। मान्यवर, सवाल इस बात का नहीं है, आज आप लोग बहुत बड़ी-बड़ी बात करते हैं कि हमारी सरकार में कानून-व्यवस्था बहुत अच्छी थी। ये मा0 कांग्रेस के सदस्य उत्तेजित होते हैं अभी भी नाराज हो रहे थे। घटना हुई है, मा0 मुख्य मंत्री जी ने संज्ञान लिया है, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने संज्ञान लिया है, लेकिन आप की सरकार में आपको याद नहीं कि क्या हुआ था आपकी अध्यक्षा के साथ, रीता बहुगुणा जोशी जी के साथ क्या हुआ था ? क्या सदन के मा0 सदस्य नहीं जानते हैं, कैसे आपके [x x x] ने सरेआम लखनऊ राजधानी में, एक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का घर, कैसे धूं-धूंकर जला दिया था। आप कानून-व्यवस्था की बात करते हैं। आपके अंदर शर्म और लज्जा नाम की कोई चीज नहीं है। आपके यहां यदि कोई मुकदमा लिख दिया गया तो जिसकी न्याय की जांच तक नहीं हुई, उसके ऊपर कार्यवाही कर दी, आप लोगों ने जिसका नाम लिख दिया उसी को जेल भेज दिया गया, यह भी नहीं सोचा गया कि यह गुनाहगार है या बेगुनाह है। ऐसी आपकी कानून-व्यवस्था थी, आपकी नेता और आप लोग, क्या-क्या बात आप लोगों के बारे में कहें, हमें तो शर्म आती है। आप लोग एक ही बात कहना चाहता हूं, आप ही नहीं मैं जानता हूं कि मीडिया का भी एक वर्ग बहुत परेशान है कि कैसे एक धरतीपुत्र मुलायम सिंह....

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, अभी 5 मिनट और बोलने दीजिए। आपको मालूम नहीं है कि हिन्दुस्तान का मीडिया का भी एक वर्ग और आप जैसी घटिया मानसिकता के लोग यह चाहते हैं कि कैसे गांव से निकलकर एक किसान का बेटा अपनी मेहनत, अपने परिश्रम और अपनी सच्चाई से और कही गई बात को पूरी करने के लिए आज कहां से कहां पहुंच गए। मान्यवर, माननीय मुलायम सिंह यादव जी इस प्रदेश के तीन बार माननीय मुख्य मंत्री पद पर आसीन रहे हैं। (बहुजन समाज पार्टी के कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे) (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग कृपया बैठ जायें। यह परम्परा नहीं है। यह लिखा नहीं जायेगा।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री योगेश प्रताप सिंह ''योगेश भईया''-

मान्यवर, आप लोग सत्यता को स्वीकार करने का कष्ट करें।

श्री अधिष्ठाता-

आप कृपया सुनने का कष्ट करें। यदि जो वक्ता मा0 सदस्य हैं वह बैठ जायें तो आप बीच में बोल सकते हैं। यह कोई परम्परा नहीं है कि बीच में व्यवधान कर दें। कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं तो आप वह तभी उठा सकते हैं जब वह बैठ जायें। आप लोग कृपया बैठें।

श्री राजेश त्रिपाठी-

मान्यवर, यदि कोई असंसदीय शब्द आया हो कार्यवाही में तो उसे निकलवाने का कष्ट करें। और बोलने का एक समय निर्धारित होना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता-

उसमें आपके कहने की आवश्यकता नहीं है हम स्वयं कार्यवाही को देख लेंगे यदि कोई ऐसा शब्द होगा तो उसे निकलवा दिया जायेगा। मैंने लाल बत्ती जला दी है और उनसे यह अपेक्षा की जा रही है कि वह अपनी बात को समाप्त करने का कष्ट करें।

*डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, एक आग्रह है इतना महत्वपूर्ण विषय है हम लोगों ने 10-10 लोगों की सूची दी है अगर इतना लम्बा चलेगा तो अधिकांश माननीय सदस्य नहीं बोल नहीं पायेंगे इसलिए कोई समय तय कर दीजिए।

श्री अधिष्ठाता-

समय अध्यक्ष जी ने तय कर दिया है अधिकतम 7 मिनट।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, आप 7 मिनट बोलवायेंगे, आपका निर्णय सर्वोपरि है।

श्री अधिष्ठाता-

यह बजट चर्चा कल तक चलेगी, 5 मिनट के बाद बिजली जला देते हैं अधिकतम 6 मिनट और 7 मिनट के बीच में बन्द कर देते हैं। लेकिन यह अधिकतम है, राणा साहब, आप अपना सन्टेंस पूरा करना चाहें तो कर लें। कृपया बीच में व्यवधान न करें।

(ब0स0पा0 के कई माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ व्यवस्था का प्रश्न उठाने पर)

सबको व्यवस्था का प्रश्न, क्या मतलब, काहे की व्यवस्था है। सब कोई व्यवस्था का प्रश्न उठायेंगे तो कैसे चलेगा, कैसे। सरोज जी आप क्या कहना चाहते हैं।

*श्री इन्द्रजीत सरोज-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय सदस्यगण चाहते हैं कि एक समय सीमा निर्धारित कर दिया जाय, आप भी चाहते हैं कि सभी के अपने विचार आ जायें। माननीय राणा साहब काफी बाते

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अपनी कह चुके और अधिष्ठाता महोदय लाल बत्ती 5 मिनट तक जलाये रहे नहीं बैठे तब हम लोगों ने कहा, तो इसकी समय-सीमा तय की जाय।

(इस समय 03 बजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

मान्यवर, रिपोर्ट निकलवाकर देख लीजिए। आज मैं जितना सम्भलकर बोल रहा हूं यह उतना ऊपर ऊपर हाथ करके बोल रहे हैं, कोई ऐसे कर रहा है कोई वैसे कर रहा है। और मैंने 2 मिनट बोला है और मेरे 7 मिनट 8 मिनट बचे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह देखिये 10 मिनट नहीं हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

मान्यवर, मैं 2 मिनट बोला हूं और आज तो मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं

श्री अध्यक्ष-

माननीय राणा साहब 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करिये।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

मान्यवर, ऐसे दबाव में न सदन चलता है न कोई बोल पाता है। ऐसी कौन सी बात हो गयी कि मेरे खड़े होते ही वह लोग कहने लगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मुख्य मंत्री जी आज ही जवाब देना चाहते हैं तो इसमें अधिक से अधिक लोगों को मौका मिल जाय। आप लोग बैठ जायें

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

मान्यवर,

हटाकर ताज तेरे सिर से साबित कर दिया हमने,

हमें अकड़ी हुई गर्दन को भी कम करना आता है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं केवल क्राइम के बारे में अपराध के बारे में कुछ विद्वानों की बात करना चाह रहा था। मेरी न कोई ऐसी मंशा है इनका तो अपना काम है यह बहुजन समाज पार्टी थोड़े ही हैं। यह बहुजन समाज प्राइवेट लिमिटेड है। इनका न अपना कोई मत है न कोई अपना वक्तव्य है यह बहुजन समाज प्राइवेट लिमिटेड है।

श्री अध्यक्ष-

क्या बात कर रहे हो, चलने दोगे कि नहीं। आप बैठिये। लोकेश जी इसके बाद आपको बोलने का मौका मिलेगा, आप जवाब दे दीजिएगा।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

मान्यवर, मेरी मंशा यह है कि कानून-व्यवस्था पर चर्चा हो रही है और काननू व्यवस्था पर तुलनात्मक विवरण मैंने रखा भी था और मैं इनको कोई कष्ट भी नहीं दे रहा हूं मेरे ऊपर तो ऐसे

हमला कर रहे हैं, जैसे पहले कर रहे थे वैसे अब कर रहे हैं। आप यह देखिये कि अभी जो मैंने इनकी पार्टी के बारे में, इनकी नेता के बारे में, आज पूरे देश ने देखा कि 5 साल तक चली सरकार बहुजन समाज पार्टी की इनके साथ ऐसे विधायक बैठे हुए हैं जिनके रिश्तेदार बेगुनाह होते हुए फर्जी मुकदमों में इन्हीं की सरकार में इन्हीं के द्वारा बार-बार जेल भेजे गये और यह बार-बार कहते हैं कि कानून-व्यवस्था हमारे राज्य में बहुत अच्छी थी। हमने कहा बहुत अच्छी थी बहुत अपने आपमें मियां मिट्ठू बन रहे हैं। अभी इन्हीं की सरकार में लखनऊ में मैंने यह बात पहले भी कही थी और फिर कह रहा हूं यह कह रहे हैं कि हमारी पार्टी ने अपने सांसदों, विधायकों को जेल भेजा, बहुत अच्छा किया। मैंने पहले कहा कि कोई साधु संत तो थे नहीं। साढ़े 17 फीसदी विधायक, आप देख लेना चुनाव के आकड़ें, साढ़े 17 फीसदी से ज्यादा आपके विधायकों के क्रिमिनल रिकार्ड्स हैं। और जो बहुजन समाज पार्टी के लोग आप कह रहे हैं कि हमारे यहां-

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों की ओर से टोका-टाकी किये जाने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

जब आपका मौका आयेगा तो आप जवाब दीजियेगा।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

इनके सांसद जो थे।

श्री अध्यक्ष-

अब आप खत्म करिये।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

मैं तो कानून-व्यवस्था के बारे में बात कर रहा था।

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों की ओर से टोका-टाकी किये जाने पर-घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

अरे आप लोग बैठिये ।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

मेरी बात आ जानी चाहिये। आज जो अपराध की बात हो रही है। अपराध में कोई दल या कोई राजनीतिक पार्टी जो पार्टी सत्ता में होती है वह कभी नहीं चाहती कि उसके कार्यकाल में अपराध हो। आप लोग यहां पर थे तो क्या आप चाहते थे कि अपराध हो। कभी नहीं चाहते होंगे। आपसे पहले हम लोग थे, हम लोग कभी नहीं चाहते थे कि अपराध हो। लेकिन अपराध को समय-समय पर बड़े-बड़े विद्वानों ने डिफाइन किया है।

श्री अध्यक्ष-

इतना असीमित समय नहीं है, थोड़ा संक्षेप कीजिये। आपको जो आकंड़ा देना हो वह दे दीजिये।

(बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्यों की ओर से टोका-टाकी किये जाने पर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

यदि आप हमें नहीं बोलने दोगे तो आप कोई बोल नहीं पाओगे।

श्री अध्यक्ष-

आप तुलनात्मक आकंड़ा दे दीजिये कि उनके समय यह था और हमारे समय यह था। बात हो गयी। आपका 20 मिनट व्यवधान सहित हो गया।

श्री योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया'-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

ऐसा है योगेश जी, मंत्री होने का मतलब यह नहीं है कि उनके लिये असीमित टाइम है। आप अपनी सरकार में चाहे जितना करिये लेकिन यहां तो सदन के नियमों से चलना पड़ेगा। अब आपका समय खत्म, अब आप बैठिये।

श्री योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया'-

राणा जी बोल रहे थे। राणा जी के बोलने में वह कोई आकड़े नहीं दे रहे थे लेकिन माननीय सदस्यगण एक भी बात सुनना नहीं चाहते, जो आपका निर्देश हो हम वही बोले। इस तरह कैसे चलेगा हम उनको नहीं बोलने देंगे। यह कौन सी बात हुयी।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिये। आपने मुझे बोलने का समय दिया है।

श्री अध्यक्ष-

आप दो मिनट में अपनी बात कह लीजिये, लेकिन आप कहते नहीं। कोई असीमित समय तो है नहीं।

(बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्यों की ओर से टोका-टाकी किये जाने पर-घोर व्यवधान)

*राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, यह तो संभव है कि किसी सवाल पर किसी सदस्य को अगर आपत्ति हो और वह नियमों में प्रक्रिया के अन्तर्गत अगर संभव हो तो आपसे उसका एतराज किया जा सकता है, अगर कोई ऐसी आपत्तिजनक बात हो तो। लेकिन मान्यवर, यह टिप्पणी कर देना तुरन्त, कि नहीं बोलने देंगे, नहीं चलने देंगे, मान्यवर, इस तरह के शब्दों का उच्चारण इन मर्यादाओं के प्रतिकूल है, मेरा अनुरोध यह है कि जो बात उचित नहीं होगी, उसे आप देख लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

जो बातें संसदीय नहीं होंगी उसे हम कार्यवाही से निकाल देंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों की ओर से टोका-टाकी किये जाने पर घोर व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी-

अब आप मान्यवर, इनको बैठाइये। अब हो गयी बात, इनको बोलने दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

जो असंसदीय होगा, वह कार्यवाही का अंग नहीं माना जायेगा। अरे दो मिनट में खत्म कर लेने दो, बात खत्म हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग नहीं मानेंगे तो कैसे सदन चलेगा।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

माननीय अंबिका चौधरी जी नहीं थे उत्तेजना में भाषण की बात नहीं है। इन सदस्यों की यह मांग है कि जितना समय उधर दिया जाय उतना समय इधर दिया जाय। माननीय अधिष्ठाता महोदय पांच मिनट तक लालबत्ती जलाए रहे आपकी भी लालबत्ती कितनी देर से जल रही है आपने कई बार कह दिया कि माननीय मंत्री जी का समय समाप्त हो गया तो उन्हें बैठ जाना चाहिए। मान्यवर, विपक्ष के सदस्यों को भी बोलने का मौका दीजिए। यह हमारी मांग है।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी आप जल्दी से खत्म करिए। मैं घड़ी देख रहा हूं दो मिनट में आपका भाषण समाप्त हो जाना चाहिए।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

क्या आप लोगों का इरादा नहीं है सदन चलाने का। न चलाने का इरादा हो तो हम फिर बन्द करें। क्या फायदा।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

मान्यवर, हमें तो आपकी बात माननी ही माननी है। मैं यह कह रहा था कि अभी जो अपराध को परिभाषित किया गया है तो कोई भी लोक कल्याणकारी और जनकल्याणकारी सरकार नहीं चाहती कि उसके कार्यकाल में अपराध हों आज एक साल से हमारी सरकार द्वारा जितने भी लोक कल्याण के काम हुए, जनकल्याण के काम हुए प्रदेश में जब पहली बार जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी पहली बार उत्तर प्रदेश में 26 साल बाद सरप्लस का बजट अगर किसी ने पेश किया था तो समाजवादी पार्टी ने पेश किया था। वह बात याद होगी बड़े-बड़े प्रेस के पत्रकारों को और आपके सीनियर नेताओं को कि उत्तर प्रदेश का हमेशा घाटे का बजट रहा है और हमेशा समाजवादी पार्टी ने समय पर बजट सत्र किया है। समय पर बजट पास हुआ है समय पर कल्याणकारी योजनाओं में लगा है। लेकिन विपक्षी दलों की चिन्ता यही है और प्रदेश के एक बहुत बड़े मीडिया के वर्ग की चिन्ता यही है कि कैसे एक किसान के बेटे ने मुख्य मंत्री बनकर समय से योजनाओं को क्रियान्वित करना शुरू कर दिया कैसे इतने-इतने मंहगे लैपटाप जो आम आदमी कभी सोच नहीं सकता था कैसे प्रदेश के लोगों को दे दिए। कैसे टेबलेट जो किसान का बेटा कभी सोच नहीं सकता था, मजदूर का बेटा सोच नहीं सकता था वह कैसे लोगों को मिल गए। आज आप एक ही बात कहकर हर जगह हर मीडिया में

यहां पर वेल में आकर चाहे महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण हो चाहे कोई अन्य मामला हो आप बार-बार उठकर खड़े होकर कहते हो कि गुंडों की सरकार नहीं चलेगी गुंडों की सरकार नहीं चलेगी। गुण्डों की सरकार है अरे आप चाहे रोल निकलवा लीजिए आपके यहां हमसे ज्यादा क्रिमिनल और बदमाश लोगों का आपका इतिहास होगा। आपकी नेता ने सबके सामने लाखों लाख नोटों की माला पहनकर ..

श्री अध्यक्ष-

अब आपका समय खत्म हो गया। आप अब बैठिए । कुछ नहीं लिखा जाएगा । आपका भी नहीं लिखा जाएगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी आप सदन को व्यवस्थित कराएं। हमें आपका संरक्षण चाहिए। इस तरह से दिवालिए लोग जब भाषण करेंगे माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे सदन व्यवस्थित चल रहा है उसे अव्यस्थित करने का कोई मंत्री प्रयास करेगा हम समझते हैं कि इससे बड़ा दुर्भाग्य दूसरा नहीं हो सकता है।

श्री अध्यक्ष-

जो बातें गलत होंगी हम उसे कार्यवाही से निकाल देंगे। नेता प्रतिपक्ष जी अब आपकी तरफ से कौन बोलेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

हमारी तरफ से वक्ताओं की सूची गई हुई है। अभी एक भी वक्ता को समय नहीं मिला। भेदभाव किया जा रहा है। हमारे माननीय सदस्यों को इस बात का भी कष्ट है कि बहुजन समाज पार्टी के किसी भी माननीय सदस्य को मेरे कटौती प्रस्ताव रखने के बाद किसी माननीय सदस्य को समय नहीं दिया गया है। यह भेदभाव किया जा रहा है। आपकी पीठ से भेदभाव किया गया है। यह मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

कोई भेदभाव नहीं है अभी सदस्यों का नम्बर नहीं आया है। मैं बुला रहा हूं।

(श्री राजेन्द्र सिंह राणा के पुनः खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप मंत्री हैं आपका यह आचरण बहुत ठीक नहीं है। अगर आप नहीं मानेंगे तो मुझे एक नया इतिहास बनाना पड़ेगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जितने विशेषण मंत्रियों को दिये हैं, उनको 10 गुना करके मैं वापस करता हूं।

*श्री राजेश त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सामान्य प्रशासन और गृह विभाग के बजट पर नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्या जी द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उस पर मैं बल देने के

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिए खड़ा हुआ हूं माननीय मौर्या जी ने कटौती का प्रस्ताव रखते समय जिन भी बातों का जिक्र यहां सदन में किया है, मैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं उनकी भावनाओं को अपने से जोड़ता हूं और उन बातों को दोहरा करके मैं सदन का समय भी नहीं खराब करना चाहता। मैं सिर्फ उन बातों की ओर आपका ध्यान इंगित करना चाहता हूं जो बातें चर्चा के दौरान नहीं आ पाई थीं। यकीनन हम नेता प्रतिपक्ष की इस बात से सहमत हैं कि प्रदेश में कानून की व्यवस्था अत्यन्त दयनीय है, हर व्यक्ति डरा हुआ है, पुलिस डरी हुई है, जिस पुलिस विभाग का यह बजट है, पुलिस डरी हुई है कि कब कौन आयेगा और उसे अपमानित करके थाने के लाकअप से उसे छुड़ा ले जायेगा। आम जनता डरी हुई है कि कब पुलिस आयेगी और उसके साथ कोई बुरा बर्ताव कर देगी, व्यापारी डरा हुआ है कि कब कोई आयेगा और उसका माल लूट ले जायेगा, लड़कियां, बेटियां और औरतें डरी हुई हैं कि वह सड़कों पर निकलेंगी तो उनके साथ कोई बुरा बर्ताव हो जायेगा। सच यह है कि पूरे के पूरे प्रदेश का सारा तबका डरा हुआ है। हिन्दू और मुसलमान डरा हुआ है कि कब उनके यहां को सिरफिरा आयेगा और उनके बीच में माहौल खराब करके हिन्दू-मुसलमान का दंगा करा देगा। सारा का सारा प्रदेश आज बुरी तरह से भयभीत है। चूंकि सामान्य प्रशासन का आज बजट है इसलिए इसकी चर्चा करना मैं वाजिब समझता हूं। कुछ घटनाओं की ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा जो पूरे प्रदेश के आतंक और भय के माहौल की एक बानगी होगी।

श्री अध्यक्ष-

अगर नियम-56 में उन घटनाओं की चर्चा हो चुकी हो तो उन्हें न कहियेगा।

श्री राजेश त्रिपाठी-

मान्यवर, ऐसा कोई जिक्र मैं नहीं करूंगा जो पूर्व में एक महीने में आ चुका हो, मैं कोई बात दोहराऊंगा नहीं न तो किसी सदस्य द्वारा कही गई बात को दोहराऊंगा और न ही सदन में आये हुए प्रकरण को दोहराऊंगा। मान्यवर, एक घटना का जिक्र मैं करना चाहता हूं कि उससे आपको पुलिस की कार्यप्रणाली का अंदाजा लगेगा। गोरखपुर जनपद के थाना गोलाबाजार में वहां के जो एस0ओ0, कांस्टेबिल हैं उनकी स्थिति हम बताना चाहते हैं कि वहां पर एक सेमरी गांव के ग्राम प्रधान राम ललित तिवारी, उम्र 65 साल, उस इलाके के सम्भ्रान्त व्यक्ति, कोई मुकदमा उनके पर नहीं कभी 107/16 भी नहीं हुआ। पुलिस उनको थाने में ले जाती है, पीटती है और पीटने के बाद उनका चालान किया जाता है बिना किसी उच्चाधिकारी के आदेश के उनके घर में तलाशी ली जाती है और कहा जाता है कि इनके घर में कट्टा है। पूरी तरह से उनकी बहू के कमरे की तोड़-फोड़ की जाती है, उनकी पत्नी के कमरे की तोड़-फोड़ की जाती है। यह बात पुलिस कप्तान महोदय के संज्ञान में भी लाई जाती है उन्होंने जांच के भी आदेश दिये हैं। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि पुलिस की जो कार्यशैली है उसकी मैंने बानगी दी कि यह पुलिस की कार्यप्रणाली है। पुलिस के साथ भी ज्यादती हो रही है, पुलिस के सी0ओ0 कचहरी में जाते हैं और कुछ लोग उन पर थप्पड़ चला देते हैं, यह भी हो रहा है। मैं सिर्फ यह कहना चाहता था कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय और सरकार सुधार की व्यवस्था लाना चाहते हैं लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यकीनन हम लोग हर उस अच्छे कार्य की सराहना एक अच्छे प्रतिपक्ष के नाते हम करेंगे। मगर जो गलत है उसे हम गलत कहना भी यकीनन जारी रखेंगे। मैं अधिक समय न ले करके यह कहना चाहता हूं कि गोरखपुर जनपद में एक थाना उरुवाबाजार है, वह

आज भी सिंचाई विभाग के एक भवन में चल रहा है। सिंचाई विभाग का भवन जर्जर है बरसात के महीने में जो वहां के थानेदार, मुंशी और सिपाही हैं ऊपर कुर्सियों पर बैठे रहते हैं और नीचे पानी फैला रहता है। यह दयनीय हालत है यकीनन उस तनाव भरे माहौल में अगर कोई फरियादी अपनी फरियाद लेकर जाता होगा तो उस चिड़चिड़ेपन में उसका व्यवहार क्या होता होगा मैं यह जरूर चाहूंगा कि वह पूर्व से ही प्रस्तावित है।

बी0एस0पी0 की जब सरकार थी उस समय वह प्रस्ताव आ गया था कि थाने का निर्माण शुरू कराया जाए। मैं यह चाहूंगा कि अतिशीघ्र उसका निर्माण कराया जाए। इस सरकार में भी मैंने प्रश्न लगाया था और सदन में जवाब आया कि अतिशीघ्र थाने का निर्माण कराया जायेगा। मैं यह चाहूंगा कि उरुवा थाने का भवन शीघ्रातिशीघ्र बनवाया जाए। दूसरा, जो बड़हलगंज कोतवाली है पूरी तरह से वह जर्जर है कुछ बिल्ड़ंगे बनी हुई हैं सिपाही जो लॉकअप है, लॉकअप में कैदी जिस अवस्था में रहते हैं उससे कम बुरे हालात में सिपाही भी नहीं रहते और यकीनन हमारे पुलिस के जवानों की सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा जायेगा तो यकीनन उनकी जो मानसिकता बदलेगी, उनकी जो शोषण की मानसिकता होगी वह बलवती होगी। इस नाते हम यह चाहेंगे कि पुलिस कर्मियों के भी रहने खाने, उनके वर्दी, उनके भवन, वेतन-भत्ते आदि की व्यवस्था को भी सरकार को सुधारना चाहिए यह मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा। दूसरा, मैं यह कहना चाहता हूं कि गोरखपुर जनपद में गोला तहसील क्षेत्र में, मैंने एक सवाल लगाया था जिसका जवाब मिला कि कोई भी अवैध खनन नहीं हो रहा है और सिफत यह कि मुझे जवाब सरकार से दिया गया कि कोई भी अवैध खनन गोला तहसील में नहीं हो रहा है और ट्रालियां अवैध खनन की रोज पकड़ी भी जा रही हैं और चालान भी हो रहा है। मान्यवर या तो सदन में दिया गया जवाब गलत है या फिर बेकसूर लोगों का, पैसा वसूलने के लिए जबरदस्ती चालान किया जा रहा है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूंगा कि सच क्या है ? वह जो सरकार ने सदन में जवाब दिया कि अवैध खनन नहीं हो रहा है या वो कि उनके एस0डी0एम0, कोतवाल और थानाध्यक्ष अवैध खनन की गाड़ियों का चालान कर रहे हैं, मैं यह जानना चाहता हूं। दूसरा, अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह बात कहना चाहता था कि हमारे क्षेत्र में गोरखपुर जनपद का जो दक्षिणांचल है वह दियारा क्षेत्र है, पांच नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है और एक बड़े पैमाने पर अपराधियों के छिपने की जगह भी दियारा क्षेत्र है। दूसरे वहां कच्ची शराब, अवैध शराब बनाने के अड्डे भी चलते हैं। मैं यह चाहूंगा कि सरकार संज्ञान ले और जो उस दियारा क्षेत्र के पास मधपुर पुलिस चौकी और धुरियापार पुलिस चौकी जो बनाया जाना प्रस्तावित है। जो धुरियापार और मधपुर पुलिस चौकी गोरखपुर के दक्षिणांचल में है बहुत ही महत्वपूर्ण है और सरकार ने भी उसको माना है कि उसको बनाने की व्यवस्था सोची जा रही है उससे अपराध पर लगाम लगेगा। सरकार की या विपक्ष की जो चिंता है कि कानून-व्यवस्था खराब हो रही है अगर वह चौकियां स्थापित होती हैं तो गोरखपुर के दक्षिणांचल में अपराध को रोकने में मद्द मिल सकती है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पुलिस की एक पीड़ा और बताना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी भी यहां पर मौजूद हैं। एक पुलिस कर्मी जब रिटायर होता है, रिटायर होने के बाद उस पुलिसकर्मी का, उस कप्तान का, उस एस0एस0आई0 का, उस कोतवाल का जो शोषण होता है मैं उसकी तरफ मा0 मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि रिटायर होने के बाद

अपने पेंशन व अन्य देयों के लिए जिस तरह से उसका शोषण उसी विभाग के, वही अधिकारी जो कल तक उसे सैल्यूट मारते थे, यकीनन यह पीड़ा यह जो दर्द है, उसका शोषण हो रहा है। पुलिस का शोषण न हो और पुलिस के अधिकारी न करें, इसकी भी व्यवस्था सरकार देखे। मा0 अध्यक्ष मैं आपके माध्यम से एक आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा एक सिपाही जो गोरखपुर जनपद के पालनतार गांव का निवासी था महेन्द्र तिवारी, उसकी अपने ही विभाग की मद्द करते हुए अपराधियों को पकड़ने पुलिस गई थी उसमें उस सिपाही की हत्या हो गयी। हत्या होने के बाद उसके लड़के धीरेन्द्र तिवारी ने मृतक आश्रित के रूप में, जो परास्नातक राजनीति शास्त्र से है शिक्षा ग्रहण कर चुका है बेवा बूढ़ी मां है उसकी और वह भटक रहा है अपने मृतक आश्रित समायोजन के लिये क्योंकि उम्र कम थी उसकी इसलिये उसने 2008 में एप्लीकेशन दिया था। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी से कि उनको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको अधिकार दिया है कि विशेष परिस्थितियों में उन नियमों को शिथिल करके कि जो 5 वर्ष के बाद के आवेदन आते हैं उसमें वो उसको समायोजित कर सकते हैं। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी से कि धीरेन्द्र तिवारी जो महेन्द्र तिवारी आरक्षी सिपाही की हत्या के बाद मृतक आश्रित के रूप में समायोजन चाहता है उसको सहानुभूतिपूर्वक आप नियमों में शिथिलता लाकर उसकी मदद करेंगे। मैं पुनः नेता प्रतिपक्ष और अन्य विपक्षी सदस्यों की सभी उन बातों पर जो उन्होंने सामान्य प्रशासन और पुलिस विभाग के बजट की कटौतियों पर बोली है का समर्थन करते हुए कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं। धन्यवाद।

श्री सत्यवीर मुन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे सामान्य प्रशासन और गृह विभाग के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इस हेतु आपका धन्यवाद देना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस बजट का पूर्णतः और बिन्दुवार समर्थन करता हूं। मान्यवर, हमारे प्रदेश की समाजवादी सरकार की प्रतिबद्धता प्रदेश में सुरक्षित एवं विकसित परिवेश प्रदान करना है और साम्प्रदायिक एवं जातिगत सौहार्द बनाये रखना है और इसमें जब से हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी और युवा हृदय सम्राट अखिलेश यादव जी ने शपथ ली तब से, जैसा हमारे राना जो मंत्री जी ने बताया, यह हम नहीं कहते आंकड़े बताते हैं कि अपराधों में कमी आई है। श्रीमन्, सर्वप्रथम मैं कुम्भ मेले के सफल आयोजन हेतु और जिस प्रकार महीने डेढ़ महीने पूरा पुलिस प्रशासन उसमें लगा रहा, इसके लिये मैं अपनी सरकार को, अपने मुख्य मंत्री जी को और कुम्भ मेला अध्यक्ष माननीय आज़म साहब सहित सम्पूर्ण मेला प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूंगा। अध्यक्ष जी, मेला प्रशासन द्वारा बहुत ही अच्छी तरह से मेला सम्पन्न कराया गया और सम्पूर्ण मेला क्षेत्र में कोई अप्रिय और गम्भीर घटना नहीं हुई। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने 1090 वूमन पावर लाइन शुरू की है वह बहुत ही सराहनीय कदम है और यह हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी की महिला सशक्तिकरण के प्रति उनकी संवेदनशीलता को प्रकट करता है। मान्यवर, महिला उत्पीड़न और एस0सी0, एस0टी0 उत्पीड़न में भी कमी आई है। हमारे नेता ने बजट में लगभग 4 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की है यह भी उनकी सोच को और सामान्य प्रशासन और गृह विभाग के प्रति उनके प्रगतिशील विचारों को व्यक्त करता है। मान्यवर, पिछली ब0स0पा0 सरकार में हमारे साथी कह रहे थे जो थोड़ा बहुत मुझे याद है दो से अधिक या तीन से अधिक विधायक बलात्कार के गम्भीर आरोप में जेल की हवा खा रहे हैं और साथ

ही इंजीनियर हत्याकांड, सी0एम0ओ0 हत्याकांड और तमाम ऐसी बड़ी-बड़ी घटनाएं हुईं। भगदड़ की ही यदि आप घटना ले लें तो प्रतापगढ़ के मनगढ़ क्षेत्र में करीब 100 लोग मर गये थे भगदड़ से। यह सब घटनाएं यह लोग भूल गये हैं और अनर्गल बात करते हैं। मान्यवर, ब0स0पा0 काल में ही इलाहाबाद में एक बहुत ही लोमहर्षक घटना हुई थी सिविल लाइन्स जैसे व्यस्त क्षेत्र में डी-डमास के एक शो-रूम में 6 करोड़ रूपये लूट लिये गये थे और मालिक की हत्या कर दी गई थी। तो इस प्रकार ऐसी तमाम घटनाएं हैं जो इनको आइना दिखाने का काम करती हैं। मान्यवर अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि साइबर क्राइम आज बहुत बढ़ गया है इसके लिए लखनऊ और आगरा में जो साइबर क्राइम यूनिट है, इसके अलावा इलाहाबाद, जो पूर्वांचल का केन्द्र बिन्दु भी है वहां पर एक साइबर क्राइम यूनिट बनाये जाने की मांग करता हूं। इसके अतिरिक्त आग्रह करता हूं अपने मुख्य मंत्री जी से कि इलाहाबाद और लखनऊ को जोड़ने वाला फाफामऊ पुल काफी व्यस्त रहता है और साथ ही इलाहाबाद बाइपास पर खाससतौर से गोरू, गाड़ियों और तमाम अवैध चीजों का गलत तरीके से व्यापार होता है इन दोनों मुख्य स्थानों अर्थात् शिवगढ़ जो हमारे सौरांव विधान सभा के अन्तर्गत आता है वहां शिवगढ़, सी0सी0टी0वी0 कैमरा जो इलाहाबाद बाईपास पर लग जाए और फाफामऊ पुल पर लग जाए, तो इससे अपराध नियंत्रण में बहुत मदद मिलेगी। एक बार फिर मैं अपने मुख्य मंत्री जी द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग और गृह विभाग के बजट का बिन्दुवार समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री कालीचरण सुमन-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे सामान्य चर्चा के बजट पर कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं और आज मैं सदन में विपक्ष के नेता स्वामी प्रसाद मौर्या जी के कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात कहना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी-

जब-जब बने उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार

तब-तब बढ़े उत्तर प्रदेश में चोरी, डकैती और अत्याचार।

(शोर)

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में जब से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है तब से कानून-व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह लग चुका है। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद से ही उत्तर प्रदेश के जो गुण्डे, माफिया, चोर, अपराधी जो उत्तर प्रदेश छोड़कर बाहर भाग गए थे कोई राजस्थान चला गया था, कोई मध्यप्रदेश चला गया था और बहन कुमारी मायावती के शासनकाल में, उत्तर प्रदेश में गुण्डे, चोर, माफिया, अपराधी या तो जेलों के अन्दर थे या उत्तर प्रदेश के बाहर थे। मान्यवर जब से उत्तर प्रदेश में स0पा0 की सरकार बनी है तब से कानून नाम की कोई चीज नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आगरा जनपद से चुनकर आया हूं मैं आगरा की बात आपको बताना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में जब से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है तब से आगरा जनपद के अन्तर्गत आठ स्वर्णकार व्यापारियों की हत्या कर दी गई है। जब वह अपनी दुकान बन्द करके गए थे तो उनको रास्ते में ही मार दिया गया था। मा0 अध्यक्ष जी आज चाहे व्यापारी हों, चाहे किसान हों, चाहे मजदूर हो, चाहे किसी तबके का

हो, वह कहने लगा है कि शाम सात बजे के बाद अगर हम घर नहीं पहुंचे तो पता नहीं कहां हमारी हत्या हो जाए, कहां हमारी लूट-पाट हो जाए, ऐसा माहौल उत्तर प्रदेश में बना हुआ है।

मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से, मा0 मुख्य मंत्री जी बैठे हैं उनसे अनुरोध करना चाहेंगे कि आप कितने अच्छे काम करा लें आप कितनी अच्छी से अच्छी घोषणा कर दें, जब तक कानून-व्यवस्था पर अंकुश नहीं होगा, तब तक कोई काम साकार नहीं होने वाला है। मा0 अध्यक्ष जी, ऐसा लगता है कि आज थाने का दरोगा थाना नहीं चलाता है। आज थाने को समाजवादी पार्टी के लोग चलाते हैं, शासन करते हैं, माननीय अध्यक्ष जी इसका जीता जागता उदाहरण है आगरा के अन्तर्गत तारीख 13 की घटना है, 13 तारीख को ग्वालियर रोड पर एक पूर्व प्रधान और वर्तमान में प्रधान के पति है उसको सरेआम गोली मार दी जाती है और गोली मारकर अपराधी भाग जाते हैं और मुकदमा 10/3 तारीख को मुकदमा लिखा जाता है राजेश कुमार पुत्र श्री श्रवण सिंह निवासी भमरौली अहीर, थाना मलपुरा, जनपद आगरा के भाई पूर्व प्रधान वर्तमान में प्रधान पति श्री सतीश चन्द्र जब घर वापस जा रहे थे तभी सेवला ग्वालियर रोड पर अभियुक्त श्री के0के0 यादव पुत्र श्री चतुर सिंह, मनोज पुत्र बृजेन्द्र सिंह, तारा पुत्र रामगोपाल, संतोष पुत्र नवल सिंह, अशोक पुत्र नेपाल सिंह, निवासी गढ़ बमरौली थाना मलपुरा, गंगाराम पुत्र भोगीराम, निवासी अजीतपुर, थाना मलपुरा, आदि लोग मोटरसाइकिल से आते हैं और प्रार्थी के भाई को जान से मारने की नीयत से गोली मार दी जाती है मा0 अध्यक्ष जी प्रार्थी पूरी तरह से घायल है अस्पताल में भर्ती है मुकदमा लिखा गया है लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मा0 अध्यक्ष जी, इन लोगों के खिलाफ थाना सदर अन्तर्गत, 198 धारा-13, 147,307, आई0पी0सी0 दर्ज की गई, परन्तु इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मान्यवर इन लोगों के खिलाफ पहले से विभिन्न धाराओं में, विभिन्न थानों में मुकदमें दर्ज हैं, माननीय अध्यक्ष जी, ऐसे अपराधी लोगों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी तो कैसे कानून का राज्य चलेगा, कैसे कानून व्यवस्था कायम हो पाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में जाट आरक्षण का आन्दोलन चल रहा है। जाट आन्दोलन के तहत वहां भूख हड़ताल पर लोग बैठे हुए हैं। जाट आरक्षण की मांग कर रहे हैं। मेरा यह कहने का तात्पर्य है कि वहां पर कोई प्रशासन का व्यक्ति जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं उनको देखने वहां नहीं पहुंचा है। वहां एक महिला की भी मृत्यु हो चुकी है। माननीय अध्यक्ष जी, जब तक इस स्वतंत्र भारत में लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं होगा, जब स्वतंत्र भारत में अपनी बात सुनने का अधिकार नहीं होगा तो ऐसे माहौल से कानून की व्यवस्था बिगड़ती है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीया बहन कु0 मायावती जी की सरकार थी, उस समय कानून का राज था, कानून की देवी कहा जाता था, उनके कानून के राज में चाहे उत्तर प्रदेश का बड़े से बड़ा प्रभावशाली कोई भी व्यक्ति हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी का कोई बड़ा पदाधिकारी ही क्यों न हो, उसके भी खिलाफ कार्यवाई होती थी। माननीय अध्यक्ष जी, आज ऐसा माहौल है, माननीय मुख्य मंत्री आदेश करते हैं, मीडिया के माध्यम से आदेश होते हैं, अखबारों में निकलता है और माननीय मुख्य मंत्री जी की भी मंशा है, वह भी चाहते हैं कि कानून का राज चले, परन्तु नीचे स्तर पर कानून का राज इसलिए नहीं चलता है, पता नहीं यहां से क्या आदेश होते हैं कि नीचे वाले लोग उसका पालन नहीं करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि यदि हम इस प्रदेश को खुशहाल देखना चाहते हैं, इस समाज को

खुशहाल देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारा काम कानून को स्वच्छ बनाना होगा, कानून की व्यवस्था कायम रखनी होगी और कानून को कायम करना होगा। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा यही आपके माध्यम से सुझाव है और मैं पुनः माननीय मौर्या जी द्वारा रखे गए कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

*श्री देवेन्द्र अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, दिल की गहराइयों से जो हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने आज सामान्य प्रशासन एवं पुलिस विभाग का बजट प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन में बोलने के लिए आपने जो मुझे अवसर दिया है, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं अपने माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि जो महिलाओं के साथ शहरों में छेड़छाड़ होती थी, उसके लिए 1090 ओमेन पावर लाइन की स्थापना की है, वह बधाई के पात्र हैं। दूसरा मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, सी0सी0टी0वी0 कैमरा जो बड़े शहरों में लगाने की उन्होंने योजना बनायी है, वह बहुत ही सराहनीय है। मैं बधाई देना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी को जिन्होंने सैकड़ों पुलिसकर्मियों को अपने जनपद के पास के जनपद में पहुंचाने का काम किया। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने पोस्टमार्टम गृह को सही तरीके से बनाने का उन्होंने प्रस्ताव किया है, वह बहुत ही सराहनीय है। अभी माननीय सदस्यगण कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार आती है, उसे वह गुण्डों और माफियाओं की सरकार बता रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं, जब 5 साल इनकी सरकार थी, अभी यह भी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थाना चलाते हैं, जबकि हकीकत यह है कि आज कानून का राज है। पिछले 5 वर्षों में बसपाई कार्यकर्ता थानों में बैठ जाते थे, वह समाजवादी पार्टी के लोगों पर झूठे मुकदमें लगवाते थे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगा कि मुझ जैसे व्यक्ति के घर पर जब 2009 में एल0एल0सी0 का चुनाव हुआ था तो मेरा एक नौकर था जो बी0डी0सी0 सदस्य था, उसको माननीय ऊर्जा मंत्री, रामवीर उपाध्याय द्वारा उसका अपहरण करवाया गया और कोई भी प्रशासन का अधिकारी न तो रिपोर्ट दर्ज करने के लिए तैयार, न कोई छोड़ने के लिए तैयार। इसके बाद हाईकोर्ट में हैवियस कार्पस रिट उसकी पत्नी ने डाली और हैवियस कार्पस रिट डालने के बाद माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश ने आदेश किया कि 24 घण्टे के अन्दर एस0पी0 उस लड़के को लेकर आयें, वरना मैं एस0पी0 को सस्पेंड कर दूंगा और जब माननीय उच्च न्यायालय में वह लड़का गया तो उसने बयान दिया कि मैं 15 दिन से रामवीर उपाध्याय के यहां था, वहीं से पुलिस हमें लेकर आ रही है, यह इनका कानून था। माननीय अध्यक्ष जी, यह इनका कानून था कि मैं 500 बीघा में आलू पैदा करता हूं और मेरे पास तो एक पेट्रोल पम्प है, माननीय रामवीर उपाध्याय जी के पास 4-4 पेट्रोल पम्प हैं। 15 साल तक इन्होंने मेरे यहां छापे डलवाये, 15 साल तक मेरे पेटी पेट्रोल पम्प पर छापे डलवाये और 30-30, 40-40 अधिकारियों ने यहां से जाकर छापे डाले और मुझ पर आरोप लगाया और देवेन्द्र अग्रवाल के नाम से नहीं, केवल देवेन्द्र के नाम से जांच फाइल करके लिखा कि देवेन्द्र अग्रवाल मिट्टी के तेल की कालाबाजारी करते हैं।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया गया।

मान्यवर, मैंने 15 साल तक चैलेन्ज किया और आज भी चैलेन्ज करता हूं कि रामवीर उपाध्याय या पूरा सदन जिस दिन मुझे साबित कर दे कि मैंने कभी ऐसा काम किया है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैंने केवल पेट्रोल पम्प चलाया है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। पच्चासों बार मैंने इनके छापे सहे हैं और इन्होंने मेरे खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाई की है। 420, 417 मुकदमा जो इन्होंने लगाया वह इसलिए लगाया कि 25 साल बाद एक लाइसेंस मेरे नाम पर था, मुझे गांव में दो नामों से पुकारा जाता था। मुकेश के नाम से और देवेन्द्र के नाम से। इनकी पत्नी सीमा उपाध्याय भी दिल्ली में और सब जगह मेरे खिलाफ शिकायत करती रहती हैं। क्योंकि यह जानते हैं कि लोकायुक्त में देवेन्द्र अग्रवाल ने फॅसाया था। हजारों करोड़ रूपये की प्रापर्टी इन्होंने इकटठी की। बसपा के लोगों ने हम पर आलू चोरी का मुकदमा लिखाया। हम उस पर स्टे लाये। फिर आलू लूट में चार्जशीट लगायी। अगर हमने साइकिल रैली निकाली तो हमको पुलिस लाइन में ठूंस दिया गया। अगर कागज किसी ने जला दिया तो पुतला फूंकने का मुकदमा भी हम पर दर्ज हुआ। हमारे मा0 नेता जी ने जेल भरो आन्दोलन के लिए आदेश किया। हम लोग जेल जा रहे हैं और एस0डी0एम0 अपनी गाड़ी में शीशा में थोड़ी गिटटी मार देता है और उसका मुकदमा हम लोगों पर लिखा जाता है। मा0 अध्यक्ष जी अगर हमने बसपा के मंत्रियों के खिलाफ बाजार में जुलूस निकाला कि इन पर अत्याचार किया जा रहा है, 100-100 लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमें किये जा रहे हैं तो हम पर 353 की क्रिमिनल ऐक्ट की कार्यवाही की जाती है। हम लोगों के घरों की इमारत तक तोड़ी जाती है। मान्यवर, यह लोग नियम-56 में गलत चीज उठाते हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री देवेन्द्र अग्रवाल-

इसलिए मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह अपने गिरेबान में झांककर देखें। मा0 मुख्य मंत्री जी बैठे हुए हैं। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरी विधान सभा में सादाबाद कोतवाली पड़ती है। इसकी तीन लाख की आबादी है उसमें दो थाना मैयर, बिसावर खोलने का कष्ट करें। जिससे कि वहां के लोगों को राहत मिल सके। दूसरा में कहना चाहूंगा कि बसपा के जमाने में थाने में नंगी लाशें तक टांग दी गयी थीं। सी0एम0ओ0 की हत्या तक कर दी गयी।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री देवेन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, इनके जमाने में जो लूट-खसूट और अत्याचार हुआ वह कभी नहीं हुआ। रामवीर उपाध्याय की पत्नी के द्वारा इनके भाइयों के द्वारा पी0डब्ल्यू0डी0 के ठेके लिये गये। जबरदस्ती करोड़ों रुपये के घोटाले किये गये। इनके खिलाफ जांच की जाये। धन्यवाद।

श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे सामान्य प्रशासन और पुलिस के बजट पर नेता प्रतिपक्ष के कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। मान्यवर, आज

उत्तर प्रदेश के अंदर आंकड़े अभी सत्तापक्ष की ओर से जो भी रखे जा रहे हैं। आंकड़ों में निश्चित तौर से कहीं पर संख्या में कमी है कहीं पर बढ़ोत्तरी है। लेकिन मान्यवर, आज प्रदेश की जनता में एक डर और भय का माहौल है। थानों के अंदर चले जाइये अपराधी किस्म के लोग थाने के अंदर बैठे मिलेंगे और जब कोई आम आदमी शिकायत करने के लिए जाता है तो शिकायत की सुनवाई नहीं होती। जो अभियोग दर्ज किये जाने चाहिए वह अभियोग दर्ज भी नहीं किये जाते। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने तीन-चार बातें रखता हूं। जब से प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है। बसपा का काम निश्चित तौर से बहुत खराब था। इसलिए सत्ता से वह विपक्ष में आये। जो विपक्ष के लोग थे वह सत्ता में पहुंच गये। लेकिन सत्ता में पहुंचने के बाद समाजवादी पार्टी के द्वारा जो दो काम घटिया किस्म के किये जा रहे हैं एक तुष्टिकरण का दूसरा जातिवाद का। मैं आरोप के लिए नहीं सच्चाई के तौर पर कहना चाहता हूं कि अभी पिछले दिनों घटनायें तो बहुत सारी घटी हैं लेकिन मैं विशेष तौर से जनपद अम्बेडकर नगर टांडा की इसलिए करना चाहूंगा कि रामबाबू गुप्ता नाम के एक व्यक्ति की हत्या हुयी।

श्री अध्यक्ष-

यहां इस पर नियम-56 में भी हो चुका है।

श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

मैं सिर्फ दो शब्द उस पर कहना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रार्थना-पत्र की प्रति मेरे पास है। यह रामबाबू गुप्ता जिनकी हत्या कर दी गयी उनकी पत्नी का प्रार्थना-पत्र है और इस प्रार्थना-पत्र में उन्होंने लिखा हुआ है, जो घटना हुई थी, घटना के 13 दिन बाद, रामबाबू गुप्ता के हत्यारे की गिरफ्तारी होती है। मा0 अध्यक्ष महोदय, उस गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तार अभियुक्त थाने में बयान देता है, वीडियो रिकार्डिंग हैं उसकी और उस रिकार्डिंग में, अब मैं नाम इसलिए नहीं लूंगा कि नाम लेने से उनका विषय आ जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

यहां पर नाम लेना भी नहीं चाहिए।

श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

एक विधायक का नाम लिया जाता है, सत्ता पक्ष के एक विधायक का। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह विषय इसलिए कह रहा हूं, एक घटना मेरे विधान सभा क्षेत्र गंगा पार करने के बाद कुण्डा में भी घटी, मा0 मुख्य मंत्री जी वहां पर भी गये, जाना मैं गलत नहीं मानता, सी0ओ0 कुण्डा की हत्या हो गई, वहां पर भी गए, मा0 अध्यक्ष जी, मैं जातिवाद और मुस्लिम तुष्टीकरण की बात नहीं कर रहा हूं, माननीय अध्यक्ष जी, जो भेद-भाव हो रहा है, मा0 मुख्य मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं, मैं उनसे आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, यह भेद-भाव थोड़ा बन्द कर दिया जाय ।

(मा0 सदस्य श्री राजेन्द्र सिंह राणा के खड़े होकर कुछ कहने पर।)

श्री अध्यक्ष-

मा0 राणा साहब आप बैठिये, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप इनको नियंत्रित करेंगे कि हमें ही कुछ करना पड़ेगा।

श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

माननीय अध्यक्ष, इनमें सच सुनने की भी सामर्थ्य नहीं है, मैं कुल मिला करके आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्रशासन को ठीक ढंग से चलाने के लिए निश्चिततौर से भेद-भाव नहीं होना चाहिए, भेद-भाव हो रहा है, इसको समाप्त किया जाना चाहिए। मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं, मेरा जनपद कौशाम्बी है और मेरे कौशाम्बी जनपद में अपराध बहुत अधिक है, अगर जनपद के अपराध का आंकड़ा निकाला जायेगा, तो वह आंकड़े बहुत आगे बढ़े हुए नजर आयेंगे। मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि थानों की संख्या, मैं अभी देख रहा था इसमें आबादी बढ़ गई, अपराध बढ़ गये, पुलिस स्टेशनों की संख्या बढ़ाने पर कोई विचार नहीं किया गया है, मैं मांग करना चाहता हूं आपके माध्यम से मेरे यहां पर कम से कम तीन थाने और बनाने की आवश्यकता है, इस बजट के प्राविधान में अगर मा0 मुख्य मंत्री जी उसको शामिल करेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। एक महत्वपूर्ण बात जो शायद सभी मा0 सदस्यों से जुड़ी हुई है, हम लोगों की सुरक्षा के लिए शासन की व्यवस्था के अनुसार एक गनर दिया जाता है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो हम लोगों के साथ सुरक्षा में है, एक व्यक्ति से 24 घण्टे की ड्यूटी ली जाती है, जबकि किसी सरकारी सेवक से आप 8 घण्टे की ड्यूटी ले सकते हैं, लेकिन जो सुरक्षा में लगा हुआ व्यक्ति है, अगर उसको आप छोड़ते हैं तो उस समय आप सुरक्षा से बाहर होते हैं और अगर उससे ड्यूटी लेते हैं, तो उससे 12 घण्टे, 24 घण्टे की ड्यूटी ली जाती है। मा0 अध्यक्ष जी, इस व्यवस्था के सम्बन्ध में भी मैं आपके माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसको ठीक किया जाय। मान्यवर, एक बात और कहना चाहूंगा, यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचार को रोकने की, भ्रष्टाचार की चरम सीमा है, चाहे शासन किसी का रहा हो, जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं, वह शासन-प्रशासन के अधिकारी होते हैं। मेरे क्षेत्र में भी तमाम भ्रष्टाचारी हैं मैं चाहता हूं कि उनको पकड़वाऊं, लेकिन उनको पकड़वाने का जो सिस्टम है, इतना गड़बड़ है, उस सिस्टम के अन्दर से ऐसे भ्रष्ट लोगों को पकड़वाने में जो अव्यवस्था होती है, मैं आपके माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी से इस कटौती के प्रस्ताव पर बोलते हुए आग्रह करना चाहता हूं, कोई ऐसी व्यवस्था बनाइये, तहसील से लेकर चाहे कोई भी विभाग हो, उस विभाग के किसी भ्रष्ट अधिकारी को अगर हमको पता चल जाये कि ये बेईमान है और रिश्वत लेने वाला है, तो उसको पकड़वाने का सिस्टम इतना विस्तृत है कि उस सिस्टम से उस बेईमान को पकड़वा कर के जेल में बन्द नहीं कराया जा सकता । इस व्यवस्था को सरल किया जाय, जिससे भ्रष्ट लोगों को पकड़ा जा सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, चौथी और अन्तिम बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी मुकदमों की चर्चा सत्ता पक्ष की ओर से भी आई कि जब बसपा की सरकार थी, बड़े मुकदमें लादे गये हैं। मैं भी उसका शिकार हुआ हूं लेकिन जब मुकदमे की वापसी का समय है तो उस वापसी के समय में जो राजनैतिक मुकदमे हैं। वे तो वापस लिये जायें। समझ में आता है लेकिन आतंकवादियों पर से मुकदमे वापस लेने की बात यहां पर की जाती है तो आश्चर्य होता है कि कैसे हम प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाये रखेंगे। मा0 अध्यक्ष महोदय, यह तुष्टिकरण की राजनीति का उदाहरण है और इस उदाहरण को ध्यान में रखते हुये। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार निष्पक्ष बने, मुस्लिम तुष्टीकरण से मुक्त बने, जातिवाद से मुक्त बने। भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश को बनाने

के लिये ऐसी व्यवस्था पैदा की जाये और मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल प्रदान करते हुये अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री अरूण वर्मा-

मा0 अध्यक्ष महोदय, गृह और सामान्य प्रशासन के बजट के समर्थन में बोलने के लिये अवसर दिया। इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मा0 अध्यक्ष जी, आज उत्तर प्रदेश में विपक्ष के नेता बात करते हैं कि कानून-व्यवस्था नहीं है। इसके लिये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज मा0 मुख्य मंत्री जी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है। आज एक साल से कानून-व्यवस्था उत्तर प्रदेश में दिखायी दे रही है। हम लोग नये जीतकर आये हैं। हम लोग विपक्ष के दौरान जब हम लोग आंदोलन करते थे। हम लोग अपनी बातों पर मांग करने के लिये जब सत्तापक्ष के पास जाते थे तो वो लोग हम लोगों की बातें पैरों तले कुचलते थे और हम लोगों के ऊपर लाठियां बरसाते थे। उस समय हम लोग आंदोलन कर रहे थे, बसपा की सरकार थी। हमारे कई साथी चाहे मा0 संग्राम यादव जी हों, पवन पाण्डेय जी हों, हमारे साथ बैठे हुये हों। हम लोग उस समय छात्रसंघ बहाली के लिये मांग कर रहे थे तो उत्तर प्रदेश में जो मौजूदा मुख्य मंत्री थी। उन्होंने हम लोगों के आंदोलन को कुचलने का काम किया था और उस समय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से विपक्ष वालों को बताना चाहता हूं कि उस समय उत्तर प्रदेश की मौजूदा मुख्य मंत्री ने हम लोगों को कहा था, मा0 मुख्य मंत्री जी बैठे हैं कि ये अखिलेश यादव के गुण्डे हैं। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि नेता विपक्ष को कि अगर हम लोग गुण्डे हैं, यह जनता सिद्ध करती है कि जिन लोगों को उन्होंने गुण्डे कहा था उसी में से हमारे कई साथी यहां पर मा0 संग्राम यादव, पवन पाण्डेय हैं। हम लोग गरीब परिवार से जीतकर आये हुये हैं। ये जो जनता तय करती है कि गुण्डा कौन है। उस समय जो आप लोगों की आततायी सरकार थी और आप लोग जो उस तरह भ्रष्टाचार कर रहे थे, उसके लिये जनता ने आपको इधर से उधर भेज दिया। मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं उन्होंने जो महिलाओं की सुरक्षा के लिये 1090 की स्थापना की। आज उत्तर प्रदेश की महिलायें अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अभी हमारे विपक्ष के नेता ने अपने जवाब में कहा था कि अपराध बढ़ रहे हैं, छेड़खानी बढ़ रही हैं। 27000 से अधिक कॉल जो कॉल सेण्टर पर आये हैं तो अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं कि लोकतंत्र की बहाली हुयी है, लोग अपनी बात रख सकते हैं। महिलायें जो कुण्ठा भावना से हो सकता था कि वे अपने आपकी सुसाइड कर लेंती या कुण्ठा भावना जीतीं लेकिन आज मा0 मुख्य मंत्री जी ने उनके लिये जो 1090 की सुविधा दी है, उसके लिये अपनी बात कह कर काफी हद तक मामले का निस्तारण किया जा रहा है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जी सी0सी0टी0एन0एस0 कम्प्यूटर के द्वारा थानों में ऑनलाइन एफ0आई0आर0 दर्ज करने के लिये, पूरी पारदर्शिता के लिये इलेक्ट्रानिक सिस्टम लगाने जा रहे हैं और महत्वपूर्ण चौराहों पर, कई महानगरों में जो उन्होंने सी0सी0टी0वी0 कैमरा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्थापित किया है, उसके लिये मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं और आज मैं आप लोगों को मा0 अध्यक्ष जी के माध्यम से

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया गया।

बताना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने जो पुलिस भवन की स्थापना के लिये तथा लखनऊ और आगरा में साइबर क्राइम रोकने के लिये वहां पर उन्होंने मुख्यालय पर साइबर भवन की स्थापना मा0 मुख्य मंत्री जी ने की है और अन्त में आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं मा0 मुख्य मंत्री जी से हमारे विधान सभा क्षेत्र में सेमरी बाजार है। हमारे विधान सभा क्षेत्र की सबसे बड़ी बाजार है वहां पर एक थाना खोलने की मैं मांग करता हूं और इसी के साथ अध्यक्ष जी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

अरे, लोकदल का कोई एक बोल ले। जो तय करिये आप लोग। लोकदल का कोई एक सदस्य बोल ले, कोई बोला नहीं है अभी। जो तय करिए आप लोग। आप बता दीजिए किसको बुलवाएं, मा0 नेता जी आप बताइये कि कौन बोले आपके यहां से। आप बताईये।

(मा0 सदस्य पूरन प्रकाश एवं लोकदल के अन्य मा0 सदस्यों के एक साथ खड़े होने के कारण)

अच्छा जो पीछे खड़े हैं, शर्मा जी के पीछे, वह कभी नहीं बोलते हैं, वे बोलें बैठिए, बैठिए आप लोग बैठिए। मा0 सदस्य पूरन प्रकाश जी आप बहुत बोलते हैं।

श्री त्रिलोकी राम-

अध्यक्ष जी आपने मुझे....

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, अभी सत्तापक्ष के लोग बोलते हैं कभी विपक्ष के लोग बोलते हैं, कभी इधर के बोलते हैं, और कभी उधर के बोलते हैं, हमें तो बोलने का मौका ही नहीं मिलता।

श्री अध्यक्ष-

आपकी जितनी संख्या है, उतना ही तो पाइयेगा। संख्या के हिसाब से बुलाएंगे तो आपको ये भी नहीं मिलेगा, जितना आपकी संख्या है। बहुजन की इतनी संख्या है वह अभी दो बोले, भाजपा की इतनी संख्या है वह भी अभी दो ही बोले। आप कितना बोलना चाहते हैं। अब वह पीछे बोल रहे हैं, आप बैठिए।

श्री त्रिलोकी राम-

मा0 अध्यक्ष जी, मुझे आपने सामान्य प्रशासन एवं पुलिस डिपार्टमेंट के बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद करता हूं। मैं केवल अपने क्षेत्र के बारे में बोलूंगा, मेरे क्षेत्र इग्लास में कोतवाली इग्लास, पूरे जनपद अलीगढ़ में सबसे बड़ी कोतवाली है। यहां पर कम से कम 30 किलोमीटर का अंतर है, लगभग 400 गांव आते हैं इस कोतवाली के अंदर 30-30 किलोमीटर से लोग अपनी रिपोर्ट करने के लिए वहां आते हैं। मैं जनहित में कहना चाहूंगा आपके माध्यम से सरकार से कि तीन चौकियां हैं, वहां पर कालाम, बेसमा और गोरई, गोरई एक ऐसी चौकी है, जो मिडिल में पड़ जाती है, जिससे हमारे क्षेत्र के जो लोग आएंगे, क्योंकि वह बीच में पड़ती है, इससे उनकी समस्या हल हो जायेगी, तो मैं चाहूंगा कि उस रिपोर्टिंग चौकी गौरई को थाने में परिवर्तित कर दिया जाए, जिससे मेरे क्षेत्र की समस्या हल हो जाए। मैं ये ही कहना चाहता हूं और इस बात को नोट कर लिया जाए। यह बहुत महत्वपूर्ण इश्यू है अगर यह नहीं हल होगा तो जनता को कठिनाई होगी, क्योंकि जुगाड़ खत्म हो गए हैं। रास्ता आने-जाने का नहीं है, जनता बहुत परेशान है। इसको नोट कर लिया जाए, धन्यवाद।

श्री जाहिद बेग-

मा0 अध्यक्ष जी, पहली बार मुझे बजट में बोलने का मौका मिला है। मा0 मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं और साथ-ही-साथ 1090 महिलाओं के लिए सी0सी0 कैमरा और सब बातें यहां आ चुकी हैं और सारे साथियों ने उस पर प्रकाश डाला है। उस पर मैं बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं जरूर कहना चाहता हूं कि किसी प्रदेश की कानून-व्यवस्था अच्छी है या खराब है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उस मुख्य मंत्री की सुरक्षा व्यवस्था कितनी है, चूँकि जब राजा भयभीत होता है, कानून व्यवस्था खराब होती है, तो उसको पता चल जाता है। इसके पहले जो मा0 मुख्य मंत्री थी, आपकी बहन मायावती जी, उनके राज में जो कानून-व्यवस्था थी, आपने देखा की कालीदास मार्ग में जाने के लिए बोरियां लगी रहती थीं। ऐसा लग रहा था कि कोई जंग छिड़ने वाली है और आज हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी जब चलते हैं, उनके साथ चलने वाली सुरक्षा व्यवस्था कितनी है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं मा0 अध्यक्ष जी, यह बात कहना चाहता हूं कि किसी भी लोकतंत्र के प्रदेश में, किसी भी देश में, ऐसा कोई मुख्य मंत्री नहीं है कि जिसके जन्मदिन पर पैसा वसूलने के नाम पर अधिकारियों की हत्या की जाती है और पिछली जो सरकार थी, उसमें जन्मदिन के नाम पर, पैसा वसूलने के नाम पर हत्या करायी जाती थी। मा0 अध्यक्ष जी मुझे बोलने दें।

श्री अध्यक्ष-

बोलने दे रहे है इसका मतलब यह थोड़ा न है कि असेम्बली का सारा समय ले लेंगे, कुछ तथ्यपरक बात भी करो।

श्री जाहिद बेग-

हत्या कराई जाती है, क्योंकि हत्यायें कोई भी सरकार हो होती हैं, घटनाएं घटती हैं। मान्यवर, घटनायें होती हैं हर सरकार में। मैं आंकड़ों के आधार पर कह सकता हूं मैं भी पिछली सरकारों का जो विभिन्न दलों की रही हैं उनका इतिहास रख सकता हूं । मान्यवर, लोकतंत्र में ऐसी पहली मुख्य मंत्री देखने को मिलीं बीएसपी सरकार में वह थीं, जिनके जन्म दिन पर यदि पैसा नहीं मिला तो अधिकारियों की हत्या करा दी जाती थीं उनके समय में। इंजीनियर की हत्या हुई थी। पैसे के सवाल पर ही सीएमओ की हत्या हुई फिर एक और सीएमओ की हत्या हुई फिर दूसरे सीएमओ की हत्या हो गयी और तो और जब जांच आपके मुखिया तक पहुंचने लगी तो तीसरे सीएमओ की जेल में हत्या करा दी गयी थी और उसमें कुशवाहा जी को फसाने का काम किया। अगर यही हाल रहा तो मान्यवर जो सामने बैठें हैं उनका भी आने वाले समय में यही हाल होगा। मेजों की थपथपाहट। लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा भी मुख्य मंत्री हमें देखने को मिला कि जिसको अयोध्या कांड पर जेल की सजा हुई थी। माननीय और कानून-व्यवस्था के सवाल पर सरकार बर्खास्त कर दिया गया था। अभी दिल्ली में दिसम्बर में एक लड़की के साथ पहले बलात्कार की घटना हुई जिसमें उसकी मृत्यु हो गयी थी वहां किसकी सरकार है वह कांग्रेस की सरकार है। मान्यवर, इनके उत्तर प्रदेश के मुखिया का बीएसपी शासनकाल में घर फूंक दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी शासित गुजरात प्रदेश के मुख्य मंत्री नरेन्द्र मोदी को विदेश जाने पर रोक लगी हुई हैं विदेशी सरकारें उनको अपने यहां आने नहीं देना चाहती हैं। यह लोकतंत्र में हमें देखने को मिल रहा है। मेजों की थपथपाहट। मान्यवर, यह

सब विपक्षी दल के लोग कानून-व्यवस्था की बातें कहते हैं। दिल्ली में लोक सभा सांसद फूलन देवी की हत्या हो जाती है उस समय किस की सरकार थी कांग्रेस की सरकार थी। दिल्ली में पार्लियामेण्ट में धमाका हो गया उस समय वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो मेरा कहना है कि मान्यवर, हर सरकार में घटनायें होती हैं। मान्यवर, हमने यहां देखा मैं तो पहली बार चुनकर आया हूं राज्यपाल जी के अभिभाषण के समय बी0एस0पी0 वालों ने सदन में हो-हल्ला मचा दिया। यह कहां तक उचित था आप बतायें। मेजों की थपथपाहट।

श्री अध्यक्ष-

यह कोई जन-सभा नहीं है। विधान सभा है और भी माननीय सदस्यों को बोलना है। आप बैठ जाइये।

श्री जाहिद बेग-

मान्यवर, आज लोकतंत्र में हमारे युवा मुख्य मंत्री इस पद पर आसीन हैं। आज इनके द्वारा जो बजट रखा गया है। मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं। जय हिन्द-जय समाजवाद।

श्री दिलनवाज खान-

मान्यवर, मुझे एक सूचना देना है।

बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है बुलन्दशहर जिले में अभी तक बसपा का गुण्डावाद खत्म नहीं हुआ है। अभी जनपद बुलन्दशहर के अनूपशहर में कल बसपा के एक नेता ने एक गरीब ब्राह्मण महिला के घर में घुसकर उस पर अटैक किया है। उसके खिलाफ एफआईआर हुई, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैं सदन के अन्दर सरकार के संज्ञान में इसे लाकर आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की मांग करता हूं।

श्री दलजीत सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट भाषण पर विपक्ष द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का मौका दिया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बुन्देलखण्ड के तिन्दवारी विधान सभा से चुनकर आया हूं हमारे यहां और कोई व्यवसाय तो नहीं है वहां पर बहुतायत मात्रा में सिर्फ खनिज, बालू, गिट्टी का ही व्यवसाय है। हजारों ट्रक और तमाम ट्रैक्टर डेली गुजरती है। चूंकि पुलिस से संबंधित है यह विभाग। पूरे जनपद में सिर्फ पुलिस का एक ही काम बचा है वसूली। पूरी रात जाग-जागकर और जगह-जगह वसूली करते हैं कहें तो मैं बन्द कर दूं, मैं लिखकर दे दूंगा।

(टोका-टाकी जारी रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप बोलिये। बोलना हो तो बोलिये।

श्री दलजीत सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, यह लोग हल्ला न मचायें नहीं तो मुझे बोलने में दिक्कत होगी, मैं बहुत अच्छा वक्ता नहीं हूं कि आप टोके मुझे और मैं बोल सकूं लेकिन एक बात तय है कि मैं कोई बात झूंठ नहीं बोलूंगा यहां, आप सुनना चाहें तो बोल दूं नहीं कहें तो बैठ जाऊं।

माननीय अध्यक्ष जी, पुलिस के एक ही काम बचा है पूरी-रात रात जा करके हर चौकी थाने के सामने तो वसूली करते ही हैं, इन्ट्री के नाम पर एक हजार से 5 हजार तक अवैध रूप से ट्रकों से या ट्रैक्टर वालों से वसूली करते हैं और थाने चौकी के बीच में जो जगह है 5-5, 6-6 किमी के बीच में ग्रुप बनाकर 4-4, 5-5 लोगो कें ग्रुप बना करके अवैध तरीके से वसूली की जाती है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यहां कई बार बालू चोरी के मामले में अधिकारियों के ऊपर हमला हुआ और वह हमले जो हैं ज्यादातर जो बालू चोरी जैसे तमाम क्रिमिनल टाइप के लोग ट्रैक्टर और ट्रालियों से ट्रकों द्वारा जो अवैध बालू चोरी करते हैं उनकी पुलिस से मिलीभगत होती है और जब भी कोई अधिकारी रोकने जाता है तो उस पर हमला बोलते हैं। यह काम अधिकारी नहीं रोक सकते हैं यह पुलिस चाहे संबंधित थाने की तभी रुक सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यहां 2-3 घटनाएं हुई हैं अभी एक तो 6 फरवरी, 2013 को प्रमोद जैन सर्राफा की दुकान थी 27 लाख की चोरी हुई, उसका खुलासा नहीं हुआ। 11 मार्च, 2013 को एक व्यापारी के 3 वर्षीय लड़के का अपहरण हुआ और एक घंटे बाद ही 10 कि0मी0 ले जा करके उनसे उन्होंने 20 लाख की मांग की, उसकी सूचना घर वालों ने पुलिस को दी लेकिन दुस्साहस देखिये जब तक 7 लाख रुपया घर वालों ने नहीं दे दिया तब तक बच्चे को नहीं छोड़ा और उसके बाद पुलिस अब तक कोई कार्यवाही नहीं कर पाई। डर की वजह से घर वालों ने पैसा दे दिया कि हमारा बच्चा मार न दिया जाय और पुलिस एक आध कि0मी0 के अन्दर घूमती रही और मुल्जिम पैसे लेकर फरार हो गये तो कम से कम फरार होने के बाद ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए और वह पैसे वापस दिलाने चाहिए और एक संदेश जाना चाहिए।

एक तो समस्या यह है कि चारों तरफ से सलाह और टोका-टाकी इतनी मिलती है कि वह विषय ही नहीं आ पाता है।

श्री अध्यक्ष-

वह आप ही के लोग टोक रहे हैं।

श्री दलजीत सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि सारे लोग पुलिस विभाग में बेइमान नहीं है कुछ सिस्टम की वजह से मजबूरी है बेइमानी करने की पैसा लेना। मेरा एक सुझाव है जितना वेतन सिपाही का है और ड्यूटी 24 घन्टे, वेतन इतना कम है कि यदि उसके दो बच्चे हैं और पढ़ाना चाहे किसी शहर में तो वह अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा नहीं सकता। तो मेरा एक सुझाव है माननीय मुख्य मंत्री जी से, कि वह इस तरफ ध्यान दें। जितने भी सरकारी विभाग हैं उसमें सबसे ज्यादा ड्यूटी और सबसे कम तनख्वाह पुलिस के सिपाही की है। यह भी एक कारण है और जब पेट भूखा होगा तो चोरी करेगा चाहे जो कोई हो। उनके पढ़ने की सारी व्यवस्थायें होनी चाहिये, वेतन वृद्वि होनी चाहिये और उनको सुविधायें भी ठीक-ठाक मिलनी चाहिये। जब तक यह सारी चीजें नहीं होंगी, पेट भरा नहीं होगा, तब तक वह भ्रष्टाचार से दूर नहीं होंगे और जब तक भ्रष्टाचार से दूर नहीं होंगे पुलिस के लोग, तब तक ला एंड आर्डर ठीक नहीं रहेगा।

अध्यक्ष जी, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि बसपा सरकार की अपेक्षा समाजवादी पार्टी की सरकार जब से आई, तमाम चीजें सुधरी हैं लेकिन एक चीज माने या न मानें, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि ला एंड आर्डर के मामले में कहीं न कहीं बसपा की अपेक्षा समाजवादी पार्टी की

सरकार में कमजोरी है, इसको ठीक करना होगा। मेरा आलोचना करना मकसद नहीं है, यह सच्चाई है। इसे दुरुस्त करना होगा। बहुत सारी चीजें आपकी अच्छी हैं लेकिन ला एंड आर्डर इनकी अपेक्षा आपका कमजोर है, इसको आपको ठीक करना होगा। माननीय अध्यक्ष जी एक घटना की और जानकारी देना चाहता हूं थाना पैलानी में एक रेहटा गांव है वहां एक महिला के साथ बलात्कार हुआ, 15 दिन हो गये एक मुल्जिम अभी तक गिरफ्तार नही हुआ और वह बराबर परिवार को धमकी दे रहा है और कुछ राजनैतिक लोगों का संरक्षण है, नाम लेना ठीक नही है। मेरी आपसे मांग है कि इस मुल्जिम को गिरफ्तार करके उस परिवार को सुरक्षा दिलाई जाये। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री अलगू प्रसाद चौहान-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने सामान्य प्रशासन और गृह विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं हम अपने जिले की समस्या कहना चाहते हैं। हमारा जिला जब नया बनाया गया था, उस समय सिद्वार्थ नगर से कुछ क्षेत्र और कुछ क्षेत्र बस्ती से आया था। उस समय जो थाने थे, आज भी वही बरकरार हैं। हमारे विधान सभा में घनघटा थाना है वहां की जनसंख्या लगभग 4 लाख है इसी तरह महुली थाना है वहां की जनसंख्या लगभग 3 लाख है। पूरे जिले में थाने कम हैं और जनसंख्या अधिक है और हम माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि अपराध बढ़ रहा है हम चाहते हैं कि हमारे जिले में बेलहर, पौली और काटे 5 थाना बनना प्रस्तावित है और नियम-51 में हम सूचना लगाये भी थे, एक थाना बनने के लिये देहात में 75 हजार से लगाकर 90 हजार जनसंख्या होनी चाहिये, लेकिन हमारे पूरे जिले में 2 लाख से लेकर ढाई लाख जनसंख्या के प्रति थाने हैं। हम चाहते हैं माननीय मुख्य मंत्री जी हमारे जिले में 5 थाना बनना है, उसको बनवा दिया जाये। अध्यक्ष जी, बसपा की सरकार में बिजली के तार में शार्टसर्किट से जो गेहूं की सैकड़ों एकड़ फसल जलकर राख हो गयी थी, बसपा की सरकार में महुली थाना में महुली ग्राम के लोग लगभग दो हजार किसान महुली थाने के सामने चक्का जाम किये थे, उस समय 5 किसानों को गोली लगी था, वह किसी दल के नेता एवं कार्यकर्ता नहीं थे, वह गरीब किसान थे। वह किसान थे। हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी गए भी थे जिसको-जिसको गोली लगी थी माननीय मुख्य मंत्री जी ने 25-25 हजार रुपये दिये थे जब हमारी सरकार नहीं थी उस समय बसपा की सरकार थी 25-25 हजार रुपया हमारे दल, प्रदेश अध्यक्ष एवं माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिये थे ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मुख्य मंत्री जी वह जो चर्चा कर रहे हैं आप उस स्थल पर गए थे आपने 25-25 हजार रुपया दिया था वह मुकदमा वापस नहीं हुआ है वही वह कह रहे हैं।

श्री अलगू प्रसाद चौहान-

माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा भी किए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो मुकदमा वापस ले लेंगे। लेकिन एक साल बीत गया मुकदमा अभी तक वापस नहीं हुआ। मा0 अध्यक्ष जी, यह घटना आप मा0 मुख्य मंत्री जी के पूरा संज्ञान में है। हम चाहते हैं कि किसानों का मुकदमा तत्काल वापस लिया जाय।

श्री अखिलेश यादव-

यह हो जाएगा। मुकदमा वापस हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष-

अब बैठ जाएं। सदन को सूचना ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने...

श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश खड़े होकर पढ़ी जाती हैं।

श्री अध्यक्ष-

ऐसा कोई नियम नहीं है। ऐसी कोई परम्परा भी नहीं है कि बैठे पढ़ें या खड़े पढ़ें।

श्री हुकुम सिंह-

ऐसी कोई परम्परा नहीं है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय मंत्री जी का इस तरह से टोकने का तरीका उचित नहीं था। इसका कोई मतलब नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

बैठिए। विद्वान लोग हैं।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 21 मार्च, 2013 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 21 व 22 मार्च, 2013 के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :-

1-आज दिनांक 21 मार्च, 2013 को बजट चर्चा के बाद उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 के विचार एवं उसके पारण सम्बन्धी मदें संगत नियमों को शिथिल करते हुए ले ली जाएं।

2-दिनांक 22 मार्च, 2013 को नियम-103 के लम्बित सभी असरकारी प्रस्ताव से सम्बन्धित मदें रख ली जाएं।

3-दिनांक 21 व 22 मार्च, 2013 का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

<u>मार्च, 2013</u>

21 गुरुवार	1-वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार-चर्चा जारी।
	2-उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार एवं उसका पारण।

22 शुक्रवार **<u>1-11.00 बजे पूर्वाह्न</u>**

वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर जारी चर्चा पर विचार एवं मतदान।

<u>2-12.00 बजे मध्याह्न</u>

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2013 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

3-असरकारी दिवस (आधा दिन)।

4-विधायी कार्य।

5-नियम-103 के अन्तर्गत लम्बित प्रस्ताव।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया')-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक के अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-84 सामान्य प्रशासन, अनुदान संख्या-26 गृह विभाग (पुलिस) (क्रमागत)

*श्री गजेन्द्र सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी कटौती प्रस्ताव पर आपने बोलने का अवसर दिया मैं इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज जो चर्चा बड़े लम्बे समय से पूरे उत्तर प्रदेश की सुरक्षा की चिन्ता सब लोग कर रहे थे आज कहीं कोई चैनल अखबार और आम जनमानस इस बात का गवाह है कि चारों तरफ एक अफरा तफरी एक भय सबके मन में और इससे बड़ी क्या विडम्बना होगी कि मेरे क्षेत्र के थाना जहंगीराबाद में अंधेरे उजाले में तो लोगों के साथ कहीं कोई मारपीट कर देता है।

(इस समय 04 बजकर 40 मिनट पर अधिष्ठाता श्री आरिफ अनवर हाशमी पीठासीन हुए।)

भरे दिन में, थाने में मौजूद पुलिस प्रशासन के बीच एक राजकुमार नाम के व्यापारी जो अपनी शिकायत ले करके थाने में गये थे, भरे थाने में उनके साथ मारपीट की गई जिसको वहां सोमवार को सारे अखबारों ने प्रमुखता से छापा। उस व्यापारी के साथ किस तरह से थाने में मारपीट हुई और मारपीट करने वाले उसे थाने के अन्दर से खींचकर बाहर तक ले गये और बराबर में पुलिस वाले खड़े रहे कोई उनकी सुनवाई करने वाला, बचाने वाला नहीं था। जब सोमवार को यह खबर प्रमुखता से अखबारों में छपी और टी0वी0 चैनल्स पर चली तब कहीं जाकर हल्की मोटी धाराओं में उनके खिलाफ

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुकदमा दर्ज किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि अगर ऐसी ही कानून-व्यवस्था है जहां थाने के अन्दर अपराधी खींचकर बाहर ले जाकर पीटते हैं मारते हैं और प्रशासन मूकदर्शक बनकर देखता है तो कहां कानून की बात रह गई। सिर्फ कहने सुनने के लिए लम्बी-चौड़ी बातें की जाएं वह अलग बात है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि जो मारपीट राज कुमार के साथ जिन लोगों ने की उसमें केवल रफादफा करने के लिए हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, प्रमुखता से अखबारों ने छापा है, इसलिए हम चाहेंगे कि उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो और उन्हें सजा मिले और सरकार के माध्यम से यह निर्देश जाएं कि ऐसे अपराधियों को कहीं बख्सने का काम नहीं होगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में दो फायर स्टेशन प्रस्तावित थे, जिनके लिए जमीन उपलब्ध करा दी गई, सारी फार्मेलिटी पूरी हो गईं लेकिन अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा क्योंकि गर्मियों का मौसम आने वाला है और मेरे क्षेत्र से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक फायर स्टेशन है जब तक वहां से गाड़ी आती है तब तक जलकर सब कुछ राख हो जाता है। अनूप शहर और जहंगीराबाद दो शहरों में जमीन उपलब्ध करा दी गई, सारी फार्मेलिटी पूरी हो गई पता नहीं कहां पर फायर स्टेशन का कार्य रुका हुआ है, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि फायर स्टेशन का निर्माण मेरे अनूप शहर और जहंगीराबाद दोनों जगहों पर हो जाए तो आने वाली गर्मियों में किसानों की फसलों में और बाजारों में जो आग लगती है उसे बुझाने में राहत मिलेगी।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे यहां जहंगीराबाद और बुलन्दशहर के बीच में बहुत लम्बा एरिया पड़ता है उस एरिया में कोई थाना नहीं है, दोनों की इतनी लम्बी दूरी पड़ जाती है कि अगर कहीं बीच में कोई घटना हो जाती है तो कभी-कभी तो यह विवाद होता है कि इधर वाला कहता है कि यह हमारे थाने का नहीं है, उधर वाला कहता है कि यह हमारे थाने का नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि सिवाली में एक नये थाने का सृजन कर दिया जाए।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री गजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, अभी तो मेरे पांच मिनट भी पूरे नहीं हुए हैं।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय अध्यक्ष जी की व्यवस्था है, कृपया समाप्त करें।

श्री गजेन्द्र सिंह-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक और खास दिशा में ले जाना चाहूंगा कि लॉ एण्ड आर्डर के बारे में हमारे साथी ने उठाया था कि पूरे प्रदेश में जाट आरक्षण की लड़ाई चल रही है, जगह-जगह लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार की ओर से कोई आदमी वहां जाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में कभी-कभी लोग उग्र हो जाते हैं यदि उनकी कोई बात नहीं

सुनता। मैं चाहूंगा कि जहां जाट आरक्षण के लिए लोग धरने पर बैठे हैं, सरकार की तरफ से कोई वहां चले जाएं और एक आश्वासन दे दें, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो प्रदेश की मुख्य मंत्री माननीय मायावती जी ने जाटों को आरक्षण दिलाने के लिए अपने माध्यम से केन्द्र को लिखा था तो मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी भी जाटों को आरक्षण के लिए केन्द्र सरकार को लिखें कि जाटों को आरक्षण दिया जाए जिससे उत्तर प्रदेश का लॉ एण्ड आर्डर न बिगड़े। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री गायत्री प्रसाद)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे आपने समय दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सामान्य प्रशासन एवं गृह विभाग के बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय अधिष्ठाता जी, जिस तरीके से मौजूदा सरकार चल रही है, निश्चित तौर से इस प्रदेश का किसान, मजदूर और पूरी जनता खुशहाल है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी महिलाओं की सुरक्षा के लिए गंभीर हैं और इसके पहले पूर्व की ब0स0पा0 सरकार थी और जिस तरीके से यहां पर माननीया कांग्रेस की विधायिका रीता बहुगुणा जोशी के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया गया पूर्व की सरकार में, यहां पर बैठी हुई अभी रीता बहुगुणा जी के उस समय उनके रोंगटे कांप रहे होंगे कि जिस समय उनका घर जल रहा था पूरा उत्तर प्रदेश हिल रहा था। सुश्री रीता बहुगुणा जी महिला थीं और जिस तरह से वहां का कप्तान, वहां के सिपाही उनको लाद रहे थे, फेंक रहे थे तो ऐसी अत्याचारी सरकार के लोग बैठे हैं और मौर्या जी इस बात को कह रहे हैं कि प्रशासन उस समय अच्छा था और आज का लॉ एण्ड ऑर्डर खराब है। मैं ब0स0पा0 के लोगों को बताना चाहता हूं कि 2011 में एक मुस्लिम महिला भादरगांव की पीपलूपुर थाने की थी उसको वहां पर ब0स0पा0 के लोगों ने व दबंगों ने इतना पीटा था कि उसका गर्भ गिर गया था।

माननीय अधिष्ठाता जी, हम लोगों ने मुकदमा पीपलूपुर में कराया था लेकिन इतना भ्रष्टाचार था, इनके नेताओं का इतना बड़ा दबाव था कि उस मुकदमे में फाइनल लग गया और हमारे मुख्य मंत्री जी इतने गंभीर हुए कि जैसे ही सत्ता संभाली, वह फरियाद लेकर जनता दरबार में आयी। माननीय मुख्य मंत्री जी को यह नहीं पता था कि यह पूर्व की घटना है, मा0 मुख्य मंत्री जी ने हमें तलब किया और जब मैंने बताया कि मा0 मुख्य मंत्री जी यह घटना 6 महीने पहले की है इसमें फाइनल लग गया है। फिर भी मा0 मुख्य मंत्री जी ने कहा कि महिला की घटना है संवेदनशील है और वहां का दरोगा उस समय जो था वह ट्रांसफर हो गया था, अच्छी जगह चला गया था, वहां मैंने उसे सस्पेंड कराने का काम किया। जो मौजूदा दरोगा था, एक मैसेज देना था कि मुस्लिम महिला पर अत्याचार हुआ उसकी फरियाद लेकर आयी है तो निर्दोष दरोगा को भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने लाइन हाजिर करने का काम किया। यह हमारी सरकार है जो महिलाओं के प्रति गम्भीर है। आप मुसलमानों की बात करते हैं माननीय मुलायम सिंह यादव जब उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे तो उस समय पी0ए0सी0 में सबसे पहले मुस्लिम की भर्ती करने का काम किया था हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी ने। आप बात करते हैं मुसलमानों की, उस समय जनपदों में कौन अधिकारी पोस्ट थे ? किसी जनपद में आप बताने का काम करेंगे ? आज के जिलाधिकारी उठाकर देख लीजिए चाहे आगरा का या और कोई जगह हो, जगह-जगह मुस्लिम समाज के अधिकारी

पोस्ट हुए हैं। मा0 अधिष्ठाता जी, यह कह रहे थे प्रशासन के बारे में, इन्हें नहीं दिखायी पड़ता है उस समय शासन कौन चलाता था। एक वर्ग का अधिकारी बैठा हुआ था और पूरा भ्रष्टाचार फैलाया था आज हमारी सरकार में मुख्य सचिव कौन सी बिरादरी का बैठा है इनसे मैं जानना चाहता हूं। आप इस तरीके से बात करते हैं, लॉ एण्ड आर्डर की बात करते हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का शासन, लॉ एण्ड आर्डर माननीय अखिलेश यादव जी ठीक किये हुए हैं इस तरीके से कभी नहीं हुआ था। जिस तरह से ब0स0पा0 शासनकाल में भ्रष्टाचार था, थाने बिकते थे, पुलिस कप्तान बिकते थे और आज आप यह बता दीजिये कि कौन सा थाना बिका है, कौन सा कप्तान बिका है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि पुलिसकर्मियों का स्थानान्तरण ऐसे कर दिया गया था कि वो अपने बीवी बच्चों से मिल नहीं पाते थे मजबूर थे उनसे पैसा मांगने का काम किया जाता था। पैसा दो तब हम पोस्टिंग करेंगें। लेकिन आज बता दें कौन सा भ्रष्टाचार है ? कितने हजार पुलिस के जवान लोग अपने घर पहुंचे हैं। मनमानी पोस्टिंग पाये हैं और एक पैसे का कहीं काम नहीं हुआ। यह इतिहास है, इस तरीके से माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरीके से आज थानों में गरीब से गरीब व्यक्ति जाकर अपनी बात कह लेता है, गरीब से गरीब आदमी एस0पी0 से बात कह लेता है।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया संक्षेप करें।

श्री गायत्री प्रसाद-

इस तरीके से आज तक कभी नहीं हुआ है इसलिये अधिष्ठाता जी मैं उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देते हुए, माननीय अखिलेश जी को बधाई देते हुए, माननीय आज़म साहब को बधाई देते हुए निश्चित तौर से इस रखे हुए बजट प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा माननीय सदस्य श्री नदीम जावेद का नाम पुकारे जाने पर भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्य खड़े हो गये)

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इधर से भी तो किसी को बुलवाइये।

श्री अधिष्ठाता-

डा0 साहब इसके बाद निरंजन ज्योति को बुला रहे हैं। सत्ता पक्ष के हो गये, उसके बाद कांग्रेस के बोल रहे हैं उसके बाद साध्वी जी को बुला रहे हैं। क्रम से चल रहा है। अध्यक्ष जी की व्यवस्था है। डा0 साहब सदन व्यवस्थित है। दो मिनट में वह अपना सुझाव, अपनी बात कह लेंगे। आपके अनुरोध पर इसके बाद साध्वी जी का नाम है, इसके बाद साध्वी जी को बुला रहे हैं। हर पार्टी से एक-एक लोग को बुला रहे हैं। आप कृपया करके बैठ जायं। डा0 साहब आप सदन को व्यवस्थित करें, आपका भी दायित्व है। माननीय सदस्य कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री अधिष्ठाता-

नहीं आपको मैंने नहीं दिया। आप वहां पीछे बैठे थे, यहां आगे आ गये। डा0 साहब बैठ जायं। मैंने नदीम साहब को बुला लिया है। साध्वी जी को अभी बुलवा रहे हैं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

जितने माननीय सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बैठे हैं, इनमें से किसी को बोलने का मौका नहीं दिया।

श्री अधिष्ठाता-

मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि नदीम साहब के बाद निरंजन ज्योति जी बोलेंगी। आप कृपया करके बैठ जायं।

बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

हमेशा की यह परम्परा रही है। आप भी पुराने सदस्य है और माननीय हुकुम सिंह जी भी पुराने सदस्य हैं। हमेशा की परम्परा रही है कि सत्ता पक्ष का दो आदमी बोलता है और विपक्ष का एक आदमी बोलता है। इतना टाइम देने के बाद भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि सत्ता का एक आदमी विपक्ष का एक आदमी। हमेशा यह परम्परा रही है कि दो आदमी सत्ता पक्ष का और एक आदमी विपक्ष का। तो मैं आपसे यह व्यवस्था चाहता हूं कि सत्ता पक्ष में से दो आदमी को बुलवाइये और पूरे विपक्ष में से एक आदमी को बुलवाइये। यही परम्परा है मान्यवर।

श्री अधिष्ठाता-

डाक्टर साहब आप बैठ जायं। बात आ गई है।

श्री नदीम जावेद-

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने इस सब्जेक्ट पर मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री अधिष्ठाता-

संक्षेप में।

श्री नदीम जावेद-

मैं वक्त का बड़ा ख्याल रखूंगा। जो कट मोशन आया है, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। दो-तीन बातें हैं जो आपके माध्यम से इस सदन से कहना चाहता हूं। सवाल यह है कि हम इस सदन में क्यों हैं ? हम इस सदन में इसलिये हैं कि इस देश में लोकतंत्र हैं और उस लोकतंत्र के नाते, उस जम्हूरियत के नाते इस सदन के अंदर हम लोग विधान सभा में, विधान परिषद् में लोक सभा में, राज्य सभा में चुनकर आते हैं, उस सदन के माध्यम से देश भी चलता है और सरकारें भी चलती हैं। यह लोकतंत्र भारत में है। बगल का देश है पाकिस्तान, लोकतंत्र नहीं है। मौलाना आजाद ने 1946-1947 में दिल्ली की जामा मस्जिद से खड़े होकर कहा था कि आने वाला अगर पाकिस्तान बनेगा तो इस तरह का पाकिस्तान बनेगा। यू ट्यूब पर मौलाना आजाद की तकरीद है। जो-जो मौलाना आज़ाद ने कहा था वही-वही पाकिस्तान में हो रहा है। कभी जम्हूरियत आती है कभी जम्हूरियत जाती

है। उसके बगल का देश है अफगानिस्तान जम्हूरियत नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। बगल का राष्ट्र है नेपाल। हिन्दू राष्ट्र था, मैं विषय पर आ रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता-

कट मोशन पर बोलें।

श्री नदीम जावेद-

बगल का राष्ट्र है नेपाल, लेकिन नेपाल में लोकतंत्र नहीं था लोगों ने असलहे उठा लिए कि लोकतंत्र होना चाहिए। पूरा अरब देश है। पूरे अरब देशों में जन आन्दोलन खड़े हुए इसी लोकतंत्र के लिए, इराक, अफगानिस्तान, वर्मा, लोकतंत्र नहीं है। वर्मा में सूफी ने इतना बड़ा जन आन्दोलन खड़ा किया और अमरीका के विश्वविद्यालय में बोलते हुए सूफी ने कहा, कि जन आन्दोलन जो वर्मा में खड़ा हुआ है यह गांधी की सोच की वजह से, वर्मा में जन आन्दोलन खड़ा हुआ है और पूरा समाजवादी आन्दोलन और पूरा समाजवादी मूवमेंट, आप उसको गौर से पढ़िएगा, समाजवादी आन्दोलन को और समाजवादी मूवमेंट को, तो आप देखिएगा कि जम्हूरियत का आन्दोलन, लोकतंत्र का आन्दोलन, लोहिया का समाजवाद, लोकतंत्र का समाजवाद, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी के लोगों की तरफ से आन्दोलन हुआ तो उसको दबाने की कोशिश की गई पुलिस के द्वारा, क्योंकि पुलिस की यह सोच होती है कि जो सत्तापक्ष है उसको खुश रखा जाए। (शोर)

मैं विषय पर आ रहा हूं, मैं बजट पर बोल रहा हूं, लोकतंत्र की यह खासियत होती है, अगर मेरी तारीफ हो तो मैं उस तारीफ को भी सुनूं, अगर मेरी बुराइयां हों, मेरी कमियां हों, उसको उजागर किया जाए, यह विपक्ष की जिम्मेदारी है और हम अपनी बात को अगर विजिनरी मुख्य मंत्री के सामने नहीं रखेंगे तो हम अपने काम के साथ नाइंसाफी करेंगे।

काटकर जुबां मेरी कह रहा है वह जालिम
अब तुम्हें इजाजत है हाले-दिल सुनाने की।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं यह सवाल बहुत बड़ा सवाल है।.

श्री अधिष्ठाता-

संक्षेप में अपनी बात रखें।

श्री नदीम जावेद-

पुलिस रिफार्म की बात है, पुलिस के माइंड सेट की बात है, पुलिस के सिस्टम को बदलने की बात है। पुलिस का जो एक्ट है 1861 को जो कोलोनियल एक्ट है वही आज भी 90 प्रतिशत है।

(कुछ मा0 सदस्यों के खड़े होने पर)

एक मा0 सदस्य-

माननीय सदस्य बहुत समय ले रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें। समय कम है आप सुझाव दे दीजिए। एक व्यवस्था है अध्यक्ष जी की, उससे ज्यादा समय नहीं मिल सकता है।

श्री नदीम जावेद-

दो मिनट में बात समाप्त करूंगा और बात यह है कि 1861 का एक्ट है। सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन्स हैं। सात प्वाइन्ट हैं क्या-क्या सुधार होना चाहिए पुलिस रिफार्म को लेकर, पुलिस के सामने उत्तर प्रदेश में चेलेन्जेज क्या हैं, उन चेलेन्जेज पर काम करने की जरूरत है, आपको ट्रेनिंग सिस्टम को बदलने की जरूरत है। उनका जो माइन्ड सेट है लोगों के साथ, बच्चों के साथ, गरीबों के साथ, अकलियत के लोगों के साथ, गरीबों के साथ, पिछड़े लोगों के साथ उसमें सुधार की जरूरत है। पुलिस थानों में महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था करने की जरूरत है।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

श्री नदीम जावेद-

अधिष्ठाता महोदय, पांच-सात प्वाइन्ट हैं इन पर कमेटी बनाकर बहुत जिम्मेदारी के साथ अगर इस पर काम होगा तो जरूर इस राज्य के अन्दर एक बड़ा बदलाव हो पाएगा। अधिष्ठाता महोदय मैं समय का पाबन्द हूं और विषय पर ही बोलता हूं मैं फिर एक बार आपके माध्यम से सदन का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।

(साध्वी निरंजन ज्योति का नाम पुकारा गया)

श्री योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया'-

लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं कल डी0एम0के0 ने समर्थन वापस लिया और आज 19 जगह पर छापा पड़ा।

(शोर)

श्री नदीम जावेद-

जबाव दे दूं।

श्री अधिष्ठाता-

बात खत्म करें। अब बैठ जाएं।

साध्वी निरंजन ज्योति-

अधिष्ठाता महोदय, आम जनता से जुड़े हुए गृह एवं सामान्य प्रशासन के बजट के कटौती प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। अधिष्ठाता महोदय, बात यह नहीं है कि सरकार इनकी है या आपकी है। अधिष्ठाता महोदय, जब कानून-व्यवस्था की चर्चा आती है तो मुझे बसपा का कार्यकाल याद आता है और वर्तमान में भी आ रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, मैं दो-तीन सुझाव देना चाहती हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी, आपको विचार करना पड़ेगा, मुझे याद है जो बदमाश, जो गुण्डागर्दी करने वाले, जो बलात्कार करने वाले कल तक बसपा का झण्डा लगाकर घूम रहे थे, आज आपकी पार्टी में घूम रहे हैं, इस पर विचार करना पड़ेगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, बदमाशी करने वालों की कोई जाति नहीं होती, रेप करने वालों की कोई जाति नहीं होती, लूट करने वालों की कोई जाति नहीं होती और जिसकी सरकार होती है, वह

उसी के साथ घुस जाते हैं। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहती हूं कि कानून-व्यवस्था में बहुत सुधार करने की जरूरत है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, विनोबा जी ने कहा था कि समाज में परिवर्तन सरकार और डण्डे के बल पर नहीं किया जा सकता, पुलिस के बल पर नहीं, समाज का परिवर्तन किया जा सकता है तो अच्छे संस्कारों के बल पर किया जा सकता है। यह दुर्भाग्य है, हमारे समाज का, आज कानून-व्यवस्था के नाम पर जो सरकार चल रही है, माननीय मुख्य मंत्री जी मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूं, रेप करने वाला किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, किसी भी समाज का व्यक्ति हो, किसी कन्या के साथ, महिला के साथ अपमान होता है, उसको सजा मिलनी चाहिए। मुझे वह दिन याद है, अधिष्ठाता महोदय, मैंने पहले भी सदन में कहा था, मुझे बांदा का वह शीलू प्रकरण याद है, जिस बच्ची के साथ रेप हुआ था और मैं उसकी प्रत्यक्षदर्शी हूं, उस पर चोरी का इल्जाम लगा करके जेल भेजा गया था। अधिष्ठाता महोदय, हमको जेल के अन्दर धरना देना पड़ा था, आन्दोलन करना पड़ा था, तब उस बलात्कारी को सजा हुई। माननीय मुख्य मंत्री जी, आपके कार्यकाल में भी रेप की घटनाएं हो रही हैं, उन रेप करने वालों पर नकेल कसनी पड़ेगी, उन पर अंकुश लगाना पड़ेगा।

माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय दलजीत सिंह जी कह रहे थे, मैं भी उसी बुन्देलखण्ड से हूं, मैं एक दिन स्वयं रात्रि में गाड़ी लेकर सड़क पर घूमी, दो मोटर साइकिल पर पुलिस वाले चलते हैं और प्रत्येक ट्रक को रोकते हैं, 100 रुपया, 50 रुपया लेकर उस ट्रक को जाने देते हैं। पीठ के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से एक अनुरोध और करना चाहूंगी, यदि आप कानून-व्यवस्था ठीक करना चाहते हैं तो चाहे गुण्डा किसी भी पार्टी का हो, चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे किसी मजहब का हो, उसको वही सजा मिलनी चाहिए जो एक समाज में गुण्डागर्दी करने वाले को मिलती है। नहीं तो मुझे लगता है कि 'इतनी घुटन अंधेरा इतना, आग लगी है पानी में,-

काजल, बिंदिया, चूड़ी सब कुछ, लुट गए भरी जवानी में।
सब सुख, सब संसार लुट गया, मांग भरा सिन्दूर लुट गया,
बच्चों की मुस्कानें लुट गयीं, बूढ़ों का लुट गया सहारा।
हर अक्षर आंसू की धारा, मेरी कविता दर्द तुम्हारा,
कौन तसल्ली दे बहिनों को, मां को धीरज कौन बंधायें।'

अधिष्ठाता महोदय, जिसका पुत्र छिना है, जिसकी बहन का भाई छिना है, जिसका बेटा छिना है।

'कौन तसल्ली दे बहिनों को, मां को धीरज कौन बंधायें,
बूढ़ा बाप, युवा बेटे की, अर्थी ढोये, चिता जलाये।
एक रोज की बात नहीं है, रोज-रोज यही होता है,

सरेआम गोली की भाषा बोल रहा है हर हत्यारा, हर अक्षर आंसू की धारा मेरी कविता दर्द तुम्हारा। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से एक मांग करना चाहती हूं कि घाटमपुर और भोगिनीपुर आपके विधायक हैं। 20 किमी0 की दूरी पड़ती है, नेशनल है, मुगल रोड है उस रोड पर 20 किमी0 के आसपास कोई चौकी तक नहीं है। या

तो मूसानगर थाना है या घाटमपुर है। अगर उसके बीच में कोई थाना या चौकी स्थापित हो जिससे हाई-वे पर लोगों को जो असुविधा होती है वह न हो। कटौती पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री रामवीर उपाध्याय-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, मैं सदन में नहीं था अभी आधे घण्टे पहले हमारे सादाबाद के विधायक अग्रवाल साहब ने मेरे बारे में मेरा नाम लेकर काफी टिप्पणियां की। मेरी पत्नी जो लोक सभा की सदस्य है उनके बारे में भी टिप्पणियां की। यहां माननीय मुख्य मंत्री जी मौजूद हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि जो बात मैं कहने जा रहा हूं पूरा सदन इस बात को सुन ले अगर मेरी बात झूठी हो मा0 मुख्य मंत्री जी किसी भी एजेंसी से जांच करा लें, किसी से भी करा लें अपने आगरा, अलीगढ़ मंडल के संगठन के लोगों से जांच करा लें अगर मेरी बात झूठी हो तो रामवीर उपाध्याय इस सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे देगा। मैं दो मिनट में अपनी बात कहूंगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जिस दिन ऊर्जा के बारे में चर्चा हो रही थी उस दिन भी माननीय अग्रवाल साहब ने मेरे बारे में टिप्पणियां की थीं। आज जो टिप्पणी की है मैं कहना चाहता हूं कि आगरा मण्डल, अलीगढ़ मण्डल, मेरठ मण्डल, मुरादाबाद मण्डल और बरेली मण्डल और राजस्थान का पश्चिमी राजस्थान और हरियाणा का मिट्टी का तेल कौन खरीदता है और वह कहां पर ब्लेक होता है इसकी मा0 मुख्य मंत्री जी आप जांच करा लें और दूसरा 1992 से मेरी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष थीं उनकी लोगों ने शिकायत की और दूसरा मेरा और अग्रवाल साहब का घर आमने सामने है हम पड़ोसी हैं सड़क बीच में है। उनका घर इधर है मेरा घर उधर है। 1992 से मैं जानता हूं। 1992 से बड़े पैमाने पर करोड़ों रुपये की तमाम मिट्टी के तेल की ब्लेक मार्केटिंग की जा रही है। डीजल और पेट्रोल मिलाकर बेचा जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय विधायक जी ने इन पर आरोप लगाया है इसलिए स्पष्टीकरण आने दें।

श्री अधिष्ठाता-

आपकी बात आ गयी।

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, अभी मेरी बात नहीं आयी है। अधिष्ठाता महोदय, अग्रवाल साहब ने पिछले 20 साल में 42 मुकदमों में हाईकोर्ट में मुझे पार्टी बनाया है। चाहे गाड़ी फतेहपुर में बंद हुयी हो चाहे इलाहाबाद में बंद हुयी हो चाहे बनारस में बंद हुयी हो चाहे सहारनपुर में बंद हुयी हो चाहे मेरठ में बंद हुयी चाहे अलीगढ़ में बंद हुयी जब भी इनकी मिटटी के तेल की कोई गाड़ी पकड़ी गयी चाहे शिकायत कोई भी कर रहा है कैसे भी पुलिस भी लगी रहती है। तो मान्यवर, उसमें मुझे पार्टी बनाकर

इन्होंने हाई कोर्ट से मदद ली। मान्यवर, मैंने भी इनके खिलाफ शिकायतें कीं एक नहीं अनेक शिकायतें की। एड़ी से लेकर चोटी तक जोर लगा दिया मैं भी तीन-तीन बार केबिनेट मंत्री रहा हूं। तीनों बार मैंने शिकायत की। चूंकि अधिकारी इनसे मिले रहते हैं। थाने के दरोगा से लेकर एस0पी0 तक।

श्री अधिष्ठाता-

अब आपकी बात आ गयी।

श्री रामवीर उपाध्याय-

अभी पूरी बात नहीं आयी है। मेरी बात सुन लें। पिछली बार भी आरोप लगाये थे। इसी हाउस में लगाये थे। मैं भी पिछले 20 साल से यहां पर आ रहा हूं। आप भी सब लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं मैं बहुत कम बोलता हूं। मैं सदन का कभी भी ज्यादा समय नहीं लेता। मैं अभी किसी काम से दिल्ली गया था। मैं जैसे ही सदन में घुसा लोगों ने बताया कि आपके खिलाफ अग्रवाल साहब ने तमाम बोला है। इसलिए मुझे बोलना पड़ा। उस दिन ऊर्जा का बजट चल रहा था तब अग्रवाल जी ने मेरे खिलाफ टिप्पणियां की। मा0 मुख्य मंत्री जी आप इस कुर्सी पर बैठे हुए थे श्री कल्याण सिंह जी और चूंकि वह मेरे जनपद के थे, उन्होंने मेरे खिलाफ तमाम जाचें कराईं और विजलेन्स से जांच कराई और 1997 में जांच शुरू हुई और वह जांच खत्म हुई जा करके 2002 में। अग्रवाल साहब ने फिर एक जांच मेरे खिलाफ कराई विजलेन्स की, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मिल करके 2004 में कराई और वह 2008 में खत्म हुई और उसके बाद फिर यह लोकायुक्त महोदय के यहां गये, लोकायुक्त महोदय ने मेरे फेवर में दिया, तो उसके बाद इन्होंने अश्वनी कुमार शर्मा को 40 लाख रुपये दे करके मेरे खिलाफ फिर एक जांच कराई।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य अब आप खत्म करें, आपकी बात आ गई।

श्री रामवीर उपाध्याय-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरी बात सुननी पड़ेगी आपको, अभी मेरी पूरी बात नहीं आई है, सदन ऐसे नहीं चलेगा।

श्री अधिष्ठाता-

यह कोई चर्चा नहीं हो रही है, आप कटौती प्रस्ताव पर और व्यक्तिगत आपका नाम लिया गया था।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, कटमोशन पर तो बात रखी जाती है, लेकिन यह व्यक्तिगत आक्षेप था, तो व्यक्तिगत आक्षेप का जवाब देना, स्पष्टीकरण देना इनकी जिम्मेदारी है, इसलिए इनकी पूरी बात आ जाने दीजिए।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय अध्यक्ष जी की एक व्यवस्था की, आपने एक अनुरोध किया, नेता विरोधी दल का सम्मान करते हुए, सदस्य की अपनी बात थी, अब बात आ गई ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, इनकी बात लगभग आ गई है, बस एक मिनट का और समय दे दें।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, जल्दी समाप्त करें।

श्री रामवीर उपाध्याय-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने जितनी भी बात कही है, सब नोट हो रही है, आप कार्यवाही देख लें, अगर मेरी बात झूठी हो, बड़े पैमाने पर मिट्टी का तेल, बड़े पैमाने पर कम से कम इनके पास 20 टैंकर हैं, 20 टैंकर से सीधे रिफायनरी से ट्रिप लाते हैं और पेट्रोल और डीजल मिला करके ये बेचने का कारोबार करते हैं, आप अपने संगठन के लोगों से मालूम कर लें, सारी एजेन्सी आपके पास है, विजलेन्स आपके पास है, सी0बी0सी0आई0डी0 आपके पास है, पुलिस आपके पास है, मेरी बात यदि झूठी हो, आप जांच करा लें।

(मा0 सदस्य श्री देवेन्द्र अग्रवाल के खड़े होकर अपनी बात कहने पर।)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य कृपया आप बैठ जायं। सदन को चलने दें, सुन लें।

श्री रामवीर उपाध्याय-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, काला धन्धा करने वालों के हाथ कितने लम्बे होते हैं, मैंने एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा लिया, लेकिन इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया ।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप बैठ जायं, आपकी बात आ गई, अब आप समाप्त करें।

श्री रामवीर उपाध्याय-

मा0 मुख्य मंत्री जी, आपने वह केस वापस कर लिया, मेरा आग्रह है आपसे आप जांच करा लें, उसके बाद ही इसको वापस लें।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य समाजवादी पार्टी, श्री मदन चौहान जी, आप बोलें।

श्री मदन चौहान-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं, आपने मुझे गृह विभाग और सामान्य प्रशासन पर बोलने का मौका दिया।

श्री देवेन्द्र अग्रवाल-

हर मुकदमें में पार्टी बनाया और यह साबित कर दें, मेरे मथुरा डिपो एच0पी0 डिपो में कान्ट्रेक्ट पर डीजल का, मेरे पेट्रोल पम्प का, चार टैंकर के अलावा मेरे पास पांचवां टैंकर हो। यह झूठ बोल रहे हैं, यह भ्रष्टाचारी और अत्याचारी हैं, इन्होंने मेरे ऊपर जितना अत्याचार किया है, उतना किसी के ऊपर नहीं किया गया होगा, इन्होंने मेरे ऊपर झूठे मुकदमे लगाये, सब हाईकोर्ट ने स्टे किये, इन्होंने अपहरण तक किया।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें, सदन में पीठ का सम्मान है, पीठ से कहा जा रहा है, आप बैठ जाएं, आप से मैं कह रहा हूं आप बैठ जाएं। आप सदन को चलने दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, चूंकि यह मामला मा0 मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में है, मा0 मुख्य मंत्री जी अपनी एजेन्सी से जांच करा लें और जो भी सही गलत है, उसके गुणदोष के आधार पर उस पर कार्यवाही करायें।

श्री अखिलेश यादव-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने जो बात कही कि जांच हो जाय, तो जांचें तो चल रही हैं और चार मंत्री आपके जेल जा चुके हैं और बिना दबाव के निष्पक्ष जांच चल रही हैं। किस तरह की बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, पूरा सदन जानता है और उसी वजह से आप वहां पर बैठे हुए हैं। जहां तक यह सवाल व्यक्तिगत दो विधायकों के बीच का है, इतना स्तर नहीं गिरना चाहिए, जहां तक जांच का सवाल है, अगर यह लोग लिख कर दे देंगे तो इस प्रकरण की जांच जरूर कराई जायेगी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय मुख्य मंत्री जी, चूंकि यह प्रकरण सदन में आ गया है, इसी को केवल संज्ञान में ले करके अपने स्तर से इसमें जो भी है गुण-दोष के आधार पर जांच करा लें, उस पर कार्यवाही करा दें।

श्री अखिलेश यादव-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, किसी व्यक्ति का जो सदन का सदस्य नहीं है, उसका भी नाम आया है। मैं चाहूंगा कि सदस्य उसका नाम वापस ले लें। रिश्वत ले करके जो बात कही है।

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, ठीक है।

*अतिरिक्त ऊर्जा (स्रोत राज्य मंत्री) (स्वतंत्र प्रभार) श्री विजय कुमार मिश्र-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत गृह विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग के बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। मा0 मुख्य मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत करते समय एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही और महत्वपूर्ण बात यह कही हम अकेले इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिण्ट मीडिया और सारा विपक्ष। महोदय यह बहुत संवदेनशील बात है। जब बसपा सरकार के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, मा0 मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के लिये विकास की जो नयी हवा बही और जो नये उद्यमियों को उत्तर प्रदेश में आने का मौका मिला और जब विकास के रास्ते पर उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से बढ़ा तो विपक्षी सदस्यों

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को किसी विषय पर जब बोलने का मौका नहीं मिला और देख रहे हैं कि मा0 मुख्य मंत्री जी की लोकप्रियता उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है तो दुर्भावना से ग्रस्त केवल एक ही बात कि लॉ एण्ड ऑर्डर, लॉ एण्ड ऑर्डर, लॉ ऐण्ड ऑर्डर। इसका हौव्वा खड़ा करके जो उत्तर प्रदेश को बदनाम किया जा रहा है और जो मा0 मुख्य मंत्री जी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में प्रयासरत हैं, उसमें इनको कुछ सहयोग करना चाहिये और उत्तर प्रदेश को बदनाम करने से बचना चाहिये। महोदय, मा0 मंत्री जी ने 108 सेवा की भी चर्चा की। 108 एम्बुलेंस सेवा उत्तर प्रदेश में इतनी लोकप्रिय हुयी है। उतनी ही लोकप्रिय सेवा जो इन्होंने हेल्पलाइन शुरू की 1090, उसमें हमारे विपक्ष के नेता सदन ने कहा कि 27000, मान्यवर, 27000 नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह आंकड़ा अभी और आगे जायेगा क्योंकि लोक लज्जा के भय से जो हमारी बहनें हैं। वो शिकायत नहीं करती थीं, थाने पर जाकर अपनी बात नहीं कहती थीं और उनको इतना सामाजिक भय होता था कि अपने परिवार में भी वह बात नहीं कर सकती थीं। उससे मुक्ति पाने के लिये जब एक माध्यम उनको मिला कि हम अपनी बात ऐसी जगह पर रख सकते हैं। जहां घर पर बैठे हमारी बात वहां सुनी जायेगी। हमें कोर्ट, कचहरी, थाने का चक्कर लगाना होगा। इस लोकप्रिय सेवा से मा0 मुख्य मंत्री जी को मैं उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूं।

दूसरी तरफ मान्यवर, कानून-व्यवस्था के लिये मा0 मुख्य मंत्री जी जितने दृढ़संकल्प हैं, जितने संवेदनशील हैं, उसके उदाहरण कई जगह देखने को मिले। एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी, आई0ए0एस0 अधिकारी ने ट्रेन में जब छेड़छाड़ की महिला के साथ तो उसको भी बख्शने का काम नहीं किया और मा0 मुख्य मंत्री जी के सख्त निर्देश थे, वह अधिकारी जेल पहुंचाया गया। दूसरी तरफ हमारे यहां सैदपुर में दो सर्राफा व्यवसायियों की हत्या हुयी थी मान्यवर। मुझे जब रात को सूचना मिली तो मैंने वहां के एस0पी0 से वार्ता की तो उसने मुझे बताया कि मा0 मुख्य मंत्री जी का भी फोन आया था। उन्होंने मुझे 24 घण्टे की ही मोहलत दी है और मैं इस समय घटना स्थल पर ही मौजूद हूं। मान्यवर, केवल सरकारें जिम्मेदार नहीं होतीं। घटना के लिये, किसी भी अपराध के लिये, जब तक समाज के एक-एक व्यक्ति का नैतिक बल मजबूत नहीं होगा, उसके संस्कार मजबूत नहीं होंगे। तब तक अपराधमुक्त समाज की, सभ्य समाज की स्थापना नहीं हो सकती। मैं गाजीपुर के सैदपुर की घटना की चर्चा कर रहा था मान्यवर, वहां पर मैं भी गया था घटना स्थल पर। जब वहां पर पता चला कि 24 घण्टे के अन्दर ही वहां के अपराध का खुलासा हुआ। पुलिस ने जब मामले का खुलासा किया तो बहुत आश्चर्यजनक परिणाम निकले थे मान्यवर। ऐसी घटनाओं को पकड़ना दुर्लभ होता है। जब वहां पर पता चला कि जो अपराधी पकड़े गये हैं वो उसी मोहल्ले के रहने वाले लोग थे। सर्राफा व्यवसायी कब अपने घर से निकला, वो कब किस मोड़ से गुजर रहा है। उसकी एक-एक लोकेशन के बाद जब उसका धन छीना गया। उसकी हत्या हुई और तुरंत चार मकान के आगे वह धन रख दिया गया और वही अपराधी उस गोली लगे हुए व्यक्ति को उठाकर अस्पताल ले जा रहे हैं। मान्यवर, कोई भी आदमी, पुलिस क्या, एक शातिर अपराधी भी यह बात नहीं सोच सकता है कि जिसको जिसने गोली मारी है, वही उसको अस्पताल पहुंचाने का काम कर रहा है। मान्यवर, इतने संवेदनशील मुख्य मंत्री, मैं विपक्ष से अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि जो माहौल इन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का बनाया है, जो उत्तर प्रदेश में उद्योगपति आना चाहते हैं, उनके मनोबल को गिराने का

काम न करें, क्योंकि ऐसा हमने भी सुना है कि किसी गलत बात को झूठी बात को भी अगर 100 बार कहा जायेगा तो सुनने वाले उसको सच मानने की स्थिति में आते हैं। उत्तर प्रदेश को बदनाम करने से बचें और जो मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में लगे हुए है, उसमें सहयोग दें, क्योंकि सबका दायित्व बनता है, उत्तर प्रदेश के विकास का। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत, धन्यवाद।

जन्तु उद्यान राज्य मंत्री (डा0 शिव प्रताप यादव)-

मा0 अधिष्ठाता जी आपने सामान्य प्रशासन और पुलिस विभाग के बजट पर बोलने का मुझे अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, अभी विपक्ष के लोग खासकर बसपा के लोग जिस तरीके से लॉ एण्ड आर्डर के बारे में हो-हल्ला मचा रहे थे, तो उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि-

''हम ऑह भी भरते हैं, तो हो जाते हैं बदनाम,
वह कत्ल भी करते हैं, तो चर्चा नहीं होती।''

इनको मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से मा0 अधिष्ठाता महोदय कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक इतिहास रचा गया, बसपा शासनकाल में कि दिन-दहाड़े दो सी0एम0ओ0 की हत्या लखनऊ राजधानी में हुई और डिप्टी सी0एम0ओ0 को उन हत्याओं को छिपाने के लिए और हत्यारों को बचाने के लिए, जिला कारागार लखनऊ में, डिप्टी सी0एम0ओ0 सचान की हत्या की गई और यह लखनऊ राजधानी में, कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी के घर को जला दिया गया, चैनल में साफ आ रहा था, की जो पुलिस का अधिकारी गैलन में पेट्रोल लेकर जा रहा था, जलाने के लिए उसको प्रोन्नत किया, प्रमोशन दिया तो इनकी सरकार ने दिया। इसी तरीके से मा0 अध्यक्ष महोदय, जहां तक कानून-व्यवस्था की बात है, अभी कुण्डा में डिप्टी एस0पी0 हत्याकांड का जोर-शोर से प्रचार किया जा रहा था, मैं कहना चाहता हूं कि डिप्टी एस0पी0 की हत्या और प्रधान तथा उनके भाई की हत्या दुःखद घटना थी। इसकी भर्त्सना हम करते हैं। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं बसपा के लोगों से कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि गोण्डा जनपद के आप भी हैं। इनके जब दो साल सरकार के हुए थे, गोण्डा कचहरी में पूरे प्रदेश में, जिला मुख्यालयों पर जश्न मनाया जा रहा था। गोण्डा कचहरी में इनके बसपा के विधायकों की मौजूदगी में और को-आर्डिनेटर की मौजूदगी में, जिला कचहरी से, जिलाधिकारी कार्यालय से मात्र 10-20 मीटर की दूरी पर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय के मात्र 25-30 मीटर की दूरी पर, सभा हो रही थी, मंच पर सब मौजूद थे, वहां पर गोली मारी गई और हत्या हो गई लेकिन इनकी निर्मम मुख्य मंत्री ने, उस समय तत्कालीन मुख्य मंत्री ने कहा कि वह पाण्डेय जो मारा गया है, वह मेरा कार्यकर्ता नहीं है, वह एक अपराधी है। अपनी गलती को छिपाने के लिए, अपनी कमी को छिपाने के लिए, जिस पार्टी के नेता ने अपने कार्यकर्ता को अपराधी कह दिया, वह नेता नहीं हो सकतीं है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि पडरौना में इनके मंत्री की सगी रिश्तेदार लड़की, नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार हुआ, वह मंत्री एक डेढ़ महीने तक कहता रहा एफ0आई0आर0 के लिए, लेकिन कोतवाल ने पैसा लेकर एफ0आई0आर0 नहीं दर्ज की, छेड़खानी का मुकदमा दर्ज किया। मान्यवर, इतने उत्तेजित हुए कि

मंत्री जी स्वयं थाने में पहुंच गये और भीड़ पहुंच गयी और वहां पर गोली-बारी हो गयी जिसमें एक दरोगा की हत्या हो गयी। मान्यवर, निघासन थाने में बलात्कार की घटना के बाद लड़की के शव को थाना परिसर में ही स्थित पेड़ पर लटका दिया गया। गोंडा में तो बी0एस0पी0 सरकार के दो साल पूरे होने के जश्न में जनसभा हो रही थी। यह सभा डी0एम0 और एस0पी0 कार्यालय के नजदीक हो रही थी। मंच पर विधायक और जिला को-आर्डिनेटर मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में मंच पर ही हुई गोली-बारी में कार्यकर्ता की हत्या हो गयी और बाद में स्वयं मुख्य मंत्री जी ने यह कह दिया था कि वह हमारा कार्यकर्ता नहीं था। मान्यवर, इसी तरीके से इनके शासन काल में हमारे जनपद में लोगों के घरों को जलाया गया। बलात्कार की घटनायें हुईं और ऐसे समय पर यह बाते हुई जब बगल में गांव में मंत्री मौजूद थे और वह बैठकर सब करवा रहे थे।

मान्यवर, जहां तक पुलिस प्रशासन का सवाल है तो यह पहली बार हुआ है कि अपराधों की कड़ाई से रोक-थाम की जा रही है। मान्यवर, ब0स0पा0 शासनकाल में तो इनकी मुख्य मंत्री जी ने मंच पर ही एक पुलिस अधिकारी से अपनी सैण्डिल साफ करवा ली। मान्यवर, यहीं हजरतगंज में जब हमारे कार्यकर्ता धरना-प्रदर्शन का काम कर रहे थे बी0एस0पी0 शासन की नीतियों के विरुद्ध तो इनके डी0आई0जी0 ठाकुर ने हमारे कार्यकर्ताओं को अपने बूटों से मारा था। यह हाल था बर्बरता का पुलिस की। मान्यवर, अगर हमारी सरकार में यह बाते हुई होती तो ऐसे अपराधी लोग जेल में चले जाते। मान्यवर, इनकी सरकार में रहे दर्जनों मंत्री आज जेलों की हवा खा रहे हैं। भ्रष्टाचार के नाम पर। मान्यवर, इनके समय में इंजीनियर मनोज गुप्ता की हत्या हो गयी, शीलू काण्ड हो गया। और यह सब फिर भी कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। इनके जमाने में धन्नीडीह में बलात्कार की घटना हुई।

मान्यवर, हमारी सरकार ने पहली बार इतने प्रमोशन किये। पी0पी0एस0 अधिकारियों को आई0पी0एस0 बनाया है। पी0सी0एस0 को आई0ए0एस0 बनाया है। दरोगा इन्सपेक्टर हो गया है। इंसपेक्टर डी0एस0पी0 हो गया है। कांस्टेबिल हेड कॉस्टेबिल हो गया है। मान्यवर, कितने लोग प्रमोशन पा गये हैं। मान्यवर, हमारी सरकार में बड़े पैमाने पर ट्रॉसफर पोस्टिंग का काम हुआ लेकिन एक भी पैसा लेने का आरोप किसी भी मंत्री पर नहीं लगा। तमाम लोगों की सुविधाओं को देखते हुए उनके हिसाब से पोस्टिंग की गयी, स्थानान्तरण किये गये, ट्रॉसफर किये गये। मान्यवर, हमारी सरकार जनप्रिय सरकार है और हमारे युवा मुख्यमंत्री जी ने सामान्य प्रशासन और गृह पुलिस, पुलिस विभाग का जो बजट रखा है उसका मैं पुर-जोर समर्थन करता हूं। मान्यवर, अन्त में एक शेर पढ़ूंगा कि उनका क्या फर्ज है यह अहले सियासत जाने मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। धन्यवाद।

*श्री मदन चौहान-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत सामान्य प्रशासन एवं गृह पुलिस विभाग के बजट का समर्थन करने का अवसर प्रदान किया है। मान्यवर, मैं अपने युवा मुख्य मंत्री जी को इसलिए भी बधाई दूंगा कि उन्होनें पुलिस विभाग में तमाम पदों के सृजन के साथ-साथ कम्पयूटर आपरेटरों के पदों को भी सृजित करने का काम किया है। मान्यवर, पुलिस विभाग में कम्प्यूटरीकरण बहुत जरूरी है। और वह इसलिए जरूरी है कि उसी से जनता को सारी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सूचनायें मिल सकती हैं और योजनाओं की जानकारी मिल सकती है। जो विकास का द्योतक है। मान्यवर, हमारी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे कल्याणकारी निर्णय लिए हैं उनके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना आवश्यक है। मान्यवर, उनके निर्णयों से वोमेन पावर हेल्प लाइन शुरू हुई है उससे छात्राओं और महिलाओं को बहुत राहत मिली है। उसमें अब तक 32,390 शिकायतें दर्ज हुई हैं। और उन पर कार्यवाही भी हुई है। मान्यवर, इसी तरह से अपराधों को नियंत्रित करने के लिए बहुत सारे कदम उठाये जा रहे हैं। जैसे सी0सी0 टीवी लगाना। मान्यवर, जिस प्रकार से पूर्व में पुलिस वाले अपने निवास-स्थान पर जाने के लिए कई महीनों तक इंतजार करते थे अब हमारी सरकार ने अपनी योजना के माध्यम से उनको ट्रान्सफर की सुविधा दी है और बहुत से लोगों का अपने घरों के पास ट्रॉन्सफर हो भी गया है। मान्यवर, इसी तरह से साइबर क्राइमों को रोकने के लिए साइबर सेलों की स्थापना की जा रही है। मान्यवर, हमारी सरकार में युवा मुख्य मंत्री जी ने अपराधों पर नियंत्रण के लिए तमाम उपाय किये हैं। इससे अपराधों पर अंकुश लगाया जा सकेगा।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि पूर्व की सरकार में आप भी विपक्ष में बैठते थे, हम लोग भी विपक्ष में बैठते थे। माननीय भाजपा नेता चले गये वह एन0सी0आर0 से काफी वाकिफ हैं क्या उन चीजों को भूला जाय। हमारे भट्ठा पारसौल पर कितना बड़ा काण्ड हुआ था क्या उसको सरकार को भूल जाना चाहिए उसमें कितने लोग मारे गये, कितने महिलाओं की अस्मत लूटी गयी क्या क्या नहीं हुआ मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं डंके की चोट पर कि उन किसानों को जो आघात पहुंचा है उस पर मरहम लगाने का काम किसी ने किया है तो वह समाजवादी पार्टी ने किया है। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं सिम्भावली थाना पूरा का पूरा जल गया, पुलिस भाग गयी वह असमाजिक तत्वों के द्वारा किया गया क्या वह याद नहीं आता कभी। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं हम लोग सुनते थे उस बात को, गौतमबुद्धनगर ग्रेटर नोएडा एथारिटी पर घोड़ी बछेड़ा गांव के लोग अपनी जमीन का मुआवजा मांगने आये थे, मान्यवर, सुनिये तो अभी तो शुरू भी नहीं किया है। घोड़ी बछेड़ा गांव के लोग अपना मुआवजा मांगने आये थे 6 लोगों की निर्मम हत्या की गयी थी क्या उसको भूल गये मान्यवर। मान्यवर, हम सुनते थे कोई दरोगा जी किसी के घर चले गये, बलात्कार भी हुआ उनकी वर्दी भी छूट गयी क्या उसको हम नहीं जानते। मान्यवर, उस लोकप्रियता को दबाने के लिए आज विपक्ष का जो प्रयास है, उसकी परिणति है कुम्भ का मेला। किस तरह से इतना बड़ा मेला हुआ, माहौल कैसा रहा इसके साथ मैं बहुत संक्षिप्त कह रहा हूं मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

मान्यवर, पुलिस विभाग में एक सामाजिक या नैतिक कोई पाठ्यक्रम होना चाहिए। जिससे उसमें सामाजिकता का ज्ञान हो, नैतिकता का ज्ञान हो। दूसरा सुझाव है कि पूर्व में एस0पी0ओ0 बनाये जाते थे थाने के सहयोग के लिए पुलिस के सहयोग के लिए आज भी अगर वह एस0पी0ओ0 वाला कार्यक्रम शुरू किया जाय तो उससे पूरी मदद मिलेगी। मान्यवर, एक तत्काल में जो लोग पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं उनके लिए एक दिक्कत आती है उसमें कोई भी अधिकारी अपना आइडेन्टी कार्ड का अपना फोटोग्राफ नहीं देना चाहता उसके अभाव में आदमी मारे मारे घूमते हैं। मान्यवर, इसी के साथ जितने भी सात वर्ष की सजा के अपराध हैं उसमें बाहर से ही जमानत हो जाती है, गिरफ्तारी नहीं होती है तो उसमें भी कोई न कोई ऐसा प्राविजन होना चाहिए, ऐसा अधिनियम बनना चाहिए कि वह

7 साल वाले भी गिरफ्तार हों ताकि उन पर अंकुश लगे। मान्यवर, दूसरा 156/3 के अन्तर्गत जितनी भी एफआईआर होती हैं वह फर्जी होती हैं उन पर अंकुश लगना चाहिए। आखिरी बात है कि हापुड़ जिला नया बना है वहां पर पुलिस भवन नहीं है तो मैं चाहूंगा कि वहां के अधिकारी और वहां के लोगों के रहने के लिए और वहां के लोगों के लिए बैठने के लिए भवन का निर्माण हो, ताकि सुचारू रूप से व्यवस्था चल सके उसके लिए भवन का निर्माण होना चाहिए। मान्यवर, आपने मुझे मौका दिया मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं धन्यवाद।

*श्रीमती सीमा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने विपक्ष के द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपके प्रति आभारी हूं माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज की तारीख में जनता की अपेक्षा पुलिस से ज्यादा हो गयी है। पहले हम क्राइम पर पुलिस को खोजते थे, किसी अपराध पर पुलिस को खोजते थे किसी हत्या पर पुलिस को खोजते थे लेकिन आज खेत खलिहान के झगड़े से लेकर के पति पत्नी के झगड़े में भी हम थाने में जाने लगे हैं, पुलिस से हम ज्यादा अपेक्षा करने लग गये हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट में कुछ बाते बहुत अच्छी कही है साइबर क्राइम को रोकने का प्रयास, उत्तर प्रदेश पुलिस को सुदृढ़ करने के लिए आधुनिक वाहन, अस्त्र-शस्त्र आदि की व्यवस्था सीसी कैमरे की व्यवस्था आदि अच्छा प्राविधान किया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, 2-3 बातें हम आपके बीच में रखना चाहेंगे। मान्यवर, 82-83 बैच के सब-इन्सपेक्टर हैं सरकार कहती है कि पुलिस को तीन-तीन प्रोन्नतियां दी जायेंगी लेकिन जो 82-83 बैच के सब इंस्पेक्टर हैं, आज की तारीख में उनको भी प्रोन्नतियॉ नहीं की जा रही है। मान्यवर, दोहरा मापदंड नही होना चाहिये। एक तरफ कहा जाता है कि 50 प्रतिशत परीक्षा से भर्ती होगी और 50 प्रतिशत ज्येष्ठता से भर्ती की जायेगी। मान्यवर, बहुत लम्बा समय बीत गया, सरकार का ध्यान वहां भी आकृष्ट करना चाहूंगी इसलिये करना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा काम आप थाने के एस0ओ0 से लेते हैं, कहीं भी कोई घटना होती है, सबसे पहले सब इंस्पेक्टर को याद करते हैं।

मैं दो-तीन बांतें रखकर अपनी बात समाप्त करूंगी। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक थाना है सुजानगंज और उससे सटा हुआ एक थाना है, महराजगंज। सुजानगंज और महराजगंज थाने के बीच में एक सई नदी आ जाती है । जिसके कारण कोई भी घटना घटती है तो पुलिस को उन गांवों में पहुंचने में डेढ़ घन्टे का समय लग जाता है, अगर उन 15-20 गांवों को जो भौगोलिक परिदृश्य में महराजगंज थाने में होने चाहिये, ऐसे थानों को सुजानगंज से हटाकर महराजगंज थाने के अन्तर्गत कर दिया जाये तो इससे जनता को बड़ी सुविधा होगी और मैं दूसरी बात कहना चाहूंगी कि एक हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता थे नन्द बहादुर सिंह, 8-11-2011 को उनकी हत्या हो गयी, हत्या का कोई सुराग नहीं मिला, बहुत धरने प्रदर्शन के बाद पुलिस ने एक नाम को खोला, हत्या का पर्दाफाश हो गया, लेकिन मान्यवर, आज तक उनकी गिरफ्तारी न हो पायी, जिसके कारण उनके परिवार को आज तक न्याय नहीं मिल पा रहा है। माननीय अधिष्ठाता जी, मैं एक बात आपसे और कहना चाहूंगी कि पुलिस प्रशासन के संबंध में बार-बार निर्देश होते हैं कि रि-पोस्टिंग न की जाये अभी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसी विधान सभा में एक प्रकरण उठा था रि-पोस्टिंग को लेकर। जब बार-बार सरकार का दिशा-निर्देश होता है यदि अपरिहार्य न हो तो रि-पोस्टिंग न की जाये। जो जनपद जौनपुर के थाने का प्रकरण उठा था, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यहां बैठे हैं मैं कहना चाहूंगी कि तलब करिये उस पुलिस अधीक्षक को, जिसने वहां रि-पोस्टिंग करी, ऐसी कौन सी मजबूरी थी उसकी, जो उसकी पोस्टिंग की गयी। आई0जी0 बनारस कहता है कि सिपाहियों की रि-पोस्टिंग नही की जायेगी और जिले का एस0पी0 रि-पोस्टिंग करे, यह उचित नहीं है। इसी के साथ मैं इस बजट प्रस्ताव के कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुये अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री पूर्णमासी देहाती-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे सामान्य प्रशासन और गृह विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं मान्यवर, सदन में बहुत सी बातें आई हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, वह बहुत अच्छा है। मैं पूरे सदन से एक निवेदन करना चाहता हूं कि बाहर बलात्कार तो कम होता है लेकिन यहां चर्चा ज्यादा हो जाता है। इसलिये मैं सभी सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि बलात्कार शब्द से थोड़ा सदन में परहेज रखना चाहिये। यह माननीय साध्वी जी हैं, इन्होंने 5 बार अपने भाषण में बलात्कार शब्द का प्रयोग किया।

(विपक्ष की महिला सदस्यों द्वारा टोकाटाकी किये जाने पर-व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग बैठ जायें, उनकी बात को सुनें। डा0 साहब आप अपनी बात समाप्त करें। आपकी बात आ गयी।

श्री पूर्णमासी देहाती-

मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि बार-बार सदन के अंदर बलात्कार शब्द नहीं आना चाहिये। क्योंकि यह हम लोगों के लिये शर्म की बात है। मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि उस शब्द का थोड़ा परहेज रखना चाहिये। मान्यवर, यह बजट बहुत अच्छा है और मैं उसका समर्थन करता हूँ और आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी हैं और बहुत सुलझे हुये व्यक्ति हैं पूर्णमासी देहाती जी। मैं अपनी सभी बहनों को कहना चाहूंगा कि कभी भी उनका आशय गलत हो ही नहीं सकता वह तो इतने अच्छे व्यक्ति हैं। कहने में कोई गलती हो सकती है और मै यह आपसे सही कह रहा हूं अभी मैं अध्यक्ष जी के कमरे में बैठा था, मैं सोच रहा था कि मैं सदन में आकर यह सुझाव दूं कि क्या हम इस शब्द का कोई विकल्प ढूंढ़ सकते हैं क्योंकि जब हम यह शब्द कहते हैं तो जो महिलाएं यहां बैठी हैं लगता है कि हम उनके साथ भी न्याय नहीं कर रहे हैं। यह शब्द जितना बदनाम हुआ है और इस शब्द का जितना दुरुपयोग हुआ है और जितनी मानसिकता खराब हुई है उसके बिना पर हमारा मन यह चाहता है कि इस शब्द का कोई विकल्प होना चाहिए और इस शब्द का इस्तेमाल कम से कम हो या बिल्कुल न हो। तो आप बिल्कुल यह मान लें कि श्री पूर्णमासी देहाती

जी का कोई भी आशय ऐसा नहीं होगा और अगर ऐसा है तो वह तो खुद ही बराबर कह रहे हैं कि मेरी यह मंशा नहीं है। अगर कोई बात ऐसी है जो सम्मान के खिलाफ हो बहनों के, महिलाओं के उसे आप कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है अगर कोई ऐसा शब्द होगा तो उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री अब्दुल मशहूद खां-

माननीय अधिष्ठाता महोदय आपने मुझे सामान्य पुलिस और गृह पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं समाजवादी पार्टी की पूरी सरकार को और माननीय मुख्य मंत्री जी को खासतौर पर बधाई देना चाहता हूं कि जिस दिन से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आई है पूरी तौर पर लोकतंत्र की बहाली हुई है और कानून-व्यवस्था ठीक हुई है। मैं नहीं कहता कि पूरी तरह कानून व्यवस्था ठीक हो गई लेकिन एक साल में अगर तुलना किया जाय पिछले कार्यकालों से तो बहुत अच्छी स्थिति है। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में जब हम लोग संघर्षरत थे और डेरा डालो घेरा डालो आन्दोलन से लेकर जेल भरो आन्दोलन तक संघर्ष कर रहे थे। तो हम समाजवादी साथियों ने एक नारा दिया था कि 'सोनियां तेरे जमाने में दाल नहीं है खाने में और माया तेरे जमाने में इज्जत लुट गई थाने में' कम से कम आज समाजवादी पार्टी की सरकार में एक साल बीत गया ऐसी स्थिति तो नहीं आई है। जहां तक सवाल है उत्तर प्रदेश पूरे हिन्दुस्तान में सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है। अगर तुलना किया जाय आबादी के ऐतबार से तो महाराष्ट्र में, दिल्ली में, गुजरात में जितने फसाद हो रहे हैं और जितनी घटनाएं हो रही हैं उसकी तुलना में उत्तर प्रदेश में बहुत कम हो रहा है। जहां इतने लोग होंगे और तरह तरह के दिमाग वाले लोग होंगे कुछ खुराफाती तत्व भी होंगे तो कुछ थोड़ा बहुत खुराफात तो करेंगे ही। लेकिन हमारे भाजपा के सदस्य बोल रहे थे और उनकी फितरत है आग लगाने की आग लगाने का काम भी करते हैं कहीं न कहीं भड़काने की बात कर मौर्या जी चले गए सीट पर नहीं हैं गुजरात में जब दंगा हुआ था तो शायरों ने लिखा था कि कलमकारों सियासी जुल्म का रूदाद लिख देना और कयामत जब भी लिखना हो अहमदाबाद लिख देना। यह कहा था शायरों ने अगर तुलना किया जाय उठाकर देखा जाय तो उत्तर प्रदेश में अपराधों की संख्या समाजवादी पार्टी की सरकार जब से बनी है निरंतर घटी है। और यह भी सही है कि जितनी आबादी है उस आबादी के ऐतबार से तुलना किया जाय तो पुलिस की संख्या बहुत कम है। अनुपात के हिसाब से पुलिस की संख्या बढ़ाए जाने की जरूरत है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य कृपया संक्षेप करें।

श्री अब्दुल मशहूद खां-

यह भी सही है कि पुलिस को जितनी सुविधा मुहैया होनी चाहिए वह नहीं है। मेरा सुझाव है कि पुलिस को जो सुविधा मुहैया होनी चाहिए उनको मुहैया कराई जाय। एक पुलिस का आदमी 24 घंटे धूप में खड़े रहकर, बारिस में खड़े रहकर कि कहीं पत्ता भी हिले तो पुलिस की जिम्मेदारी । नहीं निभा सकता वह ड्यूटी अगर आदमी 24 घंटे मेहनत करेगा ठीक से सोएगा नहीं, ठीक से खाएगा नहीं तो कोई भी एप्लीकेशन लेकर जाएगा तो वह झुझलाहट में जवाब दे सकता है। इसलिए जरूरी है कि

पुलिस वालों को भी इंसान समझा जाय और उनके हिसाब से सुविधा मुहैया कराई जाय। आपने बोलने का मौका दिया आपको धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

*श्रीमती रूबी प्रसाद-

अधिष्ठाता महोदय आपने सामान्य प्रशासन के बजट के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं। मैं जनपद सोनभद्र के दुद्धी विधान सभा जो अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और चार-चार राज्यों से घिरा हुआ है मैं वहां से चुनकर आती हूं। चूंकि मेरा दुद्धी विधान सभा नक्सली प्रभावित क्षेत्र है और मैं नक्सलियों के बारे में सरकार को कुछ सुझाव देना चाहती हूं कि हमारे क्षेत्र में गरीब आदिवासी बाहुल्य जिनको फर्जी नक्सली बनाकर जिनका मुठभेड़ किया जाता है हम सरकार को सुझाव देना चाहते हैं कि उनको मुख्य धारा में जोड़ें, उनके लिए अलग से कैम्प करें, उन्हें शिक्षित करने का काम करें ताकि वह भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ें और ऐसी वारदात नहीं करें। साथ ही साथ हमारी विधान सभा में दुद्धी तहसील जो अतिसंवेदनशील तहसील है, वहां पर एक भी महिला पुलिस नहीं है। दुद्धी विधान सभा से जनपद सौ किलोमीटर की दूरी पर है आयेदिन कई नक्सली घटनाएं होती रहती हैं वहां पर महिला पुलिस की जरूरत है, इसलिए हम सरकार से आग्रह करेंगे कि वहां महिला पुलिस की व्यवस्था की जाए। साथ ही साथ हम यह भी चाहेंगे कि हमारे जनपद में पुलिस की बहुत कमी है, उनकी पोस्टिंग की जाए तथा साथ ही साथ प्रत्येक थाने में कम से कम दो प्रतिशत अल्पसंख्यक दारोगाओं की पोस्टिंग की जाए यह मेरी सरकार से मांग है।

श्री अधिष्ठाता-

आपकी बात आ गई, कृपया समाप्त करें।

*श्री श्याम बहादुर सिंह यादव-

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे सामान्य प्रशासन और गृह विभाग के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रखे गये बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बातें रखना चाहता हूं। महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो बजट माननीय मुख्य मंत्री जी ने सभी आय वर्ग के लोगों को ध्यान में रख करके, चाहे वह हमारी महिला बहनें हों, हमारी माताएं हों या फिर हम लोगों की ओर से हों, ला एण्ड आर्डर को मेनटेन करने के लिए, 20 करोड़ से ज्यादा आबादी के इस सूबे को बेहतरी से चलाने के लिए, कानूनी तौर पर अमलीजामा पहनाने के लिए जो उन्होंने बजट रखा है उसका समर्थन करते हुए आपसे यह कहना चाहता हूं कि हमारी बहनों के लिए जो यहां बैठी हुई हैं जो उन्होंने 1090 की एक योजना चलाई है उसमें 32 हजार 32390 एप्लीकेशन्स आई हैं और उसमें से सारे का निपटारा हो चुका है केवल 17 सौ बाकी रह गई हैं। हम साफ तौर से विपक्ष के साथियों को कहना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि यह हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी की दरियादिली है, उनकी संवेदनशीलता है, हमारी सरकार की महानता है कि हमारी बहनों की एप्लीकेशन्स टेलीफोन से नोट की जा रही है और उनकी समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया संक्षेप करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री श्याम बहादुर सिंह यादव-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं एक भी बिन्दु पर अभी नहीं बोल पाया। माननीय विपक्ष के साथियों को मैं बताना चाहता हूं कि डाटा के अनुसार जो हमारी बहनों के उत्पीड़न में कमी हुई है वह इस प्रकार है, दहेज हत्या में 5.66 प्रतिशत, शीलभंग में 7.99 प्रतिशत, छेड़खानी में 36.96 प्रतिशत और जिस शब्द के लिए अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने मना किया है क्योंकि बहनें उद्वेलित हो गई थीं, उस मामले में नाम न लेने का पहले मैं शुरूआत कर रहा हूं उस मामले में 11.77 प्रतिशत अपराध की कमी आई है। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की विजिबिलिटी है, जो उनका व्यू है, जो उनका विजन है कानून-व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए उन्होंने जो सी0सी0 कैमरे का प्लान किया है उसके तहत उन्होंने प्लानिंग की है कि महानगरों के बड़े-बड़े चिन्हित चौराहों पर सी0सी0 कैमरा लगाया जायेगा, उसके लिए भी मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं क्योंकि आने वाले समय में इसकी और मान्यता बढ़ेगी। साइबर क्राइम का जो मामला है उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगरा और लखनऊ में कार्यालय स्थापित करने का काम किया है और सभी जोनल स्तर पर बनाने की प्लानिंग, प्रस्ताव सरकार ने रखा है। हम कहना चाहते हैं कि साइबर के मामले में अभी प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश पिछड़ा हुआ है। हमारी जानकारी उतनी नहीं है जितना पश्चिम के देशों की है इसलिए अभी प्लॉन के रूप में दो बड़े महानगरों को रखा गया है आगे जब यह जोनल स्तर पर जायेगा, जब इसका विस्तार होगा तो हमें कानून-व्यवस्था दुरुस्त करने में मदद मिलेगी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, विधि विज्ञान की प्रयोगशाला के लिए जो उन्होंने बजट सैंग्शन किया है जिसमें 2 सौ से भी ज्यादा इंस्पेक्टर रैंक के लोगों को ट्रेंड किया जायेगा, उसके लिए भी मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। पुलिस का एक बड़ा वर्ग है हमारे समाज में उसके स्थानान्तरण की, उसके नियुक्ति की, उसके प्रमोशन की उसमें जो हमारे मुख्य मंत्री जी ने प्लानिंग की है जिसको उन्होंने करके दिखाया है कि सुदूर जनपदों से उनको अपने जनपद में करने का काम किया और उनके अपने परिवार से मिलने का, आने जाने का, हाल-चाल लेने का मौका दिया है उसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करते हुए एक सुझाव देना चाहता हूं। यहां पर माननीया रीता बहुगुणा जोशी जी नहीं हैं।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करिये।

श्री श्याम बहादुर सिंह यादव-

मान्यवर, मैं इस तरफ के साथियों के लिए कहना चाहता हूं कि हमारे साथी बोल रहे थे कि उनका घर फूंका जा रहा था और टी0वी0 पर हम लोग भी देख रहे थे। यह लॉ-एण्ड-ऑर्डर की बात करते हैं। हमारे तमाम वक्ताओं ने बोला है कि चार-चार मंत्री सरकार रहते चले गये थे और एक सौभाग्यशाली मंत्री हमारे जनपद के भी हैं, दो सरकार के बाद गये हैं और न जाने अभी कितने जायेंगे ? मैं उसमें नहीं जाना चाहता लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जिसने कांग्रेस अध्यक्षा का घर जलाने का काम किया, लॉ-एण्ड-ऑर्डर मेनटेन करने के लिए विपक्ष के हमारे ब0स0पा0 के सरकार के साथियों ने, उनकी मुख्य मंत्री ने उस आदमी को दूसरे ही दिन लालबत्ती से नवाज करके लॉ-एण्ड-ऑर्डर मेनटेन किया था। यह मैं उनको स्मरण कराना चाहता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अखबार का संज्ञान सदन में नहीं लिया जाता, हम लोग पहली बार चुन करके आये हैं, बहुत सी

त्रुटियां हो जाती हैं लेकिन मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि दो-तीन अखबारों की कटिंग मेरे पास है, अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि साफ-साफ लिखा गया था कि जो पीछे लॉ-एण्ड-ऑर्डर में दंगों की बात आयी हमारी सरकार में। दंगे होते नहीं हैं कराये जाते हैं, कौन कराते हैं उसमें मैं नहीं जाना चाहता। साफतौर पर कहना चाहता हूं कि फैजाबाद की घटना पर अखबारों ने लिखा था कि जिस मस्जिद से पिछले वर्ष मूर्ति जाते समय पुष्पों की वर्षा हुई थी उस मस्जिद से ऐसा क्या कारण बना कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही पत्थरों की बारिस हुई। वह साजिश के तहत हुई थी, यह मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं। जितने भी दंगे हमारी सरकार में हुए वह सुनियोजित ढंग से इन्हीं लोगों से कराये जा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया अब समाप्त करें।

श्री श्याम बहादुर सिंह यादव-

हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी की जो इमेज है, हमारी सरकार के जो कारनामे हैं उससे विपक्षी लोग घबड़ा गये हैं और प्लानिंग करके हमारी सरकार की इमेज गिराना चाहते हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपसे यह अपने मा0 मुख्य मंत्री जी की संवेदनशीलता के बारे में कहना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया अब समाप्त करें।

श्री श्याम बहादुर सिंह यादव-

लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो अभी कांग्रेस के साथियों ने एक बात रखी, लोकतंत्र की रक्षा के लिए मा0 मुख्य मंत्री जी ने सरकार बनते ही धरनास्थल लक्ष्मण मेला मैदान से विधान सभा के सामने करने का काम किया था और इनकी मुख्य मंत्री ने 8 कि0मी0 दूर करके लोकतंत्र का गला दबाने की कोशिश की थी और न जाने कितने बेरोजगार नौजवान शिक्षामित्रों पर लाठियां चलवाकर गोमती नदी में प्रवाहित करने का काम किया था। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की संवेदनशीलता को कि हम लोग भी जो उधर के साथी बोलते हैं, हम लोग भी छात्र राजनीति करके आये हैं मैं उन साथियों से अपील करना चाहता हूं कि मुझसे सूरज उगाने की जिद न करो, यह शहर मोम का है पिघल जायेगा। तो ऐसा न करें कि इधर के नौजवान भी उद्वेलित हो जांए और ऐसा माहौल सदन में बन जाए कि फिर हमारी बदनामी हो। जैसा इन लोगों की मंशा है वह पूरा नहीं होने दिया जायेगा जहां विरोध की जरूरत पड़ेगी वहां लोकतांत्रिक ढंग से उपयुक्त विरोध किया जायेगा। जो यह मंशा पाले हुए हैं कि 10-15 साल पहले की पुनरावृत्ति करायी जाए वह सदन में नहीं होने दिया जायेगा यह मैं ब0स0पा0 के और तमाम विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूं। इसी के साथ आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण बजट पर अवसर दिया मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री पूरन प्रकाश-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे मा0 मौर्या जी द्वारा रखे गये सामान्य प्रशासन एवं गृह विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया भूमिका न बांधे, संक्षेप में अपनी बात रखें, सुझाव दे दें।

श्री पूरन प्रकाश-

मैं आपके माध्यम से सरकार को सुझाव देना चाह रहा हूं हमारे सभी साथी सदन में बैठे हुए हैं, पूरा सदन बैठा है यह निश्चित तौर पर सबके दिलों में होगा, रात में, दिन में, सुबह जब भी कोई क्षेत्र का मामला आता है सम्बन्धित थाने से हम किसी एस0ओ0, सी0ओ0 को फोन करते हैं तो हमारे फोन नहीं उठते हैं जबकि वह पुलिस का सरकारी सी0यू0जी0 नम्बर रहता है और यही फोन अगर थाने पर बैठे पुलिस के दलाल कोई दलाल करता है तो तुरन्त फोन अटैन्ड किया जाता है। यह मेरी आप बीती है। सभी विधायक इससे सहमत होंगे, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं। जरा इधर मुखातिब हों।

श्री अधिष्ठाता-

चलिये, आपकी बात आ गई।

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, अभी तो शुरू भी नहीं किया एक सेकेन्ड भी नहीं हुआ मान्यवर। मान्यवर, सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है हमारे मथुरा जनपद में, यह सर्वविदित है एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। और रिफाइनरी से अभी बात चली भी थी चाहे मिट्टी का तेल हो, डीजल हो, चाहे कोलतार हो, चाहे नेप्था हो, चाहे पेट्रोल हो सब वहां से जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, चार थाना क्षेत्र हैं। जगह-जगह अन्डर ग्राउन्ड जमीन के अन्दर टंकियां बनी हुई हैं। रिफाइनरी से गाड़ी निकलती है, खड़ी होती है और उसमें से काफी मात्रा में माल उतर जाता है। कोलतार बेहिसाब मथुरा से बाहर जाता है। दूसरे प्रदेशों व जनपदों को उसका कारण भी है मान्यवर, क्योंकि जो सरकारी कोलतार का रेट है, जो बाजार का रेट है उसमें दोगुना चौगुना का फक्र है। 50% कोलतार बीच में उतर जाता है और कारण हम देखते हैं कि कोलतार के अभाव से 6 महीने में वो सड़क टूट गई, 3 महीने में वो सड़क टूट गई तो वह सड़क बने तो बने कहां से। आधा कोलतार रिफाइनरी से निकल कर जाता है पी0डब्ल्यू0डी0 के विभिन्न अफसरों एवं ठेकेदारों की मिलीभगत से....

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें। माननीय सदस्य, आपकी बात आ गई।

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, एक मिनट लूंगा मान्यवर। मान्यवर, जो सबसे बड़ी समस्या चल रही है मथुरा में। एक नया धंधा शुरू हुआ है मथुरा में। टटलू का धंधा। क्या होता है हमारे मथुरा में महाराष्ट्र से, गुजरात से, दिल्ली से श्रद्धालु आते हैं और दो तीन गांव ऐसे हैं जहां एक ही काम है टटलू। सोने की ईंट दिखाते हैं और सोने की ईंट दिखाकर लाखों रुपया उनसे ऐंठा जाता है। इस पर कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। मान्यवर, हमारे जनपद मथुरा में मेरे क्षेत्र के अन्तर्गत एक रिपोर्टिंग चौकी ओल है वहां पर थाना हो जावे बल्देव थानान्तर्गत एक पुलिस चौकी बरौली में स्थापित कराई जाये।

श्री अधिष्ठाता-

अब कृपया समाप्त करें। डा0 मुस्लिम आप बोलें।

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया बहुत बहुत धन्यवाद।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य सदन के वैल में आ गये)

श्री अधिष्ठाता-

यह क्या हो गया डाक्टर साहब ? यह क्या कर रहे है आप। भई जो अध्यक्ष जी की व्यवस्था है।

(सत्ता पक्ष से माननीय मंत्री श्री महबूब अली और माननीय सदस्य डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल आपस में तर्क करने लगे)

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

इस तरह से नहीं चलेगा। बैठ जाइये मंत्री जी आप, आप कौन होते हैं बोलने वाले, आप मुझे सिखायेंगें। मंत्री महोदय बैठे हैं, आप चुपचाप बैठिये।

(इस समय 05 बजकर 55 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री अध्यक्ष-

अरे डाक्टर साहब, ओ डाक्टर साहब क्या हुआ ? पहले अपनी सीट पर चलकर बताइये कि क्या हुआ। डाक्टर साहब बात क्या है ?

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

चलिये सब लोग वहां पर चलिये। माननीय अध्यक्ष जी, हम एक मान्यता प्राप्त दल हैं। 47 की संख्या है हमारी। आप लगातार इस बात को कहते हैं कि संख्या के आधार पर बोलने का अधिकार दिया जायेगा। आप पूरी सूची निकलवाकर देख लीजिये किस दल के कितने सदस्यों को कितना बोलने का मौका दिया। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। कॉग्रेस के 5 सदस्य बोल चुके छठवां बुलाया जा रहा है। लोक दल के तीन लोग बोल चुके और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से माननीय हुकुम सिंह जी को छोड़कर सिर्फ तीन लोगों को मौका मिला। हमारी संख्या 47 है। आखिर यह किस आधार पर तय होगा। हमारे सदस्य किसलिये सदन में है, हम उनको कैसे डील करें लगातार वह कह रहे हैं कि हमारी बातें सदन में नहीं रखीं जा रही हैं । यह अन्याय है, अन्याय। अध्यक्ष जी, आपके रहते यह अन्याय नहीं होना चाहिए। हम लोग कभी भी पीठ को आरोपित नहीं करते।

श्री अध्यक्ष-

ठीक करते हैं आप। चलिये सब लोग चलिये, अपनी जगह पर बैठिये।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय मंत्री जी अपनी गरिमा मेन्टेन करिये आप। यह सदन है, आपका मंत्रालय नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

चलिये, सब लोग बैठिये अपनी जगह पर। दरअसल हम आवश्यक काम से थे। बैठिये बैठिये मैं बुलाता हूं।

(सभी माननीय सदस्य अपने स्थान पर चले गये)

आप लोग बैठ जायं फिर नये सिरे से चलाते हैं। गजेन्द्र सिंह बोल चुके हैं। लोकेश दीक्षित अभी नहीं बोले, आपके यहां साध्वी बोलीं, सुरेश राणा अभी नहीं बोले, आप बैठ जाएं, आप क्या बोलना शुरू कर दिए थे, बोलिए।

*डा0 मुस्लिम-

माननीय अध्यक्ष जी, सामान्य प्रशासन और पुलिस महकमें के बजट पर मुझे शामिल होने का अवसर मिला। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। बड़ा अफसोस होता है जब कोई सदन में खड़े होकर कोई सही बात कहता है तो कुछ न कुछ बाधा जरूर पैदा होती है। जब से उत्तर प्रदेश की सरकार आई और हमारे नौजवान एक अच्छे कर्मठ हिन्दुस्तान के एक समाजवादी विचारधारा को लेकर चलने वाले उनके बेटा अखिलेश यादव जी को मैं धन्यवाद देता हूं -

(मेजें थपथपाई गईं)

इन्होंने जो बजट रखा है मैं इंसाफ की बात कहता हूं जो काम इस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार और उसके मुखिया कर रहे हैं यकीनन तारीफ के लायक हैं। (मेजें थपथपाई गईं)

लेकिन जो मैंने देखा है कहां पर कमी है उस कमी की तरफ हमारे मुख्य मंत्री जी, हमारे आजम खां साहब और हमारे मंत्रि-मंडल के वरिष्ठ मंत्री जी बैठे हुए हैं मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं उस कमी को एहसास करें। अभी दो दिन पहले मुख्य मंत्री जी से मैंने कहा था और वह बैठक करके आए थे पुलिस महकमें की, उसमें इन्होंने काफी पुलिस महकमों के अधिकारियों को टाइट किया था। मुझे कहने की जरूरत पड़ रही है मैं इसलिए कह रहा हूं इसके कर्मी जो हैं, आपके दरोगा जो हैं, आपके सिपाही जो हैं, आपके कप्तान जो हैं, इनकी वजह से, इनकी ढिलाई की वजह से, इन पर बदनामी की बात आ रही है, इन पर क्वेश्चन माक्र है। अगर यह सुधर जाए तो यकीनन इससे अच्छी सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं आई है।

(मेजें थपथपाई गईं)

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको अपनी विधान सभा की तरफ ले जाना चाहता हूं तिलोई विधान सभा, तिलोई विधान सभा में आज से दस दिन पहले शाम सात बजे एक नौजवान को बुलाकर हत्या कर दी जाती है और मौहम्मद अली नाम का नौजवान बच्चा मारा जाता है। आज तक किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई आज तक कोई जांच पड़ताल नहीं हुई। दबंग और सरंग लोग जो आज तक अपने को दबंगई और सरंगई से अपने को वहां पर जीवित किए हैं और अपना शासन चला रहे हैं तिलोई विधान सभा में, मैं उनका नाम नहीं लूंगा।

श्री अध्यक्ष-

नाम लेना भी नहीं चाहिए।

डा0 मुस्लिम-

नाम नहीं लूंगा 12 तारीख को एक बैकवर्ड के घर पर लोध बिरादरी के छः सात घर को जला दिया गया। यह भी थाना मोहनगंज के दोनों वाक्या हैं। दोनों वाक्या थाना मोहनगंज और तिलोई विधान सभा के हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी के माध्यम से, जिस

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तरह से मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं, इस सरकार की तारीफ कर रहा हूं उसी तरह से मैं आपसे मांग करता हूं कि इसमें अविलम्ब गिरफ्तारी की जाए और जो अधिकारी हैं जिनके बारे में गलत बात नहीं कर रहा हूं उनकी ढिलाई से उनको निकम्मा कहा जा सकता है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं और मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि अविलम्ब कार्यवाही करके उन्हें दंडित कराया जाए और जो दोंनों मुकदमें हैं दफा 308, 394 302 इसकी तुरंत तफ्तीश करके लोगों को सजा दिलाई जाए। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। शुक्रिया।

*श्री सुरेश राणा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे आज गृह विभाग और सामान्य प्रशासन के बजट के कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिए समय दिया। अध्यक्ष जी, किसी भी प्रदेश का वास्तव में जो सच्चा आइना है, वह वहां की कानून-व्यवस्था है और मैं आलोचना के लिए आलोचना नहीं कर रहा हूं। आज दिन में हाउस के अन्दर 3-4 बार गुजरात की चर्चा हुई, हमारे कांग्रेस के एक बहुत सीनियर सदस्य हैं, सुबह उन्होंने चर्चा की थी, अभी सामने से चर्चा हुई। एबीपी न्यूज पर 8 दिन पहले एक कार्यक्रम चल रहा था। उत्तर प्रदेश के आदरणीय राजनाथ सिंह जी, प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी उस कार्यक्रम में मौजूद थे। एबीपी न्यूज का कार्यक्रम था और वह कार्यक्रम इस विषय को लेकर था कि किस शहर में ज्यादा खूबसूरती है, किस शहर की सड़क अच्छी है, किस शहर की कानून-व्यवस्था अच्छी है ? जहां आदरणीय प्रोफेसर साहब, आदरणीय राजनाथ सिंह जी उपस्थित थे, वहां चैनल ने घोषित किया कि वह शहर जहां के 3 बजे भी लड़कियॉ स्वच्छंद रूप से घूम सकती हैं, वह शहर जहां की कानून-व्यवस्था हिन्दुस्तान में सबसे अच्छी है, वह शहर घोषित हुआ, गुजरात का राजकोट। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने सुबह कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे देश को गुजरात बना देना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं, जिस दिन यह देश पूरा गुजरात बन जायेगा, यह देश विश्व-गुरू के आसन पर विराजमान होगा, यह बात मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, आज हम सब जानते हैं कि सुबह नियम-301 आपने लिया, भू-माफिया द्वारा कब्जे करने के सम्बन्ध में प्रश्न सत्तापक्ष के ही एक विधायक ने लगाया था तो यह कहीं न कहीं इस ओर इशारा है कि आज भू-माफियाओं द्वारा कब्जे का प्रयास जारी है। चूंकि समय बहुत सीमित है, अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी, 2011 में, शामली बड़ा प्रसिद्ध शहर है, अब तो जनपद हो गया है, वहां एक छात्र अकेला भाई संयम का अपहरण हुआ, गिरफ्तारी एक बदमाश की हुई और उसने कहा कि मैंने वह बालक दूसरे बदमाश को दे दिया है और मुझे कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है, आज मुझे संयम के पिता जी ने बताया कि जब हम एक बड़े अधिकारी के पास आए तो उन्होंने कहा कि इसकी बरामदगी नहीं हो सकती चूंकि एक बड़ा नेता नहीं चाहता कि उसकी बरामदगी हो। एक बड़ा नेता उसमें हस्तक्षेप कर रहा हैं, मुझे कष्ट के साथ हाउस में यह बात कहनी पड़ रही है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उस बहन के भाई को, उस पिता के पुत्र की वापसी यदि सरकार सम्भव करा सके, यह मेरा आग्रह है, यह मेरा निवेदन है। मान्यवर, राजस्व मंत्री बैठे हैं, बहुत दबंगाई के साथ, बहुत मजबूती के साथ इन्होंने पिछले सत्र में कहा था, माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आदेश है कि जो भी तालाब हैं, पानी का जो गंभीर संकट है, जो भी तालाब हैं, वह कब्जा-मुक्त होंगे। तहसील थाना भवन, जहां से मैं विधायक हूं, थाना भवन नगर पंचायत में एक तालाब है, उस तालाब पर कब्जा कर रखा था। वहां के ई0ओ0 ने कहा कि कब्जा-मुक्त करो और जो लोग वहां अतिक्रमण कर रहे थे, उनके मकानों में जा करके ताला लगा दिया। तभी वहां पूरे दल-बल के साथ 10-20 गाड़ियां ले करके एक नेता जो समाजवादी पार्टी का नेता है, बड़ा और वह इस समय कैराना से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी भी है।

आदरणीय आजम साहब का ध्यान मैं इस ओर जरूर चाहूंगा, वह वहां पहुंचते हैं और सारे जितने अतिक्रमण वाले लोग हैं, उनका ताला खुद खड़े होकर अपने सामने तुड़वाते हैं। ई0ओ0 खड़ा वहां रोता है, मजबूरी जाहिर करता है, यह कहीं न कहीं कानून-व्यवस्था पर मान्यवर, प्रश्नचिन्ह है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे यहां, मेरे ही कस्बे में एक सतीश गोयल नाम के व्यापारी हैं, चूंकि उनकी पत्नी बीमार थी और बीमार पत्नी जब छुट्टी होकर दिल्ली से आई, हालांकि मैं उसका पक्षकार नहीं हूं, उस विषय का, लेकिन चूंकि विषय इस तरह का है कि बराबर में मदरसा था, मदरसे में जब रेड़ियां बज रही थी। चूंकि वह मकान अकेला है, पूरे उस मोहल्ले में तो उनका आपस का समन्वय अच्छा है। उसके बेटे ने वहां जाकर कहा कि मेरी मां की तबियत खराब है। थोड़ी आवाज कम कर लो। वह जो मदरसे के मौलवी साहब थे उन्होंने आवाज को कम कर लिया। जैसे ही वह लड़का बाहर निकला। वहां पर कुछ लोग आये और पूछा कि क्या था। तो उन्होंने कहा कि उस लड़के ने कहा कि आवाज कम कर लो तो मैंने आवाज कम कर ली क्योंकि उसकी मां बीमार है। अध्यक्ष जी, इस बात को सुनते ही सैकड़ों की संख्या में लोग इकटठा हो गये और सतीश गोयल के मकान पर हमला बोल दिया और फिर खेद के साथ कहना पड़ता है कि गंगोह हमारे बराबर में पड़ता है वही प्रत्याशी गंगोह में थे वह दौड़कर थाने में आता है और अपनी नाजायज ताकत का इस्तेमाल करके उनके खिलाफ एफ0आई0आर0 कराता है। मैं सच बता रहा हूं कि सतीश गोयल को वहीं थाने में चाटा मारा गया। यदि मैं उस दिन सूझबूझ का परिचय न देता तो उत्तर प्रदेश की दंगों की जो फेहरिस्त है उसमें एक नाम और जुड़ जाता। मैं सुबह बहुत सारे लोगों के साथ थाने पर गया। 13/13 उस मुकदमे की संख्या है। 13 लोगों के खिलाफ जिन्होंने रात में घर में घुसकर तोड़फोड़ की थी, महिलाओं के साथ बदतमीजी की थी उन लोगों के खिलाफ मेरी मौजूदगी में वहां एफ0आई0आर0 हुयी और मुझे कष्ट के साथ कहना पड़ता है कि आज तक एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुयी। जो बेटा आवाज कम कराने गया था उस बेटे के साथ-साथ उसके बाप को भी जेल भेज दिया गया। पुलिस भी मानती है कि वह निर्दोष है। और जिन 13 लोगों ने वहां हमला किया। उनमें से एक की भी गिरफ्तारी नहीं है। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो उसे शासन में छूट नहीं मिलनी चाहिए कि वह बदतमीजी करे वह किसी धर्म का हो, किसी पार्टी का हो। माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक कानून व्यवस्था का सवाल है मैं देखता हूं कि जब हम सड़क पर चलते हैं तो लिखा रहता है कि हाई-वे पेट्रोल। हाईवे पेट्रोल का मतलब क्या है। मान्यवर, आज 200-200 किमी0 प्रति घण्टा की रफ्तार से दोड़ने वाली गाड़ियां हैं। 100 से कम कोई चलता ही नहीं है। 300-400 सी0सी0 की मोटर साइकिलें हैं और खटारा जीप जो 40 से ऊपर नहीं भाग सकती उस पर लिखा रहता है कि हाई-वे पेट्रोल। वह हाई-वे पेट्रोल की गाड़ी क्या बदमाशों का पीछा करेगी। इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। मान्यवर, एक निवेदन और है कि मेरी स्वयं की विधान सभा में एक गांव जो थाने से चार किमी0 दूर है वह उस थाने में नहीं है और जिस थाने से 20 किमी0 दूर है वह उस थाने में है। मैं समझता हूं

कि पूरे प्रदेश में परिसीमन में दोबारा परिवर्तन और चिंता करने की आवश्यकता है। और एक बात कहते हुए समाप्त करूंगा कि कानून व्यवस्था में संसाधनों के साथ-साथ इकबाल चहिए। पुलिस का इकबाल पुलिस का हौसला पुलिस की हौसला अफजाई और मान्यवर अभी एक घटना में एक मरहूम सी0ओ0 की हत्या हुयी। सरकार ने मुआवजा दिया। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि अब तक अपने फर्ज का निर्वाह करते हुए जितने भी हमारे पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं उनके बारे में भी सरकार कोई नीति तय करे उनकी पत्नी को उनके बच्चे को कहीं न कहीं नौकरी दे उनकी योग्यता के अनुसार। और हम सब इस प्रदेश के अंदर एक अच्छा वातावरण बनायें। मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

मा0 श्री लोकेश दीक्षित जी के बोलने के बाद कल चर्चा जारी रहेगी अब विधेयक पेश किया जाएगा।

*श्री लोकेश दीक्षित-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया मैं आपका धन्यवाद देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं विवाद में नहीं जाउंगा। एक-दो बात अपने सुझाव के तौर पर बताउंगा। बढ़ौत विधान सभा से मैं आता हूं। दिल्ली स्टेण्ड है। दिल्ली स्टेण्ड पर एक बहुत बड़ा तालाब है। और तालाब के साथ काफी पुराना कब्रिस्तान है। जो कुछ भू-माफियाओं ने घेरने का प्रयास किया। अभी 6 महीने पहले काफी लोग मेरे पास आये कि वहां पर तो हाईवे से मिटटी डालनी शुरू कर दी है और उसको घेरना शुरू कर दिया है। तभी मैं कुछ लोगों के साथ एस0डी0एम0 साहब के यहां पहुंचा। हमने थोड़ा धरना दिया। धरना देने के बाद वह कब्रिस्तान घेरना बंद हुआ। एस0डी0एम0 साहब ने निर्देश कर दिये। अभी मुझे मालूम पड़ा है कि 10-12 दिन पहले फिर वह भू-माफिया उस पर कब्जा करना चाहते हैं। उसमें माननीय अध्यक्ष जी मुझको धमकी भी मिली, जान से मारने की, मैंनें भी आपको उसका संज्ञान दिया था और मा0 अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, अभी एक सपका गांव है हमारे यहां छपरौली विधान सभा में पड़ता है, छपरौली थाना पड़ता है उसका, हमारी विधान सभा से लगा हुआ है। आठ वर्ष का बच्चा अपहरण हो गया, कम से कम 20-22 दिन हो गये वह बच्चा अभी तक नहीं मिला। अभी 15 दिन पहले पत्थर माक्रेट से मिस्टर जैन हैं नाम मुझे याद नहीं है, उनका अपहरण हो गया और जब पुलिस का दबाव ज्यादा बना तो उसकी गर्दन को रेत कर के, चाकू मार के गर्दन पर, वह अपहरणकर्ता भाग गये, उन अपहरणकताओं का आज तक पता नहीं चल पाया। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, हमारा जो क्षेत्र है वह अतिसंवेदनशील क्षेत्र है, मैं अपनी सुरक्षा की पहले भी मांग कर चुका हूं, हमारे यहां पूर्व विधायक तिरपाल धामा का सरेआम दिन दहाड़े सरे आम गोलियों से भून कर हत्या कर दी गई, पूर्व प्रमुख जो बड़ौत ब्लाक के हैं उनकी भी हत्या कर दी गई अभी एक साल के अन्दर, हम आपसे यह निवेदन करना चाहते हैं, आपने प्रमुख सचिव को बुलाकर हमारा गनर करा दिया था, एक महीने के लिए हुआ फिर वह वापिस हो गया, तो आपसे यही निवेदन है मेरा और माननीय अध्यक्ष जी अभी जो एक मामला आया था संज्ञान में, बुलन्दशहर का जमीन के उसमें, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जिसको यह कहा गया है कि वह भू-माफिया है, वह भू-माफिया नहीं है, मैंनें विधायक जी से भी बात

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की है अभी, वह व्यक्ति हमारी पार्टी से जरूर चुनाव लड़े थे, भारद्वाज जी, मेरी उनसे अभी कल भी बात हुई है, वह काफी डिप्रेशन में हैं, वहां पर एक हमारे कोतवाल साहब आये हैं अनूप शहर में जिनका नाम अशोक यादव जी है तो उनसे कुछ ईर्ष्या रखते हैं, तो ईर्ष्या रखने के चक्कर में उनके खिलाफ, कल उन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिया परसों, तो वह काफी डिप्रेशन में हैं और मेरा निवेदन है आपसे कि इसकी किसी भी और दूसरी कोतवाली में, दूसरे थाने में जांच करा ली जाय, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री लोकेश दीक्षित-

और मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष जी आपका संरक्षण चाहते हैं, हमारा क्षेत्र अतिसंवेदनशील है, मैं अपनी सुरक्षा की मांग करता हूं, तो मेरा आपसे निवेदन भी है, प्रार्थना भी है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब चर्चा बन्द, कल चर्चा होगी । अब विधेयक प्रस्तुत किया जाय। मा0 मंत्री जी मद संख्या- 9 (क) लें,

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय।

*डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सिर्फ दो बिन्दुओं पर मैं आपके माध्यम से, सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक बिन्दु इस प्रदेश की टेक्निकल और मेडिकल एजूकेशन को लेकर के है। वर्ष 2000 में इस प्रदेश की तकनीकी शिक्षा के लिए एक विश्वविद्यालय बनाया गया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा वर्ष 2000 में इस प्रदेश में एक तकनीकी विश्वविद्यालय इसलिए बनाया गया कि जो प्रदेश में विभिन्न तकनीकी विश्वविद्यालय और कालेज काम कर रहे हैं, उनकी गुणवत्ता, उनकी परीक्षा, अन्य प्रकार के नियंत्रण हेतु उससे संचालन होगा। वर्ष 2010 में यह संख्या एक से बढ़ा कर के दो कर दी गई, अब पुनः एक विधेयक हम लोग लेकर के आये हैं जिसमें यह संख्या दो से घटाकर के पुनः एक किया जा रहा है। दूसरी ओर मेडिकल ऐजूकेशन है, इतने ढेर सारे सरकारी मेडिकल कालेज, ढेर सारी निजी मेडिकल कालेज और आज तक सरकार ने यह महसूस नहीं किया कि जिस प्रदेश में तीन हजार बच्चे एम0बी0बी0एस0 की डिग्री प्राप्त करते हैं, वहां मेडिकल की शिक्षा की गुणवत्ता को, परीक्षा को या अन्य चीजों को नियंत्रित करने के लिए, एक मेडिकल विश्वविद्यालय की भी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्थापना की जाय, जिसमें प्रदेश के समस्त निजी और सरकारी मेडिकल कालेजों को जोड़ कर के सामान्य मानक के आधार पर परीक्षा कराई जाय। अतः पहला विरोध तो मेरा इस बात पर है कि सरकार अगर तकनीकी शिक्षा को लेकर इतनी चिन्तित है तो सरकार को मेडिकल की शिक्षा को लेकर भी अपनी प्राथमिकता सुनिश्चित करनी चाहिए और इस सदन को अवगत कराना चाहिये। दूसरा विषय यह जो विधेयक आया इसके बारे में है। दो विश्वविद्यालय हुआ करते थे। अध्यक्ष महोदय प्रदेश में 9 सरकारी इंजीनियरिंग कालेज हैं और 700 से अधिक निजी इंजीनियरिंग कालेज कार्यरत हैं। 9 सरकारी और 700 से अधिक निजी। ये जो दो अन्तर किया गया था इसलिये क्योंकि ढेर सारे विद्यालय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में हैं और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के छात्र हैं या अन्य समस्यायें हैं। उनको बार-बार लखनऊ में आने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसलिये ये माना गया था कि अगर यह विकेन्द्रीकरण किया जायेगा तो जो बड़ी संख्या में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तकनीकी विश्वविद्यालय हैं। उनके छात्रों को बहुत सारी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, आपका यह अवगत होना आवश्यक है कि यह जो दो विश्वविद्यालय चल रहे थे। सरकार को इनके संचालन के लिये अपनी ओर से एक रूपया भी नहीं देना पड़ता है। ये दोनों विश्वविद्यालय स्ववित्त पोषित हैं। अपनी बिल्डिंग से लेकर, अपने कर्मचारियों एवं अपने समस्त संसाधनों को वह स्वयं अपनी आय से अर्जित करते हैं। इसी सदन में अध्यक्ष महोदय हम लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि हाईकोर्ट का विकेन्द्रीकरण कर दिया जाये। पश्चिम में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग अलग हाईकोर्ट की बेन्चें बनायी जायें। स्वयं सरकार ने प्रदेश को 4 इकोनॉमिक जोनों में बांटा हुआ है। पूर्वी, पश्चिमी, बुन्देलखण्ड और केन्द्रीय और दूसरी ओर सरकार इसका एक ठीक उल्टा कदम उठा रही है। जब एक बने बनाये विश्वविद्यालय को समाप्त करके गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और आसपास के जो ढेर सारे बच्चे हैं उनको अपने छोटे-छोटे कामों के लिये भी लखनऊ आने के लिये मजबूर करेगी। इन्हीं बिन्दुओं पर जो मेरे हिसाब से तकनीकी बिन्दु हैं, मैं इस विधेयक से असहमति व्यक्त करता हूं और आग्रह करता हूं कि इसे एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाये। ये दोनों बातों को, एक क्यों हुआ और दो आखिर मेडिकल शिक्षा के बारे में यह सरकार उसकी गुणवत्ता को लेकर के, मानक को लेकर के प्रयास क्यों नहीं कर रही है। इस बारे में विचार करे। धन्यवाद।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, ये सही है कि निजी विश्वविद्यालयों की तादाद बहुत ज्यादा है लेकिन ये भी सही है कि सरकारी इंजीनियरिंग कालेजेज़ कम होने की वजह से बड़ी समस्या है। अगर आप निजी कालेजेज को खत्म कर दें तो बड़ा संकट पैदा हो जायेगा और डा0 साहब आप तो, मैं ये नहीं समझ रहा हूं कि आपने इसका विरोध क्यों किया है। ये काम सिर्फ जिद की बिनाह पर नहीं हुआ है कि कभी एक से दस था, किसी ने दो कर दिये तो हमें एक करना है। बल्कि कभी-कभी संचालन के लिये ऐसा करना जरूरी हो जाता है। सच ये है कि आई0आई0टीज़ को छोड़कर या एक आध और गवर्नमेण्ट कालेजेज को छोड़कर निजी इंजीनियरिंग कालेजेज की बड़ी अच्छी ख्याति है। ये अलग बात कि वो भी कम पैसों में नहीं पढ़ाते हैं बच्चों को और सच्चाईयां इससे भी ज्यादा कड़वी हैं। ये तभी हो सकता है जब ज्यादा से ज्यादा हम ऐसे लोगों को शिक्षा में काम करने का मौका दें, जो सेवा भाव से करते हों। आने वाले दिनों में हम हों या जो भी हों। ऐसी संस्थाओं को, ऐसे मिशनरीज को चाहे वो किसी भी धर्म के हों। मिशनरीज का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ क्रिश्चियन मिशनरी ही काम करेगी। वो हिन्दू भी हो सकते हैं, वो सिख, मुसलमान हो सकते हैं। उन लोगों को प्रमोट किया जाये और वो लोग जब संस्था

चलायेंगे तो उससे अच्छे नतीजे निकलेंगे। मैं चाहूंगा कि प्रवर समिति को दिये जाने का सुझाव आप वापस ले लें। हम संख्या बल की बुनियाद पर नहीं चाहते, आपके मन की बुनियाद पर चाहते हैं कि इसको पास करा दें।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, बस एक छोटा सा वादा कि जितनी चिन्ता इनकी तकनीकी विश्वविद्यालय की है, उतनी ही चिन्ता ये चिकित्सा शिक्षा की भी करेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

सुझाव आपका बिल्कुल सही है और देखिये तकनीकी में चाहे इंजीनियरिंग कालेजेज को आप ले लें या मेडिकल कालेजेज को ले लें तो है प्रॉब्लम तो है ही। अब उसे आप ये चाहें कि रात बदलते ही बात बदल जाये तो वो तो सम्भव नहीं है लेकिन हमारी तरफ से कोशिश जारी रहे, इसका यकीन दिला सकते हैं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2013 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-7 तक खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहा जायेगा। — संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2-उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा-2 में, खण्ड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :- — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-23 सन् 2000 की धारा-2 का संशोधन

''(ज) ''विश्वविद्यालय'' का तात्पर्य धारा-3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ से है;''

धारा-3 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा-3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन

3-(1) उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013 के प्रारम्भ होने के दिनांक को विद्यमान महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय, गौतमबुद्ध नगर, गौतमबुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ के साथ विलीन हो जायेगा और ऐसे विलयन के पश्चात् स्थापित विश्वविद्यालय को उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ कहा जायेगा।

(2) उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013 के प्रारम्भ होने के दिनांक को कुलाधिपति, कुलपति, कार्य परिषद्, विद्या परिषद् तथा इस रूप में गौतमबुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ में पद धारण करने वाले अन्य प्राधिकारियों से मिलकर विश्वविद्यालय का निगमित निकाय गठित होगा।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट विश्वविद्यालयों के विलयन से सम्बन्धित अन्य मामलों, यथा शैक्षिक, प्रशासनिक, वित्तीय आदि का निपटारा ऐसी रीति से किया जायेगा जैसी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय।

धारा-4 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा-4 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

शक्तियों का प्रादेशिक क्षेत्र में प्रयोग

''4-(1) विश्वविद्यालय की अधिकारिता सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश पर होगी।

(2) उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013 के प्रारम्भ होने के दिनांक को या उसके पश्चात् प्रत्येक विद्यालय या संस्था, जो धारा-3 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध या सहयुक्त रही हो अथवा उनका एक घटक महाविद्यालय या संस्था रही हो, को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या सहयुक्त समझा जायेगा अथवा उन्हीं निबन्धन और शर्तों पर, जैसा वे पूर्व में थे, जब तक कि विश्वविद्यालय द्वारा अन्यथा विहित न हो, विश्वविद्यालय का, यथास्थिति, घटक महाविद्यालय या संस्था बन जायेगी।''

धारा-6 का संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा-6 में, खण्ड (ग) में शब्द ''अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं'' के स्थान पर शब्द ''ऐसी अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं जो विहित की जाए'' और खण्ड (घ) में शब्द ''अन्य शैक्षिक विशिष्टतायें'' के स्थान पर शब्द ''ऐसी अन्य शैक्षिक विशिष्टतायें, जो विहित की जाए'' रख दिये जायेंगे।

नई धारा-40-क का बढ़ाया जाना

6-मूल अधिनियम की धारा-40 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

''40-क उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013 के प्रारम्भ होने के दिनांक से, किन्हीं नियमों, परिनियमों, विनियमों, अध्यादेशों एवं तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के सांविधिक लिखतों में या किसी दस्तावेज या कार्यवाहियों में गौतमबुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय या महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय को किये गये किसी संदर्भ को विश्वविद्यालय का संदर्भ मान लिया जायेगा।''

7-मूल अधिनियम की धारा-41 में, उपधारा (1) में, परन्तुक में शब्द और अंक ''31 दिसम्बर, 2002'' के स्थान पर शब्द और अंक ''30 जून, 2014'' रख दिये जायेंगे। धारा-41 (1) का संशोधन

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-7 तक खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 21 मार्च, 2013 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 77 सूचनायें प्राप्त हुईं। ये बताएं अब क्या करें। यह बता दूं कि कल जितनी सूचनाएँ आयेंगी सब ले ली जायेंगी, कल आप लोग दीजिएगा।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मा0 अध्यक्ष जी, हम अनुरोध कर लें, मा0 अध्यक्ष जी, पीठ की सदाशयता होनी चाहिए, यह एक तरह से अंतिम दिन चल रहा है सदन का।

श्री अध्यक्ष-

कल आयेगा न अंतिम दिन।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, आज भी ले लीजिए और कल भी ले लें।

श्री अध्यक्ष-

कल दे दीजिए, फिर बहुत हो जायेगा

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, परंपरा से हट कर यह कर लें।

श्री अध्यक्ष-

ये कर लें कि जो आज दिये हैं, वह कल नहीं देंगे, तो हम कर दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

हां, जो आज दिये हैं, वो नहीं देंगे, चलिए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, जो आज दिए हैं, हम मिलाएंगे, कल वे नहीं देंगे इसलिए आज इन सभी 77 सूचनाओं को स्वीकार कर लेता हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

नहीं, अरे मान्यवर, दो दिन की बात है, आज और कल दोनों दिन का कर दें।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, नहीं, नहीं, कल ये लोग नहीं देंगे, बात खत्म।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, आपका संरक्षण चाहिए और क्या ?

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, नियम-51 के अंतर्गत प्राप्त सभी 77 सूचनाएं स्वीकृत हुई।

आज दिनांक 21 मार्च, 2013 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 77 सूचनाएं प्राप्त हुईं सभी सूचनायें स्वीकार कर ली गई और सभी पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया गया है जिनका विवरण निम्नवत् है :-

पहली श्री पंकज कुमार मलिक की जनपद शामली में जिला स्तर के विभिन्न विभागों/ कार्यालयों में नगरपालिका की 115 बीघा जमीन खाली कराकर प्रशासन को दिये जाने के सम्बन्ध में, दूसरी साध्वी निरंजन ज्योति की राजकीय महिला विद्यालय हमीरपुर में अंग्रेजी एवं हिन्दी के अध्यापकों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में, तीसरी श्री काली चरन सुमन की जनपद आगरा स्थित जगनेर रोड से मलपुरा तक नाले का निर्माण एवं सब्जी मण्डी सिरौली मोड़ से अराधना गैस एजेन्सी तक नाला एवं सी0सी0 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, चौथी श्री दीपक पटेल की इलाहाबाद में वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिये निजी प्रबन्ध तंत्रों द्वारा स्ववित्त पोषित महाविद्यालय खोलने हेतु अनुदान प्राप्त करने के लिये दिये गये आवेदनों का निस्तारण कराये जाने के सम्बन्ध में, पांचवीं श्री ममतेश शाक्य की जनपद एटा के नगर में प्राइवेट बस अड्डों का नगर के अन्दर होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, छठवीं श्री संजय प्रताप जायसवाल की बस्ती मण्डल के सम्मिलित जनपदों में विद्युत कार्यशाला न होने की वजह से खराब ट्रान्सफार्मर की मरम्मत में हो रहे विलम्ब से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, सातवीं कुंवर भारतेन्द्र सिंह की बिजनौर में स्वाइन फ्लू से दो व्यक्तियों एवं एक डाक्टर की मृत्यु हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, आठवीं श्री राकेश बाबू की फिरोजाबाद के टूण्डला विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में हैण्डपम्प न होने से हो रही पेयजल समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, नवीं श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप की जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत आने वाले 2 सम्पर्क मार्गों का डामरीकरण हेतु प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के

सम्बन्ध में, दसवीं श्री प्रदीप माथुर की मथुरा वृन्दावन को नगर निगम बनाये जाने के सम्बन्ध में, ग्यारहवीं श्री अनिल कुमार दोहरे की लखनऊ स्थित राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र गंजरिया में अनियमित रूप से कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारी श्रेणी-1 द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में, बारहवीं श्री संजय कपूर की जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में उत्तराखण्ड राज्य की फैक्ट्रियों से जहरीला पानी नदियों में छोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, तेरहवीं श्री मनीष असीजा की फिरोजाबाद नगरपालिका परिषद् द्वारा अर्द्धनिर्मित भगवान परशुराम द्वार का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में, चौदहवीं श्री भगवान सिंह कुशवाहा की जनपद आगरा के ग्राम रामपाल का पूरा एवं तुस्सी की गढ़ी के लिये एक पुल एवं पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, पन्द्रहवीं श्रीमती माधुरी वर्मा की बहराइच के नानपारा में खिलाड़ियों के लिये स्टेडियम बनाये जाने के सम्बन्ध में, सोलहवीं श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत की झांसी कैण्ट, बबीना कैण्ट, खेलार, चीरगांव तथा बरुआ सागर स्थित कब्रिस्तान की चहारदीवारी कराये जाने के सम्बन्ध में, सत्रहवीं श्री गिरीश चन्द्र पाण्डेय की इलाहाबाद के जिला जेल के जेलर की नौकरी में रहते हत्या होने के उपरान्त उनके परिवार के आश्रितों को आर्थिक सहायता एवं नौकरी दिये जाने के सम्बन्ध में, अठारहवीं श्री गयाचरन दिनकर की प्रदेश के राजस्व विभाग में कार्यरत सामयिक संग्रह अमीन/अनुसेवकों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में, उन्नीसवीं श्री चन्द्रभान सिंह पटेल की प्रतापगढ़ के ग्राम देवासा में अनुसूचित जाति की आबादी को अवैध रूप से कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने एवं पीड़ितों को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में, बीसवीं श्री दलजीत सिंह की बांदा में पाले व कोहरे की वजह से दलहनी फसलों की हुई नुकसान की भरपाई हेतु किसानों को ऋण माफ किये जाने के सम्बन्ध में, इक्कीसवीं श्री धर्मपाल सिंह की बदायूं-बरेली सिंचाई परियोजना द्वारा बरेली-बदायूं मार्ग पर चौवारी के निकट रामगंगा नदी पर निर्माणाधीन कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में, बाइसवीं श्री विजय बहादुर यादव की गोरखपुर अन्तर्गत घण्टाघर के शहीद बंधु सिंह पार्क में भूमिगत पार्किंग बनाये जाने के सम्बन्ध में, तेइसवीं श्री सुरेश बंसल की गाजियाबाद में बिन्दु के होटल से साबिक की पुलिया को जाने वाली क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में, चौबीसवीं श्री अजय मिश्र 'टेनी' की खीरी के निघासन क्षेत्र में अपात्रों को जारी किये गये स्मार्ट कार्ड से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, पच्चीसवीं श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया की धन उपलब्ध कराये जाने के बावजूद मंदाकिनी प्रदूषण रोकने हेतु ट्रीटमेंट प्लांट न बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, छब्बीसवीं श्री प्रमोद तिवारी की प्रतापगढ़ के लालगंज तहसील अन्तर्गत अमावां, उदयपुर, रामगंज बाजार, किशुनगढ़ आदि ग्रामों में पेयजल समूह योजनाओं की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में, सत्ताइसवीं श्री गयादीन अनुरागी की बांदा के अतर्रा तहसील के गांव अधरौरी का पुरवा में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में, अट्ठाइसवीं श्री जय प्रकाश निषाद की गोरखपुर के ग्राम बघाड महादेवा में दलित बस्ती के ऊपर से जाने वाले विद्युत तार को हटाये जाने के सम्बन्ध में, उन्तीसवीं श्री उमेश पाण्डेय की मऊ के ग्राम सभा गोठा में आदर्श जनपद योजना के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का शिलान्यास होने के बाद भी निर्माण कार्य न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, तीसवीं डा0 रमेश चन्द्र बिन्द की जनपद

मिर्जापुर में पानी का जल स्तर नीचे होने के कारण जनता को शुद्ध पानी उपलब्ध कराने हेतु गहरी बोरिंग वाले इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में, इकतीसवीं श्री राजेन्द्र सिंह की लखीमपुर खीरी के ऐरा चीनी मिल द्वारा किसानों से गन्ना उतराई हेतु 25 रु0 प्रति बैलगाड़ी तथा 50 रु0 प्रति ट्राली अनियमित रूप से वसूले जाने के सम्बन्ध में, बत्तीसवीं श्री मदन गोपाल वर्मा की फतेहपुर के जहानाबाद अन्तर्गत टकौली टेल से अमौली माइनर तथा सिजौली माइनर व बिजौली माइनर में पानी न आने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, तैंतीसवीं श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली की दिनांक 11 मार्च, 2013 को लखनऊ में इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को लैपटाप वितरण में किये गये भेद-भाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, चौंतीसवीं श्री तसलीम उ0 प्र0 सचिवालय में कार्यरत टेलीफोन आपरेटर के अवशेष 06 पदों को दिनांक 18 मार्च, 2011 से सहायक समीक्षा अधिकारी संवर्ग में संविलीन मानते हुए देयकों का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में, पैंतीसवीं डा0 धर्म सिंह सैनी की माननीय मुख्य मंत्री द्वारा अपने चुनाव घोषणा-पत्र में (अ) श्रेणी के मान्यता प्राप्त 1000 प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूलों को अनुदान पर लेने की की गई घोषणा को पूरा कराने के सम्बन्ध में, छत्तीसवीं श्री वहाब चौधरी की श्री सतीश चन्द्र निवासी बमरौली अहीर, थाना मलपुरा, जनपद आगरा के हमलावरों के नामजद हमलावरों की गिरफ्तारी न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, सैंतीसवीं श्री उमाशंकर सिंह की विधान सभा रसड़ा (बलिया) अन्तर्गत राजकीय बालिका विद्यालय को स्वीकृत हुए लगभग 20 साल हुए और पुरानी तहसील में चलता है उसका भवन बनाये जाने के सम्बन्ध में, अड़तीसवीं डा0 रीता बहुगुणा जोशी की उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं वितरण निगम के कर्मियों का शासनादेश के अनुसार वेतनमान, अधिवर्षता आयु एवं 75 व प्र0श0 मंहगाई का अवशेष भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में, उन्तालीसवीं श्री सतीश महाना की लखनऊ के गोमती नगर स्थित अम्बेडकर पार्क के पास सृजन विहार कालोनी हेतु अनुमोदित प्रस्ताव का अनुपालन प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण प्राधिकरण द्वारा कराये जाने एवं इनका नक्शा पास करने से सम्बन्धित कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में, चालीसवीं श्री विजय कुमार दूबे की जनपद कुशीनगर के 329, खड्डा विधान सभा के ग्राम सोहरौना में अधूरे फायर ब्रिगेड स्टेशन के निर्माण के सम्बन्ध में, इकतालीसवीं श्री अभय नारायण सिंह पटेल की लखनऊ शहर के इन्दिरा नगर कालोनी सेक्टर-8 चौराहे पटेल नगर योजना जाने वाली जर्जर सड़क का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, बयालीसवीं श्री गोरख पासवान की विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड जनपद बलिया में नगरा से भीमपुरा मार्ग पर आवागमन बाधित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, तिरालीसवीं श्री विजय कुमार पासवान की जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र कपिलवस्तु में जर्जर विद्युत तारों को बदलवाये जाने तथा विद्युत व्यवस्था ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में, चौवालीसवीं श्री पूर्णमासी देहाती की ग्राम सभा छितौनी, तहसील पड़रौना, जनपद कुशीनगर की आराजी सं0-989/0.0490 जो खाद गड्ढे के नाम से सुरक्षित थी, को ग्राम प्रधान द्वारा भारी रकम लेकर बेचे जाने के सम्बन्ध में, पैंतालीसवीं श्री पूरन प्रकाश की जनपद मथुरा में सड़कों की मरम्मत/नवनिर्माण हेतु मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा में सम्मिलित सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, छियालीसवीं श्री भीम प्रसाद सोनकर की मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी, जनपद वाराणसी

द्वारा बिलों के भुगतान में जानबूझकर लोगों को परेशान किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, सैंतालीसवीं श्री राधेश्याम जायसवाल की बेसिक शिक्षा कार्यालय देवरिया द्वारा सहायक अध्यापकों के समायोजन में भेदभाव किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, अड़तालीसवीं श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) की जनपद सन्तकबीरनगर के नगर पंचायत हरिहरपुर के वार्ड अम्बेडकरनगर में क्षतिग्रस्त मार्ग को बनवाये जाने के सम्बन्ध में, उन्चासवीं श्री रोशन लाल वर्मा की जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के तिलहर सिंधौली में राशन माफियाओं द्वारा राशन विक्रेताओं की बड़े पैमाने पर दुकानों को निलम्बित कराये जाने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में, पचासवीं श्री दलवीर सिंह की जनपद अलीगढ़ में नई तहसील गभाना बनने के कारण नये थानों में गांवों का निर्धारण न होने के कारण क्षेत्रीय जनता को हो रही कठिनाइयों के सम्बन्ध में, इकावनवीं श्री सन्तराम कुशवाहा की जनपद हाथरस निवासी तारा सिंह कुशवाहा की पुत्री कुमारी डौली शेखावत के अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी कराये जाने के सम्बन्ध में, बावनवीं श्री सुधाकर सिंह की लखनऊ थाना-गाजीपुर में दर्ज अपराध सं0-543/07 के अनुसार दोषियों की गिरफ्तारी कराये जाने के सम्बन्ध में, तिरपनवीं श्री गेंदालाल चौधरी जनपद हाथरस (महामायानगर) के राजस्व अधिकारियों द्वारा मनमानेपूर्ण तरीके से कार्य किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, चौवनवीं श्री राजबली जैसल की जनपद-लखनऊ में पराग पार्लर लोहिया पथ में कान्टेक्ट बेस पर कार्य करने वाली महिला कर्मचारी के साथ वहां के कर्मचारियों द्वारा अश्लील हरकतें किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, पचपनवीं श्रीमती रजनी तिवारी की जनपद-कुशीनगर के थाना-कसया, ग्राम-साखोपार में एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट में नामित अभियुक्तगण की अभी तक गिरफ्तारी न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, छप्पनवीं श्रीमती विमला सिंह सोलंकी की जनपद-बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद नगर में जन-सुविधा हेतु पिछले बजट सत्र में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना दिये जाने के उपरान्त भी अभी तक पार्क का निर्माण न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, सत्तावनवीं श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले) की मेरठ नगर निगम द्वारा भोला रोड पर बनाये जा रहे नाले को मानकानुसार न बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, अट्ठावनवीं श्री लक्ष्मीकान्त 'पप्पू' निषाद की जनपद-सन्तकबीरनगर के मेंहदावल क्षेत्रान्तर्गत नन्दौरा चौराहे पर डा0 राम मनोहर लोहिया जी की मूर्ति की स्थापना एवं चौराहे का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में, उनसठवीं श्रीमती कृष्णा पासवान की जनपद-फतेहपुर के खागा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम चन्दापुरगढ़ा के पास विकास खण्ड-विजईपुर के पास 33/11 के0वी0ए0 का विद्युत सब-स्टेशन स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में, साठवीं श्री रविन्द्र भड़ाना की जनपद-मेरठ के मेरठ दक्षिण क्षेत्रान्तर्गत कतिपय सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, इकसठवीं डा0 अरुण कुमार की जनपद बरेली में अधिकांश मोहल्लों में जल निकासी हेतु नाले/नालियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, बासठवीं श्री बजरंग बहादुर सिंह की यू0पी0पी0सी0एफ0 में करोड़ों की धनराशि का गबन किये जाने एवं व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, तिरसठवीं श्री राजेश त्रिपाठी की प्रदेश में पुलिस विभाग के अन्तर्गत मृतक आश्रितों को नौकरी दिलाये जाने के सम्बन्ध में, चौसठवीं श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज की जनपद-महोबा में किसानों की अधिग्रहीत भूमि का

मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में, पैंसठवीं श्री अवस्थी बाला प्रसाद की जनपद-लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड-ईसानगर में मॉडल स्कूल/इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में, छाछठवीं श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या की जनपद-लखीमपुर खीरी के जिला युवा कल्याण एवं प्रा0वि0 दल के अधिकारीगण द्वारा की जा रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, सरसठवीं श्री जन्मेजय सिंह की वेतन समिति की संस्तुतियों के निर्णयानुसार छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ के एक्स-रे टेक्निशियनों को उच्चीकृत वेतनमान दिलाये जाने के सम्बन्ध में, अड़सठवीं श्री अगयश रामसरन वर्मा की आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के द्वारा स्थापित खाद्य विभाग की विपणन शाखा में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, उनहत्तरवीं श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य की जनपद-कौशाम्बी के कोखराज थाना के सजा प्राप्त व्यक्ति को शस्त्र लाइसेंस बहाल किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, सत्तरवीं श्री बब्बन सिंह चौहान की जनपद-चन्दौली के मुगलसराय क्षेत्रान्तर्गत नगरपालिका परिषद्, मुगलसराय में नगरीय क्षेत्र से विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में, इकहत्तरवीं श्री राम चन्द्र यादव की जनपद फैजाबाद के रुदौली क्षेत्रान्तर्गत बरांव में महात्मा जगजीवन साहब इण्टर कालेज के सामने चौराहे पर खुलेआम 32 वर्षीय नवयुवक की पीट-पीट कर हत्या कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, बहत्तरवीं श्री कमाल यूसुफ मलिक की जनपद-सिद्धार्थनगर के जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष के समय के किये गये कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में, तिहत्तरवीं साध्वी सावित्रीबाई फूले की उत्तर प्रदेश मण्डल/जिला स्तर पर चिकित्साधिकारियों (लेवल-4) की तैनाती में निर्गत शासनादेशों का अनुपालन न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, चौहत्तरवीं श्री प्रदीप चौधरी की जनपद-सहारनपुर में स्वजलधारा योजना के अन्तर्गत पेयजल योजना हेतु सरकार द्वारा आवंटित रुपयों का गबन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, पचहत्तरवीं श्री सुरेश कुमार खन्ना की जनपद-शाहजहांपुर के मुख्य मार्ग केरूगंज से कचहरी जाने वाले मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में, छिहत्तरवीं श्री रवीन्द्र जायसवाल की जनपद-वाराणसी नगर में घनी आबादी वाले क्षेत्रों में बहुमंजिली इमारतों के निर्माण पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के सम्बन्ध में तथा सतहत्तरवीं श्री सुरेश राणा की थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत ग्राम-अम्बेहटा याकूबपुर में स्वीकृत एवं निर्मित बिजली घर को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है।

श्री राशिद हुसैन, थानाध्यक्ष, जनपद बिजनौर के विरुद्ध श्री मो0 गाजी, सदस्य, विधान सभा द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-63/64 के अन्तर्गत अभिसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष-

श्री मौ0 गाजी, सदस्य, विधान सभा द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-63/64 के अन्तर्गत श्री राशिद हुसैन, थानाध्यक्ष, रायपुर, जनपद-बिजनौर के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार-हनन की सूचना, दिनांक 06 सितम्बर, 2012 के

मामले में मैंने निर्णय ले लिया है और उसमें सदन की अवमानना तथा विशेषाधिकार-हनन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त न पाये जाने के कारण उक्त सूचना अग्राह्य कर दी गयी है।

इस मामले में मेरे द्वारा लिया गया निर्णय सदन के दिनांक 21 मार्च, 2013 के उपवेशन की कार्यवाही का अंग माना जायेगा जो निम्नवत् है :--

[''श्री मौ0 गाजी, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री राशिद हुसैन, थानाध्यक्ष, रायपुर, जनपद-बिजनौर के विरुद्ध उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-63/64 के अन्तर्गत विशेषाधिकार-हनन की सूचना, दिनांक 06 सितम्बर, 2012 को फैक्स के माध्यम से इस सचिवालय में प्राप्त हुई जिसके द्वारा मा0 सदस्य ने अवगत कराया कि दिनांक 4 सितम्बर, 2012 को कुछ ग्रामीण उनके पास आये और बताया कि उनके बढ़ापुर क्षेत्र के ग्राम हेजरपुर के कुछ संभ्रान्त लोगों को थानाध्यक्ष, रायपुर ने थाने में बैठा रखा है। इस पर मा0 सदस्य ने सायं 6.45 बजे अपने मोबाइल से थानाध्यक्ष, रायपुर, बिजनौर, श्री राशिद हुसैन को उनके मोबाइल नं0-9454403137 पर फोन किया और पूछा कि आपने थाने पर इन लोगों को क्यों बैठा रखा है ? इस पर थानाध्यक्ष, श्री राशिद द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उनको अपमानित किया गया। माननीय सदस्य द्वारा उक्त थानाध्यक्ष से यह कहा गया कि यह उनका अधिकार है कि किसी व्यक्ति के विषय में जानकारी करना कि उसे थाने में क्यों बैठाया गया है और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करूं। यदि वह निर्दोष है तो उन्हें छोड़ दिया जाय। एक जिम्मेदार पद पर होते हुए थानाध्यक्ष द्वारा इस तरह की भाषाशैली का प्रयोग करना उचित नहीं है। इस पर उक्त थानाध्यक्ष, श्री राशिद द्वारा कथित रूप से पुनः अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। मा0 सदस्य द्वारा मजबूरीवश फोन काटना पड़ा तथा इसके उपरान्त थानाध्यक्ष, श्री राशिद द्वारा मा0 सदस्य के विरुद्ध झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया। श्री राशिद के इस व्यवहार से क्षुब्ध होकर माननीय सदस्य ने उनके विरुद्ध पिशेषाधिकार हनन के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही करने का अनुरोध किया है।

चूंकि फैक्स द्वारा प्राप्त सूचना पर विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही किये जाने की परम्परा नहीं है इसलिए माननीय सदस्य से सूचना की मूल प्रति प्राप्त कर, माननीय मुख्य मंत्री से श्री राशिद हुसैन, थानाध्यक्ष, रायपुर, जनपद-बिजनौर का स्पष्टीकरण उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री के माध्यम से प्राप्त हुआ।

श्री राशिद हुसैन, तत्कालीन थानाध्यक्ष, रायपुर, जनपद-बिजनौर द्वारा अपने स्पष्टीकरण के माध्यम से अवगत कराया गया कि दिनांक 05 सितम्बर, 2012 को जब उन्होंने थानाध्यक्ष, रायपुर का पदभार ग्रहण किया तब थाना-नगीना देहात क्षेत्रान्तर्गत ग्राम-लालवाला, वसलापुर आवला, हैगनपुर, अजीपुरा, रानी एवं हैजरपुर में दो सम्प्रदायों के बीच लाउड स्पीकर बजाने को लेकर तनाव था। उनकी नियुक्ति से पूर्व रमजान माह में दोनों पक्षों के बीच इस बात पर समझौता हुआ था कि रमजान महीने के बाद मस्जिद पर से लाउड स्पीकर हटा लिया जायेगा, जिसके फलस्वरूप बाकी स्थानों से आम सहमति के बाद लाउड स्पीकर हटा लिये गये तथा शान्ति व्यवस्था पूर्णतः कायम हो गई, किन्तु

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ग्राम-हैजरपुर में पहले तो लाउड स्पीकर हटा लिया गया परन्तु ग्राम-वास्ता, थाना-चांदपुर में हुए बवाल के बाद मदरसे पर पुनः लाउड स्पीकर लगा दिया गया। स्थानीय लोगों की शिकायत पर एस0डी0एम0, नगीना द्वारा दूरभाष पर दिये गये निर्देशानुसार उनके द्वारा मौके पर तत्काल जाकर वहां मुस्लिम समुदाय के लोगों को समझा बुझाकर लाउड स्पीकर हटवाकर, शान्ति व्यवस्था बहाल करायी गयी।

इस कार्यवाही के बाद जब श्री राशिद अपने हमराह फोर्स के साथ वापस थाने आ रहे थे तभी उनके सरकारी मोबाइल पर 8765954718 नं0 से बसपा विधायक श्री मौ0 गाजी का फोन आया। मा0 सदस्य ने उनसे फोन पर पूछा कि वह हैजरपुर क्यों गये थे, वह क्या चाहते हैं, मदरसे से लाउड स्पीकर हटवाने की उनकी हिम्मत कैसे हुई ? लालवाला से लाउड स्पीकर हटवाकर तुमने अच्छा नहीं किया। थानाध्यक्ष द्वारा विनम्रतापूर्वक उन्हें बताया गया कि वहां शान्ति व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती थी, उन्होंने जो भी किया वह विधि सम्मत था। यदि ऐसा न करते तो शान्ति व्यवस्था खराब हो जाती तथा जनहानि भी हो सकती थी। माननीय सदस्य ने उनसे कहा कि अभी जाकर लाउड स्पीकर लगवाइये वरना जिले से बाहर फिकवा देंगे, वहां रहने नहीं देंगे और ऐसी हरकत करोगे तो जान से मारे जाओगे। उक्त थानाध्यक्ष का यह भी अभिकथन है कि मा0 सदस्य और उनके मध्य दूरभाष पर हुयी वार्ता को मोबाइल फोन स्पीकर ऑन करने पर उनके दो हमराह कांस्टेबिल 657 सचिन तोमर तथा कांस्टेबिल 1456 सोमेश चौधरी ने भी सुना। इसके उपरान्त इस पर सरकारी कर्मचारी होने के नाते स्वयं को फोन पर जान से मारने की धमकी देने एवं अभद्र भाषा प्रयोग के सम्बन्ध में थानाध्यक्ष द्वारा बसपा विधायक, श्री मौ0 गाजी के विरुद्ध थाना-रायपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाकर उक्त घटना से उच्च अधिकारियों को अवगत भी करा दिया गया।

उक्त के अतिरिक्त थानाध्यक्ष श्री राशिद द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि वह अब तक जनपद-आगरा, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, सहारनपुर तथा बिजनौर में सेवा कर चुके हैं। इस दौरान उनके द्वारा सभी राजनैतिक पार्टियों का सम्मान किया गया तथा किसी भी पार्टी के सदस्य, विधायक/सांसद द्वारा उनके विरुद्ध कभी भी कोई शिकायत दर्ज नहीं करायी गयी और उन्हें सराहनीय कार्य के लिये अब तक 108 नगद पुरस्कारों से पुरस्कृत भी किया जा चुका है। उनके द्वारा जान-बूझ कर एवं विद्वेषपूर्वक कोई कार्यवाही नहीं की गयी बल्कि उच्चाधिकारी के आदेश पर मौके पर शान्ति व्यवस्था कायम करने की कार्यवाही की गयी। श्री राशिद द्वारा अपने स्पष्टीकरण पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का भी अनुरोध किया गया।

प्रश्नगत मामले में मा0 संसदीय कार्य मंत्री के माध्यम से प्राप्त स्पष्टीकरण के अवलोकन से विदित होता है कि श्री मौ0 गाजी, सदस्य, विधान सभा द्वारा अपनी सूचना के माध्यम से थानाध्यक्ष, श्री राशिद के विरुद्ध जो भी आरोप लगाये गये थे उनसे घटना की वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही थी। थानाध्यक्ष के स्पष्टीकरण से विदित होता है कि उल्लिखित घटना शांति व्यवस्था से सम्बन्धित थी और उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार ग्राम-हैजरपुर में शांति व्यवस्था कायम रखा जाना अपरिहार्य था। इसी क्रम में थानाध्यक्ष द्वारा परिस्थितियों के अनुसार कार्रवाई करते हुए विवादित स्थानों से लाउड स्पीकर हटवाते हुये शान्ति व्यवस्था बहाल की गयी। श्री राशिद, थानाध्यक्ष द्वारा माननीय विधायक जी द्वारा फोन पर दी गयी कथित धमकी के आधार पर ही मुकदमा दर्ज करवाया गया।

प्रश्नगत मामले में मा0 संसदीय कार्य मंत्री के माध्यम से प्राप्त उक्त थानाध्यक्ष के स्पष्टीकरण के परिशीलन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस पूरे प्रकरण का सम्बन्ध सदन अथवा सदन की किसी समिति के कार्य से नहीं है। सम्पूर्ण घटना मा0 सदस्य की क्षेत्रीय समस्या से सम्बन्धित है तथा जो परिस्थितिवश घटित हुई है और प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार-हनन अथवा सदन की अवमानना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है।

अतः मैं प्रश्नगत सूचना को अग्राह्य करता हूं।'']

प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थलों पर पर्यटन अधिकारी/सहायक पर्यटन अधिकारी के रिक्त पदों को भरने एवं पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने के सम्बन्ध में श्री दिलनवाज खां द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पर्यटन मंत्री का वक्तव्य

मद संख्या-11

श्री अध्यक्ष-

श्री दिलनवाज खांन हैं ? हां हैं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

श्री दिलनवाज खांन, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा.....

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[नियम-51 के अन्तर्गत प्रस्तुत नोटिस दिनांक 18-03-2013 को यह सूचना दी गयी है कि ''मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग में व्याप्त प्रशासनिक अव्यवस्था की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में पर्यटन को प्रोत्साहन देने तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये निरन्तर प्रयास किया जा रहा है तथा पर्यटन स्थलों को विकसित करने पर भी फोकस किया जा रहा है। पर्यटन स्थलों के विकास हेतु आगामी वित्तीय वर्ष में बजट का भी विशेष ध्यान रखा गया है। किन्तु उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन स्थलों पर स्थित कार्यालयों की अव्यवस्था की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसी क्रम में अवगत कराना चाहूंगा कि प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों/तीर्थ स्थलों, अयोध्या, चित्रकूट सहित सोनौली, बलरामपुर, मिर्जापुर एवं बाराबंकी में सहायक पर्यटन अधिकारी के पद वर्षों से रिक्त पड़े है तथा समुचित स्टाफ की भी व्यवस्था नहीं है जिस कारण पर्यटन विकास कार्य अवरुद्ध हो रहा है तथा पर्यटकों को पर्यटन सम्बन्धी समुचित सुविधाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है, इतने बड़े पैमाने पर कार्यालय अधिकारी विहीन होना

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पर्यटन हित में तथा प्रशासनिक आधार पर उचित नहीं प्रतीत होता है। अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर इस सदन के माध्यम से सरकार से कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।"

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विभाग में सहायक पर्यटन अधिकारी, अयोध्या के पद पर तैनात अधिकारी को क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय मेरठ में स्वीकृत पद के विरुद्ध अधिकारियों की कमी के कारण मेरठ में सम्बद्ध किया गया है। सहायक पर्यटक अधिकारी, बाराबंकी के पद पर तैनात अधिकारी कार्य की अधिकता के कारण मुख्यालय में सम्बद्ध किया गया है। सहायक पर्यटक अधिकारी, चित्रकूट, मिर्जापुर, अयोध्या, सोनौली, बलरामपुर, बाराबंकी के पद रिक्त होने के कारण इनसे सम्बन्धित कार्य पर्यटन सूचना अधिकारी/कार्यालय सहायक से व्यवहरित कराया जा रहा है। विभाग में 05 सहायक पर्यटन अधिकारी के पद रिक्त हैं, जिनके लिये लोक सेवा आयोग को अधियाचन प्रेषित किया जा रहा है। इन पदों पर सहायक पर्यटन अधिकारी के चयन होने पर सभी स्थलों पर सहायक पर्यटन अधिकारी के समुचित तैनाती की जायेगी।]

जनपद रायबरेली के ग्राम खजूरगांव स्थित सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र पर समाजवादी एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह जी है ? नहीं हैं।

(मा0 सदस्य का नाम पुकारे जाने पर अनुपस्थित थे।)

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

जनपद संत रविदास नगर (भदोही) के औराई क्षेत्रान्तर्गत दि काशी सहकारी चीनी मिल को पुनः चालू करवाये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती मधुबाला द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

श्रीमती मधुबाला पासी जी हैं ? नहीं हैं।

(मा0 सदस्य का नाम पुकारे जाने पर अनुपस्थित थे।)

श्री अध्यक्ष-

इसे नहीं लिया जायेगा।

प्रदेश के 57 जनपदों में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा अपना वेतन और भत्ता सर्वशिक्षा अभियान के फण्ड से आहरित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष-

सुरेश कुमार खन्ना जी हैं ? हां हैं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

प्रदेश के 57 जनपदों लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद.....

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मुरदाबाद, सम्मल, रामपुर, अमरोहा, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्धनगर, बुलन्दशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, फर्रूखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरेया, कानपुर देहात, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, अम्बेडकरनगर, सुल्तानपुर, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, गोण्डा, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर, महराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, बलिया, जौनपुर, गाजीपुर तथा मीरजापुर में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, अपना वेतन और भत्ता सर्व शिक्षा अभियान के फण्ड से आहरित कर रहे है। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार की एक योजना है जबकि उक्त 57 बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रदेश सरकार के अधिकारी है। वे लोग जब तक प्रतिनियुक्ति पर न जायें तब तक इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के फण्ड से ये लोग वेतन/भत्ते नहीं ले सकते हैं। इस प्रकार केन्द्र सरकार की परियोजना से इन लोगों के वेतन/भत्ता लिया है और ले भी रहे हैं, यह करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमितता है। यह एक गम्भीर प्रकरण है तथा इसमें तत्काल कार्यवाही की अपेक्षा है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर मैं चर्चा कराने की मांग करता हूं।

मा0 सदस्य द्वारा दी गयी सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रदेश के 18 जनपदों आजमगढ़, बांदा, बस्ती, भदोही, बिजनौर, चन्दौली, फतेहपुर, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, झांसी, कानपुर नगर, ललितपुर, महोबा, शाहजहांपुर, सीतापुर, सोनभद्र तथा बाराणसी के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा सर्व शिक्षा अभियान से कोई भत्ते नहीं लिये जा रहे हैं। शेष 57 जनपदों में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा वेतन तथा परियोजना भत्ते सर्व शिक्षा अभियान से लिये जा रहे है। शासन के पत्र दिनांक 13 मार्च, 2013 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में निदेशक, राज्य परियोजना, सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0 लखनऊ से आख्या मांगी गयी है। आख्या प्राप्त होने पर यथोचित निर्णय लिया जायेगा।]

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य अब आपको क्या पूछना है ? इसमें बहुत ज्यादा नहीं होता है सिर्फ एक स्पष्टीकरण होता है, पूछिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

एक ही बात पूछना चाहते हैं, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

हां, पूछिए।

श्री प्रमोद तिवारी-

हमको भी एक बात पूछनी है। (हंसी)

श्री अध्यक्ष-

ये आपका बड़ा उपहास करते हैं अब तो इस उपहास की परिस्थिति से निकल आइये।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, कोई व्यवस्था कराइये।

श्री अध्यक्ष-

उसका ज्ञान तिवारी जी आपको बहुत है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, यह मान्यवर, एक बहुत बड़ी वित्तीय अनियमितता है मान्यवर। प्रदेश के 57 जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान के फण्ड से बेतन और भत्ते ले रहे हैं, मान्यवर। तो बिना प्रतिनियुक्ति पर जाये, मान्यवर, ये ले नहीं सकते, ये एन0आर0एच0एम0 के मामले में हाईकोर्ट का डिसीजन भी है और फाइनेन्सियल नोटबुक में भी है, मान्यवर। इस सम्बन्ध में शासनादेश भी है, इसीलिए मैंने यह सवाल लगाया था। यह बहुत बड़ी फाइनेंसिन्यल इनडिसिप्लिन है मान्यवर, बिना प्रतिनियुक्ति पर जाये हुए नहीं ले सकते मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

इसमें उत्तर पढ़िए इन्होंने कहा है कि 18 जनपद में नहीं लेते, 57 में लेते हैं और इसके लिए आख्या मांगी गयी है, आख्या प्राप्त होने पर निर्णय लेंगे, तो आख्या आ जाने दीजिए। बात खत्म।

जनपद बलरामपुर में राजकीय पालीटेक्निक के निर्माण में मिलावटी मटेरियल का प्रयोग किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अब्दुल मशहूद खां द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय सदस्य द्वारा....

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 19-3-2013 को दी गयी सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि बलरामपुर में राजकीय पालीटेक्निक का निर्माण सन् 2009 में लगभग शुरू किया गया, इसका निर्माण मानक के अनुरूप नहीं किया गया। पाइल एवं फुटिंग में भारी मिलावटी मटेरियल का प्रयोग किया गया है जो विभाग के जे0ई0 और प्रोजेक्ट मैनेजर की मिली भगत से हुआ, जिसमें देशी बालू और लोकल काली मिट्टी का प्रयोग किया गया है जिसमें ऊपरी दिखावटी के लिए लाल बालू को ऊपर से लगा दिया गया है और बाउन्ड्रीवाल का फाउण्डेशन लेवल का बिम जो ढाली गयी है पह टेढ़ी है और मिट्टी द्वारा ढक दी गयी है।

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत पालीटेक्निक संस्था का निर्माण कार्य सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम द्वारा कराया जा रहा है। उक्त पालीटेक्निक के निर्माण में उल्लिखित अनियमितताओं पर तथ्यात्मक आख्या उपलब्ध कराने हेतु शासन के पत्र दिनांक 19-3-2013 द्वारा निदेशक प्राविधिक शिक्षा विभाग को निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में निदेशक, प्राविधिक शिक्षा ने आदेश संख्या-42115-19/ई-प्लान भवन-के0स0-बलरामपुर, दिनांक 20-3-2013 द्वारा प्रकरण की जांच हेतु प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेक्निक बहराइच की अध्यक्षता में 03 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।]

श्री अब्दुल मशहूद खां-

मान्यवर, इसमें वक्तव्य में प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक बहराइच की अध्यक्षता में समिति के गठन की बात कही गयी है। इसमें समय सीमा निर्धारित करने का कष्ट करें उस तय समय तक समिति की रिपोर्ट और संस्तुतियां आ जायेंगी।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, अभी माननीय सदस्य ने एक जिज्ञासा की है कि इसमें जांच की समय सीमा तय कर दी जाय जो यह जानकारी ले ली जायेगी कि जांच कहां तक पहुंची है। जहां तक कार्यवाही की बात है कोशिश यह की जायेगी कि जल्द से जल्द कार्यवाही हो जाय।

उत्तर प्रदेश के मण्डल/जिला स्तर पर चिकित्सा अधिकारियों के स्थानान्तरण में निर्गत शासनादेशों का अनुपालन न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में कुंवर भारतेन्द्र द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय.....

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[विधान सभा, कुंवर भारतेन्दु सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी है कि चिकित्सा अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन ने उत्तर प्रदेश के मण्डल/जिला स्तर पर चिकित्साधिकारियों (लेवल-4) की चिकित्सालयों में की जाने वाली तैनाती के सम्बन्ध में दिनांक 19 जुलाई, 2012 को निर्गत शासनादेश संख्या-2706/सेक-2-5-12-7(138)/2012 में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि स्थानान्तरित चिकित्सक को पद रिक्त न होने की दशा में पद भार ग्रहण न कराया जाय बल्कि तत्काल महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं उत्तर प्रदेश शासन के जिस अधिकारी के हस्ताक्षर से स्थानान्तरण आदेश निर्गत हुआ है, को स्पष्ट रूप से स्थानान्तरण आदेश के सम्बन्ध में विवरण प्रेषित किया जाय।

उक्त निर्गत शासनादेश के ठीक विपरीत दिनांक 31 जुलाई, 2012 को महाराजा बलवन्त सिंह राजकीय चिकित्सालय, भदोही में लेवल-4 के चिकित्सक का स्थानान्तरण पद रिक्त न होने की दशा में किया गया था। इस प्रकार दिनांक 31 जुलाई, 2012 को महाराजा बलवन्त सिंह राजकीय चिकित्सालय, भदोही में लेवल-4 के चिकित्सक का किया गया स्थानान्तरण दिनांक 19 जुलाई, 2012 को जारी शासनादेश को पूरी तरह नजरन्दाज किया गया है। उक्त निर्गत शासनादेश का अनुपालन न कराये जाने हेतु दोषियों के विरुद्ध जांच कराते हुए उन्हें दण्डित किया जाना आवश्यक है।

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपर्युक्त सूचना के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, एम0बी0एस0 चिकित्सालय, भदोही, सन्त रविदासनगर से प्राप्त आख्यानुसार उक्त चिकित्सालय में स्वीकृत 18 पदों के सापेक्ष 10 चिकित्सक कार्यरत हैं तथा 08 पद रिक्त हैं। उक्त चिकित्सालय में लेवल-4 के 02 चिकित्सक क्रमशः डा0 एच0 सी0 सिंह (ई0एन0टी0 सर्जन) एवं डा0 आर0 पी0 कुशवाहा, वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ कार्यरत थे। मई, 2012 में डा0 एच0 सी0 सिंह को एस0एस0पी0जी0 चिकित्सालय, कबीरचौरा, वाराणसी में समायोजित कर दिया गया। तदुपरान्त श्रीमती प्रभावती देवी द्वारा किये गये अनुरोध पर उनके पति डा0 राम नारायण (पैथोलॉजिस्ट) को शासन के आदेश दिनांक 31-07-2012 द्वारा एम0बी0एस0 चिकित्सालय, भदोही में तैतान किया गया। इस प्रकार उक्त चिकित्सालय में लेवल-4 के दो चिकित्सक क्रमशः डा0 आर0 पी0 कुशवाहा, बाल रोग विशेषज्ञ (वरिष्ठता क्रमांक-6750) एवं डा0 राम नारायण, पैथोलॉजिस्ट (वरिष्ठता क्रमांक-5691) वर्तमान में कार्यरत हैं। यद्यपि कि उक्त चिकित्सालय में लेवल-4 का एक ही पद स्वीकृत है किन्तु उक्त चिकित्सालय में 08 चिकित्सकों के पद रिक्त होने के कारण मरीजों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से इनसे चिकित्सकीय कार्य लिया जा रहा है तथा लेवल-4 के एक चिकित्सक के वेतन का आहरण विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर में लेवल-4 के रिक्त पद के सापेक्ष आहरित किया जा रहा है।]

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बलिया को जनहित में वाराणसी मण्डल में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में श्री जियाउद्दीन रिजवी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

यह स्थगित है।

जनपद मिर्जापुर के मड़िहान क्षेत्र में वर्ष 2011-2012 में किसानों से खरीदे गये धान का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री ललितेशपति त्रिपाठी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मेरे विधान सभा....

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[क्षेत्र मड़िहान, जनपद-मिर्जापुर में वर्ष 2011-12 में किसानों से खरीदे गये धान के भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में मैंने सदन में दिनांक 06 जून, 2012 को नियम-51 के अन्तर्गत सूचना दी थी उक्त सूचना को मा0 सदन ने दिनांक 12 जून, 2012 को केवल वक्तव्य के रूप में स्वीकार किया था जिसके जवाब के रूप में मा0 मंत्री, खाद्य एवं रसद, उ0प्र0 ने बताया है कि भारतीय खाद्य निगम में सम्प्रदान किये गये सी0एम0आर0 के विरुद्ध भुगतान प्राप्त होने में विलम्ब के कारण केवल एक क्रय एजेन्सी यू0पी0 स्टेट एग्रो का रुपये 129.66 लाख का भुगतान कृषकों को भी नहीं किया जा सका है। भारतीय खाद्य निगम से उक्त अवशेष धनराशि प्राप्त की जा चुकी है। इसी क्रम में मेरे विधान सभा क्षेत्र मड़िहान में पी0 सी0 एफ0 द्वारा 755.80 मी0 टन धान की खरीद को अस्वीकृत घोषित करते हुए भुगतान पर रोक लगा दी गयी है। मेरे क्षेत्र के किसानों के धान मूल्य का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है, लगभग एक साल से किसानों के धान का मूल्य रुपये 81.62 लाख रुका पड़ा है। किसानों में आक्रोश व्याप्त है। इस सम्बन्ध में शासन को अविलम्ब कार्यवाही कर किसानों के एक साल से रुके धान मूल्य का भुगतान कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः जनहित एवं लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय, तात्कालिक विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूं।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वक्तव्य

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि खरीफ क्रय वर्ष 2011-12 के अन्तर्गत किसानों से न्यूनतम मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 09 सरकारी क्रय एजेन्सियों-खाद्य विभाग, वी0सी0एफ0, यू0पी0 एग्रो, यू0पी0एस0एस0, आवश्यक वस्तु निगम (एस0एफ0सी0), नैफेड, कर्मचारी कल्याण निगम, एन0सी0सी0एफ0 तथा भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से 401843 किसानों से 23.24 लाख मी0 टन धान की खरीद की गयी, जिसके सापेक्ष किसानों को उनके द्वारा विक्रीत धान के मूल्य रु0 2510.02 करोड़ का भुगतान कर दिया गया है।

मा0 सदस्य द्वारा सूचना में उल्लिखित जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मड़िहान में वर्ष 2011-12 में क्रय संस्था यू0पी0 एग्रो द्वारा किसानों से खरीदे गये धान के अवशेष मूल्य रु0 129.66 लाख का भुगतान किया जा चुका है। जांच आख्या के अनुसार जनपद मिर्जापुर में वर्ष 2011-12 में कुल 12513.90 मी0 टन धान खरीद की गयी, जिसमें से मड़िहान क्षेत्र की 755.80 मी0 टन सहित कुल 1466.35 मी0 टन धान खरीद को संदिग्ध मानते हुए पी0सी0एफ0 मुख्यालय द्वारा भुगतान न करने हेतु जिला कार्यालय, मिर्जापुर को निर्देशित किया गया था। प्रश्नगत विवादित धान खरीद की रिपोर्ट प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0एफ0 द्वारा जांच हेतु गठित कमेटी की रिपोर्ट पी0सी0एफ0 मुख्यालय को प्राप्त हो गयी है। जांच रिपोर्ट के परीक्षणोपरान्त पी0सी0एफ0 मुख्यालय द्वारा निर्णय लेते हुए निर्देश प्रदान किये जायेंगे।]

वाराणसी के दो सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों व नर्सिंग स्टाफ की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 ज्योत्सना श्रीवास्तव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय सदस्य विधान सभा....

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[डा0 ज्योत्सना श्रीवास्तव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी है कि सरकारी अस्पताल मुख्यतः गरीब जनता की सेवा व सुविधा हेतु खोला जाता है, लेकिन इन सरकारी अस्पतालों की आज जो स्थिति है, वह बहुत दुःखदायी है। उदाहरणार्थ वाराणसी में दो सरकारी अस्पताल हैं।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

किसी भी अस्पताल में मानक के अनुसार सफाई कर्मी, नर्सिंग स्टाफ, वार्ड व्वाय की नियुक्ति नहीं है। इनकी संख्या का आधार 'वेड' नहीं 'वार्ड' है, इमरजेन्सी में दो डाक्टर की जगह एक है, वहीं डाक्टर गम्भीर हालात में होने पर रोगी देखने वार्ड में दौड़ता है और अचानक घायल होकर आने वाले मरीजों को भी देखता है। अगर दोनों की आवश्यकता एक साथ हो गयी तो एक उपेक्षित होता है। इससे रोगी के परिजन तथा डाक्टर के बीच अनावश्यक अप्रिय घटना होती है जिससे सम्पूर्ण अस्पताल, प्रशासन और सम्पूर्ण नगर प्रभावित होता है। यही नहीं कभी-कभी बेकसूर आदमी दण्डित हो जाता है।

मा0 सदस्य की सूचना में यह भी उल्लेख है कि वाराणसी के अस्पताल में आई0सी0यू0 सी0टी0 स्कैन की व्यवस्था नहीं है। न्यूरो सर्जन, यूरो सर्जन, मनोरोग चिकित्सक, न्यूरो फिजीशियन नहीं हैं। रेडियो प्लाजिस्ट के दो पद रिक्त हैं। वक्र वार्ड में ए0सी0 नहीं चल रहे हैं। स्ट्रेचर, ट्राली, व्हील चेयर है तो इसका स्टाफ नहीं है। एम्बुलेंस है तो उसका ड्राइवर नहीं है। अन्त में दवा वितरण हेतु आवश्यक संख्या में फार्मासिस्ट नहीं है। कक्ष में दवा वितरण हेतु आवश्यक संख्या में फार्मासिस्ट नहीं है। एक तरफ हजारों की संख्या में फार्मासिस्ट बेरोजगार घूम रहे हैं, सरकार उन्हें बेरोजगारी भत्ता दे रही है लेकिन नौकरी नहीं दे रही है।

मा0 सदस्य द्वारा उपर्युक्त सूचना पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए इस पर गम्भीरता से विचार करने और योजनाबद्ध ढंग से एक समय सीमा के अन्दर खास कर जिला अस्पतालों को सही अर्थों में जनता की सेवा हेतु सक्षम बनाये जाने का सुझाव देते हुए मा0 सदन के माध्यम से वक्तव्य की मांग की गयी है।

2-उपर्युक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद-वाराणसी में श्री शिवप्रसाद गुप्त मण्डलीय जिला चिकित्सालय एवं पं0 दीन दयाल उपाध्याय, राजकीय चिकित्सालय राज्य सरकार के दो प्रमुख चिकित्सालय हैं। मण्डलीय अपर निदेशक/प्रमुख अधीक्षक, श्री शिवप्रसाद गुप्त, मण्डलीय जिला चिकित्सालय से प्राप्त आख्यानुसार उक्त चिकित्सालय में सफाई कर्मचारी, नर्सिंग स्टाफ व वार्ड ब्वाय की मानक के अनुसार तैनाती है। चिकित्सालय की इमरजेन्सी में पूर्व से ही दो चिकित्सक कार्य कर रहे हैं। यदि वार्ड में कोई गम्भीर मरीज भर्ती है तो एक चिकित्साधिकारी के जाने पर इमरजेन्सी में दूसरे चिकित्साधिकारी मौजूद रहते हैं। उक्त चिकित्सालय में आई0सी0यू0 व सिटी स्कैन की व्यवस्था किये जाने की कार्यवाही विचाराधीन है। न्यूरो सर्जन, यूरो सर्जन, मनो चिकित्सक व न्यूरो फिजीशियन आदि की उपलब्धता न होने से उक्त विशेषज्ञता के चिकित्सक तैनात नहीं हो पाये हैं। बर्न वार्ड का ए0सी0 क्रियाशील है। स्ट्रेचर, ट्राली, व्हील चेयर के लिये स्टाफ पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। एम्बुलेन्स हेतु वाहन चालक भी है तथा फार्मासिस्ट भी स्वीकृत पद के सापेक्ष आवश्यक संख्या में तैनात हैं।

3-इसी प्रकार जनपद-वाराणसी के दूसरे बड़े सरकारी चिकित्सालय, पं0 दीन दयाल उपाध्याय, राजकीय चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से प्राप्त आख्यानुसार उक्त चिकित्सालय में स्वीकृत 32 पदों के सापेक्ष 31 चिकित्साधिकारी कार्यरत हैं। इसी प्रकार 31 पदों के सापेक्ष 26 नर्सिंग स्टाफ एवं 20 पदों के सापेक्ष 19 सफाई कर्मी तथा 20 पदों के सापेक्ष 19 वार्ड ब्वाय उक्त चिकित्सालय में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। चिकित्सालय में आकस्मिक चिकित्साधिकारी के 04 पद स्वीकृत हैं।

तथा चारों पदों पर आकस्मिक चिकित्साधिकारी तैनात हैं जिनसे 24 घन्टे में तीन शिफ्टों में काम लिया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर आनकाल विशेषज्ञ चिकित्सकों को सूचना देकर अविलम्ब बुलाया जाता है। उक्त चिकित्सालय में आई0सी0यू0 की व्यवस्था नहीं है किन्तु सी0टी0 स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। न्यूरो सर्जन, यूरो सर्जन, मनोरोग विशेषज्ञ एवं न्यूरो फिजीशियन का पद स्वीकृत नहीं है। रेडियोलॉजिस्ट के दो पदों के सापेक्ष दोनों की पदों पर रेडियोलॉजिस्ट कार्यरत हैं। बर्न वार्ड की सुविधा इस चिकित्सालय में उपलब्ध नहीं है। बर्न के मरीज आने पर उन्हें मण्डलीय जिला चिकित्सालय में रिफर कर दिया जाता है। स्ट्रेचर, ट्राली, व्हील चेयर आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं तथा इसके लिये स्टाफ भी उपलब्ध है। चिकित्सालय में एक एम्बुलेन्स उपलब्ध है, जिसको मुख्य चिकित्साधिकारी, वाराणसी के अधीन से एक ड्राइवर लेकर एम्बुलेन्स चलाया जा रहा है। दवा वितरण के कार्य हेतु 04 पदों के सापेक्ष 04 फार्मासिस्ट तैनात हैं जिनसे इमरजेन्सी, दवा वितरण कक्ष, ए0आर0वी0 कक्ष तथा मुख्य औषधि भण्डार में सेवाएं ली जा रही हैं।

इस प्रकार उपर्युक्त आख्या से स्पष्ट है कि जनपद वाराणसी के दोनों बड़े सरकारी चिकित्सालयों में उपलब्ध संसाधनों से मरीजों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।]

जनपद मेरठ के मोदीनगर क्षेत्रान्तर्गत स्थित मोहिउद्दीनपुर शुगर मिल का पुनः संचालन करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुदेश शर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय सदस्य.....

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[द्वारा अपनी सूचना में विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर, जनपद मेरठ में स्थित स्थित मोहिउद्दीनपुर शुगर मिल विगत कई वर्षों से बन्द पड़े होने से क्षेत्र के किसानों व मजदूरों को काफी दुर्दशा होने का उल्लेख करते हुए जनहित में उक्त मिल को पुनः संचालन कराने एवं चीनी मिल को अगले सत्र में चलाने हेतु अभी से मिल के अन्दर सुधार कार्य कराने की मांग की गई है।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद मेरठ स्थित उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0 की मोहिउद्दीनपुर चीनी मिल को पुनः संचालित किए जाने का निर्णय मा0 मंत्रि-परिषद् द्वारा लिया गया है। चीनी मिल पेराई-सत्र 2013-14 से पेराई कार्य प्रारम्भ करेगी। चीनी मिल को संचालित किये जाने हेतु राष्ट्रीय सहकारी शक्कर कारखाना संघ लि0, नई दिल्ली की तकनीकी टीम द्वारा चीनी मिल की स्थलीय निरीक्षण, अधिकारियों से विचार-विमर्श, बैठक आदि की जा चुकी है तथा उनके द्वारा मिल को सुचारू रूप से चलाये जाने हेतु निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। मिल को संचालित किये जाने के उद्देश्य से रायबरेली एवं अन्य मिलों से कतिपय कर्मचारियों/अधिकारियों को पूर्व में ही मोहिउद्दीनपुर स्थानान्तरित किया जा चुका है। चीनी मिल को संचालित किये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।]

नगर निगम झांसी में प्राइवेट एजेन्सी द्वारा धन उपलब्ध कराये जाने के बावजूद मंदाकिनी प्रदूषण रोकने हेतु ट्रीटमेन्ट प्लान्ट न बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रवि शर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय सदस्य.....

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[द्वारा दी गई सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि नगर निगम झांसी में पूर्व वर्षों में सालिड वेस्ट योजना लागू की गयी है। यह कार्य प्राइवेट ऐजन्सी के माध्यम से कराया जा रहा है। अब यह कार्य बन्द हो गया है। शासन स्तर से समस्त धनराशि अवमुक्त होकर भुगतान भी कर दी गयी है परन्तु कार्यवाही संस्था भाग जाने के कारण यह अनुपयोगी सिद्ध हो रही है। कार्य पूर्ण न होने के कारण जो कार्य कराया गया है, वह बेकार हो रहा है। जनहित में उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए इसकी जांच कराकर इसके लिए दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाय और धन की वसूली करके कार्य पूर्ण कराया जाय।

इस सम्बन्ध में सी0 एण्ड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम से प्राप्त आख्या के आधार पर स्थिति यह है कि झांसी नगर निगम हेतु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना की भारत सरकार के जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 कार्यान्श के अन्तर्गत वर्ष 2006-07 में अनुमानित लागत रु0 1216.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

उक्त कार्य पी0पी0पी0 मॉडल पर निविदा के माध्यम से मै0 यू0पी0सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रा0 लि0, हैदराबाद को चयनित करते हुए कार्य प्रारम्भ किये जाने हेतु दिनांक 12-04-2010 तिथि निर्धारित की गयी। मूल कार्यक्रम के अनुसार योजना के कार्यों को 08 माह अर्थात् दिनांक 11-12-2010 तक पूर्ण कर लिया जाना था। ऑपरेटर को अनुबन्ध के अन्तर्गत डोर-टू-डोर कलेक्शन, सेकेण्डरी कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन तथा बिजौली, झांसी में प्रोसेसिंग प्लांट, सैनिटरी लैण्ड-फिल की स्थापना तथा संचालन का कार्य सौंपा गया था। कार्य का पर्यावरणीय क्लियरेन्स माह नवम्बर-2010 में प्राप्त हुआ है।

उक्त स्वीकृत लागत के सापेक्ष अब तक रु0 1018.70 लाख अवमुक्त किये जा चुके हैं तथा योजना का लगभग 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर रु0 608.00 लाख व्यय किया जा चुका है। समय से धनराशि अवमुक्त न हो पाने के कारण आपरेटर को दिनांक 30-06-2012 तक की समयवृद्धि प्रदान की गयी थी।

आपरेटर द्वारा आंतरिक समस्याओं का उल्लेख करते हुए कार्य बन्द कर दिया गया है। ऑपरेटर की इस शिथिलता के कारण अनुबन्ध में निहित धाराओं/प्राविधानों के अन्तर्गत आपरेटर पर माह 09/2012 में रु0 48.50 लाख का अर्थदण्ड लगाया गया है।

अन्ततः दिनांक 07-03-2013 को फर्म को वैधानिक नोटिस निर्गत कर दी गयी है, जिसमें अनुबन्ध में निहित प्राविधानों के अनुसार फर्म को अपना पक्ष रखने हेतु 21 दिन का समय दिया गया है।

निर्धारित तिथि तक फर्म का यदि कोई संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो नियमानुसार फर्म द्वारा जमा की गयी सुरक्षा धनराशि एवं यन्त्र-संयन्त्र आदि जब्त कर उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।]

आईकावा इन्टरनेशनल एजूकेशन सोसायटी द्वारा की गयी करोड़ों रुपये की ठगी के विरुद्ध जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती अनुप्रिया पटेल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

प्रश्नगत नियम.....

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[51 में मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा अपगत कराया गया है कि आईकावा इण्टरनेशनल एजूकेशन सोसाइटी द्वारा की गयी ठगी सम्बन्धी प्रकरण की जांच हेतु शासनादेश संख्या एम0एल0ए0

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

06/25-8-2012-17(99)/2009 द्वारा ई0ओ0डब्ल्यू0 को लिखा गया था। जांच सितम्बर, 2012 में पूरी हो गयी किन्तु ई0ओ0डब्ल्यू0 जांच आख्या शासन को नहीं भेज रहा है। यह अनुरोध किया गया है कि जांच आख्या शासन द्वारा शीघ्र मंगायी जाय। इस सम्बन्ध में सदन में वक्तव्य की मांग भी मा0 सदस्य द्वारा की गयी है।

स्थिति यह है कि प्रकरण की ई0ओ0डब्ल्यू0 से जांच के आदेश शासनादेश संख्या एम0एल0ए0 06/25-8-2012-17(99)/2009 दिनांक 29-5-2012 के द्वारा निर्गत किये गये थे। ई0ओ0डब्ल्यू0 से जांच आख्या अभी प्राप्त नहीं हुयी है। इस हेतु अन्तिम अनुस्मरण-पत्र दिनांक 13 फरवरी, 2013 को प्रेषित किया गया है। जांच आख्या शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने हेतु ई0ओ0डब्ल्यू0 को पुनः पत्र दिनांक 20-03-2013 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है।]

जनपद कासगंज के निवासी नूर बानों के पति श्री फैज मोहम्मद शमी की बदमाशों द्वारा की गयी हत्या की जांच कराये जाने एवं मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता एवं नौकरी दिये जाने के सम्बन्ध में श्री ममतेश शाक्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

जनपद कासगंज.....

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[के निवासी नूर बानों के पति श्री फैज मोहम्मद शमी की पुलिस द्वारा की गयी हत्या की जांच कराये जाने एवं मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता एवं नौकरी दिये जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-51 के अधीन श्री ममतेश शाक्य, मा0 सदस्य, विधान सभा की दिनांक 19-3-2013 की सूचना पर दिनांक 21-3-2013 को निर्धारित केवल वक्तव्य के सम्बन्ध में वांछित सूचना वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा से प्राप्त की गयी।

2-प्राप्त आख्यानुसार आरक्षी 268 शस्त्र पुलिस फैज मोहम्मद की दिनांक 1-10-2012 को ड्यिूटी के दौरान श्रीधाम एक्सप्रेस में अभियुक्त को पेशी से वापस लाते समय बदमाशों द्वारा ट्रेन में जनपद मथुरा में गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी, जिसके पश्चात् मृतक की आश्रित पत्नी श्रीमती नूर बानों को उपादान की धनराशि रुपये 2,52,454/- दिनांक 29-11-12 को नगदीकरण रुपये 3,50,630/- दिनांक 29-11-12 को जी0पी0एफ0 2,43,612/- दिनांक 26-10-12 को जी0पी0एफ0 से सम्बद्ध बीमा रुपये 30,000/- दिनांक 26-10-12 अनुग्रह धनराशि

रुपये 10,00,000/ दिनांक 12-3-2013 को भुगतान किया जा चुका है। मृतक की आश्रित पत्नी को रुपये 18,275/- प्रतिमाह पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जा रहा है एवं असाधारण पेंशन प्रकरण उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद के द्वारा दिनांक 11-3-2013 को उ0 प्र0 शासन को संदर्भित किया गया है। मृतक पुलिस कार्मिक के पुत्र अरमान शाह को मृतक आश्रित के अन्तर्गत सेवायोजित किये जाने सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र, दिनांक 20-3-2013 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा के कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिस पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगतार्थ है कि मृतक आरक्षी की हत्या के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 614/12 धारा 396,307,302 भा0द0वि0 बनम अज्ञात थाना जी0आर0पी0 मथुरा जंक्शन में पंजीकृत है, जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक, मथुरा जंक्शन जी0आर0पी0 अनुभाग आगरा द्वारा की जा रही है।]

मुरादाबाद के नगर पंचायत कांठ में कब्रिस्तान से पड़ियों वाली पुलिया तक 11000 वोल्ट की विद्युत लाइन आबादी के ऊपर से हटाकर रास्ते के किनारे बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अनीसुर्रहमान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय सदस्य

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[विधान सभा की उक्त सूचना में किया गया उल्लेख निम्नवत् है :--

''विधान सभा क्षेत्र कांठ के नगर पंचायत कांठ में कब्रिस्तान से पड़ियों वाली पुलिया तक 11000 की विद्युत लाइन आबादी के ऊपर से गुजरती है। उक्त विद्युत लाइन से कई बार घटनाएं होने के कारण नीचे की आबादी के घरों में आग लग गई और कई लोग घायल हो गये। अभी कुछ समय पहले उक्त विद्युत लाइन से करेन्ट लगने के कारण दो लोग गम्भीर रूप से झुलसकर घायल हो गये थे, जिनमें एक की मौत हो गई एवं एक का अभी भी इलाज चल रहा है। उक्त विद्युत लाइन को हटाने के लिये कई बार विद्युत अधिकारियों को लिखकर दिया जा चुका है, परन्तु आज तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उक्त विद्युत लाइन को न हटाने के कारण जनता में भय, खौफ एवं आक्रोष है।''

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत कराना है कि प्रश्नगत क्षेत्र में घरों का निर्माण 11000 की विद्युत लाइन के निर्माण के बाद किया गया है। ऐसे प्रकरणों में लाइन शिफ्टिंग की कोई नीति नहीं है, किन्तु तकनीकी दृष्टि से सम्भव होने तथा लाइन की शिफ्टिंग पर आने वाले व्यय की धनराशि स्थानीय निकाय, उपभोक्ता समूह अथवा किसी अन्य निधि से जमा कराये जाने पर शिफ्टिंग का कार्य कराया जाना सम्भव हो सकता है। भविष्य में कोई दुर्घटना न हो, इस दृष्टि से उक्त स्थल पर लाइन की गार्डिंग कराया जाना प्रस्तावित है। जहां तक घटना से होने वाली मृत्यु का प्रश्न है, इसकी जांच नियमानुसार विद्युत सुरक्षा विभाग से कराकर अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।]

सहारनपुर के ग्राम शेरमऊ में स्थापित उत्तम शुगर मिल के कर्मचारियों को शुगर वेज बोर्ड के अनुसार लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय सदस्य.....

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[द्वारा प्रस्तुत नियम-51, की सूचना में यह कहा गया है कि जनपद सहारनपुर के ग्राम शेरमऊ में चल रही उत्तम शुगर मिल में कार्यरत 500 से अधिक कर्मचारियों को शुगर वेज बोर्ड के अनुसार नियुक्ति पत्र न्यूनतम वेतन, वार्षिक बोनस, अर्जित अवकाश, आकस्मिक अवकाश आदि तथा प्रोडक्शन बोनस आफ सीजन का रिटर्निंग भत्ता, भविष्य निधि योजना का लाभ प्राप्त होना अनिवार्य है किन्तु मिल प्रबन्धन द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

सूचना में उल्लिखित चीनी मिल, निजी क्षेत्र की चीनी मिल है। सूचना में उल्लिखित बिन्दुओं की जांच उप गन्ना आयुक्त, सहारनपुर को सौंप दी गयी है। उनकी आख्या प्राप्त होने के पश्चात् इस प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।]

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र पश्चिमी के अन्तर्गत ग्राम घोसी एवं ग्राम कांठगांव में ससुर खदेरी नदी पर बने जीर्ण-शीर्ण पुल का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती पूजा पाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

श्रीमती पूजापाल, माननीय सदस्य.....

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 18-03-13 को दी गई सूचना में यह अवगत कराया गया है कि विधान सभा क्षेत्र, 261, इलाहाबाद पश्चिम, जनपद इलाहाबाद के अन्तर्गत ग्राम घोसी एवं ग्राम कॉठगांव से निकलने वाली ससुर खदेरी नदी पर निर्मित पुल छोटा एवं जीर्ण-शीर्ण अवस्था में होने के कारण कभी भी टूट कर गिर सकता है, जिसके कारण क्षेत्रीय जनता एवं राहगीरों में हमेशा कभी भी कोई दुर्घटना घटित होने की सम्भावना बनी रहती है। उक्त पुल से 20-30 ग्राम सभा के लोगों का एवं हजारों बड़े वाहनों का आवागमन होता है। वर्षा के दिनों में पुल पर पानी भर जाता है तथा आवागमन बाधित हो जाता है जिससे क्षेत्रीय जनता को आवागमन हेतु नाव का सहारा लेने पर मजबूर होना पड़ता है। अधिक पानी होने के कारण आये दिन लोगों के साथ नाव दुर्घटनायें हो जाती है, जिसमें कई बार जनहानि हो चुकी है। क्षेत्रीय जनता को आवागमन हेतु अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहां पर बड़े पुल के निर्माण हेतु क्षेत्रीय जनता द्वारा कई बार स्थानीय उच्च अधिकारियों एवं सरकार से अनुरोध किया गया, परन्तु अभी तक पुल निर्माण हेतु कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है। जिससे क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है। अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर वक्तव्य/कार्यवाही की मांग की गई है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ग्राम घोसी एवं ग्राम कांठगांव से निकलने वाली ससुर खदेरी नदी पर नये सेतु निर्माण कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।]

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं कल पूर्वाह्न् 11.00 पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 06 बजकर 30 मिनट पर/अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊः

दिनांक 21 मार्च, 2013

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिए पीछे पृष्ठ-67 पर।)

मार्च+फरवरी

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जनप्रतिनिधियों की हत्याएं (मार्च 2013)

दिनांक	जनपद	घटनाएं
01 मार्च, 2013	लखीमपुर खीरी	थाना मैलानी, पुलिस चौकी संसारपुर अन्तर्गत ग्राम अंगदपुर प्रधान पति औशाफ खां जुमें की नमाज पढ़ने जा रहे थे की दिनदहाड़े हत्या।
02 मार्च, 2013	प्रतापगढ़	हथिगवां थाना क्षेत्र के बलीपुर गांव में प्रधान नन्हे यादव की हत्या के बाद पुलिस व ग्रामीणों में खूनी संघर्ष सीओ कुंडा जियाउल हक व प्रधान के भाई सुरेश यादव की भी हत्या।
03 मार्च, 2013	अम्बेडकरनगर	टांडा के अलीगंज में हिन्दू युवा वाहिनी के नेता रामबाबू गुप्त की हत्या। आक्रोशित भीड़ ने एसओ को पीटा जीप सहित कई गाड़ियों को फूंका।
05 मार्च, 2013	सीतापुर	खैराबाद के महुली गांव के दलित ग्राम प्रधान भोला की हत्या।
12 मार्च, 2013	महराजगंज	पनियरा क्षेत्र के बरहडा चौरी गांव के प्रधान रविन्द्र यादव की हत्या।
13 मार्च, 2013	गोरखपुर	ग्राम प्रधान पति दिनेश तिवारी की पुरानी रंजिश में गोली मार कर हत्या।

जनप्रतिनिधियों की हत्याएं (फरवरी, 2013)

दिनांक	जनपद	घटनाएं
03 फरवरी, 2013	महराजगंज	ग्राम प्रधान करमहां राजेन्द्र गुप्ता की गांव में ही बदमाशों ने हत्या कर दी।
14 फरवरी, 2013	प्रतापगढ़	पू0 न0 पालिका चेयर मैन अशोक मौर्य की गोली मारकर हत्या।
25 फरवरी, 2013	गाजियाबाद	बम्हैटा गांव में घर में घुस कर सपा नेता यशवीर यादव की गोली मारकर हत्या।

मार्च+फरवरी

हत्या व अन्य गम्भीर अपराधिक घटनाएं (मार्च, 2013)

दिनांक	जनपद	घटनाएं
01 मार्च, 2013	लखनऊ	हीवेट पॉलीटेक्निक कालेज में छात्र ने शिक्षक को पीटा।
01 मार्च, 2013	बाराबंकी	उधौली के टोल प्लाजा पर सपाइयों की दबंगई टोल कर्मियों को पीटा।
01 मार्च, 2013	लखीमपुर खीरी	थाना मैलानी, पुलिस चौकी संसारपुर अन्तर्गत ग्राम अंगदपुर प्रधान पति औशाफ खां जुमें की नमाज पढ़ने जा रहे थे की दिनदहाड़े हत्या।
02 मार्च, 2013	प्रतापगढ़	हथिगवां थाना क्षेत्र के बलीपुर गांव में प्रधान नन्हे यादव की हत्या के बाद पुलिस व ग्रामीणों में खूनी संघर्ष सीओ कुंडा जियाउल हक व प्रधान के भाई सुरेश यादव की भी हत्या।
03 मार्च, 2013	अम्बेडकरनगर	टांडा के अलीगंज में हिन्दू युवा वाहिनी के नेता रामबाबू गुप्त की हत्या। आक्रोशित भीड़ ने एसओ को पीटा जीप सहित कई गाड़ियों को फूंका।
03 मार्च, 2013	लखनऊ	गोसाई गंज में सर्राफा व्यवसायी अम्बिका प्रसाद वर्मा पर दबंगों ने किया चाकू से हमला।
03 मार्च, 2013	बरेली	बभिया गांव मे दबिश देने गई पुलिस टीम पर बदमाशों का हमला सिपाही को गोली मारी।
03 मार्च, 2013	प्रतापगढ़	जेठवारा थाना क्षेत्र के नौबस्ता तिराहे पर दो युवकों मुस्ताक व रईश को बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली एक मुस्ताक की मौत।
03 मार्च, 2013	बरेली	हाजीपुर खजूरिया गांव में दबंगों ने मां के सामने बेटे का किया कत्ल।
03 मार्च, 2013	बनारस	थाना क्षेत्र जनसा अन्तर्गत श्री ज्ञान दास उर्फ गुड्डू पुत्र श्री राजकुमार निवासी ग्राम नरैचा की हत्या। सिरकटी लाश मिली, सिर गायब।
03 मार्च, 2013	सिद्धार्थनगर	ग्राम परसा पिण्डा निवासी लैबटेक्निशियन चिन्तामणि दूबे की 2 मार्च को अपहरण कर हत्या।
04 मार्च, 2013	अम्बेडकरनगर	टांडा में हिन्दू युवा वाहिनी के नेता रामबाबू की हत्या के बाद हिंसा पथराव व फायरिंग में दो जवानों सहित 6 लोग घायल।
04 मार्च, 2013	सम्भल	मोहकमपुर में खूनी रंजिश में दो लोगों की हत्या।

दिनांक	जनपद	घटनाएं
04 मार्च, 2013	सुल्तानपुर	कांपा गांव निवासी श्री गोली पासी को सिरफिरे युवक ने मारी गोली।
04 मार्च, 2013	फैजाबाद	बीकापुर शाहगंज तहसील से वसूली करने गये अमीन अब्दुल वहीद को सपा जिला पंचायत सदस्य, पारसनाथ यादव ने पीटा।
04 मार्च, 2013	बाराबंकी	असंद्रा थाना क्षेत्र गोड़ियनपुरवा गांव के समीप एक युवक की ईंट से कुचकर हत्या, शव का शिनाख्त नहीं।
05 मार्च, 2013	लखनऊ	पीजीआई थाना क्षेत्र के साउथ सिटी इलाके में वर्दीधारियों ने कहर बरपाया गाड़ी न रोकने पर एक युवक का सिर फोड़ा।
05 मार्च, 2013	लखनऊ	चिनहट के कंचनपुर गटियारी इलाके में बेखौफ हत्यारों ने एक युवक की बेरहमी से हत्या किया, शव की शिनाख्त नहीं।
05 मार्च, 2013	लखनऊ	इंदिरानगर के तिकरोही पुलिस चौकी में हुई प्रताणना से आहत युवक समीर ने फांसी लगाकर की आत्महत्या।
05 मार्च, 2013	सीतापुर	खैराबाद के महुली गांव के दलित ग्राम प्रधान भोला की हत्या।
05 मार्च, 2013	देवरिया	सदर कोतवाली क्षेत्र के परसियामल में विश्वामित्र शुक्ल की पीट-पीट कर हत्या।
06 मार्च, 2013	गोरखपुर	कोर्ट में बयान दर्ज कराने पहुंचे सीओ बांसगांव विजय शंकर शुक्ला पर वकीलों ने किया हमला।
06 मार्च, 2013	गोरखपुर	कचहरी में पेशी पर आया कुख्यात अपराधी बलजिंदर सिंह पुलिस अभिरक्षा से फरार।
06 मार्च, 2013	कानपुर	एसएसपी आवास और सीबीसीआईडी दफ्तर के बीच स्थित सैडलरी कारखाने में बहराइच निवासी जैनब और उसके दो बेटे इब्राहिम व रियाज की गला रेतकर हत्या।
06 मार्च, 2013	कासगंज	छह माह से वेतन न मिलने व आर्थिक तंगी के कारण वीडीओ शिवकुमार पाल ने की आत्महत्या।
06 मार्च, 2013	फतेहपुर	तहसील से घर लौटते समय किरावली बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता केदार सिंह को बदमाशों ने गोली मार हत्या कर दी।
07 मार्च, 2013	गोरखपुर	थाना क्षेत्र गगहा में व्यापारी बाबूलाल गुप्ता के पूरे परिवार को बदमाशों ने मारी गोली पिता और पुत्र सहित तीन की मौत। मां, भाई और दो बच्चे घायल अस्पताल में भर्ती।

दिनांक	जनपद	घटनाएं
07 मार्च, 2013	आगरा	जीआईसी राजकीय पुस्तकालय के कन्या विद्या धन समाधान केन्द्र पर छात्राओं पर बरसी लाठियां।
08 मार्च, 2013	अलीगढ़	क्वार्सी से लापता आर्केस्टा कलाकार की जघन्य रूप से हत्याकर बदमाशों ने शव अशोक नगर में नाले में फेका।
08 मार्च, 2013	गाजियाबाद	पॉश कालोनी राजनगर में डीम-एसएसपी आवास के पास घर में घुस कर बदमाशों ने सुब्रमण्यम कुमार व उनकी मां का कत्ल कर दिया।
08 मार्च, 2013	लखनऊ	गोमतीनगर के पत्रकारपुरम् चौराहे पर दबंगों ने सिपाही का सिर फोड़ा।
09 मार्च, 2013	इलाहाबाद	इलाहाबाद विवि में लैपटाप के आवेदन को लेकर दो हास्टलों के छात्र गुट भिड़े पथराव व बमबाजी कई घायल।
09 मार्च, 2013	बाराबंकी	सुबेहा थाना क्षेत्र के झाउपुरवा में तीन दिन से लापता दो साल का अरविन्द का शव नाले में मिला।
09 मार्च, 2013	बहराइच	रानीपुर थाने के ताजपुर गोबरहा गांव में भाई ने ही बहन की गर्दन काटकर की हत्या।
09 मार्च, 2013	रायबरेली	निराला नगर में घर में घुस कर ठेकेदार सुरेश की गोली मारकर हत्या।
09 मार्च, 2013	बांदा	बिसंडा थाना क्षेत्र के अलिहा गांव में सपा कार्यकर्ता शिरोमणि यादव की हत्या।
10 मार्च, 2013	बाराबंकी	महाशिवरात्रि के मौके के लोधेश्वर महादेवा मेले में भगदड़ दो श्रधालुओं की मौत, 16 घायल।
10 मार्च, 2013	इलाहाबाद	इलाहाबाद जंक्शन पर फिर मचीं भगदड़ दो महिलाएं माया देवी (आगरा) और सबुरी देवी (बक्सर बिहार) बुरी तरह घायल हो गई।
10 मार्च, 2013	कुशीनगर	थाना विशुनपुरा क्षेत्र के ग्राम बांसगांव टोला जटवलिया के दिनेश पुत्र श्री सुभाष प्रसाद की बदमाशों ने दिन दहाड़े हत्या की।
10 मार्च, 2013	गोंडा	इथियाटोक के गोंडा-बलरामपुर मार्ग पर मदरसा गुलशने बरकत के पास रहने वाले राजगीर हामिद की हत्या।
10 मार्च, 2013	अमेठी	मोहनगंज थाना क्षेत्र के गढ़ी राजापुर गांव के किसान मो0 अली की गोली मारकर हत्या।

दिनांक	जनपद	घटनाएं
11 मार्च, 2013	गोंडा	खोड़ारे क्षेत्र के गांधी नगर के बड़केडीह गांव में गन्ने के खेत में हत्या की गई युवक की लाश मिली।
11 मार्च, 2013	रायबरेली	खीरों के मथुराखेड़ा गांव स्थित तालेश्वर मंदिर में पुजारी की गला रेतकर हत्या।
11 मार्च, 2013	बहराइच	मोतीपुर थाने के लॉक्अप से बंदी फरार।
11 मार्च, 2013	हाथरस	सिकन्दराऊ में फरियाद लेकर गये बुजुर्ग दंपति ने फरियाद अनसुनी करने पर एसडीएम व खुद को पेट्रोल से जिन्दा जलाने की कोशिश की।
11 मार्च, 2013	सन्तकबीरनगर	ककरही गांव में प्रधानाध्यापक विशम्भर मिश्र की गोली मारकर हत्या।
12 मार्च, 2013	फिरोजाबाद	रसूलपुर थाने की पुलिस ने प्रेमचन्द उर्फ टाइगर की ढूली में पीटकर जिन्दा जला दिया।
12 मार्च, 2013	महराजगंज	पनियरा क्षेत्र के बरहडा चौरी गांव के प्रधान रविन्द्र यादव की हत्या।
12 मार्च, 2013	कुशीनगर	कसया थाना क्षेत्र में बीरू दादा नाम के हिस्ट्रीशीटर की गोली मारकर हत्या।
14 मार्च, 2013	बांदा	दस्यु प्रभावित क्षेत्र के कोल्हुआ जंगल में गैंगवार ढ़ाई लाख के इनामी बदमाश बलखाड़िया ने दस्यु राम सिंह को गोली से उड़ाया।
15 मार्च, 2013	आगरा	दयालबाग एजूकेशनल इंस्टीट्यूट की जूलॉजी लैब में एक शोधार्थी छात्रा नेहा शर्मा की बेरहमी से हत्या।
15 मार्च, 2013	बाराबंकी	जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के पलिया मसूदपुर गांव मे एक 10 वर्षीय बालिका पूजा की गला दबाकर हत्या।
17 मार्च, 2013	देवरिया	रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के खड़राईच गांव में सपा जिला उपाध्यक्ष रातप्रकाश यादव ने किया पोखरे के कब्जे को लेकर उपद्रव 24 लोग घायल।
17 मार्च, 2013	गाजियाबाद	गांधीनगर में बाइक सवार तीन बदमाशों ने दो सिपाहियों को गोली मारी कर घायल किया।
17 मार्च, 2013	सीतापुर	मांझा दरिया बुर्द गांव के पास फसल काटने गये जंगली प्रसाद व भतीजे पेशकार को बदमाशों ने गोली मार दी, जबकी एक अन्य किसान को अगवा कर ले गये।

दिनांक	जनपद	घटनाएं
17 मार्च, 2013	बाराबंकी	हैदरगढ़ कोतवाल ने अकेले थाने आई महिला को थप्पड़ मारा।
19 मार्च, 2013	मथुरा	थाना शेरगढ़ के गांव नौगांव निवासी ट्रैक्टर ड्राईवर जीतू को वसूली न देने पर पुलिस कर्मियों ने गोली मारी मौत से भड़के ग्रामीणों ने शेरगढ़ थाना फंका। पुलिस ने किया फायरिंग पांच लोग घायल।
19 मार्च, 2013	इटावा	सिविल लाइन थना क्षेत्र के गांव संतोषपुर इटगांव में बहुसंख्यक जाति विशेष के 30-40 लोगों ने सामुहिक रूप से शिवकुमार बाजपेयी चन्द्रमहेश पटेल व परिवार के अन्य सदस्यों को बंधक बनाकर पीटा। मुंह पर कालिख पोती व जूतों की माला पहनाकर गांव में घुमाया।
19 मार्च, 2013	सुल्तानपुर/अमेठी	मोतीगरपुर थाना क्षेत्र में हरसायन नागापुर में दबंगों ने भगवानदीन यादव के घर को जेसीबी से गिराया विरोध पर बम से हमला किया।
19 मार्च, 2013	सुल्तानपुर	शुकुल बाजार थाना क्षेत्र के नांदी गांव में दबंगों ने आनन्द विश्वकर्मा की पीटाई की और फिर उसके घर को आग लगाकर फूंक दिया।
19 मार्च, 2013	बहराइच	पयागपुर थाना क्षेत्र के गांव काशीजोत निवासी विजय बहादुर को दबंगों ने पीट-पीट कर हत्या कर तालाब में फेंका।

हत्या व अन्य गम्भीर अपराधिक घटनाएं

दिनांक	जनपद	घटनाएं
02 फरवरी	लखनऊ	बीकेटी के गांव बन्नौर में दबंगों ने किसान को दौड़ाकर मारी गोली।
02 फरवरी	लखनऊ	इटौंजा कस्बे में दुकानदार से बम से हमला।
03 फरवरी	बहराइच	बलरामपुर का बन्दी जिला अस्पताल बहराइच से फरार।
04 फरवरी	लखनऊ	वजीरगंज के पूर्वी बिरहाना में प्राइमरी शिक्षिका चित्रा व उसकी नानी अंगूरी देवी की हत्या।
04 फरवरी	लखनऊ	गोमतीनगर से अगवा मुम्बई कारोबारी विश्राम तिवारी की हत्या।
06 फरवरी	कानपुर	सात साल के मासूम को शिक्षिका ने चिमटे से दागा।
07 फरवरी	लखनऊ	बंथरा के कुरैनी गांव में बदमाशों ने युवक की हत्या कर पेड़ से लटकाया शव।
07 फरवरी	रायबरेली	शहर कोतवाली इलाके जहानाबाद में बेटी से अभ्रदता का विरोध करने पर बदमाशों ने किया फायरिंग।
07 फरवरी	मुजफ्फरनगर	मुस्लिम संगठन मुत्ताहिदा महाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाफिज आफताब की गोली मार कर हत्या।
07 फरवरी	लखनऊ	बदमाशों ने ठाकुरगंज क्षेत्र में हार्डवेयर व्यापारी से नाम पूछा और मारी गोली।
08 फरवरी	सुल्तानपुर	लोक निर्माण विभाग के 10 करोड़ के टेंडर के लिए चली गोलियां।
08 फरवरी	मुरादनगर	बसपा राज्य सभा सांसद नरेन्द्र कश्यप पर हमला।
08 फरवरी	लखनऊ	नगराम थाना क्षेत्र में हमलावरों ने युवक की हत्याकर शव नहर के किनारे फेंका।
10 फरवरी	लखनऊ	बंथरा थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने ज्वैलर गोपाल को मारी गोली।
10 फरवरी	लखनऊ	चिनहट के मुरली पुरवा गांव मे एक अधेड़ व्यक्ति की हत्या।
10 फरवरी	लखनऊ	पीजीआई के सेवई गांव में दहेज के लिए विवाहिता को आग लगाई।
11 फरवरी	सीतापुर	अटरिया थाना क्षेत्र में मनवा-अतरौली मार्ग पर महिला की हत्या कर बदमाशों ने शव जंगल में फेंका।
13 फरवरी	हरदोई	घर के अन्दर लेखाकार की पत्नी की हत्या।

दिनांक	जनपद	घटनाएं
13 फरवरी	मऊ	घोसी थाना क्षेत्र के गोफा गांव के पास वन दरोगा की गोली मारकर हत्या।
13 फरवरी	लखनऊ	नगराम क्षेत्र के करौवा गांव में परचून व्यवसायी की गोली मार कर हत्या।
13 फरवरी	सीतापुर	महुआताल गांव में बदमाशों ने सो रहे दंपति को गोली से उड़ाया।
13 फरवरी	ग्रेटर नोएडा	कचहरी में वकील की गोली मारकर हत्या।
14 फरवरी	अलीगढ़	अलीगढ़ में वेलेंटाइंस डे पर युवती की हत्या।
14 फरवरी	इलाहाबाद	चंबल एक्सप्रेस में एक युवक की हत्या कर शव को बदमाशों ने फंदे से लटकाया।
14 फरवरी	लखनऊ	पॉलिटेक्निक चौराहे पर रिश्वत न देने पर सिपाहियों ने ट्रक ड्राईवर को पीटा।
14 फरवरी	लखनऊ	कैसरबाग नूर मंजिल के सामने बदमाशों ने सरेराह पुलिस पर झोंका फायर।
15 फरवरी	लखनऊ	कैलाशपुरी मोड़ पर दबंगों ने महिला पर सरेराह तेजाब फेंका।
15 फरवरी	लखनऊ	गुडम्बा के कौड़ियामऊ गांव में दहेज के लिए एक महिला अनीता को जलाकर मार डाला।
17 फरवरी	लखनऊ	निगोहां के ब्रम्हदासपुर गांव में सिरफिरे बेटे ने मां का सर कूच कर किया हत्या।
17 फरवरी	लखनऊ	गोसाई गंज के मटेरा गांव में एक महिला कि हत्या कर शव पंखे से लटकाया।
17 फरवरी	लखनऊ	निगोहां के मदेखेड़ा गांव में एक युवक ने किया दादी की हत्या।
17 फरवरी	लखनऊ	बदमाशों ने काकोरी में किया महिला की हत्या।
17 फरवरी	लखनऊ	मलिहाबाद में सुदखोरों ने एक किसान की गोली मारकर हत्या की।
20 फरवरी	लखनऊ	विकास नगर में विन पैलेस के पास गुण्डों ने छात्रा को पीटा।
22 फरवरी	मेरठ	इंचौली थाना क्षेत्र के कसेरू बक्सर में आन की खातिर युवक ने चचेरी बहन की हत्या की।
23 फरवरी	इटावा	इटावा में एसएसपी आवास के पीछे कोर्ट मैरिज कर वापस आ रहे युवक अदनान को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार कर हत्या की।

दिनांक	जनपद	घटनाएं
23 फरवरी	गोण्डा	गोण्डा-फैजाबाद मार्ग पर कपड़ा व्यवसायी की हत्या।
24 फरवरी	लखनऊ	निराला मार्केट में आई सेंटर पर मिडिया कर्मियों पर हमला।
23 फरवरी	आगरा	जीवनी मंडी-वाटर वर्क्स मार्ग पर ब्रोकर प्रकाशचन्द्र अग्रवाल की हत्या।
24 फरवरी	कानपुर	क्रिकेट के विवाद में रिशू वर्मा की पीट-पीट कर हत्या।
24 फरवरी	कानपुर	सचेन्डी में बदमाशों ने स्कूल संचालक को जिन्दा जमीन में गाड़ दिया।
24 फरवरी	लखनऊ	इंदिरानगर में पिकनिक स्पाट के जंगल में बिजली मकैनिक विनोद यादव की हत्या।
25 फरवरी	बलिया	खड़ीवा गांव के पास बाइक सवार बदमाशों ने तीन सर्राफों को गोली मारी एक की मौत।
25 फरवरी	गाजियाबाद	बम्हैटा गांव में घर में घुस कर सपा नेता यशवीर यादव की गोलीमार कर हत्या।
25 फरवरी	पड़रौना कुशीनगर	हाटा में पशु तस्करों ने एक सिपाही को ट्रक से कुचल कर किया मारने की कोशिश।
25 फरवरी	प्रतापगढ़	पट्टी कोतवाली थाना क्षेत्र के रेड़ीगारापुर निवासी रमापति की बहू, पत्नी, बेटीयों को सपा नेता की अगुवाई में सरेबाजार घसीट-घसीट कर पीटा गया, करंट लगाया गया और जिन्दा दफनाने की कोशिश की गई।
26 फरवरी	आगरा	आगरा के श्रेयस ग्रामीण बैंक में डकैती का प्रयास मैनेजर व कैशियर की गोली मार कर हत्या।
27 फरवरी	मैनपुरी	दीवानी कचहरी के गेट पर एक युवक की गोली मार कर हत्या।
27 फरवरी	म0नगर	रेलवे पुलिस ने बुजुर्ग दंपती को ट्रेन से दिया धक्का महिला की मौत।
27 फरवरी	हमीरपुर	कन्या विद्याधन न मिलने पर छात्राओं ने किया पथराव।
28 फरवरी	बाराबंकी	पांच दिन से लापता ग्राम आलापुर निवासी बालिका की गला रेतकर हत्या।

मार्च + फरवरी

लूट, डकैती, हत्या सम्बन्धित गम्भीर अपराधिक घटनाएं (मार्च 2013)

दिनांक	जनपद	घटनाएं
05 मार्च, 2013	गाजियाबाद	विजयनगर में एनएच 28 के पास बदमाशों ने इंजीनियर रमेश सिंह को सरियों से पीटकर बाइक व बैग लूट लिया।
07 मार्च, 2013	बलरामपुर	ललिया थाना क्षेत्र अन्तर्गत मथुरा बाजार निवासी सर्राफा व्यवसायी रंजीत सोनी से बदमाशों ने किया ढाई की लूट।
09 मार्च, 2013	इलाहाबाद	सिविल लाइन थाना क्षेत्र में शातिर बदमाशों ने असम के मुख्य मंत्री का आईपॉड और सामान उठाया।
09 मार्च, 2013	लखनऊ	बजार खाला क्षेत्र में खजुहा पुलिस चौकी के पास बदमाशों ने एक व्यवसायी के नौकर बिरहाना निवासी मनोज कुमार गुप्ता को गोली मार कर बैग लूटा।
09 मार्च, 2013	फैजाबाद	बीकापुर में बाईकर्स गैंग ने कोतवाली क्षेत्र के वंशवनपुर गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर इन्टर के नदीम को गोलीमार कर 20 हजार रु0 लूटे।
10 मार्च, 2013	लखनऊ	जानकीपुरम् में स्कूटी सवार महिला वकील से पुलिस के सामने ही लुटेरों ने चेन लूटा।
10 मार्च, 2013	मऊ	मुहम्मदाबाद गोहना कोतवाली क्षेत्र के शियाबस्ती गांव में ग्राम प्रधान जयप्रकाश सिंह के घर एक करोड़ की चोरी।
10 मार्च, 2013	अमेठी	भादर-जामों मार्ग पर स्थित नेवढ़िया गांव के पास रिटायर्ड दरोगा की हत्या कर बदमाशों ने किया लूटपाट।
10 मार्च, 2013	बहराइच	रुपईडीहा थाना अन्तर्गत ग्राम पंचायत मकनपुर के मजरा नरायन जोत में दिलीप कुमार व उसके भाई के घर सशस्त्र बदमाशों ने किया डकैती।
11 मार्च, 2013	चित्रकूट	स्टेट बैंक की कर्वी शाखा से एक व्यापारी अरुण गौतम से 6 लाख 66 रु0 बदमाशों ने उड़ाया।
12 मार्च, 2013	लखनऊ	पीजीआई थाना क्षेत्र के तेलीबाग में हार्डवेयर व्यापारी अमित अग्रवाल को घायल कर तमंचों के बल पर बदमाशों ने लूटे 80 हजार रु0।
12 मार्च, 2013	नोएडा	महामाया फ्लाई ओवर के पास बदमाशों ने सर्राफा कारोबारी के मुनीम से सवा करोड़ रु0 लूटे।
12 मार्च, 2013	लखनऊ	मोहनलालगंज के दौलत खेड़ा गांव में असलहों से लैस नकाबपोश बदमाशों ने पिताम्बर व उसकी पत्नी प्रेमा व बच्चों को बंधक बनाकर नकदी और जेवर लूटे।

दिनांक	जनपद	घटनाएं
13 मार्च, 2013	सुल्तानपुर	गोसाईगंज थाना क्षेत्र के खुटेहना गांव निवासी व्यवसायी मुंदर गुप्ता, मुन्ना गुप्ता और राजाराम गुप्ता तीनों सगे भाई को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी, एक भाई मुंदर गुप्ता की मौत। डेढ़ लाख रु0 के जेवर लूटे।
18 मार्च, 2013	सीतापुर	सहकारी गन्ना समिति कमलापुर के चेयरमैन और किसान शक्ति फिलिंग सेंटर के मालिक प्रदीप सिंह चौहान को बदमाशों ने गोली मार लूटने की कोशिश किया।

लूट, डकैती, हत्या सम्बन्धित गम्भीर अपराधिक घटनाएं

दिनांक	जनपद	घटनाएं
01 फरवरी, 2013	लखनऊ	हजरतगंज में तनिष्क शोरूम से नौकर ने उड़या लाखों के गहनें।
01 फरवरी, 2013	लखनऊ	इन्दिरा नगर के खुर्रमनगर शिव विहार कलोनी में इंजीनियर के घर से 15 लाख की डकैती।
01 फरवरी, 2013	लखनऊ	गोमतीनगर और अलीगंज में दो मकानों में लाखों की चोरी।
02 फरवरी, 2013	सुल्तानपुर	मोतिगरपुर के गौरा गांव में रामयज्ञ त्रिपाठी के 22 लाख का माल चोरों ने उड़ाया।
03 फरवरी, 2013	लखनऊ	गोमतीनगर के कौशलपुरी निवासी कुमुद पाण्डेय के घर का ताला तोड़ लाखों की चोरी।
03 फरवरी, 2013	कुशीनगर	कसया में मंत्री सर्मथकों अमर उजाला अखबार के बंडल लूटे।
05 फरवरी, 2013	लखनऊ	ठाकुरगंज के नई बस्ती फरीदनगर में बेखौफ डकैतों ने ठेकेदार के घर में डाला डाका।
07 फरवरी, 2013	लखनऊ	मड़ियांव थाना क्षेत्र में एक ज्वैलरी शाप में सेंध लगाकर लाखों की चोरी।
11 फरवरी, 2013	गोण्डा	धानेपुर थाना क्षेत्र में सर्राफा व्यवसायी जगदम्बा कसौंधन से बदमाशों ने लूटा दो लाख रु0।
11 फरवरी, 2013	बरेली	चंडीगढ़-लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस में सिपाहियों ने यात्री को लूटा।
14 फरवरी, 2013	लखनऊ	अलीगंज के कपूरथला के पास दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला से चेन लूटी।
15 फरवरी, 2013	सीतापुर	बाईक सवार बदमाशों ने तमंचे के बल पर मेंथा आयल व्यवसायी संतोष से सवा दो लाख रुपये लूटे।
20 फरवरी, 2013	लखनऊ	नाका कोतवाली के पास बदमाशों ने तमंचे के बल पर एक सर्राफ से करोड़ रुपये के जेवर लूटे।
21 फरवरी, 2013	लखनऊ	आलमबाग में मूथूट फाइनेन्स कम्पनी में डकैतों ने धावा बोल कर कर्मचारियों को बन्धक बनाकर किया 6 करोड़ की डकैती।
21 फरवरी, 2013	कानपुर देहात	चौकी क्षेत्र के विसायकपुर स्थित एक ट्रांसफार्मर फैक्ट्री में बदमाशों ने धावा बोलकर 30 लाख रु0 के सामान लूटे।
22 फरवरी, 2013	मऊ	काशी गोमती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की काठतराव शाखा से 22 लाख रु0 की चोरी।

दिनांक	जनपद	घटनाएं
22 फरवरी, 2013	बाराबंकी	कोतवाली शहर के नाका सतरिख चौराहे के पास महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा फाइनेंस कम्पनी के कर्मचारियों के आंखों में मिर्च पाउडर झोंक बदमाशों ने लूटे 34 लाख रु0।
22 फरवरी, 2013	प्रतापगढ़	कुंडा के कुसेमर गांव निवासी सर्राफ कौशल सोनी की लूट के बाद हत्या।
22 फरवरी, 2013	उन्नाव	हरदोई-उन्नाव रोड पर सफीपुर के बबरअली मोहल्ला निवासी सर्राफ रामसागर गुप्ता से बदमाशों ने 4.5 लाख रु0 के जेवर लूटे।
22 फरवरी, 2013	लखनऊ	विकासनगर में एक अध्यापिका पूनम श्रीवास्तव के घर बदमाशों ने किया लाखों की चोरी।
22 फरवरी, 2013	मेरठ	जानी थाना क्षेत्र के गांव रसूलपुर घोलड़ी में इलाहाबाद बैंक की शाखा में बदमाशों ने धावा बोला किया 5 करोड़ की डकैती।
22 फरवरी, 2013	लखनऊ	हजरतगंज दारुलशफा से मा0 विधायक श्रीमती रजनी तिवारी की गाड़ी से टप्पेबाजों ने उड़ाया ब्रीफकेस।
24 फरवरी, 2013	नोएडा	नोएडा इलेक्ट्रानिक्स कम्पनी में 50 लाख रु0 की डकैती।
26 फरवरी, 2013	लखनऊ	बाइक सवार बदमाशों ने गोमती बैराज पर पान व्यापारी सतीश यादव की गोली मार कर हत्या। पत्नी अंजली को घायल कर लूटा।
27 फरवरी, 2013	बरेली	इज्जतनगर में सर्राफ दुर्गेश गुप्ता से बाइक सवार बदमाशों ने 3.5 लाख रु0 लूटे।
27 फरवरी, 2013	श्रावस्ती	गिलौला थाना क्षेत्र में असलहे के बल पर बाइक सवार बदमाशों ने सरार्फ बंसतलाल गुप्ता से लूटे 1.5 लाख रु0 के गहनें।

मार्च + फरवरी

व्यवसायी/व्यापारियों की हत्या

मार्च, 2013

दिनांक	जनपद	घटनाएं
03 मार्च	लखनऊ	गोसाईगंज में सर्राफा व्यवसायी अम्बिका प्रसाद वर्मा पर दबंगों ने किया चाकू से हमला।
07 मार्च	गोरखपुर	थाना क्षेत्र गगहा में व्यापारी बाबूलाल गुप्ता के पूरे परिवार को बदमाशों ने मारी गोली पिता और पुत्र सहित तीन की मौत। मां, भाई और दो बच्चे घायल अस्पताल में भर्ती।

09 मार्च	लखनऊ	बाजार खाला क्षेत्र में खजुहा पुलिस चौकी के पास बदमाशों ने एक व्यवसायी के नौकर बिरहाना निवासी मनोज कुमार गुप्ता को गोली मार कर बैग लूटा।

व्यवसायी/व्यापारियों की हत्या

फरवरी, 2013

दिनांक	जनपद	घटनाएं
02 फरवरी	लखनऊ	इटौंजा कस्बे में दुकानदार पर बम से हमला।
04 फरवरी	लखनऊ	गोमतीनगर से अगवा मुम्बई कारोबारी विश्राम तिवारी की हत्या।
07 फरवरी	लखनऊ	बदमाशों ने ठाकुरगंज क्षेत्र में हार्डवेयर व्यापारी से नाम पूछा और मारी गोली।
10 फरवरी	लखनऊ	बंथरा थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने ज्वेलर गोपाल को मारी गोली।
13 फरवरी	लखनऊ	नगराम क्षेत्र के करौरवा गांव में परचून व्यवसाई की गोली मार कर हत्या।
23 फरवरी	गोण्डा	गोण्डा-फैजाबाद मार्ग पर कपड़ा व्यवसायी की हत्या।
25 फरवरी	बलिया	खड़ीचा गांव के पास बाइक सवार बदमाशों ने तीन सर्राफों को गोली मारी एक की मौत।

मार्च + फरवरी

बलात्कार/दुराचार

मार्च, 2013

दिनांक	जनपद	घटनाएं
03 मार्च 2013	लखनऊ	पीजीआई थाना क्षेत्र के तेलीबाग में एक मजदूर की बेटी को बंधक बनाकर सामूहिक बलात्कार।
04 मार्च 2013	गाजियाबाद	कविनगर में बी कॉम की छात्रा से दरिंदगी सिरफिरे ने बेरहमी से पिटाई कर किया बलात्कार।
05 मार्च 2013	सहारनपुर	गंगोह कोतवाली क्षेत्र के गांव कुंडाबसी निवासी 14 वर्षीय किशोरी को 29 नवम्बर को भगाकर ले गये बदमाशों ने गैंगरेप के बाद हत्या कर जेसीबी से 10 फुट गहरा गड्ढा खोद लाश को गाड़ दिया।
05 मार्च 2013	औरैया	अछल्दा थाना क्षेत्र के एक गांव में 13 वर्षीय किशोरी से गैंगरेप।

दिनांक	जनपद	घटनाएं
07 मार्च 2013	अमेठी	संग्रामपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी को बंधक बनाकर गैंगरेप। एसओ ने तहरीर फाड़कर फेंकी, थाने से डांटकर पीड़िता को भगाया।
08 मार्च 2013	सीतापुर	हरगांव थाना क्षेत्र के सरलापुर में साग बीनने गई मूक बधिर महिला से दुराचार के बाद हत्या।
09 मार्च, 2013	लखनऊ	मलिहाबाद के टिकरा ससपन गांव के पास बस में आठ वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार।
09 मार्च 2013	गोण्डा	वजीरगंज में शौच के लिये जा रही एक महिला से ग्राम विकास अधिकारी ने तीन साथियों के साथ मिलकर किया गैंगरेप।
09 मार्च 2013	उन्नाव	बीघापुर के टिकरी मऊ में शौच के लिये गई 15 वर्षीय किशोरी के साथ तीन युवकों ने किया गैंगरेप। माखी में भी एक किशोरी के साथ गैंगरेप।
09 मार्च 2013	सुल्तानपुर	चंदा क्षेत्र के एक प्राथमिक विद्यालय में 10 वर्षीय कक्षा पांच की छात्रा से शिक्षा मित्र दिनेश पाण्डेय ने किया बलात्कार।
10 मार्च 2013	लखनऊ	विभूति खण्ड थाना क्षेत्र के विनम्र खण्ड में घर में घुस कर राजगीर ने किया महिला से दुष्कर्म।
10 मार्च 2013	इलाहाबाद	शंकरगढ़ बाजार से फल खरीद कर घर लौट रही किशोरी को खुजेरया गांव के पास बदमाशों ने खेत में घसीट बलात्कार किया।
14 मार्च 2013	बरेली	नवाबगंज में घर में अकेला पाकर एक महिला से सामूहिक बलात्कार।
15 मार्च 2013	औरैया	अजीतमल के गांव रजपुरा में एक महिला को दुष्कर्म के बाद जिन्दा जलाने की कोशिश।
15 मार्च 2013	मुरादाबाद	दरियापुर गांव में घर के पास खेल रही एक मासूम बच्ची से गन्ने के खेत में ले जाकर बलात्कार।
15 मार्च 2013	लखनऊ	मलिहाबाद क्षेत्र के एक गांव में छात्रा को बन्धक बनाकर दुष्कर्म।
15 मार्च 2013	लखीमपुर खीरी	खीरी में ट्यूशन पढ़कर घर जा रही एक छात्रा को दिनदहाड़े अगवाकर दुराचार।
16 मार्च 2013	अम्बेडकरनगर	भीटी थाना क्षेत्र के मदारीभार के मजरे खपुर निवासी इंटरवल में स्कूल से निकली कक्षा आठ की छात्रा से बलात्कार।

दिनांक	जनपद	घटनाएं
16 मार्च 2013	बहराइच	खैरीघाट थाने क्षेत्र में 28 दिसम्बर से अपहृत किशोरी से गैंगरेप। पुलिस ने बिना एफ0आई0आर0 लिखे किशोरी को दो दिन से थाने बैठाया।
17 मार्च 2013	बलिया	बांसडीह कोतवाली क्षेत्र में खेत से निकली 17 वर्षीय युवती को घर में बंधक बनाकर गैंगरेप।
17 मार्च 2013	मऊ	घोसी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में दृष्टिहीन युवती से अधेड़ ने किया बलात्कार।
18 मार्च 2013	चित्रकूट	कर्वी कोतवाली क्षेत्र में कार सवार घायल युवती के साथ दुराचार के बाद गला घोट कर हत्या।
19 मार्च, 2013	गोण्डा	गोण्डा थाना क्षेत्र के चंदनजोत गांव में गन्ने के खेत में 22 वर्षीय युवती की बलात्कार के बाद हत्या।

बलात्कार/दुराचार (फरवरी, 2013)

दिनांक	जनपद	घटनाएं
02 फरवरी, 2013	लखनऊ	माल क्षेत्र के एक गांव में सौतेले बाप ने बेटी ढाई महीने बंधक बनाकर किया दुष्कर्म।
02 फरवरी, 2013	बाराबंकी	सुबेहा थाना क्षेत्र में सात वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या।
05 फरवरी, 2013	लखनऊ	बंथरा में कक्षा आठ की छात्रा से खटोला गांव निवासी एक व्यक्ति ने किया बलात्कार।
07 फरवरी, 2013	बरेली	अलीगंज थाना के गैनी बाजार में किशोरी के साथ गैंगरेप।
07 फरवरी, 2013	उन्नाव	सोहरामऊ थाना क्षेत्र के गांव खोटला में युवक ने किया किशोरी से दुराचार।
08 फरवरी, 2013	बाराबंकी	रामसनेही घाट अन्तर्गत ढिकुलिया मजरे दुलहदेपुर गांव में 15 वर्षीय किशोरी की गैंगरेप के बाद हत्या।
08 फरवरी, 2013	लखनऊ	माल के आजाद नगर में व्यवसाई ने लुधियाना के महिला को शादी का झांसा देकर सात माह तक किया यौन शोषण।
08 फरवरी, 2013	कौशाम्बी	एक हफ्ते में साइको किलर ने तीन किशोरियों की रेप के बाद किया हत्या।
08 फरवरी, 2013	बाराबंकी	जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में एक गांव में चारा काटने गई दलित किशोरी के साथ गैंगरेप।

दिनांक	जनपद	घटनाएं
08 फरवरी, 2013	बुलन्दशहर	कोतवाली देहात क्षेत्र में दलित किशोरी के साथ गैंगरेप से क्षुब्ध किशोरी ने खुद को लगाई आग।
08 फरवरी, 2013	लखनऊ	पी0जी0आई0 थाना क्षेत्र के उतरठिया में महिला को बंधक बनाकर सामूहिक दुराचार।
09 फरवरी, 2013	सीतापुर	सकरन क्षेत्र में खेत में बथुआ बिनने गई किशोरी के साथ युवक ने मुंह में कपड़ा ठूंसकर किया बलात्कार।
14 फरवरी, 2013	लखीमपुर खीरी	हैदराबाद थाना क्षेत्र में स्कूल जा रही नौ वर्षीय छात्रा से बलात्कार।
14 फरवरी, 2013	हरदोई	खेत में चारा बीन रही गर्भवती महिला से दबंग ने किया बलात्कार।
14 फरवरी, 2013	लखनऊ	बाजार खाला में अगवा कर किशोरी से बलात्कार।
15 फरवरी, 2013	बहराइच	कोतवाली नानपारा क्षेत्र के एक गांव में मजदूरी मांगने गई एक किशोरी से बलात्कार।
15 फरवरी, 2013	हमीरपुर	मझगांवा थाना क्षेत्र के एक गांव में शौच के लिए गई दो सगी बहनों से गैंगरेप।
20 फरवरी, 2013	बाराबंकी	सतरिख क्षेत्र के जरूवा गांव में किशोरी से गैंगरेप।
20 फरवरी, 2013	लखनऊ	पी0जी0आई0 इलाके के एक गांव में लकड़ी बिनने गई एक किशोरी से बलात्कार।
22 फरवरी, 2013	लखनऊ	सरोजनी नगर में शौच के निकली हाई स्कूल की छात्रा को घर में खींच कर युवक ने किया बलात्कार के बाद हत्या की कोशिश।
23 फरवरी, 2013	लखनऊ	गोसाईगंज क्षेत्र में एक मासूम विकलांग बालिका के साथ दुष्कर्म।
24 फरवरी, 2013	लखीमपुर खीरी	पलिया इलाके में गन्ने के खेत में गई सात साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार।
21 फरवरी, 2013	अम्बेडकर नगर	आलापुर के महेशपुर मंडप में नाबालिक बालिका से बलात्कार।
23 फरवरी, 2013	गोरखपुर	सहजनवां इलाके के एक गांव में एक शिक्षामित्र ने किया पांचवीं के छात्रा से बलात्कार।
24 फरवरी, 2013	कानपुर	चौबेपुर कस्बे में शादी समारोह में गई कक्षा दो की मासूम छात्रा से दरिंदगी दुष्कर्म के बाद हत्या।

मार्च+फरवरी

छेड़खानी (मार्च, 2013)

दिनांक	जनपद	घटनाएं
01 मार्च, 2013	लखनऊ	पी0जी0आई0 क्षेत्र में नशे में धुत शोहदों ने युवती से किया छेड़खानी।
01 मार्च, 2013	लखनऊ	वजीरगंज स्थित एक मदरसे में दबंग सहपाठी ने किया सहपाठी से दुष्कर्म का प्रयास।
03 मार्च, 2013	लखनऊ	सरोजनीनगर में परचून की दुकान पर सात साल की मासूम से दुराचार का प्रयास।
03 मार्च, 2013	लखनऊ	तेलीबाग से रामटोला खरिका में बदमाशों ने किशोरी से किया दुराचार का प्रयास।
03 मार्च, 2013	सीतापुर	पिसावां क्षेत्र स्थित एक गांव में किशोरी से दुराचार विरोध करने पर बदमाशों ने उसके भाई को चाकू मार दिया।
04 मार्च, 2013	लखनऊ	पी0जी0आई0 थाना क्षेत्र में एक मूकबधिर छात्रा से छेड़खानी।
04 मार्च, 2013	मुरादाबाद	लखनऊ-चण्डीगढ़ एक्सप्रेस में नाबालिक किशोरी के साथ दुष्कर्म की कोशिश।
09 मार्च, 2013	अम्बेडकरनगर	इब्राहिमपुर में छेड़खानी का विरोध करने पर बदमाशों ने बी0एड0 छात्रा पर तेजाब फेंका।
10 मार्च, 2013	गाजियाबाद	विजयनगर थाने के पास ड्यूटी पर तैनात महिला सिपाही से एक सिरफिरे ने किया छेड़खानी।
10 मार्च, 2013	लखनऊ	कृष्णानगर में शोहदे की छेड़खानी से तंग आकर 19 वर्षीय बी0ए0 द्वितीय वर्ष की छात्रा ने जहर खाया।
11 मार्च, 2013	मुरादाबाद	सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र के हरथला इलाके में दबंग सपा नेता के भाई दानिश ने किया युवती से छेड़खानी व कपड़े फाड़े। क्षुब्ध युवती ने खुद को आग लगाकर फूंका मौत।
14 मार्च, 2013	लखनऊ	मड़ियांव थाना क्षेत्र में दो व्यक्तियों ने महिला छेड़खानी किया, विरोध पर पीटा।
16 मार्च, 2013	रायबरेली	मिल एरिया थाना क्षेत्र के एक गांव में छिंटाकशी व छेड़खानी से तंग आकर खुद को आग लगाकर जान दे दी।
16 मार्च, 2013	लखनऊ	मुख्य मंत्री आवास से चंद कदम दूरी पर स्थित पराग पार्लर के दो इंचार्जों ने सेल्स गर्ल्स से किया दुष्कर्म की कोशिश।

दिनांक	जनपद	घटनाएं
18 मार्च, 2013	शाहजहांपुर	प्रतापगढ़ सपा के पूर्व सांसद व प्रत्याशी श्री सी0एन0 सिंह ट्रेन में युवती से किया छेड़खानी।
18 मार्च, 2013	बाराबंकी	कोठी थाना क्षेत्र के एक गांव में सुबह दूध लेकर लौट रही बच्ची से बलात्कार का प्रयास।
19 मार्च, 2013	लखनऊ	हसनगंज थाना क्षेत्र में जरदोजी कारखाने में एक युवती से दुष्कर्म की कोशिश में नाकाम युवक ने युवती को कारखाने के कमरे में बन्द कर फरार।
19 मार्च, 2013	लखनऊ	गाजीपुर थाना क्षेत्र में ट्रेवल एजेन्सी के मालिक की बच्ची से छेड़खानी विरोध पर चचेरे भाई को पीटा।
19 मार्च, 2013	आगरा	ईदगाह स्थित आगरा महल होटल में लंदन की महिला डाक्टर से दुष्कर्म की कोशिश, अस्मत बचाने के लिए दूसरी मंजिल से कूदी डाक्टर।
19 मार्च, 2013	सुल्तानपुर	दोस्तपुर के वार्ड नं0 पांच के जिला पंचायत सदस्य गौतम वर्मा ने नर्सिंग होम संचालिका से किया छेड़खानी व रंगदारी मांगी।

छेड़खानी (फरवरी, 2013)

दिनांक	जनपद	घटनाएं
01 फरवरी, 2013	लखनऊ	काकोरी क्षेत्र में पूर्व प्रधान के घर तिलक से लौट रही किशोरी से दुष्कर्म का प्रयास।
01 फरवरी, 2013	मुगलसराय	सम्पर्क क्रांति में जवानों ने की छात्राओं से छेड़खानी।
06 फरवरी, 2013	लखनऊ	पी0जी0आई0 थाना क्षेत्र में उसर गांव निवासी एक व्यक्ति ने युवती से किया छेड़खानी विरोध पर युवती की पिटाई की।
07 फरवरी, 2013	हरदोई	कोतवाली क्षेत्र में छेड़छाड़ से तंग आकर छात्रा ने लगाई फांसी।
08 फरवरी, 2013	सुल्तानपुर	दोस्तपुर थाना परिसर में एक दिवान ने दलित बच्ची के साथ किया बलात्कार का प्रयास।
09 फरवरी, 2013	सीतापुर	कस्बे में बदमाशों ने महिला से किया दुराचार की कोशिश विरोध पर काटा अंगूठा।
11 फरवरी, 2013	रायबरेली	खीरों के एक गांव में छेड़खानी से तंग आकर किशोरी ने खुद को लगाई आग।
11 फरवरी, 2013	मुरादाबाद	श्रमजीवी एक्सप्रेस में महिला से छेड़छाड़।
11 फरवरी, 2013	लखनऊ	निगोहां के भद्दी सिर्स मजरा के एक गांव में गर्भवती महिला के साथ दुष्कर्म की कोशिश।

दिनांक	जनपद	घटनाएं
16 फरवरी, 2013	लखनऊ	चिनहट के कान्ता गांव में मनचलों ने कोचिंग से लौट रही छात्रा से सरेराह किया छेड़खानी।
17 फरवरी, 2013	बनारस	भेलूपुर थाना क्षेत्र के बिरदोपुर स्थित काम्पलेक्स में उप कृषि निदेशक ने महिला से किया छेड़खानी।
21 फरवरी, 2013	झांसी	गोवा एक्सप्रेस में एक युवती से छेड़खानी।
21 फरवरी, 2013	लखनऊ	पी0जी0आई0 थाना क्षेत्र के कल्ली पश्चिम गांव में एक विधवा महिला से दुष्कर्म की कोशिश।
22 फरवरी, 2013	वाराणसी	कैंट थाना क्षेत्र के मिंट हाउस स्थित स्कूल की एक छात्रा से सिपाही ने किया छेड़खानी।
23 फरवरी, 2013	नोएडा	नोएडा के पूर्व सी0ई0ओ0 का बेटा विवेक शर्मा ने किया युवती से छेड़खानी।
26 फरवरी, 2013	इटावा	जसवंतनगर थाना क्षेत्र में दरोगा की बेटी के साथ छेड़खानी व रेप का प्रयास। क्षुब्ध लड़की ने किया आत्महत्या।
27 फरवरी, 2013	सीतापुर	तम्बौर सी0एच0सी0 अधीक्षक ने एक युवती से किया दुराचार की कोशिश।
27 फरवरी, 2013	लखनऊ	मोहनलालगंज कोतवाली के सामने छात्रा से छेड़खानी।
27 फरवरी, 2013	लखनऊ	इटौंजा के भिखारीपुर गांव स्थित राजकीय विद्यालय में छात्रा से छेड़खानी पर दो गुटों में संघर्ष जमकर मारपीट।
28 फरवरी, 2013	लखनऊ	निगोहां क्षेत्र में दबंगों ने की घर में घुसकर किशोरी से छेड़खानी व पिटाई।

मार्च+फरवरी

अपहरण (मार्च, 2013)

दिनांक	जनपद	घटनाएं
03 मार्च, 2013	लखीमपुर खीरी	बिनौरा गांव में एक व्यवसायी के बेटे मुसकान का अपहरण बदमाशों ने तीन लाख रु0 फिरौती मांगी।
05 मार्च, 2013	सुल्तानपुर	गौरीगंज स्थित जिला कोषागार में लेखाकार के पद पर कार्यरत श्री अजय कुमार मौर्य का गौरीगंज बाजार से अपहरण।
06 मार्च, 2013	लखनऊ	आशियाना में स्कूल से लौटते हुए लखनऊ पब्लिक स्कूल की हाई स्कूल की छात्रा का अपहरण।
08 मार्च, 2013	लखीमपुर खीरी	सदर कोतवाली क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के निकट से दवा कम्पनी के सेल्समैन लखनऊ के आलमबाग निवासी अभिषेक का अपहरण बदमाशों ने दो लाख फिरौती मांगी।

दिनांक	जनपद	घटनाएं
09 मार्च, 2013	बाराबंकी	घंघटेर में स्कूल जा रही छात्रा को अगवा करने की कोशिश।
19 मार्च, 2013	लखनऊ	गुडम्बा थाना क्षेत्र में युवती ने किया डा0 विनय वर्मा के बेटे का अपहरण।

अपहरण

दिनांक	जनपद	घटनाएं
08 फरवरी, 2013	बहराइच	कल्पीपारा से सरयू नहर परियोजना के अभियन्ता प्रभु नारायण को लेन-देन के विवाद में कार सवारों ने किया अगवा।
16 फरवरी, 2013	लखनऊ	पी0जी0आई0 थाना क्षेत्र के वृन्दावन कालोनी में कार सवार युवकों ने किशोरी को अगवा किया।
18 फरवरी, 2013	लखनऊ	बाजार खाला के विक्टोरियागंज में एक सर्राफ के बेटे आयुष को दूसरी बार अपहरण।
22 फरवरी, 2013	बांदा	अतर्रा थाना क्षेत्र के तेराब गांव में आधा दर्जन सशस्त्र बदमाशों ने एक किसान को अगवाकर मांगी 10 लाख की फिरौती।
23 फरवरी, 2013	बहराइच	शहर के मोहल्ला किला से एक मासूम बालिका महक का अपहरण।
24 फरवरी, 2013	लखनऊ	गुडम्बा व वजीरगंज से तीन छात्र ताबीश, शउद अखलाक और पुष्पेन्द्र यादव लापता।
26 फरवरी, 2013	लखनऊ	दबंगों ने चिनहट के गड़रियन के पुरवा में एक महिला से किया छेड़खानी विरोध पर की पिटाई व अपहरण की कोशिश।
27 फरवरी, 2013	लखनऊ	मोहनलालगंज के गौरागांव से एक छात्रा लापता, रिपोर्ट पर पुलिस ने कहा खुद तलाशो।
27 फरवरी, 2013	शाहजहांपुर	थाना निगोही हमजापुर चौराहे से श्रीराम पुत्र केशरी का दिन-दहाड़े अपहरण।

पी0एस0यू0पी0-एल0 63 विधान सभा (133)-20-8-2013-813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।